नवम माला, अंक 3

11January 1991

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

छठा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

नवम माला, खंड 13, छठा सत्र, 1990-91/1912 (शक)

अंक 10, शुक्रवार, 11 जनवरी, 1991/21 पौष, 1912 (शक)

	पृ० सं०
सभा पटल पर रखे गए पत्र	1—4
राज्य सभा से संदेश	5
तमिलनाडु सरकार के कार्यों के बारे में प्रधान मन्त्री द्वारा की गई कथित टिप्पणियों के बारे में	5—24
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को सभी भारतीय भाषाओं में लिए जाने के बारे में	24—28 और 31—58
महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण के लिए सांविधिक विकास बोर्डों की स्थापना किए जाने के बारे में	28—31
मन्त्री द्वारा वक्तव्य	58—60
बजट घाटा—अप्रैल-नवम्बर, 1990	
श्री यशवन्त सिन्हा	58
केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक—पुरःस्थापित	61
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति	61—64
राज्य सभा की सिफारिश से सहमति	
नियम 377 के अधीन मामले	65—71
(एक) राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में वृद्धि को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की मांग	
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा	65
(दो) महाराष्ट्र में लाटूर रोड से उस्मानाबाद होते हुए कुरूड़वाड़ी तक मुख्य रेल लाइन के निर्माण को प्राथमिकता दिए जाने की मांग	
श्री अरविन्द तुलसीराम कांबले	65
(तीन) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को सभी भारतीय भाषाओं में लिए जाने की मांग	
श्री कपिल देव शास्त्री	66
(चार) केरल में अंगामाली से अचिनकोइल तक मालायोरा रेल लाइन का निर्माण कार्य तेज किए जाने की मांग	
श्री पी० सी० थामस	66

(पांच) उत्पीड़ित रेल कर्मचारियों को बहाल किए जाने की मांग

श्री ए० के० राय 66

(छः) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को प्रायोजित बैंकों के समान वेतन और भत्ता दिए जाने के बारे में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का पंचाट लागू किए जाने की मांग

श्री चित्त बसु 67

(सात) देश में खाना पकाने की गैस की पर्याप्त आपूर्ति किए जाने की मांग

श्री सत्यनारायण जटिया 67

(आठ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया सरल बनाए जाने की मांग

श्री चांद राम 68

(नौ) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम को रक्षा मंत्रालय के अधीन लाने या उसका भारतीय नौवहन निगम में विलय किए जाने की मांग

श्री सैफुद्दीन चौधरी 68

(दस) छोटे-छोटे शहरों से प्रकाशित होने वाले स्थानीय साप्ताहिक व पाक्षिक समाचार-पत्रों को समुचित सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग

श्री हरीश रावत 69

(ग्यारह) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर राजस्थान में उदयपुर के निकट उप-मार्ग का निर्माण किए जाने की मांग

श्री गुलाब चन्द कटारिया 69

(बारह) बिहार में जहानाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में पीने का पानी मुहैया कराने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 70

(तेरह) बिहार के मिथिला क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री भोगेन्द्र झा 70

(चौदह) राजस्थान के अजमेर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किए जाने की मांग

प्रो० रासा सिंह रावत 71

छावनी (संशोधन) विधेयक 71—72

राज्य सभा द्वारा किया गया संशोधन—सहमति

अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति — 72—74

राज्य सभा की सिफारिश से सहमति

नियम 193 के अधीन चर्चा — 74—102 और 104—151

(एक) पंजाब में स्थिति

श्री लाल कृष्ण आडवाणी — 74

श्री भजन लाल — 86

श्री कृपाल सिंह — 95

श्री कपिल देव शास्त्री — 104

श्री दिनेश सिंह — 107

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य — 109

श्री भोगेन्द्र झा — 113

श्रीमती बिमल कौर खालसा — 117

श्री आई० के० गुजराल — 121

श्री कमल चौधरी — 129

श्री चांद राम — 131

श्री राम कृष्ण यादव — 133

श्री मदन लाल खुराना — 134

श्री ए० के० राय — 136

श्री चन्द्र शेखर — 140

(दो) बोफोर्स मामले की जांच में प्रगति

श्री मदन लाल खुराना — 149

खाड़ी संकट के बारे में संकल्प—स्वीकृत — 103—104

दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्त अंतरिम आदेश के बारे में टिप्पणी — 139

संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत अध्यक्ष का निर्णय — 151—171

दल-बदल के आधार पर सदस्यों की निरर्हता

विदाई सम्बन्धी उल्लेख — 171—173

लोक सभा

शुक्रवार, 11 जनवरी, 1991/21 पौष, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : आज स्टेटहुड का हो जाये तो ··

अध्यक्ष महोदय : खुशी से चीजों को चलने दीजिये। आप बैठ जायें। ऐसा करें कि पहले हमको ले करने दीजिये फिर आपका सबमिशन हो जायेगा। पुरोहित जी, आप बैठ जाइये।

———

11.01 म० पू०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय जूट विनिर्मित निगम लिमिटेड, कलकत्ता और भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षाएं

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय जूट विनिर्मिति निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय जूट विनिर्मिति निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2107/91]

(2) (एक) भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2108/91]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अधिसूचना और मारमुगाव गोदी श्रम बोर्ड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (बजट, लेखे संपरीक्षा, निधियों का निवेश तथा परिसर में प्रवेश का अधिकार) नियम, 1990 जो 10 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 704 (अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2109/91]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) मारमुगांव गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेतन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मारमुगांव गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2110/91]

बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड तथा इन्जीनियर्स इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षाएं

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमन्त्री तथा संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : मैं श्री सत्य प्रकाश मालवीय की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2111/91]

(2) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2112/91]

केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं डा० शकीलुर्रहमान की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2113/91]

दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत अधिसूचना

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : महोदय, मैं श्री सुबोध कान्त सहाय की ओर से दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 31 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 699(अ), जो 12 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके अंतर्गत दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के कतिपय उपबंधों के प्रवर्तन को 13 सितंबर, 1990 से और 4 महीने की अवधि के लिए निलंबित करने के बारे में 12 सितम्बर, 1990 के राष्ट्रपति का आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2114/91]

गोआ-मीट काम्पलेक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द-भाई शाह) : महोदय, मैं गोआ-मीट काम्पलेक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 1989-90 के वार्षिक

प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखों को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2115/91]

टिहरी जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बबनराव ढाकणे) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) टिहरी जल-विद्युत विकास निगम लिमिटेड के 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) टिहरी जल-विद्युत विकास निगम लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2116/91]

प्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाली धनराशि में कमी आने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 355 के 28 दिसम्बर, 1990 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं श्री दिग्विजय सिंह की ओर से प्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाली धन राशि में कमी आने के बारे में डा० चिन्ता मोहन, श्री फूलचन्द वर्मा तथा श्री कमल नाथ संसद सदस्यों द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 355 के 28 दिसम्बर, 1990 को दिये गये उत्तर मे शुद्धि करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2117/91]

गर्म मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचना

[हिन्दी]

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : मैं गर्म मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 के खण्ड (ठ) के परन्तुक के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 3130, जो 24 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उक्त अधिनियम की अनुसूची में कतिपय गर्म मसालों को जोड़ा जाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हू।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2118/91]

———

11.03 म० पू०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

'मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने मंगलवार 8 जनवरी, 1991 को हुई अपनी बैठक में लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

> "कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लोक सभा की लोक लेखा समिति के साथ श्री कमल मोरारका, जो राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त हो जाने के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, के स्थान पर समिति के शेष कार्यकाल के लिये सहबद्ध करने हेतु राज्य सभा से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और उक्त समिति में कार्य करने के लिये सभा के सदस्यों में से उस रीति से, जैसा सभापति निदेश दें, एक सदस्य को निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी, सदस्य, राज्य सभा को उक्त समिति के लिये विधिवत निर्वाचित कर लिया गया है।'

11.04 म० पू०

तमिलनाडु सरकार के कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा की गई कथित टिप्पणियों के बारे में

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अनौचित्य की दृष्टि से गंभीर महत्व के प्रश्न के बारे में निवेदन करने हेतु आपकी अनुमति चाही थी। कल प्रधान मंत्री ने सभा की कार्यवाही के दौरान हस्तक्षेप करते हुए तमिलनाडु के मुख्य मंत्री और तमिलनाडु सरकार के कार्यों के संबंध में कुछ दोषारोपण किया था। उन्होंने तमिलनाडु सरकार के कार्य निष्पादन की चर्चा की थी और महोदय मुझे उनकी उस टिप्पणी पर अत्यंत दुख और नाराजगी है कि···

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : टिप्पणी किसने की थी।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधान मंत्री ने, आपने नहीं। स्वामी जी चिन्ता न करें, मैं हमेशा आपको निशाना नहीं बनाऊंगा।

महोदय, मैं इस बात पर हैरान था कि जब प्रधान मंत्री ने कहा "लेकिन वे दिन लद गए जब भारत सरकार मद्रास से चलाई जाती थी।" यह बात कार्यवाही वृतांत में दी गई है। (**व्यवधान**) कृपया मेरी बात सुनिए। आप मेरे से सहमत हो सकते हैं। जहां तक मेरी आवाज का सम्बन्ध है, आप मेरी आवज को दबा नहीं सकते। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम, क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे? वह आपकी भी बात सुनेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : *मैं आपकी भी बात सुनूंगा। मैंने उनका गलत उल्लेख नहीं किया है। मैंने यह बात लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित लोक सभा की कार्यवाही वृतान्त से उद्धृत की है। उन्होंने कहा था, वे दिन लद गए जब भारत सरकार मद्रास से चलाई जाती थी।*

पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्री वी० पी० सिंह तक, किसी भी प्रधान मंत्री ने मद्रास से केन्द्रीय सरकार नहीं चलाई। यह आक्षेप है। **(व्यवधान)**

मुझे अपनी बात पूरी करनी है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अपनी बात कहने की अनुमति दी है। आप उनकी बात न सुनिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उनकी बात नहीं सुनता लेकिन वे जो चिल्ला रहे हैं उनकी आवाज मेरे कानों में पड़ रही है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि दक्षिण में, लोगों के दिमाग में यह शक पैदा हो गया है कि तमिलनाडु में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने तथा वहां डी० एम० के० सरकार को बर्खास्त करने की शायद यह भूमिका बनाई जा रही है। यह कोई पहला अवसर नहीं है। प्रत्येक ऐसे मामले में ऐसा होता है। जहां राज्य के विचार केन्द्र के विपरीत होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, आपको शायद यह याद होगा कि बहुत से स्वतन्त्रता सेनानी आपातकाल के विरुद्ध स्वतन्त्रता की दूसरी लड़ाई मद्रास से लड़ रहे थे। केन्द्रीय सरकार इस पर नाराज हो गई थी और उससे डी० एम० के० सरकार से यह कह कर अपनी नराजगी व्यक्त की थी "आप राष्ट्रीय आपातकाल का विरोध कर रहे हैं।" राज्य में तत्कालीन सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। आज भी वैसी ही स्थिति है। केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार है और दक्षिण में डी० एम० के० सरकार है, वे उसी बात को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं संविधान सभा की कार्यवाही वृतान्त से उद्धरण देना चाहता हू…

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। डी० एम० के० पार्टी का अलग चुनाव घोषणा पत्र है। वे आपके चुनाव घोषणा पत्र को नहीं मानते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह जानते हैं कि यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद।

इसके अलावा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। जब संविधान सभा में अनुच्छेद 356 तथा इसकी विषय-वस्तु पर चर्चा की गई थी, श्री कुंजरू ने प्रारूप समिति के चेयरमेन डा० अम्बेडकर के सामने यह प्रश्न रखा था। श्री कुंजरू ने यह प्रश्न पूछा था—क्या इस अनुच्छेद का उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए वास्तव में प्रयोग किया जाएगा जब जहां सरकार ठीक से कार्य नहीं कर रही होगी ? यदि राज्य सरकार अच्छी नहीं है, तो क्या

आप वहां राष्ट्रपति का शासन लागू कर देंगे ? डा० अम्बेडकर ने कहा था, "चाहे कोई राज्य सरकार अच्छी है अथवा बुरी सरकार है, इससे केन्द्रीय सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। यह चिन्ता उन लोगों की है जिन्होंने उस सरकार के लिए मत दिया है। यही बात डा० अम्बेडकर ने कही थी। (**व्यवधान**) मुझे मालूम है कि सच्चाई से आपको दुख पहुंचा है; मैं जानता हू कि डा० अम्बेडकर की बात से आपको दुख: पहुंचा है, मैं जानता हू श्री कुंजरू की बात से आपको दुख पहुंचा है।

श्री कुंजरू ने डा० अम्बेडकर को बताया था··· (**व्यवधान**)

श्री समरेन्द्र कुण्डू (बालासोर) : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुन्डू आप क्यों खड़े हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं श्री कुन्डू का उल्लेख नहीं कर रहा था। मैं श्री कुंजरू का उल्लेख कर रहा था।

श्री कुंजरू ने डा० अम्बेडकर से पूछा था, यदि राज्य सरकार का काम केन्द्रीय सरकार के अनुसार ठीक नहीं है, कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है, तो क्या उसे उस स्थिति में, आप इस अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे।

डा० अम्बेडकर ने कहा था :

"मैं चाहता हूं कि अनुच्छेद 356, संविधान में निष्क्रिय रहे।"

यदि आपकी राय में राज्य सरकार अच्छी सरकार नहीं है, तो भी अनुच्छेद 356 लागू नहीं किया जा सकता। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में ही आप इस अनुच्छेद का प्रयोग कर सकते हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सभा में सभी दलों के नेताओं की सहमति में भूतपूर्व अध्यक्ष (**व्यवधान**) मैं किसी और बात का उल्लेख कर रहा हू— श्री बलराम जाखड़ (**व्यवधान**) मैं जिस बात का उल्लेख कर रहा हूं वह उनके हित में है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति दी है। आपको बोलते रहना चाहिए (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : श्री बलराम जाखड़ ने, जब वह इस सभा के अध्यक्ष थे, सत्ता दल तथा विपक्ष के सभी नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। उन्होंने अध्यक्ष को यह आश्वासन दिया था कि "हम राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले राज्य से सम्बन्धित विषयों तथा उनसे सम्बद्ध अन्य पहलुओं से सम्बन्धित मामलों पर इस सभा में चर्चा करने की अनुमति नहीं देंगे।" इसीलिए हमने बंगाल अथवा आसाम की कभी चर्चा नहीं की। हमने तमिलनाडु अथवा गुजरात अथवा मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा नहीं की क्योंकि वह राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है। दुर्भाग्यवश, प्रधानमंत्री संविधान के सभी पहलुओं को भूल गए हैं। मैं यह नहीं कहता कि वह जानबूझकर भूल गए हैं। शायद उन्हें यह बात याद नही रही है। वह वास्तविकता को भूल गए हैं, इस सभा की परम्पराओं और परिपाटियों के अनुसार किसी को भी राज्य के मामलों की चर्चा करके सम्पूर्ण दक्षिण और तमिलनाडु की मनोदशा को उग्र बनाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा था कि वे दिन लद गए जब केन्द्रीय सरकार मद्रास में चलाई जा रही थी। यह एक गंभीर

आरोप है जो प्रधानमंत्री द्वारा लगाया गया है और इसीलिए, मैंने नोटिस दिया है कि मुझे प्रधानमंत्री द्वारा किये गये अनौचित्य के इस प्रश्न को उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी कोई अनुचित व्यवहार करते तो यह बात मेरे समक्ष में आती है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री कोई अनुचित काम करते हैं, तो यह सम्पूर्ण सरकार की ओर से किया गया 'अनौचित्य' है। मेरे विचार से यह सामूहिक उत्तरदायित्व बन जाता है, इसीलिए, मैं चाहता हू कि प्रधानमंत्री और इस सभा के अध्यक्ष इस 'अनौचित्य' की ओर ध्यान दें और प्रधानमंत्री से इस ऐसे 'अनौचित्य' से बचने के लिए कहें।

आपको यह देखना चाहिए कि इस तरह का कोई 'अनौचित्य' न किया जाये जिससे तमिलनाडु के लोगों की आत्मा को दुख पहुंचे और भविष्य में ऐसा न होने पाए। इस अनौचित्य के लिए इस सभा में प्रधानमंत्री की खिचाई की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री दिनेश सिंह बोलेंगे।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : कल इस सभा से प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा था, माननीय सदस्य प्रो० मधु दण्डवते ने उसके बारे में शिकायत की है। मैं यहां प्रधानमंत्री का समर्थन करने नहीं उठा हूं। मुझे यकीन है कि उनके कार्य उनका समर्थन करेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में, माननीय प्रो० मधु दण्डवते ने कुछ अन्य विषय भी उठाए हैं जिनका मैं आपकी अनुमति से उल्लेख करना चाहता हूं।

इन्होंने कहा कि किसी राज्य सरकार के बारे में ऐसा निर्णय नहीं किया जाना चाहिए कि वह अच्छी सरकार है अथवा बुरी सरकार है। हम पूरी तरह से सहमत हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु हमें सरकार के वैध निर्णय में नहीं जाना चाहिए चाहे हमें इसके कार्यक्रम पसन्द आएं अथवा न आएं। लेकिन संगीन महत्वपूर्ण मामला यह है कि क्या वह संविधान से अनुसार सरकार चलाने योग्य है और प्रो० साहब स्वयं यह मानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने का यह एक कारण है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने केवल सैद्धांतिक और कानूनी तथा संवैधानिक स्थिति के बारे में कहा था। मैंने यह नहीं कहा कि तमिलनाडु में इस प्रकार की स्थिति है। मेरी बात की गलत व्याख्या न की जाए। सामान्यत: आप ऐसा नहीं करते हैं। आप भटकिये मत।

श्री दिनेश सिंह : मेरा आरोप यह है कि प्रोफेसर मेरे मुंह में वे शब्द रखना चाहते हैं जो कि मैंने नहीं कहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपके शब्द वापस ले रहा हूं।

श्री दिनेश सिंह : मैंने यह नहीं कहा है कि तमिलनाडु की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जा रही है या नहीं। मैंने तो यह कहा कि प्रोफेसर जी इस बात से सहमत हैं कि यदि कोई सरकार संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्य नहीं करती, तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अत: यह निर्णय किया जाना है कि तमिलनाडु में सरकार संविधान के अन्तर्गत कार्य कर रही है या नहीं। कल प्रधानमंत्रीजी ने कुछ विशिष्ट दृष्टांत दिये थे कि यह सरकार की हमारे देश के विद्रोहियों को प्रशिक्षण दिये जाने और देश में विद्रोह फैलाने

में सहायता दिए जाने और साथ ही देश के अन्य भागों में विद्रोहियों को हथियारों की बिक्री किये जाने में एक बाह्य शक्ति एल० टी० टी० ई० के साथ किस प्रकार सांठ-गांठ कर रही है ? (व्यवधान) ऐसा किया गया है। निश्चित रूप से, यह एक ऐसी सरकार नहीं हो सकती जो संविधान के अन्तर्गत कार्य करती है। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रोफसर इस बात से सहमत होंगे कि यदि ये आरोप प्रामाणिक हैं—मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री कोई हल्का-फुल्का बयान नहीं देंगे—तो तमिलनाडु सरकार को देश में विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए अब और सत्ता में बने रहने नहीं दिया जा सकता है।

माननीय प्रोफेसर ने एक अन्य मुद्दे का उल्लेख किया था कि प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय सरकार का संचालन मद्रास से किया जा रहा था। यह दक्षिण पर आक्षेप नहीं है। यह किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मद्रास से केन्द्रीय सरकार कैसे चलाई जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।

श्री दिनेश सिंह : यह सब उस समय हो रहा था जब प्रोफेसर साहिब सत्ता में थे। वह वहां से संकेत प्राप्त करते रहते थे।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, यदि वह थोड़ी देर चुप रहें, तो मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं। मैंने प्रधानमंत्री के भाषण में पढ़ा है। उन्होंने कहा : "वे दिन चले गए हैं जब भारत सरकार का संचालन मद्रास से होता था।" क्या पंडित नेहरू से लेकर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय तक केन्द्रीय सरकार का संचालन कभी भी मद्रास से किया जाता था ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री दिनेश सिंह के चुप होने के बाद प्रोफेसर दण्डवते को बोलने की अनुमति दे दी है।

श्री दिनेश सिंह : प्रधानमंत्री इतिहास की बात नहीं कर रहे थे। वह तत्काल पूर्व की और आपकी सरकार के संचालन की बात कर रहे थे।

प्रो० मधु दण्डवते : तत्काल पूर्व भी इतिहास का ही एक भाग है।

श्री दिनेश सिंह : यदि आपने ऐसा नहीं किया होता तो आपकी स्थिति ऐसी नहीं होती जो आज है। (व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै (करूर) : महोदय, प्रो० दण्डवते ने जो कुछ कहा है, उसमें मैं भी सहमत नहीं हूं। श्री दिनेश सिंह ने भी कुछ कहा है। मैंने इसमें से कुछ बातें नोट की हैं। ऐसा विशेषत: श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में हुआ है, यह विशेषत: डी० एम० के० पार्टी के नेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान हुआ है............

श्री के० सी० त्यागी (हापुड़) : वह इस सभा के सदस्य नहीं हैं। वह उनकी बात नहीं कर सकते।... (व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। मैंने कहा है : 'पार्टी के नेता'। वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा : 'डी० एम० के० सरकार'। इन बातों पर उत्तेजित न हों।

(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : मैं एक उदाहरण देता हूं कि उन्होंने किस प्रकार आदेश का पालन किया। उस समय उन्होंने किस प्रकार आदेश का पालन किया और किस प्रकार आदेश का उल्लंघन किया, इस बात के अनेक प्रमाण हैं। उदाहरण के लिए उस समय जब केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया था, जब श्रीलंका से भारतीय शांति सेना की टुकड़ी आ रही थी, तो उसकी अगवानी करने के संबंध में—मुख्यमंत्री से अपेक्षा की जाती है वह जाए और उसकी अगवानी करे—उन्होंने कहा था : "यह हत्यारों की टुकड़ी है। इसने अनेक तमिलों की हत्या की है।" अतः, ऐसा कहते हुए उन्होंने उस टुकड़ी की अगवानी नहीं की। उन्होंने वहीं से लिखवाकर भेज दिया। इसके बाद जब श्रीलंका के शरणार्थी आए, जब केन्द्र ने उनसे उन्हें तमिलनाडु में शरण देने का आग्रह किया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा : "श्रीलंका का यह ग्रुप एक अलग ग्रुप है। यदि मैं इसे शरण देता हूं तो भारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसलिए, मैं इस ग्रुप को शरण नहीं दे सकता।" अतः केन्द्रीय सरकार ने उस ग्रुप को उड़ीसा भेज दिया। उन्होंने क्या-क्या मुसीबतें झेलीं ? इसके पश्चात्, वे एक बार पुनः तमिलनाडु आए। उक्त पार्टी के नेता की मृत्यु हो गई। एक और दृष्टांत भी है। जब नौसेना ने तटीय क्षेत्र के निकट तमिलनाडु में 10 करोड़ रुपए मूल्य के शस्त्र बरामद किए थे, तो इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसीलिए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि "वे दिन चले गए हैं जब भारत सरकार का संचालन मद्रास से होगा।" क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं···(व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि चाहे कोई भी राज्य सरकारें हों, उन्हें संविधान के अनुसार कार्य करना होगा। यदि वह संविधान से ऊपर जाती हैं, तो वे केन्द्रीय सरकार के हितों के विरुद्ध हैं। इसीलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि उल्फा और एल० टी० टी० ई० के बीच सम्बन्ध है और तत्पश्चात् इसका प्रमाण दिया था। उन्होंने कहा था : "प्रधान मंत्री ने कुछ खोज की है।" (व्यवधान)

मैं इस बात का प्रमाण दे सकता हूं कि मुख्यमंत्री किस प्रकार आलोचना कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा : "वे दिन चले गए हैं जब भारत सरकार का संचालन मद्रास से किया जा सकता है।" यह सच है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। (व्यवधान) हमारे देश से हथियारों पर आधारित संस्कृति को समाप्त करना ही होगा और कानून-व्यवस्था को बनाए रखना होगा। आतंकवादी गतिविधियों को रोका जाना चाहिए। (व्यवधान) श्रीलंका में जो लड़ाई चल रही है उसके पीछे एल० टी० टी० ई० के अपने उचित कारण हो सकते हैं। किन्तु वे अपने निजी फायदे के लिए हमारे राष्ट्र को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वे हमारे देश में अव्यवस्था फैलाने के लिए हमारे देश में सक्रिय नहीं हो सकते, हमारे लोगों की हत्याएं नहीं कर सकते हैं। हमें यह आशंका है कि अब ऐसा समय आ गया है जब तमिलनाडु में लोकतंत्र ही नहीं होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तम्बि दुरै, हम वाद-विवाद नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : लोक सभा में डी० एम० के० पार्टी का कोई सदस्य नहीं है। लोगो ने इस सभा के लिए हमें चुना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नीतीश कुमार जी, आपको क्या हुआ है। यहां तक कि आप तो इस तर्क को भी पसंद नहीं करते, आपको उनकी बात सुननी चाहिए। हम वाद-विवाद न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह जयललिता का घर या ड्राइंग रूम नहीं है, पार्लियामेंट है।

अध्यक्ष महोदय : जयललिता सदन की सदस्या नहीं हैं।

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै : हम देश में लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। यह सर्वोच्च मंच है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा कहना है कि आपने कल इसके पक्ष में अपने तर्क पहले ही प्रस्तुत कर दिये हैं। अब इन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रो० मधु दंडवते के कथन पर टिप्पणी कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : हमारा अनुरोध देश को बचाने और हमारे राज्य में लोकतंत्र को बहाल करने के बारे में है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तमिलनाडु में किसी तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां न हों। इसके लिए, केन्द्र को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो, जैसा कि हम अनुभव करते हैं, केन्द्रीय सरकार को तुरन्त द्रमुक सरकार बर्खास्त कर देनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। हमें वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। चौधरी जी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है? मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कुप्पु-स्वामी जी बैठ जाइये। वक्ता बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमन्त्री जी, आप यहां पर नहीं थे। प्रो० दंडवते ने, आपकी टिप्पणी कि केन्द्रीय सरकार का प्रशासन मद्रास से नहीं चलाया जा रहा है, का मामला उठाया था। उन्होंने

औचित्य का प्रश्न उठाया था। प्रधानमंत्री यहां पर हैं। यदि मैं इस प्रकार अनुमति दे दूं तो वाद-विवाद शुरू हो जायेगा और प्रत्येक सदस्य बोलना चाहेगा। मेरे विचार से बेहतर होगा कि···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अपील करूंगा कि कल जो तर्क आप लोग कह चुके हैं उनकी फिर पुनरावृत्ति न करें। जो दण्डवते जी ने प्रोप्राइटी का सवाल उठाया है उस पर कनफाइन करें।···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चौधरी जी, आप औचित्य के प्रश्न पर केवल दो मिनट में अपनी बात कह सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : दो मिनट में ?

अध्यक्ष महोदय : हां। आप एक अच्छे सांसद हैं।

(व्यवधान)

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है।

श्री ए० के० राय : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सभा कार्य-सूची के अनुसार अपना कार्य करे। प्रतिदिन हम यहां आकर देखते हैं कि कुछ सौभाग्यशाली साथी 'शून्य काल' का सारा समय हथिया लेते हैं और हम यहां आपकी तरह मूक दर्शक बनकर उन्हें सुनते रहते हैं। आप भी अपने विवेक का प्रयोग कर उन्हें अनुमति दे देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से जो सदस्य अपनी बातें रखते हैं वे आपके अनुरोध पर गौर करेंगे। यदि श्री ए० के० राय कुछ कहना चाहते हैं तो क्या मैं यह कहूं कि मैं अनुमति नहीं दूंगा। मैंने आपको अनुमति दी है। आप मेरी स्थिति समझ सकते हैं। कृपया अब आप बैठ जाइये।

श्री ए० के० राय : आपको सभी दलों के पीछे बैठने वाले सदस्यों को भी बोलने की अनुमति देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति दी है। अब हम चर्चा शुरू करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कल प्रधानमन्त्री के इस वक्तव्य से, कि वे दिन लद गये जब केन्द्रीय सरकार मद्रास से चला करती थी, तमिलनाडु के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के समय और इसके पूर्व की स्थिति में क्या अन्तर था ? केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को स्वस्थ और सदभावनापूर्ण बनाया जा रहा था। मद्रास के लोग ही नहीं बल्कि कलकत्ता, पटना, लखनऊ के लोग भी यह महसूस करने लग गये थे कि देश को चलाने में उनका भी योगदान है। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : उन्हें सरकारिया आयोग के मूल्यों और सिफारिशों पर

बोलने का कोई हक नहीं है। जब वे सत्ता में आये थे तो उन्होंने तेरह राज्यपालों को अपर डिवीजन क्लर्कों की तरह हटा दिया गया था।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपको भली भांति ज्ञात है कि पहले पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ऐसी परम्परा स्थापित की गई थी कि संविधान के अनुच्छेदों का दुरुपयोग करके संविधान के विपरीत राज्य सरकारों को दिल्ली से चलाने का प्रयास किया जाता था। वास्तव में इसके कारण केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के स्वस्थ विकास में रुकावटें आईं······(**व्यवधान**)······यदि कोई धमकी दी जाती तो वह पहले की तरह राज्य सरकारों पर केन्द्र की सत्ता थोपने के अलावा और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री का यह कहना उचित नहीं था कि वे दिन लद गये जब केन्द्रीय सरकार मद्रास से चला करती थी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं तथा प्रधानमन्त्री से अनुरोध करता हूं कि इस वक्तव्य से तमिलनाडु के लोगों की भावनायें आहत हुई हैं और इसलिए उन्हें इस वक्तव्य को वापस ले लेना चाहिए।···(**व्यवधान**)

श्री थम्पनकोडी आर० अतीतन (तिरुचेन्दूर) : तमिलनाडु के लोग प्रधानमंत्री के वक्तव्य का पूर्णतया समर्थन करते हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, प्रो० मधु दंडवते जी ने बहुत गम्भीर सवाल उठाया···(**व्यवधान**)···जितना आप लोग दे सकते हों, उतना ही हम भी दे सकते हैं। जितना आप चिल्ला सकते हो, उतनी हममें भी सामर्थ्य है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : फर्नान्डीज साहब, आप स्पीकर को एड्रेस करिये।

(**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : चूंकि प्रधानमन्त्री जी ने 2-3 बातें कल कहीं—एक तो सीधे यह कहा कि मद्रास से सरकार के चलने के दिन खत्म हो गये हैं, अब सरकार दिल्ली से चलेगी। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इनके व्यवस्था के प्रश्न को भी सुन लें। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

(**व्यवधान**)

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : महोदय, आपातकाल के दौरान वे भूमिगत हो गये थे। अब वे इनका समर्थन कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

आप बैठ जाएं। मि० जार्ज फर्नान्डीज।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब करुणानिधि मुख्य मन्त्री थे और इस देश में तानाशाही थी और मैं भूमिगत था तब करुणानिधि ने इनकी तानाशाही से बचाने के लिए हमारी मदद की थी, मुझे इस पर गर्व है और उस तानाशाही के बारे में वही श्रीमती गांधी ने कहा था कि मैंने वहां भयंकर पाप किया था तो इसलिए अभी इस बात को मत छेड़िये, इस मसले को मत छेड़िये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : और इन्हें इतना इतिहास मालूम होना चाहिए कि उसी तानाशाही में प्रधान मन्त्री श्री चन्द्रशेखर को गिरफ्तार करके उन्होंने जेल में रखने का काम किया था। थोड़ी सी शर्म हो तो डूबकर मरना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यस डा० तम्बि दुरै, पाइण्ट ऑफ आर्डर क्या है ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, यह श्री वी० पी० सिंह ही थे, जो इसका समर्थन कर रहे थे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स, पहले आप अपने स्थान पर चले जाएं।

(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : महोदय, अभी-अभी श्री जार्ज फर्नान्डीज ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन के बारे में कहा है। (व्यवधान) उन्होंने केन्द्रीय शासन को 'तानाशाही शासन' बताया है। उन्होंने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की और वे भूमिगत हो गये। (व्यवधान) श्री करुणानिधि की मदद से वे भाग निकले। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

डा० तम्बि दुरै : महोदय, साथ ही उन्होंने प्रधानमन्त्री के बारे में कहा है कि उस समय उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब आज तो आखिरी दिन है, तो जैसा आप लोग कहेंगे, वैसा चलेंगे।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै : मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि चूंकि श्री चन्द्र शेखर एक कानून का सम्मान करने वाले नागरिक हैं, अतः वह गिरफ्तार हो गये। लेकिन श्री जार्ज फर्नान्डीज ने इस देश के कानून का कभी पालन नहीं किया और इसलिए वह श्री करुणानिधि की मदद से भाग गये और बच गये।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप अपनी बात कह चुके हैं, कृपया बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मुझे इस बात की खुशी है कि उन्हें अभी तक महसूस हो रहा है कि···

[अनुवाद]

यह कानून विहीन सरकार थी जिसने एक कानून का पालन करने वाले नागरिक को जेल में डाल दिया था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज, कृपया अपनी आलोचना को श्री मधु दंडवते के कथन तक ही सीमित रखें।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : वे इस मामले में डटे रहने वाले व्यक्ति हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह चिढ़ा रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। अध्यक्ष जी, प्रधान मन्त्री के बयान को लेकर जो आपत्ति की बात हमने उठाई, मेरा कहना यह है कि इसमें प्रधान मन्त्री ने चुनौती दी है, न केवल तमिलनाडु को बल्कि सभी राज्यों को और एक टकराव··· (**व्यवधान**) ··· ठीक है। तमिलनाडु की स्थिति पर हम चर्चा कहीं भी कभी भी करने को तैयार हैं लेकिन एक चुनौती देने का काम यहां पर हुआ है और मुझे परेशानी इस बात की है कि इन्होंने फिर कहा···

प्रधान मन्त्री (**श्री चन्द्र शेखर**) : मैं एक सेण्टेंस उसमें कहना चाहता हूं, चुनौती कहां है? नहीं है, क्योंकि, यह तो रिकार्ड पर है··· (**व्यवधान**) ···अब प्रोप्रायटी की बात थी, अध्यक्ष महोदय, आप कह दें कि कोई भी इम्प्रापरायटी है तो मैं मान लूंगा। मैंने तो उल्टे यह कहा कि मैं चुनौती नहीं चाहता हूं। मैं चाहता नहीं हूं कि झगड़ा हो और आप कहते हैं कि मैंने चुनौती दी है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यही कहकर आप चुनौती दे रहे हैं।

श्री चन्द्र शेखर : नहीं, कोई चुनौती नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : चूंकि यह मामला पिछले कई दिनों से चल रहा है। सदन के भीतर भी चल रहा है और सदन के बाहर भी चल रहा है और कल जो प्रधान मन्त्री जी ने आपत्तिजनक सबसे बड़ी बात उठाई, इस धमकी के साथ-साथ··· (**व्यवधान**) ··वह यह है कि चुनौतियां राज्यों को दी जा रही हैं और कल सबसे परेशानी वाली बात, जो उन्होंने उठाई वह यह है, कहा कि दिल्ली से सरकार नहीं चल रही थी, मद्रास से चल रही थी। मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे मित्र श्री दिनेश सिंह जी ने यहां पर कह दिया कि प्रो० मधु दंडवते को मालूम होना चाहिए था कि प्रधान मन्त्री जी का जो कहना था, वह केवल इसके पहले की सरकार को लेकर था, तो साल भर वह सरकार चली थी। इस सदन में तमिलनाडु को लेकर अनेक बार बहस हो गई। उस सरकार के कामकाज को लेकर बहस हो गई। मुझे कहीं याद नहीं है और मैं जानना चाहूंगा किसी भी सदस्य से, कभी किसी ने अनेक बार आरोप लगाए होंगे वी० पी० सिंह की सरकार के ऊपर, लेकिन यह नहीं कहा कि राजधानी दिल्ली से हटकर मद्रास गई थी या और कहीं गई थी। इस तरह से जो सरकार नाम की चीज है, वह प्रधान मन्त्री से जुड़ी नहीं है। सरकार जो एक काम स्वरूप की चीज है, जब उस सरकार को गिराने की बात प्रधान मन्त्री जी के ही मुंह से हो जाए, यह कह करके कि सरकार दिल्ली से नहीं चल रही थी, तो अपमान या चुनौती नहीं है या किसी भी व्यक्ति की छवि को गिराने की बात किसी सरकार के व्यक्ति को लेकर के नहीं होती है, बल्कि पूरा जो काम स्वरूप है सरकार का, गवर्नमेंट-आफ-इंडिया, उसकी होती है। इससे बड़ी आपत्ति है। मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी अपने इस वाक्य को वापिस ले लें··· (**व्यवधान**) ···मगर जो विशेषकर मुद्दे उठाए गए हैं, सरकार का बचाव करने वाले, तमिलनाडु की सरकार की मुखालिफत करने वाले, सदस्यों की ओर से जो बातें उठाई गई हैं, उसी को लेकर मुझे दो मुद्दे आपके सामने रखने हैं। एल० टी० टी० ई० और उल्फा का कितना सम्बन्ध क्या है और क्या नहीं है, वह जानती है। लेकिन एल० टी० टी० ई० और उल्फा के सम्बन्ध का मतलब तमिलनाडु की सरकार और उल्फा का सम्बन्ध, कैसे कोई अर्थ लगाने का काम करता हो, तो इससे बड़ी गलती और कोई नहीं हो सकती है। अब सवाल यह आया कि तमिलनाडु··· (**व्यवधान**) ···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप केवल प्रत्युत्तर दे सकते हैं। (**व्यवधान**) कृपया आप बैठ जायें।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इन लोगों को तो रोकिए।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : प्रो० दंडवते ने प्रधानमंत्री के उस दिन के बयान से सम्बन्धित मामले को आज पुनः उठाना ठीक समझा है। (**व्यवधान**) अब हमें अपनी चर्चा को इस

मामले तक ही सीमित रखना चाहिए। पुनः यदि हम उल्फा और एल० टी० टी० ई० की जांच करें··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज से अनुरोध करता हूं कि वे अपना भाषण समाप्त करें ताकि श्री दंडवते जो स्पष्टीकरण चाहते है, वह प्रधान मन्त्री दे सकें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे केवल एक बात कहनी है। न तो तमिलनाडु सरकार दिल्ली की सरकार को चला सकती है और न ही दिल्ली की सरकार तमिलनाडु सरकार को चला सकती है। हम एक संघीय शासन-व्यवस्था में रह रहे हैं। संविधान में स्पष्ट शब्दों में यह निर्धारित कर दिया गया है कि केन्द्र तथा राज्यों की शक्तियां तथा दायित्व और कर्त्तव्य क्या-क्या हैं। (व्यवधान) अत: मैं नहीं समझता कि प्रधान मन्त्री इस प्रकार की बात सोच सकते हैं। इस प्रकार की टिप्पणी करने की कतई आवश्यकता नहीं है कि एक सरकार दूसरी सरकार को चला रही है, चाहे यह केन्द्र की सरकार हो अथवा किसी राज्य की। (व्यवधान) इससे एक ऐसी संवैधानिक स्थिति का आभास होता है जो अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। हम न तो ऐसे राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं जिन पर केन्द्र हावी है और न ही ऐसे केन्द्र की बात कर रहे हैं जिस पर कोई राज्य हावी हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या आप इस स्थिति का समर्थन करते है अथवा नहीं। आप क्यों चाहते हैं कि आपको दूसरों के मुकाबले वरीयता प्रदान की जाये। इस प्रकार के सुझाव देना बहुत गलत बात है। यदि आप हमारे संविधान के संघीय स्वरूप को ही नष्ट करना चाहते हैं, तो बात अलग है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। नम्बर वन—उल्फा और एल० टी० टी० ई० का क्या रिश्ता है ? (व्यवधान)

सरकार और अनेक लोग जानते हैं कि ये सवाल नहीं है, लेकिन एल० टी० टी० ई० और उल्फा के रिश्ते का मतलब तमिलनाडु की सरकार, वहां की जनता की चुनी हुई सरकार और उल्फा का कैसा रिश्ता है। जो आभास निर्माण करने की बात हो रही है वह नहीं होनी चाहिए। नम्बर दो, एल० टी० टी० ई० अगर आज तमिलनाडु में हथियार जुटाने का या अनेक जगहों पर हथियार रखने का काम करती है (व्यवधान) तो यह ठीक नहीं है। तमिलनाडु के एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी धरती का इस्तेमाल वे न करें, लेकिन हमारी धरती पर ही उनका पूरा प्रशिक्षण हुआ था। मैंने स्वयं अपनी आंखों से प्रशिक्षण देते हुए देखा है (व्यवधान) हीराकुण्ड को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा था। हमारी धरती पर ही उनको हथियार देने का काम हुआ था और आज इस बात को यहां उठाना कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है, तो इसके लिए आपका पिछले 5-7 सालों का इतिहास और इस सरकार के जो लोग इस काम में लगे हुए हैं वह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै : उस समय आपने क्या कार्यवाही की ? (व्यवधान)

श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन : क्या आप यह साबित कर सकते हैं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आर्थर फर्नान्डीज : मैं प्रधान मन्त्री जी से विनती करता हू कि (**व्यवधान**) एक ही नजर से सभी राज्यों को देखने का काम करें। (**व्यवधान**) इसमें मध्य प्रदेश और हरियाणा भी शामिल हैं। (**व्यवधान**) जिसमें मजदूरों को यूनियन तक बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। (**व्यवधान**)

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : फरीदाबाद के अन्दर मजदूर औरतों को घसीट-घसीट करके पीटा और मारा गया है। आप लोगों को शर्म नहीं आती। (**व्यवधान**)

[अनुवाद)

श्री समरेन्द्र कुण्डू : महोदय, अपनी बात कहने के लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। मैंने तीन बार व्यवस्था का प्रश्न उठाया। मैं नहीं जानता कि आप मुझसे इतना नाराज क्यों हैं। आपने मुझे बिल्कुल भी बोलने की अनुमति नहीं दी। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, ये आपका कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। आप प्वाइंट आफ आर्डर पर बोलिये न।

[अनुवाद]

श्री समरेन्द्र कुण्डू : मैं अपने मित्र श्री साठे को बोलने से नहीं रोकना चाहता हूं। लेकिन महोदय मेरी बात भी तो सुनिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हो। आप किस नियम के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हो ?

(**व्यवधान**)

श्री समरेन्द्र कुण्डू : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न प्रक्रिया नियम में निहित सामान्य नियमों के अन्तर्गत उठा रहा हूं। जब कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाता है तो आपको उससे इस प्रकार की छानबीन नहीं करनी चाहिए कि वह किस नियम के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा है···(**व्यवधान**)···जब प्रो० मधु दण्डवते ने यह सवाल उठाया तो माननीय प्रधानमंत्री ने एक लाइन में कहा जिसे मैं आपको भी पढ़कर सुनाना चाहता हूं(**व्यवधान**)···मैं जानता हूं उनके कहने का आशय यह नहीं है···(**व्यवधान**)···हम तो भारत की अखण्डता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राज्यों को भी सुदृढ़ बनाया जाए। वे हमारी आंखें हैं, वे हमारे होंठ हैं। उन्हें सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। राज्यों और केन्द्र के बीच सद्भावपूर्ण सम्बन्ध होने चाहिए। राज्यों की स्वायत्तता से संघीय प्रणाली भी मजबूत होगी। लेकिन प्रधान मंत्री ने जो कुछ भी कहा वह शायद आवेग अथवा किसी राजनैतिक दबाव में कहा हो। पिछली सरकार राज्यों से मधुर सम्बन्ध बनाने का प्रयास कर रही थी और हमारे राज्यों से काफी अच्छे सम्बन्ध थे (**व्यवधान**)··· मैं शब्दशः प्रधान मंत्री जी के कथन को पढ़ रहा हूं "मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार का श्री करुणानिधि की सरकार को बरखास्त करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन इस संबंध में उनकी

सरकार का कार्यकरण काफी असन्तोषजनक रहा है और मुझे उम्मीद है कि श्री करुणानिधि आगे भारत सरकार को चुनौती देने वाला वक्तव्य नहीं देंगे।" प्रधानमंत्री जी ने इस वक्तव्य को ध्यान में रखकर पहले ही इस मामले पर निर्णय ले लिया था। शायद वे ऐसा नहीं करना चाहते थे लेकिन उन्होंने दलगत दबाव में आकर अथवा अपनी दलगत स्थिति को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया। इससे देश पर एक गलत छाप पड़ती है कि दिल्ली में केन्द्र से गलत प्रक्रिया अपनायी जा रही है। (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय अपने वक्तव्य में सुधार करें या इसे सभा की कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाय अथवा प्रधान मंत्री महोदय अपने वक्तव्य में समुचित संशोधन करें या इसे वापस ले लें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप एक्सपंशन के रूल्स नहीं जानते हैं क्या ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री समरेन्द्र कुन्डू : प्रधान मंत्री महोदय को अपने वक्तव्य में संशोधन करना चाहिए या उन्हें इसे वापस ले लेना चाहिए क्योंकि देश पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री बसन्त साठे।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे (वर्धा) : मैं समझता हूं कि हम अनावश्यक रूप से उस ममले को उकसा रहे हैं जिसका बड़े सम्मानजनक तरीके से कल समाधान हो गया था। यदि हम प्रधान मंत्री जी के सम्पूर्ण भाषण पर नजर डालें तो हमें पता चल जायेगा कि उनके भाषण का निचोड़ यही था कि हम राज्यों के साथ किसी प्रकार का मुकाबला नहीं चाहते। मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर हम सभी सहमत हैं कि हम केन्द्र और राज्यों के बीच किसी प्रकार का मुकाबला नहीं चाहते। वास्तव में उन्होंने यह कहकर अपना भाषण समाप्त किया था कि तमिलनाडु सरकार को गिराने के लिए कुछ करने से पहले हमें सौ बार सोचना पड़ेगा। यदि इसी बात को मान लिया जाय तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस देश में अथवा इस सभा में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कभी यह कहे कि अलगाववादी ताकतों का समर्थन करने, उन्हें हथियारों की सप्लाई करने अथवा उन्हें प्रशिक्षित करने की कार्यवाही को राष्ट्रीय कार्यवाही माना जा सकता है या देश के किसी भी भाग में ऐसी कार्यवाही को बरदाश्त किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि ऐसा कोई नहीं कहेगा।

श्रीमती सुभाषिनी अली : सिवाय जब आप ऐसा करते हैं।

श्री बसंत साठे : हम देखेंगे। ऐसा चाहे आप करें या हम करें या कोई और, ऐसा नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डू : सारी समस्या आपकी सरकार ने पैदा की हुई है। मैं जानता हूं कि आप ऐसे 16 केन्द्र चला रहे थे जहां आप उग्रवादियों को प्रशिक्षण दे रहे थे, उन्हें हथियार और गोला-बारूद दे रहे थे। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब आप इस लोग ऐसा कर ते हैं तो ठीक है और दूसरे लोग ऐसा करते हैं तो गलत है। इस प्रकार का भ्रान्तिपूर्ण रवैया अपना कर हम राज्यों के साथ अपने सम्बन्ध बिगाड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : महोदय, श्री कुन्डू को मेरे भाषण में व्यवधान डालने की अनुमति न दें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप श्री कुन्डु को न कहकर अध्यक्ष को सम्बोधित करें। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : कम से कम उन लोगों में, जिन्होंने इस देश के प्रशासन को चलाने का दायित्व संभाला था, यह जानने हेतु देशभक्ति का भाव अवश्य आएगा कि हमने राष्ट्रहित में कितना कुछ किया, चाहे वह बंगलादेश के मामले में हो अथवा श्रीलंका के मामले में। ऐतिहासिक रूप से 1942 के आन्दोलन से ही, यह दुर्भाग्य रहा है कि, उन्होंने राष्ट्रीय हित के बजाय जर्मनी या मास्को में किसी न किसी के दृष्टान्त को अपनाकर आगे की राह ली है। आप ऐसे लोगों के साथ क्या कर सकते हैं ? मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूं लेकिन इस देश में कोई भी देशभक्त इस बात को कभी नहीं स्वीकारेगा कि देश के किसी भी हिस्से में की गई ऐसी गतिविधियां राष्ट्र के हित में हैं अथवा देशभक्तिपूर्ण हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी पहले दिल्ली की बात करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसंत साठे : प्रधानमंत्री ने कल इतना ही कहा था कि न तो कोई राज्य, चाहे वह बम्बई हो कलकत्ता, मद्रास या हैदराबाद हो······

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : और न ही नागपुर ।

श्री बसंत साठे : नहीं, नागपुर कोई राजधानी नहीं है। न तो किसी राज्य को यहां से चलाया जा सकता है और न ही किसी अन्य राज्य से दिल्ली को चलाया जा सकता है । इसमें क्या गलत है। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हू कि वे इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, वास्तव में तमिलनाडु में हो रही घटनाओं से तमिलनाडु के लोगों की अपेक्षा कलकत्ता के लोग ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं। उनमें अपराधबोध की भावना है। यह अपराधबोध की भावना का ही परिणाम है, लोक सभा में उपस्थित तमिलनाडु के सभी सदस्य इस बारे में एकमत है कि तमिलनाडु में जो भी हो रहा है वह राष्ट्र-विरोधी है।

श्री आर्स्कर फर्नान्डीज : क्या राष्ट्र विरोधी है। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : पिछली सरकार ने पंजाब के बारे में जो कहा था वही ये तमिलनाडु के बारे में कह रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री बसंत साठे : कृपया देखें श्रीमान्, एक राज्य सरकार, जो आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं कर सकती है, कह रही है कि—एक अन्य दिन मुख्यमंत्री ने आश्चर्य और खेद व्यक्त

किया था—कि ऐसा कार्य उनके राज्य में हुआ है। क्या यह गम्भीर चिंता का विषय नहीं है? इन सत्रह व्यक्तियों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को ए० के०—47 जैसे हथियार कहां से मिले? कल प्रधानमंत्री ने यही कहा कि उन्हें यह हथियार तमिलनाडु स्थित लिट्टे के व्यक्तियों से मिले, यह एक गम्भीर बात है। इसलिए मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो भी कहा वह तथ्यों का वक्तव्य है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, दण्डवते जी ने जो बात उठाई है, उसमें वास्तव में एक वाक्य है, जिस वाक्य को मैं उपयुक्त नहीं मानता हूं।

[अनुवाद]

मैं इसे एक अनुयुक्त टिप्पणी मानता हूं हालांकि जब आप पूरे भाषण की बात करें तो आप अपवादों की बात नहीं कह सकते हैं, मैंने कल प्रधानमंत्री जी को सुना था, दंडवते जी वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन मैं महसूस करता हू कि जब वह एक वाक्य उद्धृत किया गया था कि भारत सरकार को मद्रास से नहीं चलाया जाएगा, तो यह अपने आप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है। हालांकि यह तथ्य है और मैं भी ये कहूंगा कि हालांकि मैं प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में जिस बात पर जोर दिया गया है उससे सहमत हूं लेकिन यह कहना बिलकुल गलत है कि दिल्ली अथवा भारत सरकार को मद्रास से चलाया जा रहा है, यह एक गलत वक्तव्य है। मैं पिछली सरकार के गिरने के लिए जिम्मेवार रहा हूं लेकिन इस सारी अवधि के दौरान मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक लिट्टे के मामले का सम्बन्ध है, इस बारे में नई दिल्ली लाचार थी; नई दिल्ली कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थ थी, यह एक सत्य है, यह एक कठोर वास्तविकता है इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी द्वारा कल दिए गए भाषण में दिए गए जोर को अपवाद नहीं मानूंगा हालांकि कुछ टिप्पणियां अशोभनीय थीं और मुझे विश्वास है कि वह इन्हें स्पष्ट करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मुझे प्रधानमंत्री के उस दिन के कथन, अगर मुझे सही याद है तो, के बारे में कोई आपत्ति नहीं है कि—वे दिन फाख्ता हुए जब सरकार को मद्रास से चलाया जा सकता था। अगर उन्होंने यह कहा होता कि वे दिन गए जब मद्रास सरकार को केन्द्र से चलाया जाता था, इस पर मुझे कोई आपत्ति न होती लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने पहला वाक्य कहा है कि दिल्ली का शासन मद्रास से चलाया जा रहा था। मेरा कहना है कि यह वक्तव्य राज्य के संघीय भावना के विरुद्ध है, कोई किसी को नहीं चलाएगा, उनके अपने-अपने अधिकार और जिम्मेवारियां हैं और बजाय दुविधा पैदा करने के इन्हें स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि विरोध पक्ष के नेता ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

प्रो० मधु दण्डवते : और आपको सुझाव भी दिया है।

श्री चन्द्र शेखर : हां मुझे एक सुझाव भी दिया गया है। कल सदन में मेरे द्वारा दिए गए वक्तव्य में उन्होंने कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया है। अध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष आपके विचारार्थ कल सदन में सभी सदस्यों के सामने दिए गए भाषण को प्रस्तुत करना चाहूंगा, किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा कि भाषण में कुछ आपत्तिजनक या अनुपयुक्त या लोक सभा में यह एक नई परम्परा स्थापित की जा रही है कि भाषण को बाद में उद्धृत किया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि भाषण कैसे दिया जाना चाहिए था। सदन में विपक्ष के नेता ने कहा कि यह एक अशोभनीय टिप्पणी थी। मैं उनके विचार पर बहस नहीं करना चाहता हू लेकिन प्रत्येक वक्ता के पास समान भाषा में बोलने की समान योग्यता नहीं होती है जैसी कि विपक्ष के नेता के पास है। मैंने अपने भाषण में कुछ भी असंसदीय, अनुपयुक्त नहीं कहा था। मैंने केवल इतना कहा था कि मैंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का एक वक्तव्य देखा है और उसी के आधार पर मैंने यह वक्तव्य दिया। यह अच्छा होता अगर विपक्ष के नेता ने इसका संदर्भ भी दिया होता।

मेरे एक मित्र जी कुंडू ने कहा कि मुझे यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि अमुक राज्य सरकार संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रही है, मेरी समझ से प्रधानमंत्री अगर यह समझता है कि कार्य ठीक नहीं हो रहा है तो उसे इस विषय में प्रमाणपत्र देने की कोई बाध्यता नहीं है। यह कहना मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि जिम्मेवारी भी है कि अमुक राज्य सरकार ठीक कार्य नहीं कर रही है।

मैं अपने मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त को आश्वासन देता हूं कि मेरा धमकी देने का कोई इरादा नहीं है। मैं झगड़ा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेल-मिलाप की भावना होनी चाहिए।

अपने मित्र प्रो० मधु दंडवते के लिए मेरे हृदय में बहुत प्रेम और सम्मान है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं भी इसी भावना को प्रकट करता हूं।

12.00 मध्याह्न

श्री चन्द्र शेखर . नहीं, आपने समान भावना प्रकट नहीं की है। यही मुझे कहना है। इसी सदन में एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार यह कहा गया है कि यह सरकार ए आई ए डी एम के द्वारा चलाई जा रही है। उस वक्त आपने औचित्य की बात नहीं की थी। मैं सरकार चला रहा हूं और इस बारे में अगर आपको कोई संदेह है तो उसे शीघ्र दूर किया जा सकता है, लेकिन उस समय मेरे मित्र मधु दंडवते के मस्तिष्क में औचित्य का प्रश्न नहीं कौंधा। मधु दंडवते जी मैं आप की तरह से समवेत स्वरों में इसी सदन में लगाए गए अभ्यारोपणों के उत्तर में कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन आपको इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला।

मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि वह तमिलनाडु सरकार के बारे में चिंतित नहीं हैं। वह विश्वनाथ सरकार को दिए गए प्रमाणपत्र के बारे में चिंतित हैं, जिसका मैं भी एक हिस्सा था। अगर उनकी यह आपत्ति है तो मेरा यह कहना है कि यह सरकार बिल्कुल अक्षम और निकम्मी सरकार थी और मैं यह सोच के शर्मिंदा हूं कि मैं भी उसमें शामिल था।

———

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय ·· ··

अध्यक्ष महोदय : पुरोहित जी, आपको बुलाऊंगा, आपको याद रखा है। पहले लीडर ऑफ अपोजीशन को बुलाया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय; आज सत्र का अन्तिम दिन है और इस छोटे से सत्र में अनेक बार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक मामला उठता रहा है और वह मामला है इस सदन के कुछ सम्माननीय सदस्यों का जिनके विरुद्ध दल-बदल का आरोप लगाया गया है और जो मामला आपको सुपुर्द किया गया है। अध्यक्ष जी, यह दल-बदल विरोधी कानून संसद ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। हममें से प्रत्येक को इस बात को याद करना चाहिये कि उसमें केवल दल-बदल की व्यवस्था नहीं की गयी है लेकिन यह भी व्यवस्था की गयी है कि अगर किसी दल में विभाजन होता है, टूट होती है तो उसको मान्यता दी जाये और उसको दल-बदल नही माना जाये।

कई माननीय सदस्य : बिलकुल ठीक है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इन बातों को अगर ध्यान में नहीं रखा जायेगा और आपकी ओर से यह कहा जाता रहेगा कि यह दल-बदलू की सरकार है या अमुक व्यक्ति दल-बदलू है तो यह किसी के साथ न्याय नहीं होगा। इस पहलू को मैं इसलिए कहना हूं क्योंकि किसी ने भी उस समय उस प्रावधान का विरोध नहीं किया था जिसमें पैराग्राफ 3 के अधीन यह बताया गया था कि इन परिस्थितियों में अगर कोई पार्टी छोड़ता है, दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको दल-बदलू नहीं माना जायेगा। उसी शेड्यूल-10 में हमने यह भी व्यवस्था की थी कि यह मामला जल्द से जल्द निर्णीत हो और इसके लिए यह अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को दिया जाये जैसा भी मामला हो। इस विषय में हमने यह भी प्रावधान किया था कि कोई भी कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दुर्भाग्य से इस बार सरकार ने एक भारी भूल की और एक शपथपत्र ऐसा कोर्ट में दाखिल किया जिसके परिणामस्वरूप मैं नहीं जानता कि एक आदेश आ गया स्पीकर को कि इस विषय पर कोई कारंवाई नहीं कर सकते हैं। मैं इस चर्चा को फिर से दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं खाली जिक्र करता हूं कि उसकी प्रतिक्रिया पूरे सदन की और आपकी सही रही कि हम उसको बिलकुल नजर-अन्दाज करेंगे और कोर्ट के आदेश को हम अमान्य कर अपनी कारंवाई करते रहेंगे। आज के इस अन्तिम दिन पर मैं इसलिए खड़ा हुआ। चूंकि इससे पूर्व भी 2-3 बार यह कहने का अवसर मिला था कि इस सत्र के समाप्त होने से पहले इस मामले में निर्णय हो जाना चाहिये। और यह अनिर्णीत रखना किसी के लिए भी उचित नहीं है, न सदन के लिए और न उन सम्माननीय परम्पराओं के लिए, जिनके ऊपर यह आरोप बना हुआ है। वे दल-बदल के अपराधी हैं या एक उचित रूप से पार्टी में विभाजन हुआ है, मेरा निवेदन है कि इसका निर्णय आज सायंकाल को सत्र-अवसान से पूर्व आप निश्चित रूप से कर दें। उससे न केवल उनके प्रति और सदन के प्रति न्याय होगा लेकिन कोर्ट ने जो हमारे काम में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, उसके संबंध में भी हमने जो बात परसों इस सदन में एक स्वर से कही और आपने जिसको अपने आसन से दोहराया, वह केवल औपचारिक बात नहीं है, वह केवल कानून की बात नहीं है, वह केवल हमारा थ्योरिटिकल स्टैंड नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम उस निर्णय पर

कायम हैं और उसको मानते हैं, इसका भी सच्चा प्रमाण होगा। मेरी जानकारी में जितना कुछ किया जाना है, लोगों से अलग-अलग जानकारी करना और उन्होंने अपनी इच्छा से किया या किससे किया, कोई महत्व की बात या किस तारीख को किसने क्या निर्णय किया, ये सारे मामले आपके अधीन हैं और मुझे विश्वास है कि आपका जो निर्णय होगा वह ही होगा। मेरा तो आग्रह इसी बात पर होगा कि आज सायकाल से पूर्व आप अपना निर्णय सदन को सुना दें।

————

12.07 म० प०

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को सभी भारतीय भाषाओं में लिए जाने के बारे में

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, मैं सदन के सामने इस प्रश्न को रखना चाहता हूं कि इस हाउस ने 16 जनवरी, 1968 को सर्वसम्मति से यूनेनिमसली ये संकल्प पारित किया था कि यू० पी० एस० सी० और दूसरी जो परीक्षाएं लेने वाली एजेन्सियां हैं, वह सारे हिन्दुस्तान की जितनी भारतीय भाषाएं हैं, चाहे वह दक्षिण की हैं या बंगाल की हैं या उत्तर की हैं, उन भारतीय भाषाओं में उनकी परीक्षा ली जाए।

अध्यक्ष महोदय, 1968 के उस प्रस्ताव पर, जो इस हाउस ने सर्वसम्मति से पास किया, उस पर कार्यवाही नहीं की गई, उसको रोका गया। उसके बाद पिछले साल जब यह सवाल बार-बार उठाया गया, तो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक "सतीश चन्द्र कमेटी" बनाई। सतीश चन्द्र कमेटी की रिपोर्ट इस हाउस में पेश कर दी गई मई के महीने में। मई के महीने से फिर 10 महीने बीत गए और वह रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं की गई, उस पर कार्यवाही भी नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, किसी का यह केस नहीं है कि आप परीक्षाएं अंग्रेजी में न करें। अंग्रेजी में आप करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु भारतीय भाषाओं में बंगाल में, तमिल में, हिन्दी में और दूसरी भाषाओं में वह परीक्षाएं होनी चाहिए वह परीक्षाएं क्यों भारतीय भाषाओं में नहीं की जा रहीं, उसका एक वेस्टेड इंटरस्ट यह है कि कुछ अंग्रेजी जानने वाले लोग जो हैं, उन्होंने सारी प्रमुख नौकरीयों को घेर रखा हैं। हिन्दुस्तान के 98 प्रतिशत लोग जो गांवों में रहते हैं, पिछड़े इलाकों में रहते हैं, वह सारी बड़ी-बड़ी नौकरियों से इसी बात से वंचित रह जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, 323 मेम्बरों ने, जिसमें पार्लियामेंट के सारे दलों के मेम्बर शामिल हैं, उन्होंने हस्ताक्षर करके भारतीय भाषाओं में परीक्षाएं करने की उन्होंने मांग की राज्य सभा के अधिकांश सदस्यों ने अलग पेटीशन दी और यह निर्णय लगातार लटकाया जाता रहा। होम मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर हैं, जो सिर्फ अंग्रेजी का आधिपत्य रखना चाहते हैं और हिन्दुस्तान का आम जनता को इन सारी परीक्षाओं से बाहर रखना चाहते हैं, उनकी साजिश के तहत भारतीय भाषाओं में ये परीक्षाएं नहीं हो रहीं। अध्यक्ष महोदय, देवीलाल जी बार-बार यह सवाल उठाया करते हैं कि ग्रामीण लोगों को उठाना है, इतने गंभीर सवाल पर वह चुप हैं कि किसी भारतीय भाषा में कोई परीक्षा नहीं हो सकती। आप उनसे कहें कि वे हाउस को आश्वासन दें कि सतीश चन्द्र कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी और यू० पी० एस० सी० और दूसरी परीक्षाएं सारी भारतीय भाषाओं में की जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ सिर्फ एक वाक्य और कहना चाहता था—पंजाब के अंदर जो कल बात हुई थी। अमृतसर में जो करेंसी खालिस्तानी करेंसी लोगों को दे दी गई और यह कहा गया कि यह खालिस्तानी करेंसी आप इस्तेमाल करेंगे, आप हिन्दुस्तान करसी में डील नहीं करेंगे और सारे अमृतसर में आज व्यापार बंद है। सारे पंजाब के अंदर ही व्यापार बंद है। वहां पर कोई चेक इश्यू नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर कहा गया कि जब तक पंजाबी में साइन नहीं होंगे तब तक कोई चेक इश्यू नहीं होगा। पंजाब के अंदर खालिस्तानी करेंसी चले, चैक्स इश्यू न हों, ट्रेड और कामर्स बिल्कुल बंद हो जाये, सारे कारोब र पर इसका असर पड़ रहा है। यह बहुत गम्भीर विषय है।

अध्यक्ष महोदय : हो गया। श्री हरीश रावत।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : इस विषय की ओर भी आपका और सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, सरकार इसे देखे। सरकार को इसे देखना चाहिये। श्री हरीश रावत।

(**व्यवधान**)

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : अध्यक्ष जी, इस सदन में मुझे यह आश्वासन दिया गया था कि मेरा विषय पहले नम्बर पर आयेगा। लेकिन मुझे अब भी मौका नहीं दिया जा रहा है। मेरा विषय पहले नम्बर पर क्यों नहीं लिया गया, जब आश्वासन दिया गया था तो।

अध्यक्ष महोदय : आपको भी मौका दिया जायेगा। इसमें क्या है। अभी पुरोहित जी, आप बैठ जाइये। श्री हरीश रावत।

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : सर, इन्होंने आपको नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कोई नोटिस नहीं है, मेरे पास। प्लीज टेक यौर सीट।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति : मैंने एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं। कृपया आप बैठ जायें। कोई नोटिस नहीं है।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो कहा न, शायद आपने सुना नहीं होगा कि भारतीय भाषाओं में परीक्षा हों, मैं सहमत हूं।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप सरकार को निर्देश तो दीजिए न।

श्री कालका दास (करोल बाग) : अध्यक्ष जी, जब आपने कहा कि सारा हाउस इससे सहमत है तो सरकार को इसे मानने में क्या है। आप सरकार को कहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार ने जो पहले कहा था, उसे करना चाहिए। मैं ही नहीं, सारा हाउस इसे सपोर्ट कर रहा है।

(व्यवधान)

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : अध्यक्ष जी, कल जब माननीय उपाध्यक्ष जी, स्पीकर की कुर्सी पर थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है, मैं आपको एलाव करूंगा, अभी आप बैठ जाइये।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, आप सरकार को आदेश दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : सारे सदन की भावनाएं सरकार सुन रही है।

श्री हरीश रावत।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, भारतीय भाषाओं का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन उस पक्ष में बैठने वाले लोगों की यह आदत-सी बन गयी है कि अगर उनकी बात को कोई समर्थन भी करना चाहे तो शायद वे उसे सुनना नहीं चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी विजय कुमार मल्होत्रा जी ने जो विषय सदन में उठाया है, वह अत्यधिक महत्व का है और मैं भी उसका समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि यह सदन भी उससे सहमत है और सदन द्वारा पारित नियमों के अनुसार, संविधान सम्मत तरीके से, यू० पी० एस० सी० को भारतीय भाषाओं में ही परीक्षाएं करवानी चाहिए। यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि यू० पी० एस० सी० और गृह मंत्रालय में कुछ ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो सरकार के बार-बार आश्वासन देने के बावजूद, इस निर्णय को क्रियान्वित नहीं करने दे रहे हैं। हम संसद सदस्यों में से भी बहुत से लोगों द्वारा समय-समय पर यह मामला उठाया जाता रहा है और सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिये गये हैं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से जो आश्वासन इस संदर्भ में दिया गया है, उसे क्रियान्वित कराया जाना चाहिए। हमारे बहुत से नौजवान यू० पी० एस० सी० के सामने लम्बे समय से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उन्हें ठण्ड की परवाह नहीं, किसी दूसरी चीज की परवाह नहीं परन्तु कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, उनको संरक्षण दिये जाने की जरूरत है। आप कृपा करके सरकार को यह निर्देश दें कि इस विषय में वह अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। कम से कम संविधान के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिये, यह मेरी मांग है। यू० पी० एस० सी० को भी उसे मानना चाहिए।

श्री राम बिलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, विजय कुमार मल्होत्रा जी ने जो विषय सदन में उठाया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप जब बैठ जायेंगे तो मैं एक-एक को मौका दूंगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, पहले आप बैठ जाइये।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री के० राममूर्ति : महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस कब दिया था ?

श्री के० राममूर्ति : आज सुबह।

अध्यक्ष महोदय : वह मुझे नहीं मिला है। आपने सम्भवतः वह पूर्वान्ह दस बजे के बाद दिया होगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जायें।

श्री के० राममूर्ति : नही श्रीमान्, मैंने नियम 222 के अन्तर्गत नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जायें। मैंने आपका नोटिस नहीं पढ़ा है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री राममूर्ति।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री राममूर्ति, कृपया आप बैठ जायें। आपके विशेषाधिकार प्रस्ताव को गृहीत नहीं किया गया है।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री राम बिलास पासवान : अध्यक्ष जी, मल्होत्रा जी ने जो सवाल उठाया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग तो आपके बीच रहे हैं और आप लोग यही शिक्षायें देते रहे हैं और आपके पहले जो स्पीकर रहे थे उनकी भी रूलिंग हाउस में कई बार आ चुकी है। दूसरे यह महत्वपूर्ण मामला इसलिए भी है कि परीक्षा होने वाली है अभी इमीडियेट कोई निर्णय नहीं लिया गया, सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिया, तो इस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हू कि कोई आदमी अंग्रेजी का विरोध करता है और कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आप अंग्रेजी को भी रखिये, लेकिन जो भारतीय भाषायें हैं उनमे परीक्षा ली जाये। सब जगह अपनी-अपनी मातृभाषाओं में पढ़ाई होती है और उनकी अंग्रेजी

भाषा में परीक्षा लेकर आप उनके ऊपर अंग्रेजी को थोप ही नहीं रहे हैं, बल्कि उनके भविष्य को भी आप खराब कर रहे हैं। आपको उनके भविष्य को खराब करने का क्या अधिकार है ? ऐसा नहीं होना चाहिये। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर मामला है। इस पर पूरे सदन की भावना का ख्याल करते हुए, सरकार को तुरन्त एक्शन लेना चाहिए और सरकार को यहां हाउस में बयान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यहां देवी लाल जी उपस्थित हैं, ये तो हमेशा कैबिनेट में और कैबिनेट के बाहर अंग्रेजी का विरोध करते रहे हैं, तो मेरा आपके माध्यम से उनसे अनुरोध है कि वे कम से कम उठ करके बोल दें कि जितनी भी भारतीय भाषायें हैं, उन सभी में परीक्षा ली जायेगी जिससे रूरल एरियाज में रहने वाले इलाकों में और गांवों में रहने वाले और पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य उज्ज्वल हो सके। (व्यवधान)

12.17 म० प०

महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण के लिए सांविधिक विकास बोर्डों की स्थापना किए जाने के बारे में

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण के लिए वैधानिक विकास मण्डल स्थापित करने के सम्बन्ध में 15 अगस्त को पूर्व सरकार ने घोषणा की थी। उसके पश्चात् महाराष्ट्र विधान मण्डल में इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भी पारित हुआ और केन्द्रीय सरकार ने प्रधान मन्त्री महोदय के नेतृत्व में एक बैठक भी ली थी, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकण में बहुत बैकलॉग है और विशेष रूप से विदर्भ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वहां पर 10 हजार करोड़ से भी ज्यादा का बेकलॉग है। इसके कारण वहां पर लोगों के मन में बहुत तीव्र भावना है और वहां पर आन्दोलन चल रहे हैं। मेरी यह मांग है कि वैधानिक विकास मण्डल की स्थापना मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकण के लिये करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस सरकार की उस सम्बन्ध में क्या नीति है और उसके सम्बन्ध में यहां घोषणा होनी चाहिये। परसों भी हमने कहा था, लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : शिवनकर जी बैठ जाइये। हो गया।

प्रो० महादेव शिवनकर : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र, विदर्भ और कोंकण में अभी भी भाई-भतीजावाद की नीति सरकार की ओर से चलायी जा रही है। इसको बंद किया जाना चाहिये और वहां पर जो विकास के सम्बन्ध में बैकलॉग है उसको दूर किया जाना चाहिए और वहां का ज्यादा विकास होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : शिवनकर जी, बैठ जाइये, हो गया। आप तो फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं। नहीं आप बैठ जाइये।

प्रो० महादेव शिवनकर : अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि साउट ईस्टर्न रेलवे ने भी इस क्षेत्र के साथ बहुत अन्याय किया है। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, 30 वर्ष पहले जब 1961 में महाराष्ट्र में 8 जिले मिलाये गये, उस समय यह शंका प्रदर्शित की गई थी कि इन जिलों के साथ सतत अन्याय होगा। तब विदर्भ के नेताओं ने मर्जर के समय जो भावनायें व्यक्त कीं, उस समय देश के गृह मन्त्री श्री गोविन्द वल्लभ पन्त थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको शंका करने की जरूरत नहीं है। भारत के संविधान में अमेंडमेंट किया गया, आर्टिकल 371(2) इनसर्ट किया गया कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। सतत 30 वर्षों में 371(2) में तीन आश्वासन दिए गए। पहले आश्वासन यह है कि पोपूलेशन के बेसेस पर प्रोवीजन गारण्टी, दूसरा वहां पर जो टेक्नीकल ऐजूकेशन है उसमें प्रपोरश्नेट सीट मिलेगी और सरकारी नौकरियों में भी पोपूलेशन के बेसेस पर प्रपोरश्नेट नौकरी मिलेगी। 30 वर्षों में सतत अन्याय हो रहा है। 24 प्रतिशत पैसा मिलना चाहिए पैसा 15-17 प्रतिशत मिलता है। अभी सब-इंसपैक्टर का इंटरव्यू हुआ। 170 लोगों में से विदर्भ के सात लोग लिए गए जबकि वहां की पोपूलेशन 23 प्रतिशत है। क्या वहां के लोगों को सब-इंसपेक्टर के लायक भी नहीं समझा जाता है? टैक्नीकल ऐजूकेशन में पश्चिमी महाराष्ट्र में एक-एक जिले में 8-8, 10-10 इंसटीट्यूट हैं पर हमारे विदर्भ में एक जिले में दो भी नहीं हैं। इस तरह का अन्याय 30 वर्षों से चल रहा है। भारत के संविधान में उस अन्याय को दूर करने के लिए प्रावधान किया गया। श्री वी० पी० सिंह प्रधान मंत्री थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि कांस्टीटूशन में विदर्भ और मराठवाड़ा का बोर्ड बनाने में कोई अड़चन नहीं है, एकलाइन का प्रेजीडेंन्शल आर्डर निकाल दिया जाएगा। हम कहते हैं कि कोंकण भी पिछड़ा हुआ है, कोंकण के लिए कांसटीटूशन अमेंडमेंट फिर से करना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे नेता श्री राजीव गांधी वचनबद्ध हैं। उन्होंने कह दिया कि हम सपोर्ट करेंगे। उसमें अड़चन नहीं होनी चाहिए। परन्तु यदि वह नहीं हो सकता तो तुरन्त प्रेजीडेंन्शल आर्डर एक लाइन का निकालकर, विदर्भ और मराठवाड़ा का बोर्ड बनाना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री श्री शरद पवार जो कि पश्चिमी महाराष्ट्र से हैं, हमारे इन पिछड़े इलाकों पर अन्याय करते आ रहे हैं, वे करने नहीं देंगे। इसलिए हम केन्द्र से कहना चाहते हैं कि विदर्भ, मराठवाड़ा जनता की आवाज हम यहां पर उठा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो केन्द्र सरकार है, प्रधान मन्त्री हैं, इस विषय में अपनी भूमिका स्पष्ट करें। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, आप प्रधान मन्त्री जी से कहें क्योंकि वहां की परिस्थिति विदर्भ और मराठवाड़ा की बिगड़ी हुई है। आन्दोलन भड़क रहे हैं। मुझे चार दिन जेल में डाला गया, चार दिन बिना वजह मेरे ऊपर बारह धाराएं लगाई गईं। परन्तु चार दिन बाद जब वहां की जनभावना देखी तो कोर्ट में देना पड़ा कि हमने गलत केस लगाया है, हमारे पास ऐवीडेंन्सेस नहीं हैं। इस तरह से आन्दोलन को दबाने का सत्ता का दुरुपयोग करके प्रयत्न हो रहा है। मेरा निवेदन है कि आप प्रधानमंत्री जी से कहें, आज आखिरी दिन है।··· (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : श्री वसंत साठे, मैंने आपको इस विषय में अपने विचार रखने की अनुमति दी है।

श्री वसंत साठे (वर्धा) : इस विषय पर, वस्तुतः मैं चाहूंगा कि··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? वह आपका समर्थन कर रहे हैं।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने कहा, मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह आपका समर्थन कर रहे हैं।

श्री वसंत साठे : मुझे इस विषय पर कुछ कहने दीजिए, मामला अत्यधिक तूल पकड़ता जा रहा है। विदर्भ के लोग इतने वर्षों तक बहुत शान्त रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे, उसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा ? मुझे बतायें, जब प्रत्येक व्यक्ति की रुचि है, और जब सदन सहमत है, तो इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है।

श्री वसंत साठे : मैं आपको कारण बतलाऊंगा; मैं नाराजगी पैदा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ यह सुझाव दूंगा···

अध्यक्ष महोदय : नाराजगी पैदा न कीजिये; हम विचार करें कि इसे किस प्रकार लागू किया जा सकता है।

श्री वसंत साठे : मैं आपको यह सुझा रहा हूं : अनुच्छेद 371 अन्तर्गत···(**व्यवधान**) आप चाहते हैं कि मसला हल हो अथवा आप यह पता लगाना चाहते है कि दोषी कौन है ? मैं चाहता हूं कि मसले का हल हो। महोदय, मेरा कहना यह है कि अनुच्छेद 371 के अन्तर्गत, विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के क्षेत्रों के लिए वैधानिक विकास परिषदें स्थापित किये जाने का प्रावधान है। यदि कोई नया संशोधन करके कोंकण को भी शामिल कर लिया जाये तो हमें आपत्ति नहीं है। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : हम समर्थन कर रहे हैं···(**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे : समर्थन देने के बहाने यदि आप यह कह रहे हैं कि संविधान संशोधन प्रस्तुत किया जायेगा और हम बोर्ड गठित करेंगे तो इससे इन मामलों में विलम्ब ही होगा।

मैं नहीं सोचता कि किसी की ऐसी इच्छा है, पिछली सरकार ने भी इस पर सहमति व्यक्त की थी, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, श्री शरद पवार ने अनुच्छेद 371 के उपबंधों को कार्यान्वित करने तथा सांविधिक विकास बोर्ड स्थापित करने के लिए एक फार्मूला और राष्ट्रपति के आदेश का एक प्रारूप का प्रस्ताव किया था, अब इस सरकार को शीघ्र ही, क्योंकि यह सत्र आज समाप्त हो जायेगा, राष्ट्रपति के आदेश के जरिये संशोधन की प्रतीक्षा किये बिना विदर्भ, मराठवाड़ा और यदि वे चाहें तो, शेष महाराष्ट्र के लिए सांविधिक विकास बोर्ड स्थापित करना चाहिए। मैं आपको सचेत करता हूं कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आप देखेंगे कि विदर्भ में एक पृथक राज्य के लिए आन्दोलन चल रहा है। (**व्यवधान**) तब विदर्भ के हित का समर्थन न करने के लिए सारे सदन पर दोष लगाया जायेगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कम से कम सांविधिक विकास बोर्डों को शीघ्र स्थापित किया जाये। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(**व्यवधान**)

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, संसद की गरिमा को रखने का यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है—चाहे वह भारतीय भाषाओं में बोलने

वाली परीक्षाओं का सवाल ही और चाहे विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण के विकास का सवाल हो। जो बिल इस सदन में पारित किए जाते हैं, पारित होने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में सरकार को जिम्मेदार मानना स्वाभाविक हो जाता है। पिछली सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया और सर्वसम्मति के साथ इसको पारित किया लेकिन आज तक इसकी नियुक्ति नहीं हो पायी है और इस सरकार ने किसी अध्यक्ष की नियुक्ति इस आयोग के लिये नहीं की है। बिल पास करने के बाद उसका कोई भी परिणाम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इस अधिवेशन का आज यह अंतिम दिन है। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जो वैधानिक बिल पारित हो चुके हैं उन पर आगे कार्रवाई भी की जाये। इस सदन में मंत्री महोदय की तरफ से और इस सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाये कि वह इतने दिनों में इसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप अपने माध्यम से भी कुछ इस बारे में आदेश दें। (व्यवधान)

प्रो० महादेव शिवनकर : अध्यक्ष महोदत, विदर्भ और मराठवाड़ा के लोगों में बहुत असंतोष है··· (व्यवधान) ···

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या करूं ?

प्रो० महादेव शिवनकर : मंत्री जी बैठे हुए हैं। उनको कुछ इस बारे में जवाब देना चाहिये।··· (व्यवधान) ···

अध्यक्ष महोदय : आप सरकार को क्यों दोष देते हो। हो सकता है मंत्री जी कुछ इस बारे में बोल ही दें।

———

12.30 म० प०

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को सभी भारतीय भाषाओं में लिए जाने के बारे में—(जारी)

(व्यवधान)

श्री शरद यादव (बदायूं) : अध्यक्ष जी, थोड़ी देर पहले मल्होत्रा जी ने जो सवाल उठाया, वह बहुत गंभीर सवाल है। कल सदन में एक नौजवान आपके सामने कूदा, हमारे मित्र सैफुद्दीन चौधरी ने ही एक नौजवान को यहां पर पास दिया था, उस पर वह नौजवान यहां कूदा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो विजय मल्होत्रा जी ने, रामविलास जी ने और रावत साहब ने सवाल उठाया है, मुझे तकलीफ हो रही है कि चौधरी देवी लाल जी इतने ठण्डे बैठे हैं, पता नहीं इन्हें क्या काठ मार गया है। इस सवाल पर जिस तरह यह गरम रहते थे और जिस तरह से आज ठण्डे बैठे हैं, यह गम्भीर सवाल है और मेरी आपसे विनती है कि इस सदन में हम इसको कोई विवाद का मुद्दा नहीं बनाना चाहते लेकिन जिस तरह से यह मामला टल रहा है, जो बात इतनी साफ है, इतनी तरह की भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। भारतीय भाषा में पढ़े हुए नौजवानों के साथ जिस तरह का जुल्म और ज्यादती है, अध्यक्ष जी, कभी तो आप खड़े होकर इस मामले को बदलने का काम करेंगे, कई दिन हो गये··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपसे ज्यादा तकलीफ है कि जो सर्वसम्मत चीज है, वह भी नहीं हो रही है।

(**व्यवधान**)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : इसमें सबकी सर्वसम्मत राय है तो मेरा कहना यह है कि एक प्रस्ताव यहां सर्व सम्मति से पास किया जाय··· (**व्यवधान**) कि यू० पी० एस० सी० की और दूसरी जो भी परीक्षायें होंगी, वह अंग्रेजी के साथ ही सभी भारतीय भाषाओं में होंगी। आप एक ऐसा प्रस्ताव पास करवा दीजिए। (**व्यवधान**)

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) :···यह ठीक बात है, इस बात को माना जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कह रहा हूं कि विजय मल्होत्रा जी ने इस सवाल को 6 महीने पहले भी उठाया था, फिर भी इसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ है।

(**व्यवधान**)

श्री मदन लाल खुराना : मेरा कहना है कि एक प्रस्ताव पास करवा दीजिए, इस हाउस में इस तरह का··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल तमिल, तेलगू, बंगाली, हिन्दी सारी भारतीय भाषाओं का है।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे (वर्धा) : हम सहमत हैं और आज हमें सर्वसम्मति से इस सदन में एक संकल्प पारित करना चाहिए जिसमें सरकार को निर्देश दिया जाये··· (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मि० साठे आप बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं यही कहूंगा कि सर्वसम्मत फैसले को सरकार सुने और फैसला करे।

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन यह संकल्प करता है कि सरकार को इस सदन की संसद इच्छा पर अमल करना चाहिए कि संघ लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाएं संविधान की आठवीं सूची में उल्लिखित सभी राष्ट्रीय भाषाओं में आयोजित की जायें। (**व्यवधान**) मैंने यह प्रस्ताव रखा है, आप इसे समर्थन दें, कोई इसका विरोध न करे। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि सारे माननीय सदस्यों की यह राय है······

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। अब देवी लाल जी, उप प्रधान मंत्री जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, देवी लाल जी बोल रहे हैं।

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा में ही नहीं बल्कि कैबिनेट में भी यह बात उठाता रहा हूं कि कम से कम जिसके लिए बात कहना चाह रहे हो, उसकी बोली तो बोलो। हमारे साठे साहब कभी अंग्रेजी छोड़ कर नहीं बोलते हैं।··· (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : आपने मेरा हिन्दी का भाषण कभी नहीं सुना। आपसे मैं अच्छी हिन्दी बोलता हूं।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देवी लाल जी हिन्दुस्तानी में ही बोलते हैं। हिन्दी नहीं हिन्दुस्तानी बोलते हैं।

(व्यवधान)

श्री देवी लाल : जब साठे साहब हिन्दुस्तानी बोल कर सपोर्ट करते हैं और इस प्रस्ताव को रखने की सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल में सरकार को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश होगी कि इस पर अमल किया जाए। (व्यवधान)···

श्री शरद यादव : प्रस्ताव पास कीजिए।··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : तुम्हारी बात हो गई।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या यह मान कर चलूं कि साठे साहब ने जो प्रस्ताव मूव किया था और सारा सदन सर्वसम्मत है, वह पारित है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां,

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे द्वारा सतीश चन्द्र समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में प्रस्तावित संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, क्या यह एक पूर्वोदाहरण है ? क्या आप इस सदन में ऐसा संकल्प प्रस्तुत करने और इसे पारित करने की अनुमति देंगे ?··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदन की सहमति ली है, सदन इस विषय पर उत्तेजित है। ऐसा किया जा सकता है।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : जो रिजोल्यूशन किया था, हाउस की सेंस आपने ले ली।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं रिकमेंडेशन के बारे में ही बता रहा हूं।

(**व्यवधान**)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : तो फिर उसको पारित किया जाये।...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : क्या मैं तमिल में बोल सकता हूं ?......(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप तमिल में बोल सकते हैं।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।...(**व्यवधान**)...अभी चौधरी साहब ने जो कहा है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी परीक्षा होने वाली हैं। सरकार की तरफ से आप एश्योरेंस देते हैं कि जब अगली परीक्षा यू० पी० एस० सी० की होगी, उसमें यह लागू किया जायेगा। फिर वह माना जायेगा...(**व्यवधान**)...

श्री देवी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इससे आगे जाना चाह रहा हूं कि यहां पर हिन्दुस्तानी भाषा में बोलें, अंग्रेजी में कोई न बोले, तो सबके लिए सुविधा होगी...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै (करूर) : हम केवल तमिल में ही बोलेंगे।...(**व्यवधान**)

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : आप तमिल भाषी लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं...(**व्यवधान**) क्या आप भारत को विभाजित करना चाहते हैं ?...(**व्यवधान**) भाषा हमारा जन्म-अधिकार है...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं। क्या आप मुझे बोलने देंगे।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री देवी लाल : मेरे माननीय सदस्य, तमिलनाडु को यह ख्याल होगा कि मैंने हिन्दी की ओर से कोई बात नहीं कही है। मैं उनकी यादाश्त के लिये बता दूं (व्यवधान) कि हिन्दी में तो मैंने मुलतान जेल में दस्तखत करने सीखे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हिन्दुस्तानी भाषाओं में, उसमें चाहे तमिल, तेलुगु या किसी भी भाषा में आप बोलना चाहें, बोलें।

[अनुवाद]

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन : आप इसका तमिल अनुवाद दीजिए। हम तमिल अनुवाद चाहते हैं। यह क्या है ? आप आग से खेल रहे हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवी लाल : मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैंने जो हिन्दुस्तानी भाषा कहा है उसमें तमिल, तेलुगु और पंजाबी, सभी भाषाएं आ जाती हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस सदन के अनेक सदस्य अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भाषाओं में बोलते हैं। मैं सोचता हूं कि श्री देवी लाल इस मत से सहमत नहीं हैं कि इस सदन के जो माननीय सदस्य अंग्रेजी में बोलते हैं उन्हें अंग्रेजी में बोलने से रोका जायेगा।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आप इस तरह से कोई संकल्प पारित नहीं कर सकते। इसके लिए उचित ढंग से सूचना दी जाती है और उचित ढंग से चर्चा की जाती है। हम एक लम्बे समय से चुप लगाये बैठे हैं। इसे इस प्रकार नहीं किया जा सकता···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ कहने जा रहा हूं। मैं आपसे सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि जहां तक भारतीय भाषाओं को यू० पी० एस० सी० की परीक्षाओं का माध्यम बनाने का सवाल है। इस सवाल पर सारे सदन में कोई दो राय नहीं है। ऐसी राय को, ऐसे नाजुक प्रश्न पर, इस तरीके से व्यक्त करना ठीक नहीं है। इसके लिये कोई ठीक समय और तरीका ढूंढा जाना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं साठे जी की भावना की सराहना करता हूं, लेकिन ये टाइम इस तरीके से रेजोल्यूशन रखने का नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : उनके व्यवस्था के प्रश्न को निपटाने के बाद मैं आपको पुकारूंगा।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर तो सुन लीजिये। सर, रेजोल्यूशन यदि आना है तो प्रोपर फार्म में आना चाहिये और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की जो राय है, उसके अनुसार आप सरकार को निर्देश दे सकते हैं, कह सकते हैं कि इस समय आपकी क्या कठिनाई है, सदन की राय को इम्प्लीमेंट करने के विषय में भारतीय भाषाओं में परीक्षा हो। भारतीय भाषाओं में परीक्षा हो, इस विषय में जहां तक रेजोल्यूशन का सवाल है, रेजोल्यूशन की सरकार पर बाइंडिंग होगी। इस तरीके को बाइंडिंग सरकार पर डालने से पहले सारे पक्षों की राय पूरे तरीके से ले ली जानी चाहिए, तभी इस तरीके की बाइंडिंग सरकार पर डालनी चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री हरीश रावत : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस संकल्प पर अभी विचार न किया जाये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, जैसा कि आपको मालूम है कि अखिल भारतीय भाषा संगठन के स्वयं सेवक संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान में उल्लिखित सभी भारतीय भाषाओं को मान्यता दिये जाने के संबंध में आन्दोलन कर रहे हैं। इस संबंध में वे वर्षों से आन्दोलन कर रहे हैं। मुझे याद है, काफी समय पहले जब उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था तो चालीसवें दिन हमने हस्तक्षेप किया था। उस समय कांग्रेस सरकार सत्ता में थी और हमने एक समझौता किया था। एक समिति गठित की गयी थी और यह मामला इसे सौंप दिया गया था। तब यह सरकार सत्ता में नहीं रही और दूसरी सरकार सत्ता में आयी। तब दुबारा वे अनशन में बैठ गये और फिर एक समझौता हुआ था। वह सरकार भी सत्ता में नहीं रही। अब वे हताश हैं। मैं नहीं जानता कि उन्हें हम पर भरोसा कैसे होगा। श्री शरद यादव ने कहा कि कोई दर्शक-दीर्घा से सभा में कूद पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि उसके लिए पास उन्होंने ही बनवाया था। मुझे मालूम नहीं था कि वह ऐसा करेगा। अन्यथा मैं उनका पास नहीं बनवाता। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किन्तु मैं उससे क्या कहूं, आप हमें बतायें। इसकी कड़ी निन्दा की जानी चाहिए, किन्तु उसने यह दर्शाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल दिया कि वे हमसे क्या आशा करते हैं। आप हमें यह बताएं कि जब वे हमारे पास आएं तो हम उन्हें क्या कहें। वर्ष 1968 में दोनों सभाओं ने सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित किया था। अतः नया संकल्प प्रस्तुत नहीं करना है। हम उस संकल्प के कार्यान्वयन के लिए अपनी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि कर सकते हैं ... (व्यवधान)

दूसरा मुद्दा यह है कि मैंने यह कभी नहीं समझा कि स्वयंसेवक एक भाषा को दूसरी भाषा के विरुद्ध करके दुराग्रहपूर्ण मांग कर रहे हैं। वे सभी भाषाओं के लिए समान अवसरों की मांग कर रहे हैं, न कि एक भाषा का दूसरी भाषा के साथ वाद-विवाद पैदा कर रहे हैं। यदि वे केवल एक भाषा की मांग कर रहे होते, तो हम उन्हें समर्थन नहीं देते। वे संविधान में प्रदत्त सभी भाषाओं को समान अवसर देने और एक या दूसरी भाषा के एकाधिकार के विशेषाधिकार को समाप्त करने

की मांग कर रहे हैं। इसलिए तो हम पुनः यह संकल्प पारित कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या उस व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हो जायेगी। यह बड़े दुख की बात है। किसी को भी यह पता नहीं चलेगा कि वह क्यों मर रहा है। परन्तु यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि दोनों सभाओं में हमने जो वायदे किये हैं, उसका सम्मान किया जाये और इसे बिना किसी विलम्ब के कार्यान्वित किया जाये।

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं सभी भारतीय भाषाओं में आयोजित करने के बारे में हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु इसके साथ-साथ इस सभा की अनुमति नहीं ली जानी चाहिये। दूसरी बात यह है कि माननीय उप प्रधान मन्त्री द्वारा दिया गया गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य, गैर हिन्दी भाषी लोगों को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिये गये आश्वासन के अतिक्रमण के अलावा और कुछ नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें सदस्यों को केवल एक भाषा में बोलने का आदेश नहीं देना चाहिए, और, महोदय, आपने भी इसको स्पष्ट कर दिया है··· (**व्यवधान**) महोदय, यदि उप प्रधान मंत्री की यह स्थिति है, तो मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं कि यह उचित नहीं है। उन्हें पुनः भाषा का मुद्दा नहीं उठाना चाहिये। हम इसके लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा हिन्दुस्तानी भाषा से मतलब यह नहीं था कि किसी पर मैं इस भाषा को थोपना चाहता हूं, मैं तो इससे आगे जाना चाह रहा हूं कि हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाए, इसमें तेलगू भी आ जाती है, तमिल भी आ जाती है, पंजाबी भी आ जाती है, मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं हिन्दी भाषा को किसी पर थोपना चाहता हूं। मैंने तो क्लीयर कर दिया था कि मैं तो हिन्दी भी नहीं जानता। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : तब अंग्रेजी के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

[हिन्दी]

श्री देवी लाल : हां इंगलिश भी है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो अंग्रेजी में बोलते हैं, वे अंग्रेजी में ही बोलेंगे।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जो सभा में अंग्रेजी में बोल रहे हैं वे अंग्रेजी में ही बोलते रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री देवी लाल : पहले मेरी बात सुनिए। इंगलिश सदियों से चल रही है। वह इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंगलिश के बगैर काम नहीं चल सकता है। मैं इंगलिश और उर्दू को भी कहता हूं कि वह इंडियन भाषाएं हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं शंकरानन्द जी को कैसे मना करूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द (चिक्कोड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर कभी-कभी ही बोलने के लिए खड़ा होता हूं। आज मुझे यह सुनकर गहरा आघात लगा··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप बैठ जायें अभी शंकरानन्द जी बोल रहे हैं, दूसरों की बात सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : ऐसा संकल्प जो सभा के सम्मुख नहीं रखा गया था, जिसे परिचालित नहीं किया गया था और जिसे प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा जिस पर चर्चा नहीं हुई, उसके बारे में कहा गया है कि वह सर्वसम्मति से पारित हो गया है।

प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 332, 333 और 334 के अंतर्गत किसी सदस्य द्वारा औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिये था, उसे इस सदन में प्रस्ताव लाने का अधिकार है और उन नियमों के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर काफी पहले परिचालित कर देना चाहिए ताकि सदस्य तैयार हो सकें, संशोधन लाये जा सकें और इस पर गुणावगुण के आधार पर चर्चा की जा सके ! यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इस देश की एकता के लिए भाषा को उपयोग में लाना चाहिए। मेरे विचार से सभी सदस्यों को यह समझ लेना चाहिए कि भाषायी आधार पर इस देश के विभाजन के लिए भाषा का प्रयोग न हो। हर भाषा सम्बन्धित व्यक्ति को प्रिय होती है, उसकी मातृभाषा उसे प्रिय होती है और इसीलिए इस देश में भाषायी आधार पर राज्यों का गठन किया गया है। उसके बाद से भाषा एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। मैं नहीं चाहता कि यह सदन एकता के इस संवेदनशील विषय पर चर्चा करे क्योंकि इससे इस देश की एकता और अखण्डता खतरे में पड़ जायेगी। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था के प्रश्न पर आप व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं एक बहुत साधारण व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। जैसाकि मैंने कहा था कि नियम 332 और 333 के तहत···मेरा व्यवस्था का प्रश्न प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों पर आधारित था। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को बिना पढ़े ही सदन में रख दिया, हमें पता नहीं कि इसमें क्या कहा गया है और अध्यक्ष महोदय ने सदन के समक्ष रखे बिना ही जल्दीबाजी में सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित होने की घोषणा कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने हाऊस की सैन्स ले ली है।

(व्यवधान)

श्री देवी लाल : मैंने यह कहा था कि··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी० शंकरानन्द : अनेक सदस्यों की तरह मैं भी इस सदन में पिछले 23 वर्षों से हूं। (व्यवधान) इस प्रकार इतनी जल्दी में प्रस्ताव रखे जाने से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है और मंत्रि-मण्डल में कोई चर्चा किए बिना उपमन्त्री इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर बोलें। महोदय, इस पर मुझे आपत्ति है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हमें समझ लेना चाहिए कि कोई प्रस्ताव नहीं है। (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : यह कोई तरीका नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। वे देश को अस्थिर करने वाली ताकतों को अधिक प्रोत्साहन देने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं, सदन को चेतावनी देता हूं कि कृपया भगवान के लिए जल्दी में ऐसा कोई काम मत करिए जिससे देश संकट में पड़ जाय। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री देवी लाल : अध्यक्ष जी, यह मामला ऐसा है जो बड़ा सेन्सिटिव है। मैंने अपनी राय दी थी और गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस नहीं दिया था। जिस ढंग से मेरे ऑनरेबल मैम्बर ने कहा है कि बगैर नोटिस के रेजोल्यूशन पेश किया गया है। यह कोई तरीका अच्छा नहीं था, यह मैं समझता हूं। मैं दरख्वास्त करता हूं कि आपको फिर सोचना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी* : माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषा की समस्या कोई साधारण समस्या नहीं है। यह अत्यन्त गम्भीर समस्या है। मैं इस सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि यदि इस मामले को बहुत मामूली ढंग से लिया गया तो भारत का विघटन हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि नेहरू ने आश्वासन दिया था कि अहिन्दी भाषी लोगों पर हिन्दी को थोपा नहीं जायेगा, अब तक भारत को एक साथ रख सका है। आज माननीय उप प्रधानमन्त्री श्री देवी लाल ने हमें अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी में बोलने के लिए कहकर इस मुद्दे को फिर उठाया है, सरकार का ऐसा दृष्टिकोण निश्चय ही भारत को विघटन की ओर ले जायेगा और इससे पृथकतावादी और फिरकापरस्त प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा। भारत मां को एक होना चाहिए। भाषायी मतभेदों से भारत मां को विभाजित नहीं किया जा सकता। भारत में रहने वाले हम सभी लोग आपस में भाई बहन हैं।

अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु में कुछ तत्वों की गतिविधियों के कारण भारत की एकता और

* मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अखंडता आज खतरे में है। यह मुद्दा उठाकर आप केवल तमिलनाडु में अन्ना द्रविड़नाडु की मांग को पुनरुज्जीवित करने के अवसर दे रहे हैं। आइये, हम सब इस नये वर्ष में भारत की एकता और अखण्डता को मजबूत करने का संकल्प लें।

हम सभी लोग देशभक्त हैं। हम भारत में रहना चाहते हैं। हम एक अखण्ड भारत चाहते हैं। इसलिए भाषा के इस मुद्दे को उठाकर हमें भारत से बाहर मत धकेलिए। इस प्रकार के साम्प्रदायिक भाषणों से हमारी भावनाओं को आहत मत कीजिए। हमें आश्वासन दीजिए कि अंग्रेजी चलती रहेगी और तमिल को हिन्दी के बराबर दर्जा दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि भाषा की कोई समस्या नहीं है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सदन ने तो केवल पहले से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की है। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि सभी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। किसी भाषा को थोपने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

(**व्यवधान**)

श्री पाल आर० मन्टोष (नाम निर्देषित आंग्ल भारतीय) : श्रीमान् ! उप प्रधान मन्त्री जी को यह कहने के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि अंग्रेजी भी एक भारतीय भाषा है और कार्यालय में इसका प्रयोग होता रहेगा।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री के० सी० त्यागी (हापुड़) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर खींचना चाहता हूं। पिछले 15 अगस्त को लालकिले से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मोहम्मद साहब के जन्म दिन पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की थी। सारे देश ने एक स्वर से श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की उस घोषणा को सराहा था। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सरकार के द्वारा जो प्रकाशित नये साल का कलेंडर है उसकी प्रति है। जिसमें मोहम्मद साहब के जन्म दिन की छुट्टी को सरकारी छुट्टी न रखकर रिस्ट्रिक्टेड हालीडे में रखने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। मैं आदरणीय चौधरी साहब से जो गांव के लोगों के प्रधानमंत्री हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या नई सरकार ने पिछली सरकार के उस फैसले को बदलने का काम किया है जिसके तहत मोहम्मद साहब के जन्म दिन की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने की थी। अगर नहीं, तो मैं चाहता हूं कि सदन में इस पर बहस हो कि क्या मोहम्मद साहब के जन्म दिन पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा करना उचित है या नहीं। यह बहुत ही महत्व-पूर्ण सवाल हमारे सामने है और मैं चाहता हूं कि आप सरकार को आदेश दें कि या तो कलेन्डर को बदलने का वह काम करे या कहे कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने जो घोषणा की थी वह गलत थी। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी आप बैठें, मैं आपको बुलाऊंगा, आप तो दिल्ली में बहुत बड़ी सभा में बैठे हैं, आपको मौका दूंगा।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लोक महत्व का एक गम्भीर मामला लाना चाहती हूं जो सिंधिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी के कलकत्ता स्थित कार्यालय को बन्द करने की धमकी के बारे में है। पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम आयुक्त को दी दी गई रिपोर्ट में प्रबन्धकों ने इस सम्बन्ध में अपना पूर्ण मनमाना अभिप्राय व्यक्त किया है और इस पर उन्होंने यह सफाई दी है कि कम्पनी को भारी हानि हो रही है।

1·00 म० प०

महोदय, क्या वे कलकत्ता स्थित कार्यालय को बन्द करके यह घाटा पूरा कर सकते हैं ? इंडिया स्टीम शिप कम्पनी जैसी दूसरी कम्पनियों द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि प्रबन्धकों द्वारा समुचित योजना बनाने पर कलकत्ता पत्तन का इस्तेमाल एक बड़े आय के केन्द्र के रूप में किया जा सकता है। प्रशासनिक खर्चे कम करके तथा कम्पनी के पास बेकार पड़े कुछ पोतों को चलाकर यह हानि कम की जा सकती है। उस मामले में प्रबन्धक कलकत्ता स्थित कार्यालय को बन्द करने की बात क्यों कर रहे हैं जिससे कि उसमें कार्यरत 150 कर्मचारियों को असहनीय कष्ट उठाना पड़ेगा। कलकत्ता पत्तन में जो कार्य किया जा सकता है, वे उसे समाप्त करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ? इस सरकार का वहां स्टीम शिप कम्पनी उपक्रम है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह हानि होने के कारणों की जांच करे, इस बात की जांच करे कि कम्पनी को किस तरह से सही ढंग से चलाया जा सकता है और स्टीम शिप कम्पनी का कार्यालय बन्द करने के सम्बन्ध में मनमाना निर्णय रोके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि आप खड़े क्यों है। श्री मदन लाल खुराना।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, आज हाऊस का आखिरी दिन है। दिल्ली के 80 90 लाख नागरिकों के जो डैमोक्रेटिक राईट्स पिछले सवा साल छीने हुए हैं, उसकी तरफ मैं बार-बार ध्यान दिला रहा हूं। न मैट्रोपॉलिटन कौंसिल है और न कारपोरेशन है। कांग्रेस की सरकार का वायदा था स्टेटहुड देने का, पिछली सरकार ने भी वायदा किया था लेकिन लोगों के साथ विश्वासघात किया गया और पिछले 14 महीनों से उसका क्या परिणाम हो रहा है ? सवाल किसी कुर्सी का नहीं है। दिल्ली के लोगों की प्राबलम बद से बदतर हो रही है। इसके दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं—डी० डी० ए० ने 1990 में 35 हजार मकान बनाये··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मनोरंजन बाबू, आप नेताजी के समर्थक हैं। आपको अधिक धैर्य रखना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, आप सुनकर चौकेंगे कि दिल्ली में मकान की समस्या है और जब से डी० डी० ए० बनी है, उसने हर साल 35 हजार मकान बनाये हैं लेकिन गत साल

में केवल 1900 मकान दिये गये हैं जबकि आवश्यकता है 80 हजार की हर महीने। हर साल दिल्ली की आबादी चार लाख बढ़ती है, बाहर से लोग आते हैं। मकान चाहियें अस्सी हजार लेकिन बनते हैं 35 हजार। गत साल बने हैं केवल 1900, यह सब बात कसल्टेटिव कमेटी में सबने माना है।

डी० टी०सी० के चेयरमैन थे हमारे फाईनेंस मिनिस्टर। आज से दो साल पहले 5500 बसें थीं और सेवथ प्लान के लास्ट में 8000 चाहिये थीं और आज 5500 से कम होकर 5000 रह गयी हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज कन्कलूड।

श्री मदन लाल खुराना : मैं कन्कलूड कर रहा हूं। दिल्ली वालों ने यह कहा कि नई दिल्ली को सुविधा होनी चाहिए लेकिन दिल्ली के 90 लाख लोगों के जो अधिकार छीने हुए हैं, मेरी डिमान्ड है कि अगर स्टेटहुड नहीं देना है और न ही फैसला करना है तो कम से कम मैट्रोपॉलिटन कौंसिल और कारपोरेशन, जिनको सुपरसीड किया हुआ है, उनके अधिकार को बहाल किया जाये। उसके चुनाव कराये जायें। (व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मलहोत्रा (दिल्ली सदर) : पंजाब में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। वहां पर··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन।

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है··· (व्यवधान)

मैं भारतीय ओलम्पिक एसोसिऐशन के प्रेजीडेन्ट के आचरण और अनुशासन के सम्बन्ध में जानकारी दे रहा हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोल बाग) : पिछली सरकार भी चली गई पर दिल्ली में चुनाव नहीं हुए। सरकार दिल्ली में चुनाव के लिए कोई आश्वासन तो दे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। मैं आप लोगों की बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै (करूर) : यदि वे हमारे सदस्यों को नहीं बोलने देते तो हम भी वैसा ही करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन भाषण देंगे।

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन : मैं भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन के प्रेजीडेन्ट के आचरण और अनुशासन के सम्बन्ध में जानकारी दे रहा हूं। दिनांक 3 जनवरी, 1991 को मद्रास उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि ओलम्पिक एसोसिएशन के प्रेजीडेन्ट को इस पद से हट

जाना चाहिए। भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन के चेयरमैन का अनुशासित और गरिमा वाला पद है जिसका छोटे अधिकारी अनुकरण करते हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री विद्याचरण शुक्ल उच्च न्यायालय के फैसले का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि ओलम्पिक एसोसिएशन के प्रेजीडेन्ट के पद की गरिमा और महत्व को बनाए रखने के लिए श्री विद्याचरण शुक्ल को इस पद से हट जाना चाहिए और एसोसिएशन के कल्याण के लिए उच्च न्यायालय के फैसले को तत्काल कार्यान्वित किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री कुम्बकोडी आर० अडीक्कन (तिरूचेन्दुर) : मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण खण्ड के दिनांक 3 जनवरी, 1991 के फैसले, जिसमे यह निदेश दिया गया था कि विद्याचरण शुक्ल को भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन से हट जाना चाहिए, को ध्यान में रखते हुए मैं केन्द्रीय सरकार से अर्ज करता हूं कि भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन के प्रेजीडेन्ड के रूप में श्री विद्याचरण शुक्ल को दी गई अस्थायी मान्यता वापिस ले ली जानी चाहिए। वे मंत्रिपरिषद के एक जिम्मेदार सदस्य हैं, उन्हें न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए इस पद से हट जाना चाहिए।

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन : वे मंत्रिपरिषद के जिम्मेदार सदस्य हैं और उन्हें न्यायालय के फैसले का आदर करना चाहिए और तत्काल हट जाना चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करता हू कि वह श्री शुक्ल को न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए सलाह दे। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता करता हू कि श्री आदित्यन को भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन से प्रेजीडेन्ड के रूप में पुनः मान्यता दी जाये।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : श्री आदित्यन भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन के प्रेजीडेन्ट थे और इस समय विदेश मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल को भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन के प्रेजीडेन्ट के रूप मे मान्यता दी गई है। श्री शुक्ल न्यायालय के फैसले के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और यह एक गलती है। श्री शुक्ल के विरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालय में अवज्ञा का मामला दर्ज किया गया था। केन्द्रीय मंत्री न्यायालय के फैसले की अवहेलना कर रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हू कि सरकार द्वारा श्री शुक्ल को भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन के प्रेजीडेन्ट के रूप में जो अस्थायी मान्यता दी है उसे वापिस लिया जाना चाहिए।

श्री सी० श्रीनिवासन (डिन्डिगुल) : महोदय, श्री कुप्पुस्वामी ने अभी जो मांग की है, मैं भी वही चाहता हूं। वी० पी० सिंह सरकार ने श्री विद्याचरण शुक्ल को भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन के अस्थायी चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया था। श्री शुक्ल न्यायालय के फैसले के विरुद्ध चेयरमैन के पद पर कार्य कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण मसला है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह श्री शुक्ल की अस्थायी नियुक्ति समाप्त कर दे और मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हां मैं जानता हूं। आप बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस आज सुबह समय पर नहीं आया होगा। अगर आया होता तो जरूर होता।

प्रो० विजय कुमार मलहोत्रा : अध्यक्ष जी, मैं इनसे सहमत हूं कि कोर्ट के आर्डर को मानना चाहिये। मद्रास हाई कोर्ट ने एक आर्डर दिया है, इसमें कोई शक नहीं, मगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का भी एक आर्डर है जिसमें कहा गया है कि शुक्ला साहब को कन्टीन्यू करना चाहिये। अब जब हमारे सामने दो अलग-अलग हाईकोर्ट्स के आपस में कन्फ्लिक्टिंग आर्डर्स हैं, नेचुरली जब दो हाई कोर्ट्स के आदेश आपस में एक दूसरे से कन्ट्राडिक्टरी हैं, एक हाई कोर्ट कहती है कि उन्हें हट जाना चाहिये, दूसरी हाई कोर्ट कहती है कि उन्हें बने रहना चाहिये, तो ऐसी हालत में हमारे पास इसके सिवाय दूसरा चारा नहीं रह जाता कि सुप्रीम कोर्ट या किसी दूसरी संस्था को यह मामला सौंप कर फैसला करा लिया लिया जाये। इसलिये गवर्नमैंट को चाहिये कि सुप्रीम कोर्ट या किसी दूसरी बोडी को बीच में डालकर इस बात का फैसला करा लें। **(व्यवधान)**

कोई फैसला कोर्ट के बाहर हो जाये।

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै : सरकार को देखने दीजिए कि सभी सदस्यों ने क्या कहा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री राम कृष्ण यादव।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट (बड़ौदा) : अध्यक्ष जी, गांव वालों को गैस के कनैक्शन क्यों नहीं दिये जा सकते ··

अध्यक्ष महोदय : प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट जी, मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है। ठीक है, आपकी आवाज बुलन्द है, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जिसने मुझे लिखकर दिया है, मैं उसे ही बुलाऊंगा। आप बैठ जायें।

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : अध्यक्ष जी, मुझे बताया जाये कि गांव वालों को गैस का कनैक्शन क्यों नहीं दिया जा सकता। इसमें क्या है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है। आप इस तरीके से क्यों आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने परमीशन नहीं दिया है। आप बैठ जाइये।

श्री राम कृष्ण यादव।

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं एक बड़े गम्भीर विषय की तरफ आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां हम सदन में रोज बहस करते हैं कि पंजाब में, कश्मीर में, असम में, या तमिलनाडु में उग्रवादी ताकतें बहुत हावी हो रही हैं, उनके आतंक के कारण देश की एकता और अखण्डता को बड़ा कुठाराघात हो रहा है लेकिन मैं उससे भी आगे बढ़कर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी साम्प्रदायिक ताकतें काफी उत्पात मचाये हुए हैं। साम्प्रदायिक ताकतें, धार्मिक ताकतें आपस में मिलकर उग्रवादी संगठन तैयार कर रही हैं। मुझे

बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी यदि किसी पर है, जो सबके लिये सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि एक राजनैतिक दल भी उसमें शामिल हो रहा है और वह दल है भारतीय जनता पार्टी। (व्यवधान)

भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सारे देश में उग्रवादी संगठन तैयार किये जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी इजाजत के बिना नहीं बोल सकते। आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बोल रहे हैं, मैंने परमीशन नहीं दिया है। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण यादव : मैं आपसे सही बात कह रहा हूं। सारे देश में उन साम्प्रदायिक ताकतों की तरफ से देश की एकता और अखण्डता को चुनौती दी जा रही है। इन लोगों के साम्प्रदायिक संगठन उग्रवाद के रूप में पैदा हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री राम कृष्ण यादव : वे लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि अयोध्या में जिन-जिन अधिकारियों ने गोली चलाने के आदेश दिये थे, उन्हें और उनके घरों का सफाया कर दिया जायेगा। जो लोग मन्दिर बनाने में सहयोग नहीं करेंगे, उन्हें गम्भीर परिणाम भुगतने होंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप बैठ जाइये।

श्री राम कृष्ण यादव : मुलायम सिंह यादव तक को धमकी दी जा रही है। (व्यवधान) उन्हें भी मारने की धमकी दी जा रही है। जिस तरह से सारे देश में उग्रवादी संगठन पैदा हो गये हैं, यह हम सबके लिए बड़ा गम्भीर मामला है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हू कि किसी राजनैतिक दल को उग्रवाद में नहीं जाना चाहिये। भारतीय जनता पार्टी सारे देश में उग्रवाद फैला रही है। यह हम सबके लिये एक गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप बैठ जाइये। श्री मित्रसेन यादव।

श्री राम कृष्ण यादव : यह बड़ा गम्भीर विषय है। सारे देश में गम्भीर स्थिति पैदा हो रही है। (व्यवधान)

श्री मित्रसेन यादव (फ़ैजाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश के अन्दर, आजकल हमारी सरकार वित्तीय संकट से गुजर रही है और तमाम संस्थाओं में वित्तीय अनियमितताएं होती चली जा रही हैं। एक न्यू बैंक ऑफ इण्डिया है, जो रिजर्व बैंक के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण बैंक है, रजिस्टर्ड है, जिसके अधिकारियों ने लाखों रुपये की नहीं, करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताएं की हैं। इनके बारे में सी० बी० आई० की रिपोर्ट आई है, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की रिपोर्ट आयी है जिनमें ये दोषी पाये गये हैं। इन्होंने श्री जे० के० जैन, जो शुद्ध वनस्पति के दस करोड़ रुपये के घोटाले में लिप्त थे, जिनके ऊपर गाय की चर्बी घी में मिलाने का आरोप था उनको

ऋण दिया, इनके ऊपर राठी उद्योग को करोड़ों रुपये देने का घोटाला है, इसके ऊपर ऋण मुक्ति में घोटाला करने और अन्य कई घोटालों के आरोप लग चुके हैं, वे इन घोटालों में लिप्त पाये गये हैं। इन सबके बाद आपके सदन में एक प्रश्न के जरिये यहां उत्तर दिया गया है, उसमें साबित हुआ है कि इनको वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं में लिप्त पाया गया है और भू० पू० वित्त मंत्री श्री मधु दण्डवते जी ने सारा काम इनके ऊपर छोड़ दिया। अब इस बैंक के उसी व्यक्ति के इस्तीफे के लिये 59 सांसदों ने माननीय वित्त मंत्री को लिखकर भेजा है, इसके बावजूद भी मेरी जानकारी में यह आया है कि इनको चेयरमैन बनाया जा रहा है, तो ऐसा क्यों है? सरकार इस बारे में स्पष्ट करे। ये जो सज्जन हैं वे वित्तीय अनियमितताओं के साथ प्रशासनिक अनियमितताये करने के भी दोषी पाये गये हैं। इन्होंने 1 हजार लोगों को स्थानांतरित किया है और 100 लोगों को सस्पेंड किया है। यह सस्पेंशन इसलिये किया गया है कि इनकी सिफारिश पर उन बैंकों की शाखाओं से ऐसे स्थानों के लिये ऋण वितरित किये गये जो उनके कार्य-क्षेत्र में आते ही नहीं थे अब जब जांच हुई तो उनके मैनेजरों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया जबकि उनका कोई दोष नहीं था। इस प्रकार से वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के लिये जिम्मेदार व्यक्ति को फिर से उस बैंक का चेयरमैन न बनाया जाये। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसा न किया जाये, अगर ऐसा किया जायेगा तो बैंक और देश दोनों का नुकसान होगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : अध्यक्ष महोदय, गत कुछ दिनों से हम इस सभा की कार्यवाहियों, सदस्यों को अयोग्य ठहराने, दल-बदल के बारे में, न्यायालय में जाने, न्यायालय से वापस आने आदि के बारे में बहुत से समाचार देख रहे हैं। यहां तक कि कुछ ऐसे मामलों के बारे में समाचार आ रहे हैं··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अरे भाई कुमारमंगलम साहब, आप डीजल से यहां कहां आ गये। मैंने तो आपको डीजल पर बोलने की अनुमति दी है।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : वास्तविकता यह है कि समाचार पत्र, आपके कक्ष में गुप्त रूप में जो विभिन्न चर्चाएं हुई हैं उनके बारे में शब्दश: समाचार दे रहे हैं तथा लगभग अनुमान लगा रहे हैं और ज्योतिषी सम्बन्धी नहीं बल्कि पर्याप्त अनुमान दे रहे हैं कि इस सभा में क्या होने जा रहा है। आज 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में हमने देखा कि जनता दल (स) संसद सदस्यों, उनकी हैसियत, उसको मान्यता देने आदि के बारे में आज आपके द्वारा दिये जाने वाले कथित कुछ आदेशों के बारे में विस्तृत समाचार दिए गए हैं। यह एक गम्भीर मामला है। यदि समाचार-पत्र लगातार इस तरह के समाचार देना जारी रखते हैं, तो यह समय है कि हमें इस बात का पता लगाना शुरू करना चाहिए कि ये समाचार कहां से आ रहे हैं। प्रारम्भ में ऐसा एक समाचार पत्र है जो यह कहता है मुझे अपने कान दरवाजों के पास रखने होते थे, अन्दर की आवाज को सुनता और उसे फैलाना आदि होता था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे विचार में यह आवश्यक है कि इस मामले की जांच की जाए। मैं समझता हूं कि मेरे मित्र श्री राममूर्ति इसके बारे में कुछ कहने वाले हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राममूर्ति, मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : अपने विषय पर वापिस जाते हुए जिसके लिए मैंने सूचना दी थी कि महाराष्ट्र और आन्ध्र के राज्यों को आज डीजल और पेट्रोल के लिए यथार्थ में वंचित रखा गया है। केवल इतना ही नहीं, यहां तक कि खाद्य तेल भी उपलब्ध नहीं है। आवश्यक वस्तुएं जो इन राज्यों को आवंटित की जाती हैं, वे भी इन राज्यों को नहीं भेजी जाती हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अरे भाई, इनका गुजरात भी ले लीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : गुजरात को भी। और कुछ राज्यों को को 20 प्रतिशत और कभी-कभी 30 प्रतिशत और अधिक मिल जाता है। इस वर्ष, वास्तव में, मुझे मालूम है कि भारत में सबसे बड़े राज्य को डीजल आदि आवंटन में 20 प्रतिशत अधिक मिला है।

अध्यक्ष महोदय : कौन-सा राज्य ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : उत्तर प्रदेश राज्य। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों है। संसदीय कार्य मन्त्री तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री इस समय सहज रूप से अनुपस्थित हैं। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपमंत्री महोदय, यहां उपस्थित हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : उपमंत्री उपस्थित हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह भेद-भाव क्यों किया जा रहा है। महाराष्ट्र, आन्ध्र और गुजरात के लोग भी भारत के नागरिक हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही भारत में नहीं आता, हम भी भारत के नागरिक हैं और हमें तेल दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा जारी रहता है ···(व्यवधान)···यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जहां कांग्रेस सरकारें हैं, यदि उन राज्यों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में भेदभाव किया जाता है, तो हमें बहुत ही कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। इसे इतनी सहजता से नहीं लिया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि यदि महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश राज्यों को डीजल और अन्य उत्पादों की आवश्यक आपूर्ति नहीं करते, तो कांग्रेस पार्टी को बहुत ही कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा और उसका अर्थ एक बड़ा मुकाबला करना होगा। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : मैं आपका तथा इस सभा का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। आज सुबह के इकोनोमिक टाइम्स में, प्रथम पृष्ठ पर, इस्पात और खान मन्त्री श्री अशोक कुमार सेन का साक्षात्कार 'स्पीकर डिड नॉट एक्ट विदिन बाउंडस ऑफ लॉ" शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। यह उनकी संवाददाता सीमा मुस्तफा को दिया गया साक्षात्कार है। मैं केवल उसके बहुत ही छोटे से प्रासंगिक भाग का उल्लेख करूंगा जो कि व्यापक महत्व का है। विशेषाधिकार के अलावा जो कि इसमें शामिल हैं, जिसके लिए मैंने अलग से

नोटिस दिया है, यह बहुत ही महत्व का मामला है और क्योंकि आज अधिवेशन का अन्तिम दिन है, मैं इस विषय को उठा रहा हूं—

> "श्री राजीव गांधी की सरकार में विधि मन्त्री श्री अशोक सेन ने कहा था कि यदि अध्यक्ष कानून के विपरीत कार्य करता है, तो क्षेत्राधिकार का प्रतिबन्ध उस पर लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह केवल तभी लागू किया जा सकता जब अध्यक्ष क्षेत्राधिकार के अन्दर अथवा विधि के अनुसार कार्य करता है। वर्तमान मामले में, उन्होंने कहा अध्यक्ष श्री रवि राय ने विधि और संविधान के उपबंधों के समनुरूप कार्य नहीं किया।"

यह एक बहुत ही महत्व का मामला है। प्रधान मन्त्री के आश्वासन तथा उनके द्वारा की गई संक्षिप्त टिप्पणियों के बाद, इस सभा को राहत की सांस मिली और यह सोचा गया कि गत सम्पूर्ण सप्ताह के दौरान क्या हुआ उसके बाद सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती थी। अब यहां एक अन्य भद्र पुरुष ने जो कि एक मन्त्री है, एक आश्चर्यजनक समाचार दिया है, और मैं नहीं समझता कि इसमें संयुक्त उत्तरदायित्व जैसी कोई बात है भी यह प्रधानमन्त्री महोदय पर निर्भर करता है। मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं प्रधान मन्त्री महोदय अपना सम्बन्धित मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं वह आएं और इसके बारे में स्पष्टीकरण दें। हम इन बातों को ऐसे नहीं होने देंगे। हमने सोचा कि सरकार द्वारा बिना शर्त क्षमा-याचना जो कि हर दूसरे दिन की जाती है, तथा विधि मंत्री द्वारा बिना शर्त क्षमा-याचना के बाद ऐसा हुआ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : यह आपके विरुद्ध एक निन्दात्मक वक्तव्य है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह न केवल निन्दात्मक है और सभा की घोर अवमानना है जिनके लिए वास्तव में अन्य कार्यवाहियां की जाएंगी, यह एक बहुत ही गम्भीर चिन्ता का मामला है कि एक मन्त्री, वह भी इस मन्त्रिमंडल में सबमें वरिष्ठतम मंत्री ने दण्डाभाव से ऐसा किया हो। क्या आप ऐसा जारी रहने देंगे ? प्रश्न तो यह है। क्या यह इस सरकार का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री उन्ननीकृष्णन आपने नोटिस दिया है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे पास नहीं पहुंचा है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वह यह कह कर बच नहीं सकते कि यह उनका व्यक्तिगत विचार है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा मुद्दा यह है कि आपको नोटिस देना चाहिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैंने आपको लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे लिखित में दिया है कि आप एक विषय को उठाना चाहते हैं और मैंने अपनी अनुमति दे दी है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं विशेषाधिकार के मामले के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि यह अधिवेशन का अन्तिम दिन है, तो मैंने इस विषय को उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने नोटिस दिया है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं आपको पहले ही लिख चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इस विषय को उठाने के लिए आपने मुझे लिखा है और मैंने इसके लिए अनुमति दे दी है, लेकिन आप नोटिस के बिना विशेषाधिकार के विषय को नहीं उठा सकते।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं विशेषाधिकार विषय का बिलकुल उल्लेख नहीं कर रहा हूं। यह विषय बिलकुल अलग है। लेकिन यह एक गंभीर मामला है जो कि इस सभा में जो कुछ हुआ उसमें संबंधित है।

इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इससे पहले आज यह सभा स्थगित हो उससे पहले आप प्रधान मन्त्री अथवा संबंधित मन्त्री को निर्देश दें कि वह सभा के समक्ष आएं और इसके बारे में स्पष्टीकरण दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। (**व्यवधान**)

श्री० के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : अध्यक्ष महोदय, आज प्रातः, विपक्ष के नेता, श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि आज का दिन सत्र का अन्तिम दिन है और अनुरोध किया था कि आपको उस मामले पर जो माननीय सदस्यों की अयोग्यता अथवा मान्यता अथवा आप इसे जो कुछ भी कहें, से संबंधित है और लटका हुआ है अपना निर्णय देना है। महोदय, सम्पूर्ण सभा इसके प्रति चिंतित है। जबकि स्थिति यह है कि आज 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' ने भविष्यवाणी करते हुए ठीक वह मुद्रित किया है जो आप निर्णय देने वाले हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपके कक्ष का प्रेस द्वारा किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप उन्हें लिखने से कैसे रोक सकते हैं? (**व्यवधान**)

श्री के० राममूर्ति : उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय को उद्धृत किया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : राममूर्ति जी, आपको मालूम है कि मैं इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा हूं। इस पर निर्णय करने में मुझे समय लगेगा। मुझे नहीं पता मैं क्या निर्णय दूंगा।

(**व्यवधान**)

श्री के० राममूर्ति : महोदय, इस समाचारपत्र के विरुद्ध पहले ही एक विशेषाधिकार संबंधी प्रस्ताव लंबित पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम।

श्री के० राममूर्ति : है, महोदय। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कहिए।

श्री के० राममूर्ति : महोदय, मैंने सूचना दी है। यह विशेषाधिकार का मामला बनता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये।

[हिन्दी]

श्री सोपत सिंह मकवासर (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, अशोक सेन जी की स्टेटमेंट के बारे में आपने क्या सोचा है?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, इस सभा को देश को यह बताने से पहले स्थगित नहीं होना चाहिए कि क्या सरकार अपने एक वरिष्ठ मंत्री, श्री ए० के० सेन के वक्तव्य को उनकी निजी राय मानती है अथवा एक ऐसा वक्तव्य मानती है जिस पर सरकार अपनी स्वीकृति देने के लिए तैयार नहीं है अथवा यह ऐसा मामला है जिस पर सरकार मौन रहना चाहती है। (**व्यवधान**) महोदय, देश को मालूम होंना चाहिए कि सरकार श्रीमान् सेन के गैर-जिम्मेदार वक्तव्य से सहमत है अथवा वह इसे नकारने के लिए तैयार है। क्या दृष्टिकोण है ? क्या यह सरकार का सामूहिक दृष्टिकोण है अथवा श्रीमान् ए० के० सेन का निजी मत है ? महोदय, वह आप पर आक्षेप कर रहे हैं, पीठ पर आक्षेप कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय के सम्मान और उनके पद पर आक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपने संविधान का उल्लंघन किया है। यदि वह ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी पीठ पर विराजमान नहीं होना चाहिए। यह एक गम्भीर मामला है। महोदय, आपको प्रतिदिन इस प्रकार की छिछोरी बातों को नहीं चलने देना चाहिए। प्रधानमन्त्री को यहां आकर यह बताना चाहिए कि वह श्रीमान् सेन के वक्तव्य को सरकार का सामूहिक मत मानते हैं अथवा इसे एक गैर-जिम्मेदार बात समझते हैं, जो उन्होंने अपनी तरफ से कही है। कल संसद का सत्र नहीं होगा देश संसद के बारे में क्या सोचेगा ?

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) **:** यह एक गम्भीर मामला है। इस बारे में कुछ तो बताना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बारे में कुछ तो बोलना चाहिए। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : भक्त जी, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। कृपया बैठ जाइये।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रत्येक दिन बोलने का मौका दिया जाता है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रतीक्षा करनी होगी, मैं आपकी बात सुनूंगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री तम्बि दुरै।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : भक्त जी, क्या आप बैठेंगे। मैं आपसे बैठने के लिए कह रहा हूं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बैठने का आदेश दे रहा हूं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बैठ जाइये। अब, श्री तम्बि दुरै।

(**व्यवधान**)

डा० तम्बि दुरै (करूर) : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने आपके पद से संबंधित मामला सदन में उठाया है। किसी प्रेस द्वारा इस सरकार के एक वरिष्ठ मन्त्री द्वारा दिये गये साक्षात्कार को उद्धृत किया गया है। महोदय, हम भी इनकी चिन्ता में सहभागी हैं। आपका पद सर्वोच्च पद है और इसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। हमने शक्तियां आपको सौंप रखी हैं; आपके विवेक पर निर्भर है; आपका निर्णय अन्तिम है। अतः जब अकसर आलोचना होती है तो यह अच्छी बात नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमन्त्री ने पहले ही इस सभा को आश्वासन दिया है कि वह अपने किसी साथी को ऐसा वक्तव्य देने की अनुमति नहीं देंगे।

मेरे विचार से, जब उन्होंने ऐसा कहा है तो हमने उसे निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। हमें प्रधानमन्त्री पर विश्वास है। अतः, यदि फिर भी कोई असंगति है, तो मेरे विचार से प्रधान मन्त्री इस पर ध्यान देंगे तथा आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

महोदय, अयोग्यता और इस प्रकार के अन्य मामलों में आपका निर्णय सदैव अन्तिम होता है। हम इसे चुनौती नहीं दे रहे हैं। हमने आपसे तब भी अपील की थी जब हमारे साथी, श्री कालीमुथु ने हमारे दल से दल बदल की थी। मेरे विचार से आप इस पर शीघ्र कार्यवाही करके अपना निर्णय घोषित करेंगे। मैं आपसे इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं। (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, पीठ के सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न और मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा इसे कम करने का प्रयास बहुत गम्भीर होता जा रहा है। यद्यपि प्रधानमन्त्री ने दोहराया है कि उनकी सरकार के मन में ऐसा कुछ नहीं है, परन्तु जिस प्रकार से मन्त्रिपरिषद के जिम्मेदार सदस्य गैर-जिम्मेदार वक्तव्य दे रहे हैं वह गलत बात है और सामूहिक दायित्व के सिद्धांत का उल्लंघन है। ऐसा लगता है कि हमारी सरकार में वास्तविक सत्ता है ही नहीं। हम इसे बिल्कुल सहन नहीं कर सकते हैं। ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। उन्हें फैसला करने दीजिए कि उनकी सामूहिक राय क्या है। आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसे तुरन्त रोका जाना चाहिए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं एक बार फिर इस विषय पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि आपका पद इस सभा के सम्मान, प्रतिष्ठा, परम्परा अभिसमय की रक्षा करने के लिए है। ऐसा एक बार नहीं हुआ है। प्रधानमन्त्री महोदय ने इस बात पर बल दिया है कि अध्यक्ष के पद का पूरी तरह से संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होने पहले भी यह वायदा किया था कि प्रधानमन्त्री भी उचित कार्यवाही करेंगे यदि उनके कुछ साथी सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते।

यह उनके मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य, श्री अशोक सेन का मामला है। उन्होंने अध्यक्ष पद पर आक्षेप करते हुए एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया है। रवि राय जी यह आपके लिए व्यक्तिगत आक्षेप की बात हो सकती है परन्तु आप श्री रवि राय न होकर इस सदन के अध्यक्ष हैं। यह संपूर्ण सभा पर आक्षेप है। यह स्वयं इस सभा के विशेषाधिकार, अधिकार, सम्मान, प्रतिष्ठा परम्परा का प्रश्न है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यदि हम इस विषय पर मौन रहे तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं ? अतः मैं मांग करता हूं कि प्रधानमन्त्री को कोई कार्यवाही करनी चाहिए ताकि श्री अशोक सेन अथवा अन्य कोई व्यक्ति ऐसी छूट न ले सके। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, जब तक यह संसदीय अनुशासन की बात है, मिनिस्टरों ने कहा है कि ··

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात पर आइये।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जवाब तो दे। मैं तो यह बात कह रहा था कि मध्य प्रदेस में बिजली की कमी··· (**व्यवधान**)

श्री झोपत्त सिंह मक्कासर : आप टाइम बर्बाद करने की बात कर रहे हो, आपने तो अपनी पार्टी को बर्बाद किया है, इस देश को बर्बाद करना चाहते हो तुम, यही मंशा है तुम्हारी।

श्री के० मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : पार्टी को आप लोगों ने बर्बाद किया है।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के संकट के कारण मध्य प्रदेश में आई कठिनाई के बारे में कह रहा था। वहां पर उत्पादन कम और मांग ज्यादा है। मध्य प्रदेश में एच० वी० जे० पाइप लाइन 550 किलोमीटर में गुजरती है और गैस पर आधारित जब तक वहां बिजली घर नहीं लगायेंगे, तब तक हमारे यहां को बिजली की मांग की पूर्ति नहीं हो सकती है। वहां पर एथिलीन-क्रैकर और आयल रिफाइनरी की बात चली हुई है, लेकिन जब तक सरकार मध्य प्रदेश के विकास के लिए इसकी स्थापित करने के बारे में ध्यान नहीं देगी, तब तक कठिनाई दूर नहीं होगी। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान-निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण आरंभ करने से पूर्व इस सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे कृपया मेरी बातों को सुनेंगे क्योंकि मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूं उसका संबंध हमारे राष्ट्रीय गौरव से है। महोदय, यह राष्ट्र अपनी महान सन्तानों की सेवाओं को याद करते हुए उन्हें 'भारत रत्न' की उपाधि से विभूषित करता है। हम सभी जानते हैं कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हमारे राष्ट्रीय वीर सेनानी थे और वह पहले व्यक्ति थे, जिसने 1943 में अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया था। महोदय, यहां वरिष्ठ मन्त्रीगण तथा उपप्रधानमन्त्री भी सदन में मौजूद हैं, अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को 'भारत रत्न' की उपाधि प्रदान करने करने की घोषणा करे तथा यह भी अनुरोध है कि सरकार अपने राष्ट्र के प्रति उनकी देशभक्तिपूर्ण सेवाओं को सम्मान प्रदान करे। मेरा सरकार से यह भी आग्रह है कि 23 जनवरी को उनके जन्म दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करे।

मैं आशा करता हूं कि यह सदन एकमत से इसे स्वीकार करेगा। (**व्यवधान**)

डा० दौलत राम सोनूजी अहेर (नासिक) : मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि नासिक त्र्यंबक में अगस्त से कुंभ मेला होने जा रहा है··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखें। मैंने श्री अहेर को बोलने के लिए कहा है।

डा० दौलत राम सोनूजी अहेर : उस समय लाखों की संख्या में तीर्थयात्री एवं साधु नासिक में आयेंगे। नासिक नगर में जल निकास व्यवस्था के सम्बन्ध में अनेक समस्याएं हैं।

'दक्षिण काशी' गोदावरी नदी पंचवटी और नासिक नगर से होकर बहती है। 'दक्षिण काशी' नाम से प्रख्यात इस पवित्र नदी में प्रदूषण की समस्या विद्यमान है। किन्तु, केन्द्रीय सरकार ने इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया है, हालांकि हमने इसका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार को गोदावरी नदी में प्रदूषण-सम्बन्धी समस्या की ओर देना चाहिए तथा इस पर आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं कि हमारा देश दक्षिण अफ्रीका को आजाद करने के लिए लड़ रहा है, बंगाल देश को आजाद करने के लिए हमने सहयोग दिया, लेकिन हमारा पड़ौसी राष्ट्र तिब्बत, आज भी चीन के अधीन है। मानसरोवर कैलाश पर्वत जो हिन्दुस्तान सारे की आन है शान है, जो पवित्र तीर्थ स्थ.न है, लेकिन वहां हिन्दुस्तान के लोगों को जाने के लिए इसकी परमीशन लेनी पड़ती है। (व्यवधान) हम वहां जायेंगे। मेरा उप प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे हमारे यहां के लोग भी आसानी से वहां जा सकें और हमें चीन से परमिशन न लेनी पड़े। (व्यवधान) चीन वाले जब हमें परमिशन देते हैं तभी हम वहां जा सकते हैं, लेकिन हम आजादी से जाना चाहते हैं। (व्यवधान) तो क्या मैं आपसे आशा रख सकता हूं कि आप इसके लिये कोई समाधान करेंगे।

[अनुवाद]

श्री वामनराव महाडीक (मुम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि महारष्ट्र की राजधानी तथा हिन्दुस्तान की वाणिज्यिक राजधानी बम्बई महानगर में भारी संख्या में लोग बाहर से आकर बस रहे हैं। लगभग 400-500 परिवार वहां पहुंच रहे हैं और उनके आगमन से सफाई एवं नागरिक सेवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अनुच्छेद 19 की उप धारा 5 के अन्तर्गत इसे नियंत्रित किया जा सकता है तथा समुद्री जल से घिरे इस बड़े शहर को घुटन से बचाया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार को रियातन दर पर कागज टैक्स्ट बुक और कापियों के लिये दिया जायेगा, इस प्रकार के आदेश हुए थे। मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत, भारत के उद्योग और मानव संसाधन मंत्री जी को पत्र लिखा है, जून, 1990 में, कि ये कागज उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, कंसेशनल रेट पर। 1974-75 में उन्होंने कागज देना आरम्भ किया था, 1987 में मेसर्स हिन्दुस्तान को आपरेटिव लि० कलकत्ता की ओर से पूरा कागज मिलेगा। इस प्रकार का आदेश हुआ था। आपको जानकार आश्चर्य होगा कि 1989-90 में 3256 एम टी के स्थान पर 964 एम० टी० कागज ही दिया गया, लेकिन अब परिणाम यह हुआ है कि एच० पी० सी० ने रियायत दर पर कागज देने से बिल्कुल मना कर दिया है। इस कारण से राजस्थान में जितनी भी टेक्स्ट बुक छपती हैं, उनकी 38 परसेंट कीमत बढ़ चुकी है और कापियों की कीमत भी बढ़ चुकी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि भारत के उद्योग और मानव संसाधन मंत्री जी राजस्थान सरकार को रियायत दर पर कापियां और किताबें देने की और कागज दिये जाने की

घोषणा भारत सरकार की तरफ से की गई थी, उसी दर पर फिर से कागज मिलना चाहिये। क्योंकि राजस्थान के पढ़ने वाले विद्यार्थी और बच्चे कापियां और किताबें न मिलने के कारण बहुत दुखी हैं। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री शोपत सिंह मक्कासर : आज आखिरी दिन है, इसलिये हमको भी बोलने का मौका दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : आप तो वैसे ही खड़े होकर बोल लेते हैं।

[अनुवाद]

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : महोदय, उड़ीसा के गंजम जिले में चत्रपुर में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड में बहुत गंभीर स्थिति व्याप्त है जिसके कल्याण तथा पुनर्नवीनीकरण के संबंध में कल ही माननीय प्रधान मंत्री द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई है। वहां वर्तमान श्रमिक हड़ताल, गलत प्रबंधन तथा श्रमिक संबंधों और निम्न स्तर के प्रबंधन के कारण केन्द्र द्वारा इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है। पिछले छः महीनों से प्रबंधकों द्वारा इस स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सका है। एक समझौता फार्मूले के बारे में मेरे द्वारा बार-बार किये गये प्रयासों का भी उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। मान्यता प्राप्त श्रमिक यूनियन के दो वरिष्ठ पदाधिकारियों के निलम्बन की जांच का कार्य पूरा नहीं हुआ है। वास्तव में इसे लम्बे समय से जानबूझकर लटकाया जा रहा है। एक लाभदायक निर्यातोन्मुख सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को प्रतिमाह निममित रूप से 2 करोड़ रुपये का भारी घाटा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः भारत सरकार से मैं दृढ़तापूर्वक यह मांग करता हूं कि वह इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, चत्रपुर के कार्यों की पूरी तरह जांच करने के एक कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करे तथा वणिज्यिक दृष्टि से सक्षम इस एकक में सामान्य स्थिति बहाल करे।

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : मैं एक अति सार्वजनिक महत्व के मामले को उठाना चाहता हूं जो शिलांग में दूरदर्शन स्टुडियो के चालू न किए जाने के बारे में है। शिलांग मेघालय की राजधानी है। इस स्टुडियो को चालू करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है। दिसम्बर, 1989 में मैंने जनता दल सरकार से सम्पर्क किया था। उन्होंने स्टुडियो स्थापित करने का वादा किया था। मार्च, 90 के महीने में भी, मैंने इस विषय को नियम 377 के अन्तर्गत उठाया, जिस पर मन्त्री महोदय से मुझे एक पत्र मिला जिसमें वादा किया गया था कि वे इस स्टुडियो को आरम्भ करने के लिए कर्मचारियों की भरती करेंगे। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। अतः वर्तमान सरकार से मेरा अनुरोध है कि कृपया वह इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करे।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, यह ऐसा समय है, जब तीर्थयात्री साबरमलाई का दर्शन करने के लिए जाते हैं। जैसा कि आपको विदित है, साबरमलाई में भगवान अयप्पा का मन्दिर है तथा लाखों व्यक्ति इस स्थान की यात्रा करते हैं। यहां तक कि उत्तर से भी लोग मोटरवाहनों द्वारा इस मन्दिर में दर्शन के लिए जाते हैं तथा इस समय केरल में डीजल की कमी की गंभीर समस्या बनी है।

जहां तक केरल का संबंध है, वहां एक अन्य समस्या भी विद्यमान है। वहां 29 जनवरी

को जिला परिषद् के चुनाव होने जा रहे हैं। इन दोनों मामलों पर एक साथ विचार किया जाये। मैं समझता हूं कि तत्काल यह बहुत आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार इस राज्य के विशेष हित को ध्यान में रखते हुए डीजल का अतिरिक्त कोटा जारी करे। राज्य सरकार ने पहले ही अतिरिक्त कोटे की मांग की हुई है। साबरमलाई की यात्रा के मौसम तथा जिला परिषदों के चुनावों को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार को तत्काल 10,000 किलो लीटर डीजल मंजूर किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोल बाग) : अध्यक्ष जी, मैं इस सदन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है। अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि एक भी हरिजन मंत्री केबीनेट स्तर का नहीं है। किसी भी हरिजन को मंत्री नहीं बनाया गया है, यह पहला अवसर है। इससे पहले कोई न कोई अवश्य होता था, डा० अम्बेडकर थे, श्री जगजीवन राम थे, और भी कई लोग रहे हैं, लेकिन श्री चन्द्रशेखर की सरकार पहली सरकार है, जिसने हरिजनों कोइ गनोर किया है, केबीनेट में मंत्री बनाने के लिए। इतने बड़े वर्ग को इगनोर कर दिया गया है, कोई भी केबीनेट स्तर का मंत्री नहीं है। इतने बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व केबीनेट में कोई नहीं कर रहा है 13 स्वतंत्र मंत्री लिए हैं, उनमें भी कोई हरिजन नहीं है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि यह उनके अधिकार की बात है, लेकिन इससे काम के दृष्टिकोण का पता चलता है। इससे लग रहा है कि चन्द्रशेखर जी का दृष्टिकोण हरिजन विरोधी है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं कि हरिजन मंत्री केबीनेट में नहीं लिया गया, बल्कि मैं यह भी बताना चाहता हूं। (**व्यवधान**) जनता दल "एस" के महामंत्री ने स्टेटमेंट दी जब मैंने उनको लिखा था तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। उन्होंने स्टेटमेंट दी कि यह आवश्यक नहीं है कि यह कानूनी नहीं है कि किसी हरिजन को केबीनेट में मंत्री लिया जाए।... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपने कह दिया, ठीक है। इस समय और क्या कहना चाहते हैं।

श्री कालका दास : मेरा निवेदन यह है कि ये 37 सदस्य हरिजन विरोधी हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमने आपकी बात सुन ली है।

श्री कालका दास : इन 37 सदस्यों में से किसी हरिजन को नहीं लिया गया है। ये हरिजन विरोधी हैं और प्रधान मंत्री... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : हम दलगत मामलों पर यहां चर्चा कैसे कर सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री के० मानवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री पर आरोप लगाया है कि वे हरिजन विरोधी हैं। इसको रिकार्ड से निकाला जाए। (**व्यवधान**)

श्री कालका दास : स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी हरिजन को केबीनेट मे नहीं लिया गया।... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। विद्युत के संबंध में कोई राष्ट्रीय शुल्क नीति नहीं है और इसके परिणामस्वरूप पूर्वी क्षेत्र को उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र से काफी अधिक शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने एकपक्षीय रूप से शुल्क निर्धारित किया था। यद्यपि सिंगरौली चरण-II योजना बाद में आई थी, फिर भी लोगों को निम्न दर से बिजली दी जा रही है जबकि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम फरक्का से बिजली देकर शुल्क के रूप में अन्य क्षेत्रों के बजाय पूर्वी क्षेत्र से अधिक राशि प्राप्त करता है।

यह एक गम्भीर मामला है। यह मामला केन्द्र राज्य सम्बन्धों से जुड़ा हुआ है। इसलिए सरकार को विद्युत के संबंध में एक राष्ट्रीय शुल्क नीति बनाकर वर्तमान विसंगति और भेदभाव की नीति को दूर करना चाहिए।

श्री पाल आर० मन्टोष (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : अध्यक्ष महोदय, अरूणाचल प्रदेश का इसाई अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति भेदभाव बरतने का एक लम्बा इतिहास है। दिनांक 25 दिसम्बर अर्थात क्रिसमस दिवस के अवसर पर तिरप जिले में इसाई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को क्रिसमस त्यौहार स्वतन्त्र रूप से नहीं मनाने दिया गया। वास्तव में तिरप जिले के उपायुक्त ने कापू गांव के लिए ऐसे आदेश जारी किए कि वहां बनाए गए एक छोटे से चर्च को गिरा दिया जाए।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष उसका ध्यान आकर्षित करने हेतु यह मामला उठाना चाहूंगा।

श्री खेमचन्द भाई सोमाभाई चावड़ा (पाटण) : अध्यक्ष महोदय, इस महान सभा ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग विधेयक को पारित करने की बड़ी कृपा की है। इसे राज्य सभा द्वारा भी पारित कर दिया गया। अब यह एक अधिनियम बन गया है और तदनुसार इसे संविधान में उपबन्धित कर दिया गया है। इसके बावजूद यह जनता दल (स) की सरकार अनुसचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों···के विरुद्ध है।

कई माननीय सदस्य : ऐसा किसने कहा ?

श्री खेमचन्द भाई सोमाभाई चावड़ा : महोदय, अभी तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयुक्त का कार्यालय बिल्कुल इसी तरह चल रहा है। इसकी कोई अधिकारिता नहीं है। हमने राष्ट्रीय आयोग के सृजन के लिए संविधान में संशोधन किया है। इसे संसद द्वारा प्राधिकृत किया गया था। इसके बावजूद इस सरकार ने संसद द्वारा पारित अधिनियम के अनुरूप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना करने हेतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं।

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : मेरा आपके माध्यम से अनुरोध यह है कि उन्हें सीधे कार्यवाही कर राष्ट्रीय अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना करनी चाहिए।

[हिन्दी]

डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, बहुत धन्यवाद। आज आपने 11 जनवरी को स्व० श्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्य तिथि है उनके संबंध में एक उल्लेख का अवसर दिया है। स्व० श्री शास्त्री का भारतीय राजनीति में जो स्थान रहा है उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक-एक सांस राष्ट्रसेवा को समर्पित थी। वे दलगत राजनीत से ऊपर थे। लेकिन दुख है कि आज तक उनकी स्मृति की रक्षा के लिए··· (व्यवधान) दुखद यह है कि उनके निधन के बाद स्वर्गीय शास्त्री जी की स्मृति रक्षा के लिए भारत सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। हम सब जानते हैं उनका कहीं कोई आवास नहीं था। एक मोती लाल नेहरू प्लेस में वे जीये और वहीं उनका शव लाया गया। मैं मांग करता हूं कि एक मोती लाल नेहरू प्लेस को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाये। संसद के परिसर में शास्त्रीजी की प्रतिमा स्थापित की जाये और सेंट्रल हाल के भीतर शास्त्री जी का तैल चित्र लगाया जाये। साथ ही मैं यह मांग करता हूं कि 30-12-70 को उनकी रहस्यमय मृत्यु के सम्बन्ध में भारत सरकार ने एक श्वेत पत्र सदन के पटल पर रखा था, अगले दिन सदन भंग हो गया और उस श्वेत पत्र पर चर्चा नहीं हो सकी इसलिए उस श्वेत पत्र को सदन में लाया जाये ताकि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय मृत्य पर प्रकाश पड़ सके।

श्री सत्यनारायण जटिया : शास्त्री जी के बारे में जो विचार व्यक्त किये गये हैं वे बिलकुल उचित हैं और वे महान शांति दूत थे।

"उठा धरा से शिखर पहुंच आकाश बन गया
मरते-मरते विश्व शांति के बीज बो गया।"

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : महाराष्ट्र में खाद्य तेल की समस्या बहुत जटिल हो गई है। वहां 20 हजार टन खाद्य तेल की जरूरत है, लेकिन वह आपूर्ति घटकर 16 हजार टन हो गई, नवम्बर में 10 हजार टन रह गई और दिसम्बर में एक किलो भी खाद्य तेल नहीं मिला। हमारे राज्य को 9 जनवरी तक एक किलो तेल भी नहीं मिला। 40 रुपये किलो तेल का भाव है, लेकिन आज महाराष्ट्र में 60 रुपये किलो उसका भाव हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि तुरन्त खाद्य तेल की अलाटमेंट और आपूर्ति की जाये।

दूसरी बात यह है कि 40 लाख टन गन्ना महाराष्ट्र में क्रश होने वाला नहीं है, लेकिन चीनी मिलों को लाइसेंस नहीं मिला इसलिए वह पड़ा हुआ है। जिसके कारण किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए सरकार तुरंत चीनी मिलों का लाइसेंस जारी करे ताकि वह गन्ना की चीनी बनाई जा सके। 14 तारीख को मकर सक्रांति आ रही है जिसको साउथ में पोंगल कहते हैं और महाराष्ट्र में उसका भारी महत्व है। उसके लिए हमारे राज्य में अतिरिक्त खाद्य तेल सप्लाई किया जाये।

श्री धर्म पाल शर्मा (उधमपुर) : प्रेस में डिस्ट्रबिंग न्यूज आ रही हैं कि भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो कर्जा ले रही है तो आई० एम० एफ० ने कुछ शर्तें, शरायात लगाई हैं। उसमें यह है कि बिजली का टैरिफ बढ़ेगा, बजट में घाटा कम करना होगा और आर्थिक दृष्टि से सब्सिडी कम होगी। मैं यह कहना चाहता हू कि हमारा एक स्वतंत्र देश है हम अपने रिसोर्सेज को कैसे मोबाइल करेंगे, कैसे हम अपनी पालिसी बनायेंगे उस पर ऐसी कोई शरायत जो देश के विकास में आड़े आये और हमारे देश की आर्थिक नीति में आड़े आये हमें नहीं माननी चाहिए। इसलिए उनसे कर्जा लेते हुए ये कंडीशंस नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर बिजली, खाद्य आदि के दाम बढ़ेंगे तो प्राइस राइज होंगे और आम जनता की आवश्यकता की चीजें जैसे चावल, गंदम आदि महंगी हो जायेंगी और एक बहुत बड़ा संकट देश के सामने पैदा होगा। इसलिए हमें आई० एम० एफ० की कोई शरायत नहीं माननी चाहिए।

1.58 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

बजट घाटा अप्रैल-नवम्बर, 1990

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : 31 जुलाई, 1990 को समाप्त होने वाली चार महीने की अवधि के लिए पूर्व वित्त मंत्री द्वारा 28 अगस्त, 1990 को संसद में एक वक्तव्य दिया गया था। मैं अब चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान बजटीय स्थिति में वास्तविक उतार-चढ़ाव के विषय में एक समीक्षा प्रस्तुत कर रहा हूं।

यह मानना महत्वपूर्ण है कि बजटीय घाटे की दो विशेषताएं हैं। पहले, वर्ष के अधिकांश भाग में बजटीय घाटा वर्षांत घाटे से अधिक है। दूसरे, मोटे तौर पर, वित्त वर्ष के पहले छः महीनों में मासांत घाटे में निरंतर वृद्धि दिखाई दी है, कभी-कभी बाद के चार महीनों में यह शीर्ष स्तर पर पहुंच गई है, और फिर वित्त वर्ष के अंत में घट कर निम्न स्तर पर आ गई है। यह मानना महत्वपूर्ण है कि वित्त वर्ष के दौरान किसी दिन, वास्तविक बजट घाटे का निर्धारण उस तारीख तक होने वाली प्राप्तियों और व्यय प्रवाह द्वारा किया जाता है यह एक संचयी जोड़ नहीं है; परिणामतः किसी विशेष दिन अथवा किसी विशेष महीने के अन्त में बजटीय घाटा प्रायः वर्षांत संख्या से अधिक होता है।

चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों के अन्त में 30 नवम्बर, 1990 को वास्तविक बजटीय घाटा 13,000 करोड़ रु० का था जबकि इसके मुकाबले पिछले वित्त वर्ष में यह 13,082 करोड़ रु० का था।

अप्रैल-नवम्बर, 1989 की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 1990 की अवधि के लिए प्राप्तियां और व्यय की प्रमुख मदों के सम्बन्ध में प्रवृत्तियां संलग्न सारणी में बताई गई हैं।

2 00 म० प०

नवम्बर, 1990 के अंत में 13,000 करोड़ रु० के घाटे से राजस्व प्राप्तियों में गिरावट की एक विक्षुब्धकारी तस्वीर दिखाई देती हैं जबकि व्यय बजट के अनुसार किया जाता रहा। इसके

अतिरिक्त, कृषि-ऋण माफ करने की स्कीम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्प वित्तपोषण किया जाता रहा है। खाड़ी संकट से भी राजकोषीय स्थिति में विकृति इन कारणों से हुई है, तेल समन्वय समिति में आधिक्य कार्यान्वित नहीं होंगे, उर्वरक-आर्थिक सहायता संबंधी भार में वृद्धि होगी, कुवैत से भारतीय नागरिकों के प्रत्यावर्तन की लागत राजकोष द्वारा वहन की जानी होगी, राजस्व में गैर-तेल आयातों और उत्पादन कम हो जाने के कारण गिरावट आएगी।

हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे तथा बजटीय स्थिति में और अधिक गिरावट नहीं होने दी जा सकती थी। और अधिक समय नहीं गंवाया जा सकता था। पदभार ग्रहण करने पर मैंने तत्काल स्थिति की समीक्षा की और राजकोषीय स्थिति में विकृति को रोकने के लिए अनेक उपाय आरम्भ किए। 27 दिसम्बर, 1990 को अपने वक्तव्य में मैंने माननीय सदस्यों को चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुमानित 1200 करोड़ रु० के अतिरिक्त राजस्व जुटाने के बारे में की गई कार्रवाई के विषय में सूचित किया है। इसके साथ-साथ हम व्यय पर सख्त नियंत्रण के उपाय कर रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि कल सभा द्वारा पारित 27 दिसम्बर, 1990 को संसद में प्रस्तुत पूरक मांगों के दूसरे बैच में निवल नकद व्यय केवल 649 करोड़ रु० का होगा। यह चालू वित्त वर्ष में अब तक पूरक अनुदानों के कारण कुल निवल अतिरिक्त व्यय है। पिछले वर्ष, इस अवस्था में, तीन पूरक अनुदान प्रस्तुत किए गए थे जिनका कुल नकद व्यय 2119 करोड़ रु० था।

27 दिसम्बर, 1990 को दिए गए अपने वक्तव्य में मैंने यह भी बताया है कि राजस्व और व्यय की दिशा में उपायों को मिलाकर यह सुनिश्चित हो सकेगा कि सरकार का राजकोषीय घाटा 1990-91 में सकल देशीय उत्पादन के 8.3 प्रतिशत से अधिक न हो। हमने इस प्रकार गम्भीर राजकोषीय असंतुलन को सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम 1991-92 में राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया को जारी रखेंगे।

अनुबंध

	बजट अनुमान		बजट अनुमान	
	अप्रैल-नवम्बर 1990 (करोड़ रुपए)	1990-91 का प्रतिशत	अप्रैल-नवम्बर 1989 (करोड़ रुपए)	1989-90 का प्रतिशत
1	2	3	4	5
	कर प्राप्तियां			
निगम कर	1001	16.44	1233	25.93
आय कर	2233	41.16	2299	54.15
सीमा शुल्क	12468	58.10	11192	62.60
संघ उत्पाद शुल्क	14859	59.14	13683	60.27
	पूंजी प्राप्तियां			
बाजार ऋण	5653	70.60	3135	42.40

1	2	3	4	5
विशेष जमा राशियां	2382	32.80	3488	59.60
निबल विदेशी सहायता	1204	27.80	953	24.30
निबल अल्प बचत संग्रह	3642	72.84	3865	84.02
	व्यय			
प्रमुख आर्थिक सहायताएं	5748	67.50	4994	66.84
कृषि ऋणों को बट्टे खाते डालना	1000	100.00	Nil	Nil
ब्याज अदायगियां	8532	41.00	8428	49.60
राज्य योजनाओं के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता	6394	60.70	5024	56.90
करों, शुल्कों और राजस्व घाटा अनुदानों में राज्यों का हिस्सा	10024	59.10	8631	65.70
अल्प बचत संग्रहों की एवज में राज्य सरकारों को ऋण	4647	103.26	4076	99.40

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.00 म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

2.03 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.06 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 3.06 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक*

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्द भाई शाह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसके निगमन का तथा उस क्षेत्र में कृषि के विकास का और कृषि और सहबद्ध विज्ञान संबंधी विद्या के अभिवर्धन और अनुसंधान को अग्रसर करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनः-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसके निगमन का तथा उस क्षेत्र में कृषि के विकास का और कृषि और सहबद्ध विज्ञान संबंधी विद्या के अभिवर्धन और अनुसंधान को अग्रसर करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : महोदय, मुझे राज्य सभा जाना है। मैं आपसे कार्यसूची की मद संख्या 15 लेने के लिए अनुरोध करता हूं। इसमें केवल दो या तीन मिनट का समय लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

3.08 म० प०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक संबंधी संयुक्त समिति

राज्य सभा की सिफारिश से सहमति

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 7 जनवरी, 1991 को हुई उसकी बैठक में स्वीकार किए गए प्रस्ताव में की गई तथा 9 जनवरी, 1991 को इस सभा को सूचित की गई राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त

---

* दिनांक 11-1-91 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2 खण्ड-2 में प्रकाशित।

समिति में कार्य करने के लिए लोक सभा के निम्नलिखित 30 सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाए अर्थात् :—

1. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
2. श्री अमल दत्त
3. श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली
4. श्री चित्त बसु
5. श्री युसुफ बेग
6. श्री गिरधारी लाल भार्गव
7. चौधरी जगदीप धनखड़
8. श्री इंदरजीत गुप्त
9. श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन
10. श्री श्रीकान्त जेना
11. प्रो० मिजिनलंग कामसन
12. श्री लोकेन्द्र सिंह
13. श्री पीटर जी० मरबनिआंग
14. श्री राजमंगल मिश्र
15. श्री नीतीश कुमार
16. डा० देवी प्रसाद पाल
17. श्री रामेश्वर पाटीदार
18. श्री शंकरराव पाटिल
19. श्री आर० एन० राकेश
20. श्री राम सागर (बाराबंकी)
21. प्रो० एन० जी० रंगा
22. श्री धर्मन्ना मोन्डय्या सादुल
23. श्री इब्राहीम सुलेमान सेट
24. श्री अनिल शास्त्री
25. श्री बी० पी० सिंगम
26. श्री सूरजभानु सोलंकी
27. श्री बृज भूषण तिवारी
28. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन

29. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राव वाडियार

30. श्री जर्नादन यादव"

श्री ए० के राय (धनबाद) : महोदय मुझे इस बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न करना है। मैं यह नहीं पूछना चाहता कि संयुक्त समिति के लिए नामों का चयन किस प्रकार किया जाता है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यह चुनाव सुधार का प्रश्न है, जिसमें छोटी हो चाहे बड़ी, सभी पार्टियों की राय का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस सदन में मान्यताप्राप्त सभी दलों में कम से कम एक प्रतिनिधि इस समिति में होना चाहिए, मेरा यही कहना है, इस सारे विषय पर इस दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मन्त्री जी जवाब देने के इच्छुक हैं ?

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : जैसा कि आप जानते हैं। इन मामलों का निर्णय मन्त्री द्वारा नहीं किया जाता है। संसदीय मामलों के मन्त्री विपक्ष के नेता के साथ मिलकर समिति के आकार के बारे में निर्णय लेते हैं और तत्पश्चात पार्टियों के सदस्यों की संख्या के आधार पर समिति के गठन के बारे में निर्णय किया जाता है। जब कोई व्यक्ति समिति में नियुक्त हो जाता है तो कोटे के हिसाब से उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, हम प्रत्येक पार्टी को जहां तक संभव हो, विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करेंगे लेकिन जहां तक इस मद का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उचित प्रक्रिया अपनाने के बाद सूची बनाई गई है।

श्री ए० के० राय : हर जगह कोटा व्यवस्था रखना कोई अच्छी बात नहीं है। यहां पर कुल सत्रह पार्टियां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने एक बात कही जिसका उन्होंने जवाब दिया। अब आप उनसे बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में किसी प्रक्रिया को कोई उल्लंघन नहीं किया।

श्री ए० के० राय : आप ऐसे चुनाव सुधार चाहते हैं जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों की राय को स्थान दिया जाए। इस हेतु आप सदन के समक्ष एक पैनल प्रस्तुत कर रहे हैं और इस पैनल में अधिकांश छोटे दलों के नाम नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक प्रश्न हो सकता है लेकिन यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ए० के० राय : यह भविष्य में अव्यवस्था को रोकने का प्रश्न है।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम इस प्रश्न पर भविष्य में विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 7 जनवरी, 1991 को हुई उसकी बैठक में स्वीकार किए गए प्रस्ताव में की गई तथा 9 जनवरी, 1991 को इस सभा को सूचित की गई राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक सभा के निम्नलिखित 30 सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाये, अर्थात्—

1. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
2. श्री अमल दत्त
3. श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली
4. श्री चित्त बसु
5. श्री युसुफ बेग
6. श्री गिरधारी लाल भार्गव
7. चौधरी जगदीप धनखड़
8. श्री इन्द्रजीत गुप्त
9. श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन
10. श्री श्रीकान्त जेना
11. प्रो० मिजिनलंग कामसन
12. श्री लोकेन्द्र सिंह
13. श्री पीटर जी० मरबनिआंग
14. श्री राजमंगल मिश्र
15. श्री नीतीश कुमार
16. डा० देवी प्रसाद पाल
17. श्री रामेश्वर पाटीदार
18. श्री शंकरराव पाटिल
19. श्री आर० एन० राकेश
20. श्री राम सागर (बाराबंकी)
21. प्रो० एन० जी० रंगा
22. श्री धर्मन्ना मोन्डय्या सादुल
23. श्री इब्राहीम सुलेमान सेट
24. श्री अनिल शास्त्री
25. श्री बी० पी० सिंगम
26. श्री सूरजभानु सोलंकी
27. श्री बृज भूषण तिवारी
28. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन
29. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर
30. श्री जर्नादन यादव"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

3.13 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में वृद्धि को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : एक व्यापक मोटर वाहन अधिनियम के बावजूद देश के राजमार्गों पर वाहनों की दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रत्येक महीने सैकड़ों व्यक्ति इन दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं तथा लाखों रुपये की सम्पत्ति की हानि होती है, पिछले दस वर्षों के दौरान राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं के आंकड़े बताते हैं कि इनकी संख्या में असामान्य वृद्धि हो रही है। इस प्रवृत्ति को शीघ्र रोका जाना चाहिए।

निम्नलिखित कारणों सहित कई कारण इन घातक दुर्घटनाओं के कारण हैं :

1. वाहनों के ड्राइवरों की तनख्वाह कम होना;

2. ड्राइवरों से नियत समय से ज्यादा देर तक काम करवाना; और

3. मार्ग में खाने, पीने आदि सुविधाओं का अभाव होना।

मैं जलभूतल परिवहन मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति में सुधार करके दुर्घटनाओं में कमी लाएं।

(दो) महाराष्ट्र में लाटूर रोड से उस्मानाबाद होते हुए कुरुड़वाड़ी तक मुख्य रेल लाइन के निर्माण को प्राथमिकता दिए जाने की मांग

श्री अरविन्द तुलसीराम कांबले (उस्मानाबाद) : महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र इस राज्य का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र का विकास यहां पर रेल की बड़ी लाइन के अभाव में रुका पड़ा है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए पहली आवश्यकता रेलवे लाइनों का होना है। इस क्षेत्र में कुछ रेल लाइनें हैं लेकिन वे मीटर या छोटी लाइनें हैं। अगर इन लाइनों को बड़ी लाइन में बदल दिया जाए तो इस क्षेत्र के विकास में तेजी आ जाएगी।

रेल मंत्रालय ने करुड़वाड़ी और लाटूर के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। यह सर्वेक्षण लाटूर से कुरुड़वाड़ी बरास्ता उस्मानाबाद किया गया है। मेरा कहना यह है कि इस लाइन को लाटूर से लाटूर रोड की 30 किलोमीटर की दूरी तक बढ़ा देना चाहिए। अगर यह लाइन लाटूर रोड से लाटूर तक और लाटूर से उस्मानाबाद होते हुए कुरुड़वाड़ी जाती है तो फिर हैदराबाद से मुम्बई के लिए सीधी रेल लाइन हो सकती है। इस रेल लाइन के मुम्बई और हैदराबाद जैसे बड़े शहर मराठवाड़ा से जुड़ जाएंगे।

मैं रेल मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि मराठावाड़ा क्षेत्र के लोगों की भावनाओं और इस क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए उक्त रेल लाइन के निर्माण कार्य को वरीयता दी जानी चाहिए।

(तीन) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को सभी भारतीय भाषाओं में लिए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष एक बहुभाषीय देश होने के कारण आयोगों में परीक्षार्थियों को सभी भाषाओं में उत्तर देने की अनुमति होनी चाहिए। यह अति अनिवार्य हो गया है। इससे भारत के सभी भागों में रहने वालों को न्याय मिल सकेगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा में विषय को बहुत कम समय में बहुत अच्छी प्रकार समझ सकता है। इसके महत्व को देखते हुए 18 जनवरी, 1968 को यह प्रस्ताव सदन के दोनों सदनों ने पारित कर दिया, 26 मई, 1989 को सरकार ने लिखित रूप से आश्वासन दिया और इसके बाद 17 अगस्त, 1990 को संसद में उठाए गए प्रश्न के उत्तर में भी संघ लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में सभी भारतीय भाषाओं को लागू करने का आश्वासन दिया गया था। इस सम्बन्ध में कई माननीय सांसदों ने प्रधान मन्त्री को भी लिखा था। मुझे भी अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन से ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इन सभी कारणों के कारण इसकी मांग बहुत बढ़ गई है। अतः मेरा अनुरोध है कि इसको तुरन्त लागू किया जाए।

(चार) केरल में अंगामाली से अचिनकोइल तक मालायोरा रेल लाइन का निर्माण कार्य तेज किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, अंगमाली से कलाडि, मलयत्तूर, पेरुम्बवूर, कोथमंगलम, मुवत्तुपुरहा, वभावकुलम, थोडुडुसा, पलाई, कंजिरापल्ली, एरुमेली, पथनमथित्तह के रास्ते होकर अछेनकोइल तक की प्रस्तावित मालायोरा रेलवे का तुरन्त सर्वेक्षण और निर्माण किया जाना है। वह शबरीमाला, भारनंगनम, शिवगिरि आदि सहित कई तीर्थस्थलों तथा केरल के विदेशी मुद्रा कमाने वाली कृषि-क्षेत्र में स्थित कई वाणिज्यिक नगरों को जोड़ देगी। कोंकण रैलवे के क्रम में, यह लाइन दक्षिण को उत्तर से जोड़ देगी। मैं सरकार से इस सम्बन्ध में तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(पांच) उत्पीड़ित रेल कर्मचारियों को बहाल किए जाने की मांग

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, रेलवे कर्मचारियों के संगठन, अपनी राजनैतिक विचारधाराओं को भुला कर, एकमत होकर दीर्घ समय से अपने लगभग एक हजार साथियों को तुरन्त सेवा में वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं जिन्हें उनकी श्रमिक संघ की गतिविधियों के कारण नौकरी से हटाया गया था। ऐसे दंडित कर्मचारी दो प्रकार के हैं। एक वर्ग को रेलवे सेवा (अनुशासन और अपील) नियमों के नियम सं० 14 (ii) के अंतर्गत कानून का इस्तेमाल करके हटाया गया था। दूसरा वर्ग वह है जिसमें कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया गया था और अन्य प्रकार से दंडित किया गया था।

पूर्व रेल मंत्रियों के अनुरोध पर, केन्द्रीय संघों और विभिन्न वर्ग के संगठनों ने दंडित कर्मचारियों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत की थी और मन्त्री महोदय ने तुरन्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था। तदनन्तर, मन्त्री जी ने उन्हें सेवा में वापस लिये जाने का स्पष्ट आदेश दिया। विचित्र बात है कि रेलवे बोर्ड ने उस आदेश को भी लागू नहीं किया।

मैं सरकार से पूर्व सरकार के आदेश को लागू करने तथा दंडित कर्मचारियों को तुरन्त सेवा में वापस लिये जाने का अनुरोध करता हूं।

(छः) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को प्रायोजित बैंकों के समान वेतन और भत्ता दिए जाने के बारे में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का पंचाट लागू किए जाने की मांग

श्री चित्त बसु (बारसात) : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना वर्ष 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत हुई थी। उसकी धारा 17(1) अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारीगण सम्बन्धित राज्य सरकारों के वेतनमानों के अनुसार वेतन पाने के हकदार हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने ए० आई० आर० बी० ई० ए० की ओर से 1984 में उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए प्रार्थना की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को विवाद को किसी उच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण को सौंपने की सलाह दी थी।

उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जिसके अध्यक्ष आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एस० ओबुल रेड्डी थे। सरकार ने स्वीकार किया कि न्यायाधिकरण के निर्णय अन्तिम और अनिवार्य स्वीकार्य होने चाहिये।

न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में घोषणा की कि अधिकारियों और कर्मचारियों को 1 सितम्बर, 1987 से प्रायोजित बैंकों के समान दर्जे वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमानों के बराबर वेतन मिलने चाहिए।

भारत सरकार द्वारा 11 सितम्बर, 1990 को गठित समन्वय समिति को एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के अवार्ड को, 1-9-1987 से बिना और देरी किये लागू किया जाये और उनका पिछला बकाया भी दिया जाये।

(सात) देश में खाना पकाने की गैस की पर्याप्त आपूर्ति किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में भोजन तयार करने के लिए एल० पी० जी० महत्वपूर्ण माध्यम है। वर्तमान समय में एल० पी० जी० सिलेंडर प्रदाय की अवधि बढ़ाये जाने के कारण उपभोक्ताओं को और गृहणियों को काफी असुविधा हो गई है तथा गैस सिलेंडर की कालाबाजारी जोरों पर है। लोग अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिये येन केन प्रकारेण गैस सिलेंडर महंगे दामों पर प्राप्त कर रहे हैं। एल० पी० जी० की मांग दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है क्योंकि अन्य ईंधन की उपलब्धि की स्थिति भी काफी तंग है। ऐसी स्थिति में जहां एल० पी० जी० प्रदाय के लिए नए स्थानो पर मांग की पूर्ति की आवश्यकता है वहां साथ ही विद्यमान कमी की स्थिति तथा सप्लाई पोजीशन में भी सुधार करने की आवश्यकता है।

अतएव मेरा माननीय पेट्रोलियम रसायन मंत्री जी से आग्रह है कि देश में विद्यमान एल० पी० जी० के उपयोग से भोजन तैयार करने के लिए एल० पी० जी० सिलेंडर प्रदाय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये जिससे गैस प्रदाय मांग के अनुरूप निर्धारित मूल्य पर सरलता से संभव हो सके। साथ ही जिन जिलों के तहसील और अनुविभागीय मुख्यालयों पर एल० पी० जी० गैस वितरण सुविधा उपलब्ध नहीं है उन स्थानों पर शीघ्र एजेंसी प्रारम्भ की जाये तथा तब तक के लिये जिला केन्द्रों से तहसील और अनुविभागीय मुख्यालयों केंद्रों पर एल० पी० जी० सिलेंडर वितरण प्रणाली स्थापित की जाये। उज्जैन जिले में बड़नगर, तराना तथा रतलाम जिले के आलोट में एल० पी० जी० सिलेंडर प्रदाय करने हेतु शीघ्र पर्याप्त प्रबन्ध किये जायें।

(आठ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया सरल बनाए जाने की मांग

श्री चांद राम (हरदोई) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विषम प्रमाण-पत्रों के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थानों व सर्विस विषयक मामलों में जाली गलत प्रमाण-पत्र देने की समाचार पत्रों में पिछले दिनों चर्चा रही है। मामला गम्भीर है। इस बारे में भारत सरकार तथा राज्य सरकारों एवं संघीय क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा ऐसे उपाय उठाने चाहिएं जिससे किसी को भी जाली पत्र देने अथवा अधिकारियों द्वारा गलत प्रमाण-पत्र देने से रोका जा सके। इस समूचे प्रसंग पर एक उपसमिति बनायी जाये ताकि प्रमाण-पत्र देने में आसानी भी हो तथा गलत देने पर सजा भी हो। पूरी जांच एक या दो वर्ष के प्रमाण-पत्रों की जाये।

(नौ) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम को रक्षा मंत्रालय के अधीन लाने या उसका भारतीय नौवहन निगम में विलय किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी क्षेत्र के एक बड़े जहाज निर्माता उद्योग, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम गंभीर संकट का सामना कर रहा है। संकट उसके जहाज निर्माण में अक्षमता के कारण नहीं है बल्कि उत्पादकता, मूल्य-निर्धारण और वहां कार्यरत कर्मियों के संबंध में सरकार द्वारा अपनायी जा रही नीति के कारण है। इस शिपयार्ड के पास उच्च गुणवत्ता वाले जहाजों का देश में ही निर्माण करने की तकनीकी योग्यता है। मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि प्रबंधकगण उत्पादकता से सीधे सम्बद्ध स्टाफ को ही कम कर रहा है। उदाहरणार्थ उत्पादन से जुड़े कर्मचारियों की संख्या 1983 में 7000 थी जिसे घटाकर 1990 में 4700 कर दी गयी, जबकि अधिकारियों की संख्या 1983 में 150 थी जिसे बढ़ाकर 1990 में 850 कर दी गयी। सरकार इस शिपयार्ड को और अधिक क्रयादेश दिलवाने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है। इसके विपरीत, भारतीय जहाजरानी निगम सहित सभी जहाज-मालिक विदेशों को क्रयादेश दे रहे हैं। सरकार की मूल्य-निर्धारण नीति जहाज उत्पादन की वास्तविक लागत से मेल नहीं खाती जिससे शिपयार्ड को हानि उठानी पड़ रही है। अन्त में, उन कर्मचारियों की उपेक्षा की जा रही है जो अपने हितों का बलिदान देकर प्रबंधकों के मितव्ययिता कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं। वेतन संशोधन का प्रश्न लटका हुआ है जबकि पिछले समझौते की अवधि 31-1-1990 को समाप्त हो गयी।

संकट को दूर करने के लिये मेरा सुझाव है कि विचाराधीन सभी क्रयादेशों को सरकार द्वारा तत्काल स्वीकृति दे दी जाये। एक दूरगामी उपाय के रूप में इस शिपयार्ड को रक्षा मंत्रालय के अधीन लाया जाये अथवा इसका भारतीय जहाजरानी निगम में विलय कर दिया जाये।

(दस) छोटे-छोटे शहरों से प्रकाशित होने वाले स्थानीय साप्ताहिक व पाक्षिक समाचार-पत्रों को समुचित सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पी० एम० ओ० में एम० ओ० एस० मि० कमल मोरारका के चैम्बर में धरने पर बैठने से पहले मैं आपकी इजाजत से नियम 377 के अन्तर्गत सूचना रखना चाहता हूं।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे-छोटे शहरों में साप्ताहिक व पाक्षिक समाचार-पत्र जन समस्याओं उजागर करने तथा लोगों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पिछले दशक से बड़े-बड़े दैनिक पत्रों द्वारा विभिन्न शहरों से प्रकाशित किये जाने वाले संस्करणों के लघु समाचार पत्रों को स्थानीय विज्ञापन नाममात्र की दरों पर भी अत्यधिक कम मिलते हैं। अखबारी कागज का कोटा भी उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनभावना तैयार करने वाले ये महत्वपूर्ण माध्यम धीरे-धीरे अपना प्रकाशन बन्द करते जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह अविलम्ब इस वर्ग के समाचार-पत्रों की समस्या के अध्ययनार्थ एक उच्चस्तरीय समिति गठित करे तथा इन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के व्यापक उपाय करे। तात्कालिक तौर पर इन अखबारों की मान्यता का सरलीकरण, विज्ञापन दरों व अखबारी कागज के कोटे को बढ़ाना तथा रोजगार समाचारों को इन अखबारों में भी अनिवार्यतः छपवाने की व्यवस्था किये जाने के उपबन्धों के साथ-साथ अखबारनवीसों की विभिन्न समितियों में कम से कम एक चौथाई स्थान इन समाचार पत्रों को दिये जाने के सन्दर्भ में कदम उठाने चाहिए।

(ग्यारह) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर राजस्थान में उदयपुर के निकट उप-मार्ग का निर्माण किए जाने की मांग

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर राष्ट्रीय राज मार्ग 8 पर स्थित है। इस पर बनने वाला बाइपास वर्षों से विचाराधीन है। इसके अभाव में प्रति वर्ष शहर में कम से कम 60-70 दुर्घटनाओं में 100 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। केन्द्र सरकार ने बाइपास हेतु भूमि अवाप्ति का धन उपलब्ध कराया एवं वह कार्य पूर्ण हुए भी एक वर्ष पूर्ण हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा बनाई जाने वाली सर्विस लाइन हेतु 95 लाख रुपया राजस्थान सरकार ने स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कर दिया। अब उसके निर्माण हेतु केन्द्र सरकार को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करनी थी लेकिन वह आज दिन तक नहीं हो पायी जिससे निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। इससे शहर के बीचों-बीच जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 8 से उदयपुर की जनता अत्यधिक परेशान है। इस राज्य मार्ग पर आने वाले सभी बड़े एवं छोटे शहरों में बाइपास पूर्ण हो चुके हैं। यह एक मात्र पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल इस सुविधा से वंचित है।

अतः जल-भूतल परिवहन मंत्रालय इस पर तुरन्त कार्यवाही कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये।

(बारह) बिहार में जहानाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में पीने का पानी मुहैया कराने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष एक विशाल देश है, जहां पर पीने के पानी की समस्या अभी तक विकराल है। यह एक बहुत गम्भीर चिन्ताजनक बात है। 42 वर्षों की आजादी के बाद भी हम अपने देश के नागरिकों को स्वच्छ जल नहीं पिला सके हैं। बिहार के जहानाबाद क्षेत्र के मखदूमपुर प्रखण्ड के दौलतपुर, अकबरपुर व मखपा ग्राम, घोषी प्रखण्ड के ठिकरौर, परको खण्ड के नोनही, खिजर सराय प्रखण्ड के ग्राम बैंसना, खगरीपुर, नागरा, जगदोहा इन सब गांवों में बाहर से पानी लाकर काम चलाया जाता है, क्योंकि यहां पर हैण्डपम्प सफल नहीं होता, क्योंकि, जमीन में पत्थर है।

अतः सरकार इन गांवों में पीने के पानी को मुहैया कराये।

(तेरह) बिहार के मिथिला क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कदम उठाये जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, उत्तरी बिहार में विशेष रूप से मिथिला क्षेत्र में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में भेदभाव करवा दिया है और यह खपत शेष बिहार की तुलना में एक चौथाई है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। समस्तीपुर से दरभंगा होते हुए जय-नगर और रक्सौल के लिए तथा कांसी से सहरसा के लिए बड़ी रेल लाइन के विस्तार कार्य में निरन्तर विलम्ब हो रहा है। यहां तक कि दरभंगा की ओर विस्तार कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है।

पश्चिमी कोसी नहर का कार्य पूरा होने का समय वर्ष 1986 से बढ़ाकर 1987, और फिर 1987 से बढ़ाकर 1993-94 कर दिया गया है, कमला नदी के आर-पार साइफन के निर्माण कार्य में भी विलम्ब हुआ। पूर्वी कोशी और कमला नहरों के जीर्णोद्धार के कार्य में भी यही बात है। वैरकक्षेत्र में कोशी नदी पर, शीशापानी में कमला नदी पर और नून्थेड़ में बागमती नदी पर बहुद्देश्यीय बांधों के निर्माण कार्य की अवहेलना की गयी है और नेपाल की शाही सरकार के साथ, दोनों देशों के पारस्परिक हितों के लिए पिछले दशक के दौरान वर्ष 1988 में केवल एक बार के अलावा कोई बातचीत नहीं की गयी। बाढ़, सूखा, विद्युत-संकट, सड़कों और रेल सम्पर्कों में अवरोध, इस क्षेत्र की नियति बन गये हैं। अशोक पेपर मिल्स मधुबनी और दरभंगा के फल प्रसंस्करण मिल रुग्ण हो रहे हैं। आकाशवाणी दरभंगा की प्रेषण क्षमता की कमी के कारण मैथिली भाषा में समाचार बुलेटिन प्रसारित नहीं होते हैं। चीनी और पटसन की मिलों के आधुनिकीकरण की उपेक्षा की जा रही है और बरौन में पैट्रो-रसायन कम्पलैक्स की स्थापना सम्बन्धी मांग की अवहेलना की गयी है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन मामलों की शीघ्र जांच करे।

(चौदह) राजस्थान के अजमेर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किये जाने की मांग

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्थित अजमेर नगर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक तथा धार्मिक दृष्टि से अपना एक महत्वपूर्ण एवं गौरवपूर्ण स्थान रखता है। 1956 ई० तक यह नगर और जिला केन्द्र शासित प्रदेश था परन्तु राजस्थान में विलीनीकरण के पश्चात् यह नगर उपेक्षा का शिकार बना तथा नगरों का औद्योगिक एवं आर्थिक दृष्टि से भली भांति विकास नहीं हो पाया। परिणामस्वरूप जिले में बेरोजगारी एवं बेकारी उग्र रूप धारण करती जा रही है। योजना आयोग द्वारा निश्चित बिन्दुओं के आधार पर इस जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित नहीं किया गया, जिसके कारण यहां छोटे-बड़े उद्योग सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में नहीं पनप सके और न ही इनके लिये किसी प्रकार की विशेष रियायतें प्राप्त हो सकीं। अतः मेरी सरकार से पुरजोर एवं प्रबल शब्दों में मांग है कि अजमेर नगर एवं जिले की बेरोजगारी एवं गरीबी दूर करने तथा अजमेर नगर एवं जिले में स्थित नसीराबाद, ब्यावर, किशनगढ़, विजयनगर, पुष्कर केकड़ी आदि का सर्वांगीण विकास करने हेतु सम्पूर्ण अजमेर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित कर वहां पर आवश्यकताओं एवं परिस्थिति अनुरूप बड़े एवं लघु उद्योगों की इकाइयां स्थापित की जायें तथा उन्हें विशेष रियायतें प्रदान की जायें।

———

3.33 म० प०

छावनी (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा किया गया संशोधन

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम मद संख्या-14 को ले रहे हैं। श्री ललित विजय सिंह।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि छावनी अधिनियम, 1924 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाये :

खण्ड 1—संक्षिप्त नाम

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में "1990" के स्थान पर "1991" प्रतिस्थापित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि छावनी अधिनियम, 1924 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाये :

खण्ड 1—संक्षिप्त नाम

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3, में "1990" के स्थान पर "1991" प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ललित विजय सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किया गया संशोधन स्वीकार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किया गया संशोधन स्वीकार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.35 म० प०

अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति

राज्य सभा की सिफारिश से सहमति

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बसई चौधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डा० शकीलुर्रहमान की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 7 जनवरी, 1991 को हुई उसकी बैठक में स्वीकार किए गए प्रस्ताव में की गई तथा 9 जनवरी, 1991 को इस सभा को सूचित की गई राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा मानव प्रतिरक्षण न्यूनता (एच आई वी) संक्रामण के फैलाव को निवारित तथा नियंत्रित करने और अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) से पीड़ित व्यक्तियों के विशेषज्ञीय चिकित्सा उपचार और सामाजिक अवलम्ब तथा पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए उपायों का तथा उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त समिति से कार्य करने के लिये लोक सभा के निम्नलिखित 20 सदस्य नामनिर्दिष्ट किये जायें, अर्थात्—

1. डा० दौलतराव सोनूजी अहेर
2. श्री नानी भट्टाचार्य
3. डा० रामचन्द्र डोम
4. श्री इन्द्रजीत
5. डा० वेंकटेश कावड़े
6. श्री एस० कृष्ण कुमार
7. श्री वामनराव महाडीक
8. श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता
9. श्री बी० एम० मुजाहिद

10. डा० आर० रामदास

11. डा० शकीलुर्रहमान

12. डा० भगवान दास राठौर

13. श्री वाई० एस० राजेश्वर रेड्डी

14. श्री महादीपक सिंह शाक्य

15. श्री धर्मपाल शर्मा

16. डा० सी० सिलवेरा

17. श्री तसलीमउदिन

18. श्री के० सी० त्यागी

19. श्री राम कृष्ण यादव

20. डा० गुलाम याजदानी"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 7 जनवरी, 1991 को हुई उसकी बैठक में स्वीकार किए गये प्रस्ताव में की गयी तथा 9 जनवरी, 1991 को इस सभा को सूचित की गयी राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा मानव प्रतिरक्षण न्यूनता (एच० आई० वी०) संक्रमण के फैलाव को निवारित तथा नियन्त्रित करने और अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) से पीड़ित व्यक्तियों के विशेषज्ञीय चिकित्सा उपचार और सामाजिक अवलम्ब तथा पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए उपायों का तथा उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त समिति के कार्य करने के लिए लोक सभा के निम्नलिखित 20 सदस्य नाम निर्दिष्ट किये जायें, अर्थात—

1. डा० दौलतराव सोनूजी अहेर

2. श्री नानी भट्टाचार्य

3. डा० रामचन्द्र डोम

4. श्री इन्द्रजीत

5. डा० वेंकटेश काबड़े

6. श्री एस० कृष्ण कुमार

7. श्री वामनराव महाडीक

8. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता

9. श्री बी० एम० मुजाहिद
10. डा० आर० रामदास
11. डा० शकीलुर्रहमान
12. डा० भगवान दास राठौर
13. श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी
14. श्री महादीपक सिंह शाक्य
15. श्री धर्मपाल शर्मा
16. डा० सी० सिलवेरा
17. श्री तसलिमउदिन
18. श्री के० सी० त्यागी
19. श्री रामकृष्ण यादव
20. डा० गुलाम याजदानी"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.38 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) पंजाब में स्थिति

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए मद संख्या 17 को लेता हूं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी। इस चर्चा के लिए दो घण्टे नियत किये गये हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, चाहे अन्तिम दिन पर ही इसकी चर्चा हो रही है किन्तु अगर सदन के इस में पंजाब पर चर्चा न होती तो पंजाब के नागरिकों को बहुत निराशा होती।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आप अंग्रेजी में क्यों नहीं बोलते ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह निर्णय लिया गया था कि हम अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में भी बोलें। हमें इस बारे में एकान्तिक नहीं होना चाहिये। मैंने इसे कार्यान्वित करने की पूरी कोशिश की है।

प्रो० एन० जी० रंगा : आपका धन्यवाद।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अनुवाद बहुत अच्छा है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष जी, यह अल्पकालिक चर्चा है। इसलिये आज जो स्थिति पंजाब में पैदा हुई है वह क्यों हुई है ? उसकी मीमांसा करना समय के अभाव के कारण सम्भव नहीं होगा। लेकिन मोटे तौर पर मैं यह समझता हूं कि इसको सब स्वीकार करेंगे कि नाराजगी और असंतोष के अलग-अलग कारण हिन्दुस्तान भर में और सभी प्रांतों में रहते हैं। पंजाब में भी रहते हैं और रहते आये हैं, लेकिन यह नाराजगी पृथकतावाद और उग्रवाद के रूप में बढ़ी हो, यह स्थिति इस दशाब्दी की देन है। पिछले 10 सालों की उपज है। उसके पूर्व कोई यह नहीं कह सकता कि नाराजगी नहीं थी। आन्दोलन पहले भी होते थे, लेकिन इन आन्दोलनों ने ऐसा रूप कभी धारण नहीं किया। इन 10 सालों में भी मैं यह मानता हूं कि 1990 का वर्ष इस दशाब्दी का सर्वाधिक रक्त रंजित वर्ष रहा है।

[अनुवाद]

यह इस दशक का सर्वाधिक रक्त-रंजित वर्ष रहा है।

[हिन्दी]

मैं आंकड़े प्रस्तुत नहीं करूंगा क्योंकि आंकड़े तो बहुत प्रस्तुत किये जा सकते हैं और सरकार की ओर से दिये गये जो जवाब हैं वे भी इसे पुष्ट करेंगे।

[अनुवाद]

यह इस वर्ष का सर्वाधिक रक्त-रंजित वर्ष रहा है।

[हिन्दी]

मोटे तौर पर मैंने जो आंकड़े देखे, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि 1990 के इस एक वर्ष में लगभग दो हजार निरापराध, निर्दोष और सामान्य नागरिक उग्रवादियों की गोलियों के शिकार हुए हैं और लगभग पांच सौ सुरक्षा बलों के जवान इन उग्रवादियों की गोलियों के शिकार हुए हैं।

उग्रवाद के खिलाफ सरकार का और सुरक्षा बलों का जो अभियान चलता रहा है, उसमें लगभग एक हजार तथाकथित उग्रवादी मारे गए हैं। अर्थात् 3500 लोगों की मृत्यु गोलियों के द्वारा हुई, इस एक वर्ष में हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं जानता हूं कि आज इस चर्चा का उत्तर कौन देने वाले हैं, मोरारका जी देने वाले हैं, क्योंकि सुबोध कांत सहाय जी यहां पर नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी भी नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : भजन लाल जी देंगे।

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : हां-हां देंगे। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे विश्वास है कि जो भी जवाब देगा, वह पंजाब की जनता को आश्वस्त करने में कसर नहीं छोड़ेगा, कसर छोड़नी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इतना बता

सकता हूं कि इन पिछले 10 वर्षों में और विशेषकर 1984 के बाद के 6 वर्षों में मैं समय-समय पर पंजाब में जाता रहा हूं। अभी पिछले महीने में ही मैं अमृतसर गया था, चण्डीगढ़ गया था और मैं इसके आधार पर कह सकता हूं कि इस समय जितना आतंक, जितना भय, जितनी दहशत आम लोगों में पंजाबभर में छाई हुई है, उस पंजाब में मैं चण्डीगढ़ को भी सम्मिलित करता हूं, उतना भय, उतना आतंक, उतनी दहशत इससे पहले कभी नहीं थी। जब भी यहां से केन्द्रीय सरकार के प्रवक्ता और नेता भाषण करते हैं कि खालिस्तान किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे या देश की अखण्डता के साथ समझौता करके हम कोई बात नहीं करने वाले हैं, देश की अखण्डता और एकता की कीमत पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं या हिंसा और हत्या की राजनीति के सामने हमारी सरकार झुकने वाली नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि वहां बैठा हुआ सर्व-सामान्य नागरिक आपकी इन घोषणाओं से उत्साहित नहीं होता, आश्वस्त नहीं होता, वे बहुत बार तो इस बात का उपहास करते हैं और कहते हैं कि नई दिल्ली मे बैठ कर इस प्रकार की घोषणाएं करना सहज लगता होगा, लेकिन हम जो स्थिति अपनी आंखों से देख रहे हैं और जो अनुभव कर रहे हैं, उसके आधार पर आपकी इन घोषणाओं के कारण हमारे मन में कोई आश्वासन पैदा नहीं होता। उनमें से कुछ लोग तो आगे बढ़कर यह भी कहते हैं कि आप लोग तो कहते हैं कि हम खालिस्तान स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वे कहते हैं कि खालिस्तान क्या होता है, यह तो हम नहीं जानते, लेकिन हम जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, उसके आधार पर कह सकते हैं कि खालिस्तान इससे बदतर तो नहीं हो सकता। यह बात कहने वाले लोग मुझे मिलते हैं कि आप क्यों नहीं सोचते इस बात पर, अगर सरकार इसको ठीक नहीं कर सकती तो फिर बता दे कि हमारे बस की बात नहीं है। हम अगर यहां बैठे-बैठे सोचते हैं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन है, हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है, हमारी सरकार का वहां पर राज चल रहा है तो वहा जाकर देखने से यह अनुभव नहीं होता। रात्रि के बाद पुलिस की गश्त भी बन्द हो जाती है, यह स्थिति है और ग्रामीण क्षेत्रों से तो लोग भाग कर चले आए हैं। यह कैसी स्थिति है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, उग्रवादियो की तरफ से आदेश दिया जाता है कि किसी स्कूल में "जन-गण-मन" नहीं गाया जायेगा और "जन-गण-मन" का गायन बन्द हो जाता है। उग्रवादी आदेश देते हैं कि कोई बैंक और बैंक भी सभी नेशनलाइज बैंक है, राष्ट्रीकृत बैंक हैं, वे कोई भी ऐसा चैक क्लीयर नहीं करेंगे जो पंजाबी में लिखा हुआ न हो, तो 15-15 दिन तक बैंक की क्लीयरेंस बन्द हो जाती है। उग्रवादी आदेश देते हैं कि कोई हिन्दी में समाचार बुलेटिन आकाशवाणी प्रसारित नहीं करेगी। तो जालंधर और चंडीगढ़ से हिन्दी के प्रसारण बंद हो जाते हैं। हिन्दी का समाचार बुलेटिन बन्द हो जाता है और फिर थोड़े दिन बाद चंडीगढ़ का शुरू होता है और जालंधर का बंद रहता है। यह स्थिति सरकार की है। सरकार की अपनी स्वीकारोक्ति है। मैं पंजाबी, गुरुमुखी नहीं पढ़ सकता। मेरे पास ट्रान्सलेशन है। वहां के पुलिस अधिकारी अखबारों में विज्ञापन छपवाते हैं। मेरे पास है "लहरागागा" का एस० एच० ओ० जो कि पुलिस अधिकारी है और जिसका नाम "आशुतोष" है। उसने "पंजाबी ट्रिब्यून" में विज्ञापन दिया है।

[अनुवाद]

"मैं आशुतोष, लहरागागा का थानाध्यक्ष स्पष्ट करता हूं कि मैंने भाई की पशोर गुरुद्वारा साहिब में न तो प्रवेश किया, न ही सिगरेट पी और न ही शराब पी। यदि किसी हिन्दू पुलिस कर्मी से गुरुद्वारे के निकट जाने अथवा इसकी चारदिवारी के समीप खड़े होने का अपराध हुआ है, तो मैं इसके लिए विश्व के सम्पूर्ण सिख समुदाय से क्षमा

याचना करता हूं। यदि मैंने ग्रंथी सिंह को गुरुद्वारे से बाहर बुलाकर कुछ कहा था तो यह उनकी गलती के कारण कहा जिसके लिए ग्रंथी कुलवन्त सिंह और सरपंच ने लिखित रूप में क्षमा याचना की है।"

यह 'पंजाब ट्रिब्यून' में प्रकाशित विज्ञापन है।

[हिन्दी]

और यह स्थिति जब सरकार की हो और पुलिस अधिकारियों की तो सामान्य नागरिक को हम क्या कहेंगे। जो लोग संपन्न हैं, उद्योगपति हैं, वे कहते हैं कि हम अपनी जेब में ब्लैंक चैक लेकर चलते हैं। हमको कोई उठाकर ले जायेगा तो उसके हाथ में ब्लैंक चैक दे देंगे कि जो लिखना है लिखो और हमको छोड़ दो। अखबारों में खबरें छपती हैं कि कितने लोग मारे गए और कितने किडनैप हुए और कितने लोगों ने धन देकर के अपने को बचाया। उसका वर्णन अखबारों में नहीं आता। उनको कहा जाता है कि बताना नहीं और पुलिस कहती है कि आप बतायेंगे तो मारे जायेंगे। आपको जो करना है करिए। पिछले दिनों हमारे दूसरे सदन के सम्मानीय सदस्य के पोते को अपहृत किया गया। उनकी रिहाई बाद में हो गई। उनके परिवार के लिए कष्ट की बात होगी, मैं नहीं जानता हूं। जिस प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। वे कथाएं दिसम्बर के कश्मीर के प्रकरण की याद दिलाती हैं। मुझे जानकारी नहीं है। मैं सीधा आरोप नहीं लगाता हूं। केन्द्र सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बंदी किसी आतंकवादी की रिहाई हुई। उसके बाद हमारे सम्माननीय सदस्य के पौत्र की रिहाई हुई। इसका स्पष्टीकरण दे दें कि क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले में भूमिका अदा की या नहीं। पंजाब में जो कथाएं चलती रहती हैं तो उसके आधार पर ही मैंने यह बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि जब यह स्थिति बन जाए सरकार की और शासन की और यह साफ हो जाए कि वहां पर शक्ति का जो स्रोत है वह कोई सरकारी कार्यालय नहीं है, वह भारत सरकार नहीं है, ए के—47 बंदूक की नली है। जब यह साफ हो जाता है तो क्या दशा आम जनता की और आम नागरिक की होगी तो उसकी कल्पना की जा सकती है। आदेश देते हैं उग्रवादी की कोई महिला साड़ी नहीं पहनेगी और बिन्दी नहीं लगायेगी और कोई स्कूल-कालेज में जाने वाली लड़की जीन्स नहीं पहनेगी। उसको पहनना है कमीज और सलवार···(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : साड़ी भी नहीं पहनेगी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : विश्वविद्यालय की कुछ बहादुर लड़कियों ने इसका प्रतिरोध करने की कोशिश की तो उनको उसके कारण अपमान सहना पड़ा और अपमानित होना पड़ा। यह स्थिति पैदा हुई और मैं यह बल देना चाहता हूं कि केवलमात्र घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, जमीन पर दिखना चाहिए।

[अनुवाद]

अर्थात सरकार को कार्य करना चाहिए।

[हिन्दी]

और कल पहली बार जब प्रधान मन्त्री ने अपने भाषण में कुछ बातें कहीं तो मुझे ठीक लगा और उन्होंने स्वीकार किया। मेरे मित्र श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने चर्चा की, जबकि चर्चा तमिलनाडु पर हो रही थी कि वहां कैसे उग्रवाद का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन मल्होत्रा जी ने उनमें

पंजाब का जिक्र किया और पिछले दिनों प्रधानमन्त्री जी की सिमरजीत सिंह मान के साथ हुई मुलाकात का जिक्र किया। उसका उत्तर देते हुए प्रधानमन्त्री जी ने कहा, मैं उनके कल के भाषण में से काट करता हूं :

[अनुवाद]

"मेरे मित्र श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने मुझे बताया कि श्री मान साहब से मेरी बातचीत होने के कारण लोगों में गलतफहमी पैदा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है...।"

उन्होंने इससे इनकार नहीं किया :

"अध्यक्ष महोदय, हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। परन्तु इस सभा के माध्यम से मैं इन तत्वों को सचेत करना चाहता हूं कि यदि उन्होंने यह समझा है हम हिंसा सहन करेंगे हम निर्दोष लोगों की हत्याएं सहन करेंगे, तो वे भूल कर रहे हैं।"

इसके बाद उन्होंने इस बात पर जोर दिया।

[हिन्दी]

कि इस मामले में सरकार जो भी कदम जरूरी होगा आम लोगों को सुरक्षा देने के लिए, वह उठायेगी। अब मैं इस मामले में प्रधान मन्त्री से और उनके सहयोगियों से अपील करना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि इस प्रकार की समस्या जैसी पंजाब की हमारे सामने है या कश्मीर की हमारे सामने है या असम की हमारे सामने है और जैसी तमिलनाडु में उत्पन्न हो रही है वह समस्या केवल सरकारी ताकत, सरकारी पुलिस और सेना के बल से हल होगी, ऐसा कोई नहीं मानता। हम भी जानते हैं कि इसका रिस्पॉस आर्म्ड पुलिस, पैरा मिलिटरी फोर्स या पुलिस फोर्स नहीं होता। लेकिन साथ-साथ मैं यह भी जानता हूं कि जिस समय सरकार के प्रधान-मन्त्री या कोई भी बयान देते हैं वह बयान कई लोगों को अलग-अलग तौर पर प्रभावित करता है और अलग-अलग संकेत भेजता है। मुझे याद है जब सिमरनजीत सिंह मान से मिलने की बात हुई थी। तब किसी ने मुझसे कहा था कि आप इस चर्चा के पक्ष में हैं या खिलाफ हैं। मैंने कहा कि मैं खिलाफ नहीं हूं, सिमरनजीत सिंह मान कुछ दिन तक सांसद रहे हैं और हमारे साथी रहे हैं, भले ही वे संसद में न आये हों, लेकिन वे जनता द्वारा निर्वाचित संसद सदस्य थे, यह अलग बात है कि उन्होंने शपथ नहीं ली और वह वहां नहीं आये। वह सांसद नहीं थे ऐसा मैं नहीं कहूंगा। अगर उनको प्रधानमन्त्री ने बात करने के लिए बुलाया है तो उसमें मैं कोई आपत्तिजनक बात नहीं देखता, स्वाभाविक है। लेकिन जब सिमरनजीत सिंह मान बात करते हैं और उस बात में प्रमुख मुद्दा बनाते हैं कि मेरी बात का आधार है कि सिक्खों को 1947 में प्रिवीलेज मिलना चाहिए था जिसको हिन्दुस्तान की संविधान सभा में या हिन्दुस्तान की सरकार ने या हिन्दुस्तान की जनता ने चालीस साल तक अधिकारों से वंचित रखा है उनको वे अधिकार मिलने चाहिए। इसीलिए सिख कौम के लिए आत्म-निर्णय की मैं मांग करता हूं तो उसके बारे में चुप्पी साधी जायेगी और प्रधानमन्त्री कुछ नहीं बोलेंगे तो वह गलत संकेत है। आप अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन की चर्चा सिमरनजीत सिंह मान से करने के लिए तैयार होंगे।

[अनुवाद]

श्री पाल आर० मन्टोष (नाम-निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : श्री आडवाणी ने इतना

महत्वपूर्ण मामला उठाया है और कोई भी महत्वपूर्ण मन्त्री यहां उपस्थित नहीं है। अथवा क्या श्री भजन लाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : जितना आडवाणी जी बोल रहे हैं उससे सख्त मैं बोलने वाला हूं। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं यह अपेक्षा करता था··· (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : आप सरकार को मजबूरी में समर्थन दे रहे हैं यह खड़े होकर कह दें।

श्री भजन लाल : हम उपाध्यक्ष जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं।

4.00 म० प०

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं यह कह रहा था कि यह बात ध्यान में रखनी चाहिये चाहे प्रधान मंत्री हों, चाहे सुबोध कांत सहाय हों या कमल मोरारका हों, प्रधानमंत्री के मंत्रालय में राज्यमंत्री के रूप में काम करने वाले हों या उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले हों कि हम जो कुछ पंजाब, कश्मीर, असम, तमिलनाडु के बारे में कहते हैं, उसके संकेत जाते हैं। अलग-अलग वर्गों में हमारा ध्यान उस समय तो शायद सिमरनजीत सिंह मान पर होगा और इसके कारण हम ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहते जिसके कारण सिमरनजीत सिंह यह कह दे कि इन्होंने पहले ही कह दिया। मैं आत्म निर्णय के अधिकार को नहीं मानता लेकिन आपको सोचना चाहिये कि अगर सैल्फ डिटरमिनेशन की बात सिमरनजीत सिंह से डिसकस करने को तैयार है, अगर उसी आधार पर आपसे जे० के० एल० एफ० मांग करती है तो क्या इनकार करेंगे, या उलफा कहती है तो क्या आप इनकार करेंगे या उनसे बात करने को तैयार होंगे। यह सोचने की बात है और आखिर वह भी तो हिन्दुस्तान का नागरिक है, उससे हम बात करने को इनकार कैसे कर सकते हैं ? यह रवैया आज की स्थिति में देश के लिए बहुत सार्थक नहीं होगा और बात करने के भी बहुत से लैवल होते हैं। यह कोई जरूरी नहीं होता है कि बात केवल प्रधानमंत्री के स्तर पर की जाये। अखिर इस प्रकार की जब भी स्थिति आती है कोई सरकार चैनल्ज रखती है, उसके द्वारा बात की जाती है। मैं उस बात का विरोध नहीं करूंगा लेकिन बात करने के साथ-साथ हम किसी गलत सिद्धान्त को वैध रूप तो नहीं दे रहे हैं। आज कोई उग्रवादी कहता है कि खालिस्तान मिलना चाहिये तो मैं समझ सकता हूं कि खालिस्तान क्यों होना चाहिये, क्या प्रधानमंत्री बात करेंगे ? कहा गया—हां, मैं तो बात करना चाहता हूं। नागरिक है तो इसमें क्या आपत्ति है ? मैं साफ कहना चाहता हूं कि खालिस्तान पर जिस प्रकार से हमने 1980 के आधार पर चर्चा करना स्वीकार किया है, उसी तरीके से कल हम खालिस्तान पर चर्चा करने के लिए तैयार हो जायेंगे और इतना अहित करेंगे, देश की एकता का इतना नुकसान करेंगे जिसकी हमको कल्पना नहीं है।

अध्यक्ष जी, यह सरकार जब बनी थी, वी० पी० सिंह की सरकार में दण्डवते जी थे तो एक साईक्लोजिकल, एक मनोवैज्ञानिक ऐसा अवसर आया था कि बहुत कुछ किया जा सकता था।

जो उस समय इस प्रकार के गलत सिगनल गये, उसके कारण स्थिति उलझ गयी और इसका परिणाम हुआ।

[अनुवाद]

वर्ष 1990 दशक का सबसे अधिक रक्तपात का वर्ष रहा।

[हिन्दी]

नहीं तो उससे पहले तो दोष देते थे। 1984 के दंगों को और आप्रेशन ब्लू स्टार को। दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उसको दोष दिया था लेकिन यह जो सरकार आयी, इस सरकार ने जब आरम्भ किया था तो उस आरम्भ की स्थिति ऐसी थी कि बस पंजाब के अन्दर बसने वाले सब लोगों को, किसी भी सम्प्रदाय का हो, सिक्ख हो या हिन्दू हो, उनको लगता था कि अब पंजाब की समस्या हल हो जायेगी लेकिन समस्या नहीं हल हुई। उसका कारण यह है कि इस बात की कोई चिन्ता नहीं की कि हम जो कुछ कहते हैं हम जो बयान देते हैं, हम जो घोषणायें करते हैं, उनका किस-किस पर असर पड़ता है। तीन महीने पहले जब यह सरकार आयी थी, तो क्या हुआ। जितने सुरक्षा बल के लोग थे और जो अपने जीवन को, प्राणों को दांव पर लगाकर लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, उनमें से कुछ लोग होंगे जिन्होंने ज्यादतियां की होंगी जिन्होंने बेगुनाह लोगों को मारा होगा जिन्होंने उस स्थिति का फायदा उठाकर और पैसा भी अर्जित किया होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे प्रमाणिक अधिकारी, सी० आर० पी० एफ०, बी० एस० एफ०, पंजाब पुलिस में जिन्होंने सब बातों की चिन्ता न करते हुए देश की एकता के लिए और उग्रवाद के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, एक संघर्ष किया। पहले तीन महीनों में इस बी० पी० सिंह की सरकार की ओर से जितने संकेत गये उन्होंने उनको पैरालाईज कर दिया। उन्होंने उनको बेकार कर दिया। उन्होंने सोचा कि इनकी सरकार बनने वाली है जिनके साथ हम लड़ रहे हैं, इनके साथ हम क्यों लड़ें? मैं इस सरकार को सावधान करना चाहूंगा कि वह वही गलती फिर से न दोहरायें, वह गलती बिलकुल न दोहरायें और जिससे भी बात करना चाहते हैं बात बता दें कि हमारा पैरामीटर क्या है? क्या आप इतनी भी बात नहीं कह सकते हैं, जितने लोग आप को मिलने आते हैं, कि आप निर्दोष लोगों की हत्या की निन्दा करिये, उसके बाद बात करेंगे। आप क्यों नहीं निन्दा करते? कोई नहीं करता है। कोई उन आदेशों की निन्दा नहीं करता कि जिन आदेशों के आधार पर आज उग्रवादी पंजाब में सबको आतंकित किये हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आज पंजाब में भारत सरकार का आदेश नहीं चलता है। अकाली दल का आदेश नहीं चलता है, प्रकाश सिंह बादल का या गुरचरण सिंह तोहड़ा का आदेश नहीं चलता है। इतना ही नहीं, मैं यह कह सकता हूं कि आज पंजाब में सिमरनजीत सिंह मान का भी आदेश नहीं चलता है। आल आर विकलिंग इररेलेवेंट। अगर उनको रेलेवेंट बनाना है तो उनको हमारी तरफ से सलाह देनी चाहिए कि आप तब तक इररेलेवेंट बने रहेंगे, जब तक आप बच के चलेंगे। जब तक हिन्दुस्तान की जनता की मनोभावनाओं को पहचान करके यह कहने के लिए तैयार नहीं होंगे कि जो भी परिवर्तन होगा, वह परिवर्तन लोकतंत्रीय तरीके से होगा और हिंसा के तरीके से, हिंसा के अलावा हत्या के तरीके से हिन्दुस्तान में कोई परिवर्तन करना चाहें या एक बार फिर से हिन्दुस्तान का विभाजन करना चाहें तो सरकारें आयेंगी और सरकारें जायेंगी लेकिन देश की जनता कभी उसको स्वीकार नहीं करेगी, न बर्दाश्त करेगी और उसके लिए चाहे जितना लोगों को संघर्ष करना पड़े, उस संदर्भ में पंजाब में चुनाव करवाना या न करवाना इसको मैं बहुत

अहमियत नहीं देता हूं। चुनाव करवाना सामान्यतया बहुत जरूरी है। परिस्थितियां पैदा होती हैं। जिन परिस्थितियों में चुनाव करवाकर, हम जिसे लोकतांत्रिक विवेक कह सकते हैं, उनके प्रति हम ठीक हो जायेंगे, हमने चुनाव करवा लिये। क्या हम राष्ट्र की एकता के दूरगामी हितों का संरक्षण कर सकेंगे ? मैं मानता हूं कि पंजाब की जो स्थिति पिछले एक साल से रही है, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि लोकसभा इलेक्शन के बारे में मेरी मान्यता चुनाव के तुरंत बाद बदली। मैंने चुनाव का समर्थन किया कि चुनाव होने चाहियें और चुनाव हुए। उन चुनावों में कुछ मित्र यहां जीते, कुछ हारे। मेरी पार्टी के एक मित्र जिन्होंने पंजाब में बहुत काम किया है, उग्रवाद के खिलाफ सबल प्रहरी के रूप में, मजबूत लीडर के रूप में, डा० बलदेव प्रकाश खड़े रहे हैं। वे अमृतसर में पूरी तरह छाये रहे लेकिन चुनाव में हार गये। उसके बाद वही लोग मेरे पास आये और कहा कि अगर बात हो गयी होती तो उनको जितवा देते, जैसे औरों को जितवा दिया था। कोई दिक्कत की बात नहीं थी और इस स्थिति के बाद धीरे-धीरे मुझे ख्याल आया। उसके बाद फिर जानकारी मिली। मेरे मार्कसिस्ट मित्र ने अलग-अलग स्थान से जानकारी दी। इसी आधार पर मेरी पार्टी इस नतीजे पर पहुंची कि आज पंजाब में इस स्थिति में फ्री एन्ड फेयर इलेक्शन सम्भव नहीं हैं। तो जब तक उग्रवाद और हिंसा पूरी तरह से शान्त नहीं हो जाती, तब तक वहां चुनाव नहीं करेंगे। यह हमारा स्टैंड रहा है। हमारा स्टैंड यह रहा कि वहां चुनाव तब करवाना चाहिए जब सरकार इस बात की गारंगी सामान्य नागरिक को दे सके कि आप जिस प्रकार से वोट डालना चाहें, आप वोट डाल सकते हैं लेकिन जब गांव-गाव की स्थिति यह है कि अगर चार लोग ए० के०-47 लेकर घूम जायें और कहें कि कोई इस प्रकार से वोट नही देगा या इस प्रकार से वोट देना है तो या तो लोग वोट देने जाते नहीं या जैसी आज्ञा ए० के०-48 वाले लोगों की हुई है, वैसे वे देते। यह स्थिति जब तक है, तब तक चुनाव की औपचारिकता पूरा करना और कहना कि हमने चुनाव करवा दिया, मैं इसके पक्ष में नहीं था और इसी कारण मेरा विरोध रहा। आज भी मैं यह मानता हूं कि समय-समय पर यहां चुनाव की बात होती है, उसके बारे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इसको सोच करके विचार करके उसके परिणाम अलग-अलग वर्गों पर क्या होता है, फिर निर्णय करना चाहिये।

मेरे कुछ सवाल हैं और जिन सवालों का उत्तर मोरारका जी दे सकें तो अच्छी बात है। मैंने श्री सुबोध कांत सहाय का एक बयान देखा है। चंडीगढ़ में अभी पिछले दिसम्बर में वहां गये थे, शायद मेरे पास तारीख होगी, 6 या 7 दिसम्बर की बात है जिसमें उन्होने कहा कि इस समय सरकार फुलप्रूफ स्ट्रेटेजी टू सॉल्व दॉ पंजाब प्राब्लम तैयार कर रही है और तीन-चार दिनों में प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर उसकी घोषणा करने वाले हैं। चलिए, तीन-चार दिनो में चाहे न हुई हो, आज प्रसंग है, मौका है, अच्छा मौका है, वह फुलप्रूफ स्ट्रेटेजी की हमारे सामने घोषणा कर दें। पता चले कि कभी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है !

श्री मदन लाल खुराना : कल 24 घंटे कहा था प्रधान मंत्री जी ने।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : खैर 24 घंटे तो नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि इस मामले में स्ट्रेटेजी कितनी बताएंगे और कितनी नहीं बताएंगे, इसका निर्णय तो सरकार ही कर सकती है। लेकिन ऐसी बात कहनी चाहिए कि जिसके आधार पर सामान्य नागरिक जो पंजाब में बैठा हुआ है, उसको लगे कि ये केवल हवाई बातें नहीं हैं। मैं कोई काश्मीर की स्थिति से बहुत संतुष्ट नहीं हूं। काश्मीर के बारे में पिछली सरकार ने जो गलतियां कीं, उनकी मैं आलोचना करता रहा

हूं । लेकिन मैं यह जानता हूं कि काश्मीर और पंजाब, इन दोनों के बारे में अगर तुलना करेंगे तो जिस प्रकार की परिस्थिति का डिटीरिय्रोरेशन और जिस प्रकार की बद से बदतर होती हुई स्थिति पंजाब की है पिछले साल में, उतनी काश्मीर की नहीं हुई। कश्मीर की जितनी हुई उसके कारण दो लाख लोग वहां से चले आए। मैं तो केवल इस सरकार को चेतावनी देता हूं कि वहां से तो दो लाख लोग चले आए लेकिन आज जो पंजाब की स्थिति है, उस पंजाब की स्थिति में जमीन पर अगर परिवर्तन नहीं होता आने वाले महीने भर में, धरती पर ऐसा परिवर्तन नहीं होता जो दिख सके, परसेप्टिबल मैनिफेस्ट डिफरेंस अगर नहीं होता है तो जैसी भयानक स्थिति का हमको काश्मीर में सामना करना पड़ रहा है और पूरी की पूरी एक कम्यूनिटी की पॉपुलेशन माइग्रेट करके दो लाख लोग यहां चले आए, हमको इससे कहीं ज्यादा प्राब्लम हमारे सामने आ जाएगी। यह संकट पैदा हुआ है और उस संकट के प्रति मैं सचेत करना चाहता हूं सरकार को, और सरकार को सचेत करते हुए कहना चाहता हूं कि जिसको भी आप पोलिटिकल मेनस्ट्रीम में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति सार्थक नहीं होगा, ऐसी कोई ताकत लाभकारी नहीं होगी जो हिन्दुस्तान के संविधान को पूरी तरह से नहीं मानती।

दूसरी बात है उनकी जो बेबुनियाद नागरिकों की हत्या और उस हत्या के माध्यम से, उग्रवाद के माध्यम से देश में परिवर्तन लाने की निंदा करने को तैयार नहीं, और जो पूरी तरह यह कहती रहेगी कि हमारे साथ तो 40 साल भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है, अंग्रेजों ने जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन का और उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। अंग्रेजों के शासन के साथ किसी का कोई संबंध नहीं। मैं उसकी डीटेल्स में नहीं जाऊंगा — इंडीपेंडेंस ऐक्ट में जो लिखा हुआ है, लेकिन मैं इतना जानता हूं और एक बार मैंने अपने मित्र प्रकाश सिंह बादल से जब उन्होंने किसी स्थान पर कहा कि सिखों के साथ अन्याय हुआ है, मैंने कहा कि आप पिछले आठ-दस सालों की बात करें तो मैं आपके साथ हूं और जहां-जहां अन्याय हुआ है जाने को तैयार हूं, लेकिन आप अगर पिछले 40 साल की बात करेंगे तो मैं वह बात मानने को तैयार नहीं हूं क्योंकि आज से 10 साल पहले तक मैं जानता हूं कि आप वहां सरकार के नेता, सरकार में थे। आप मेरी ही पार्टी के सहयोगी और नेता पंजाब में मुख्य मंत्री थे और तब आपको इन बातों की शिकायत नहीं थी जिनकी शिकायत आप आज कर रहे हैं। इन दस सालों में जो अन्याय हुए हैं, गलत काम हुए हैं और उन गलत कामों में मैं 1984 के दंगों में सरकार की निष्क्रियता को एक गलत काम मानता हूं। जो जुल्म हुए हैं या ज्यादतियां हुई हैं उनके निराकरण का उपाय करने का तो मैं समर्थन करता हूं लेकिन जो 40 साल की बात करता है और कहता है कि हिन्दुस्तान से जब अंग्रेज चले गये तो मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, हिन्दुओं को हिन्दुस्तान मिल गया, सिखों को कुछ नहीं मिला, वे लोग वास्तव में खालितान का रेशनल प्रस्तुत करते हैं और खालिस्तान यह देश कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी बरदाश्त नहीं करेगा। सरकारें किसी भी प्रकार का समझौता करना चाहें लेकिन यह देश स्वीकार नहीं करेगा।

अध्यक्ष जी मैं जो एक बात पूछना चाहता था वह यह थी कि आज से तीन साल या साढ़े तीन साल पहले, जिस समय राजीव गांधी की सरकार थी, तो एक बार विपक्ष के सब नेताओं को बुलाकर राजीव जी ने कहा, बूटा सिंह जी ने कहा कि इस संसद ने बहुत सारे कानून पास किए और उन कानूनों के द्वारा हमको ताकत दे दी कि हम वहां पर उग्रवाद का सामना करें। लेकिन ये कानून सारे निरर्थक इसलिये हो जाते हैं क्योंकि हिंसा करने के बाद, लोगों की हत्या करने के बाद, हत्यारे तुरन्त सीमा के पार जाकर, पाकिस्तान में जाकर, शरण ले लेते हैं।

हम चाहे कितने ही उनके शस्त्रास्त्र ढूंढ कर, खोज कर, जब्त कर लें या उन लोगों को गिरफ्तार कर लें परन्तु पाकिस्तान से उनको हथियार मिलने का सिलसिला जारी रहता है क्योंकि पाकिस्तान उन्हें सहायता देता रहता है। उन्हें न केवल शस्त्रों की सहायता देता रहता है बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता भी देता रहता है। इतना ही नहीं, उन्हें प्रशिक्षण भी पाकिस्तान में दिया जाता है। यह बात बिल्कुल सच है, इसमें जरा भी गलत नहीं, आज भी सच है। यद्यपि हमारे प्रधानमंत्री जी को अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का टेलीफोन आ जाता है तो उनका ऐसी विचार हो जाता है कि शायद अब दोनों देशों के सम्बन्धों में कोई नया अध्याय शुरू हुआ है, कोई नया परिच्छेद शुरू हुआ है। मैं यह मानता हूं कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के सम्बन्धों में सामान्यता की ओर हम कितना बढ़ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी कसौटी यह है कि पाकिस्तान कश्मीर में और पंजाब में क्या कर रहा है। इसके अलावा और कोई दूसरी कसौटी नहीं हो सकती। मीठे मधुर भाषण और अच्छी टेलीफोन वार्ताएं इसकी कोई कसौटी नहीं हो सकती। जिस प्रकार कभी-कभी हमारे मित्र समझते हैं कि माओ साहब मुस्कराये नहीं मुस्कराये, या कितनी देर तक किसने हाथ मिलाया या नहीं मिलाया, उस आधार पर सम्बन्धों की जांच करना गलत होगा। उसकी केवल एक ही कसौटी होगी कि पंजाब में उसे कितनी दिलचस्पी है। पिछले साल जो कुछ हुआ है और उसमें भी पिछले तीन-चार महीनों में जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान में परिवर्तन होने के बाद, हमारा कोई ऐसा भ्रम धारण करने का कोई कारण नहीं है कि पाकिस्तान की नीति में पंजाब के प्रति या कश्मीर के प्रति या भारत के प्रति कोई अंतर आया है। यदि कोई अंतर आया है तो इतना ही आया है कि ऊपर से बनाये रखो और अंदर से जो कुछ अब तक करते आये हो, वही करते जाओ। मैं यहां 1987 की बात कर रहा था इसी प्रसंग में। जब तक पाकिस्तान यह करता रहेगा तब तक सारे अधिकार जो संसद ने भारत सरकार को या पंजाब के शासन को दिये हैं, वे सार्थक नहीं होंगे। उस समय हमें कहा गया कि इसका एक ही तरीका है कि हमें आप इजाजत दें कि पूरी सीमा पर सुरक्षा पट्टी बनायें। उस समय पंजाब में अकाली दल का शासन था और हमारे बरनाला जी मुख्यमंत्री थे। वह प्रस्ताव संसद के नेताओं के सामने रखा गया क्योंकि वहां दूसरी सरकार है इसलिये अगर कोई इस विषय पर कानून पास करना हो तो उसका कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता सिवाय इसके। पहले तो उन्होंने कहा कि हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा परन्तु हमारे मित्र दण्डवते जी ने उन्हें सुझाव दिया कि नहीं, इसके लिये संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट कानून पास कर सकती है और हमारी राज्य सभा जो राज्यों के प्रतिनिधियों की सभा है, जो कौंसल ऑफ स्टेटस है, यदि वह धारा 249 के अंतर्गत दो-तिहाई बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पास कर ले तो कानून बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन दिनों राज्य सभा का सदस्य था और हमने धारा 249 के अधीन उस प्रस्ताव को पास किया।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : उस समय आप नेता थे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी हां, अब मैं छोटा हो गया हूं।

[हिन्दी]

उस प्रस्ताव में यह पास किया गया कि वहां सीमाओं पर सुरक्षा पट्टी बनायी जायेगी। लोग अपेक्षा भी करते थे, लोगों को बड़ी अपेक्षा थी कि जल्दी से जल्दी सुरक्षा पट्टी बने। सुरक्षा

पट्टी के लिये कानून बनाना जरूरी था। कानून संसद के द्वारा बनाया जाना था। जब कानून बन गया तो वहां की सरकार को अधिकार मिल गया परन्तु वह सुरक्षा पट्टी आज तक नहीं बन सकी और वह प्रस्ताव भी अब खत्म हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि संसद में वह प्रस्ताव पास करने के बाद सरकार ने अपना मत क्यों बदला और क्या आज सरकार उस पर फिर से विचार करने के लिए तैयार है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाई मार्च, 1991 हम प्रयास करेंगे कि बौर्डर को सील कर दिया जाये। बौर्डर को सील करने का जब उन्होंने आश्वासन दिया है, मैं जानना चाहता हूं कि उस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और की जा रही है। मेरा और मेरी पार्टी का तो अभी भी यह मत है कि चाहे सुरक्षा पट्टी के गम्भीर इम्पलीकेशन्स हैं, कोई सरल बात नहीं है, लेकिन गम्भीर इम्पलीकेशन्स होते हुए भी, स्थिति इतनी गम्भीर है कि जब तक हम इस प्रकार के कठोर कदम नहीं उठायेंगे, तब तक समस्या के हल की ओर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। यह स्वयं में कोई उसका इलाज नहीं है। एक स्टेज पर मैंने एक बड़े एक्सपर्ट का सुझाव देखा था, वह सुझाव के० सुब्रह्मण्यम ने दिया था जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटजिक स्टडीज के हैं। उन्होंने पंजाब पर एक लेख लिखते हुए कहा था : सीमा की खुदाई के अतिरिक्त कोई अन्य समाधान दिखाई नहीं देता। यह तो बहुत एक्सट्रीम स्ट्रैप था। उन्होंने पिछले साल ही बॉर्डर को माइनिंग करने की बात कही। शायद इसके अपने इम्पलीकेशन्स होंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, अगर कोई देश अपनी सीमा को माईन करता है, तो उसकी सूचना पड़ोसी देश को देनी पड़ती है कि हमने यहां यहां पर माइनिंग की है। मेरे मित्र श्री जसवन्त सिंह जी इस बात के विशेषज्ञ हैं, वे जानते होंगे। लेकिन जहां पड़ोसी देश ही यह सब कुछ करवा रहा है, वहां यह कितना व्यावहारिक होगा, कहां तक व्यावहारिक होगा, यह तो सरकार ही निर्णय कर सकती है। मैं तो उस सुरक्षा पट्टी के बारे में जानना चाहूंगा कि उसके बारे में सरकार की क्या सोच है?

जहां तक बार्डर पर फेंसिंग लगाने की बात है, वह तो सुरक्षा पट्टी नहीं है, वह तो साधारण बात है। इस बारे में 1987 में जब राजीव जी की सरकार थी, तब काम शुरू हुआ था। पिछले साल फेंसिंग के बारे में सुबोध कान्त जी ने बयान दिये थे कि वहां देखा है कि यह काम चल रहा है और इस फेंसिंग के काम को बहुत तेजी से चलायेंगे। वे उस समय भी गृह राज्य मंत्री थे और आज भी वे वही हैं, इसलिये मुझे सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ,… (व्यवधान)

ऐसा हुआ कि वही मंत्री यहां हैं।

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सुबोध कान्त सहाय जी यहां नहीं हैं, वे कहां हैं? वे दो-तीन दिन से गायब हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : बॉर्डर पर फेंन्सिग का जितना काम हुआ वह सब 1989 में हुआ। 1990 में एक किलोमीटर भी फेंसिंग नहीं किया गया, यह जानकारी मुझे मिली है। यदि यह बात सही है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। (व्यवधान)

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : अभी भी 230 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं हुई है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : नहीं, वह तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं इस बारे में जानना चाहूंगा कि मार्च, 1991 तक हम पूरे बार्डर को सील कर देंगे, उनकी इस घोषणा पर क्या सरकार

का विचार है और अपने उस संकल्प पर यह सरकार आज भी कायम है या उसमें कोई परिवर्तन हो गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं इतना कह कर समाप्त करूंगा कि एक प्रकार से देश में अनेक समस्यायें हैं जिनमें से प्रत्येक समस्या के बारे में यह सरकार क्या करती है, वह इस सरकार को मापने, जांचने और आंकने की कसौटी बनेगा। लेकिन पंजाब एक प्रमुख कसौटी बन गयी है। इस कारण

[अनुवाद]

लोग वहां मृत्यु के कगार पर हैं।

[हिन्दी]

बहुत आतंक की स्थिति है। हमसे लोग कहते हैं, उद्योगपति मिलते हैं, वे कहते हैं कि यहां पर कैसे काम करेंगे। वे धीरे-धीरे करके भाग रहे हैं और गांवों से भागकर कस्बों और शहरो में आ रहे हैं। पिछले दिनों जानबूझकर उग्रवादियों ने यह स्ट्रेटेजी बनायी है और अपनायी है कि शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों को चुन-चुन कर मारा जाये। दो-तीन दिन पहले लुधियाना में जो घटना हुई वह भयंकर और भीषण घटना थी, जिससे लोगों में आतंकवाद और डर पैदा हुआ, यह उसी स्ट्रेटेजी के अन्तर्गत किया गया प्रतीत होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में यह है कि पाकिस्तान ने इन उग्रवादियों के नेताओं को यह सलाह दी है कि आप पिछले साल भर में लोगों को अंधाधुंध मारते रहे हो और उसमें हिन्दू भी मरे हैं और सिक्ख भी मरे हैं, लेकिन अब आप खोज-खोज कर हिन्दुओं को मारो, सिक्खों को नहीं। यह सलाह दी है, यह डायरेक्शन दी है, यह इंस्ट्रक्शन दी है, और उन्हीं इंस्ट्रक्शन्स के अनुसार पिछले दो-तीन महीनों में आतंकवादियो ने काम किया है। उनका उद्देश्य यही है कि दंगा होना चाहिये। हिन्दू मरेंगे, तो वे सिक्खों को मारेंगे, यहां नहीं मारेंगे, वहां मारेंगे। मैं तो प्रशंसा करना चाहूंगा और अभिनन्दन करना चाहूंगा पंजाब की जनता का, जिन्होंने 10 वर्ष तक इस स्थिति का सामना किया है और आज भी वहां हिन्दू और सिक्खों में अत्यन्त सौहार्द का वातावरण है। उस सौहार्द के वातावरण के आधार पर ही मन में विश्वास होता है कि अगर सरकार की नीतियां सही हों तो पंजाब की समस्या निश्चित रूप से हल हो सकती है, उसमें कोई दुष्कर बात नहीं है, असम्भव बात नहीं है। अपेक्षा है कि सरकार का परस्पेक्टिव क्लीयर हो और दूसरी बात जिसके बारे मे मैं पिछले साल-दो सालो से लगातार आलोचना करता रहा हूं कि इस प्रकार की जब कठिन स्थिति या कोई बड़ी डीप रूटेड बीमारी कहीं आ जाती है तो

[अनुवाद]

आप हर दो महीने बाद उपचार नहीं बदल सकते हैं।

[हिन्दी]

हर दो महीने बाद औषधि बदलना अक्लमंदो का काम नहीं है। आप कोई भी निर्णय करें, साफ्ट लाइन के अपने आप्शन्स है, हार्ड लाइन के अपने परिणाम होते हैं, प्लस माइनस पाइंट दोनों के होते हैं लेकिन आपने यदि तय किया कि आज की स्थिति में सबसे पहली आवश्यकता यह है जो कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबसे पहली मेरी ड्यूटी यह है कि आम नागरिक

पंजाब का वहां पर आश्वस्त अनुभव करे अपनी सिक्युरिटी के बारे में, सुरक्षा के बारे में। अगर सबसे पहला ऑब्जैक्टिव यह हो तो

[अनुवाद]

कठोर कदम उठाने के सिवाय कोई आसान उपाय है ही नहीं।

[हिन्दी]

हार्ड आप्शन केवल महीने, डेढ़ महीने के लिए नहीं चलता है, काफी समय तक परसी-वियरिंगली कनसिस्टैन्टली हमको चलाना पड़ेगा। मेरा मतलब यह कदापि नहीं है कि उसमें कोई एक्सैसेस होने चाहिए लेकिन एक एक्सेस कहीं पर हो गया तो उसके कारण एकदम रिवर्स गेयर लगाकर सब कुछ चेंज कर दिया, यह बुद्धिमता का लक्षण नहीं है। यही निवेदन करते हुए मैं अपेक्षा करूंगा कि सरकार इस मामले में जो एक्शन प्लान प्रस्तुत करने वाली है वह आज की चर्चा में प्रस्तुत करे। धन्यवाद।

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आडवाणी जी ने पंजाब के मसले पर बहुत ही स्पष्ट और अच्छे शब्दों में सारी बातों को रखा है। आप जानते हैं कि पंजाब के हालात बेहद खराब हैं। खराब क्यों हुए, कैसे हुए, इस पर आडवाणी जी ने बहुत जोर से कोई बात ऐसी नहीं कही। पिछले ग्यारह महीने जब श्री वी० पी० सिंह की सरकार थी और जिसके समर्थक आडवाणी जी थे, जितने बुरे हालात ग्यारह महीने में उस सरकार के समय हुए हैं उतने बुरे हालात कभी देखने को नहीं मिले। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : अपने समय का भी जिक्र कीजिए।

श्री भजन लाल : उनका भी जिक्र करेंगे पहले ग्यारह महीने का जिक्र तो करने दो।

श्री मदन लाल खुराना : भिंडरावाले का भी कीजिए।

श्री भजन लाल : उसका भी कर देंगे, जिसका आप कहेंगे सबका कर देंगे, आपका भी कर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, ग्यारह महीने में श्री वी० पी० सिंह सरकार के समय उग्रवादियों के हौसले इतने बढ़ गए जिसका अन्दाजा लगाना कठिन है। आज जम्मू-कश्मीर की बात हो चाहे पंजाब की बात हो, उग्रवादियों ने जब देश के गृहमंत्री की लड़की को उठा लिया और देश के गृह मन्त्री की लड़की के बदले में पांच उग्रवादियों को छोड़ने की बात हो गई, मैं गृह मन्त्री की लड़की और अपनी लड़की में कोई फर्क नहीं समझता। किसी भी माननीय सदस्य की हो या देश के किसी भी नागरिक की बेटी है वह सबकी बेटी है, हम उसकी इज्जत करते हैं लेकिन एक बेटी के बदले में पांच उग्रवादियों को छोड़ने की वजह से उग्रवादियों के हौसले इतने ज्यादा बढ़ गए जिसका अन्दाजा लगाना कठिन है। क्या रोजाना किसी की बेटियां उठती नहीं हैं, मरती नहीं हैं, बेटे नहीं मरते हैं, वे भी तो किसी के बेटे होंगे। उस समय सरकार यदि कोई मजबूत स्टैप लेती तो शायद उग्रवादियों के हौसले इतने नहीं बढ़ते। सरकार की कमजोरी की वजह से उग्रवादियों के हौसले बढ़ गए और आज पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे इस बात को कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि इतने बुरे हालात हैं कि आज सारे का सारा आदेश उग्रवादियों का चलता है।

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) **:** हरियाणा में क्या है ?

श्री भजन लाल : हरियाणा का भी है। (व्यवधान)

आप कल फरीदाबाद होकर आये हैं, आपको पता है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वह आपका ही तो दोस्त है। (व्यवधान)

श्री भजन लाल : वह आपके जैसे ज्यादा दिन रहेगा। अभी दो महीने भी पूरे नहीं हुए हैं··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : फरीदाबाद आपका ही निर्वाचन क्षेत्र है।

श्री भजन लाल : हां, वह मेरा क्षेत्र है। आप वहां सब कुछ देखकर आए हैं। अभी आडवाणी जी ने कहा कि पंजाब में पिछले दस साल से बहुत बुरे हालात हैं। आडवाणी जी, 10 साल नहीं, चार साल आप भूल गये हैं, 14 साल से वहां हालात खराब हैं यानी कि 1977 से हालात खराब हैं। आज वहां अलगाववाद की बात हो रही है। सिख अलग आत्मनिर्णय लेने की बात करते हैं। जब 1977 में अकालियों के इलेक्शन मैनिफैक्ट्रो में आनन्दपुर साहेब प्रस्ताव की बात आई थी तब इस अलगाववाद की नींव पड़ी थी। उस आनन्दपुर प्रस्ताव को आडवाणी जी ने और वाजपेयी जी ने सपोर्ट किया था। उन्होंने पंजाब में जाकर भाषण दिये और कहा कि पंजाब में सरकार अकालियों की बननी चाहिए।

[अनुवाद)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की बात कर रहा हूं। श्री भजन लाल को इससे अच्छी प्रकार जानना चाहिए।

[हिन्दी]

आनन्दपुर साहेब प्रस्ताव के बारे में भारतीय जनता पार्टी या उससे पूर्व जितने लोग जनसंघ के भारतीय जनता पार्टी में थे उनके मन में कभी दो मत नहीं रहे बल्कि साफ कहा कि हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। आप किसी और पार्टी के लिए कह सकते हैं लेकिन जहां तक जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारा आनन्दपुर प्रस्ताव और भिंडरावाले दोनों के बारे में असंदिग्ध रूप मत रहा है। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह मक्कासर : इन्होंने तो हिन्दुओं और सिखों को लड़ाने का ही काम किया। (व्यवधान)

श्री भजन लाल : आडवाणी जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब सरकार वहां अकालियों की बनी उस सरकार में वे पार्टनर थे या नहीं ? अकालियों की पंजाब में सरकार बनी थी और आनन्दपुर प्रस्ताव को अलग से मैनीफैस्टो में ला करके उन्हें बहुमत प्राप्त हुआ। उस समय आप लोगों ने मिल करके पंजाब में सरकार बनायी थी ··(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कॉमन प्रोग्राम से बना था, उसमें नहीं था।

श्री भजन लाल : आप मिनिस्ट्री में शामिल थे, आप कैसे इंकार कर सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जनता पार्टी का मैनिफैस्टो अलग था और अकाली दल का मैनिफैस्टो अलग था। हमारी कॉलिशन गवर्नमेंट में कॉमन प्रोग्राम बना था। उसमें आनन्दपुर प्रस्ताव नहीं था। (व्यवधान)

श्री भजन लाल : आडवाणी जी, आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तो उम्र में भी आपसे छोटा हूं। सारी बात आपके सामने हुई है। बाकायदा आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव को ले करके चुनाव लड़े गए पंजाब में। आप लोग समर्थन के लिए गए थे। आपने मिल करके पंजाब में सरकार बनायी। यह सब रिकार्ड में है।

श्री मदन लाल खुराना : आप तो जनता पार्टी की सरकार के चीफ मिनिस्टर रहे थे उस वक्त।

श्री भजन लाल : जो सारी दुनिया को पता है उससे आप इन्कार क्यों करते हैं। कोई गलत बात है तो बतायें कि आप सरकार में शामिल नहीं थे। **(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : आपकी उस समय हैसियत क्या थी ?

श्री भजन लाल : मैं आपकी हैसियत बता दूं। मैं 1968 से लगातार असेम्बली या लोक सभा का मैम्बर हूं। आप पहले बात सुनने की कृपा करें। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : भजन लाल जी, आप किसी भी सदस्य द्वारा पूछे गये सवाल का जवाब न दें।

(व्यवधान)

श्री भजन लाल : सवाल करते हैं तो क्या करूं ? **(व्यवधान)**

इनको आज मैंने पहली बार हाउस में देखा है, इनकी शक्ल भी मैंने पहली बार देखी है और ये मुझसे पूछते हैं कि उस समय आपकी हैसियत क्या थी ··

उपाध्यक्ष महोदय : आप पंजाब के बारे में बोलिए, आप अपनी बात कहिए।

श्री भजन लाल : किसी को भी हमने टोका नहीं, एक भी हमने कोई गलत बात नहीं कही है लेकिन इनको बीच में टोकना नहीं चाहिए, मेरे कहने का तात्पर्य यही है।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : जब आडवाणी जी बोल रहे थे तो किसी ने उनको इण्टरप्ट नहीं किया। अब यह बोल रहे हैं तो आप क्यों इण्टरप्ट कर रहे हैं ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

चौ० राम प्रकाश (अम्बाला) : ये मुसीबतें अकालियों ने और आपने दी हैं, आप इसके लिए जिम्मेदार हो।

श्री भजन लाल : राम प्रकाश जी, कोई बात नहीं, आप बैठो।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, आप भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। भजन लाल जी, आप किसी इण्टरप्शन का जवाब मत दीजिए। आप डायरेक्ट बोलिए।

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बुरे हालात पंजाब में हो गये, आम नागरिक का वहां रहना बड़ा भारी मुश्किल हो गया। वहां पूरा आदेश उग्रवादियों का चलता है और यहां तक आदेश चलता है कि अधिकारियों को भी वह आदेश देते हैं कि फाइल शाम तक निकल जानी चाहिए। बड़े से बड़े आफिसर की हिम्मत नहीं कि वह फाइल को रोक ले। कमरे के बाहर नेमप्लेट लगी हुई है, कहते हैं कि एक घण्टे के अन्दर प्लेट का नाम बदल कर अंग्रेजी या हिन्दी की जगह

उस पर पंजाबी आ जानी चाहिए, दूसरी किसी भाषा का इस्तेमाल इस पर नहीं होना चाहिए। जैसा आडवाणी जी ने सदन के सामने कहा, लड़कियां स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटी जाती हैं तो लड़कियों के कपड़े तक फाड़ दिये जाते हैं। अभी आपने लुधियाना का वाकया देखा, ऐसे ही सारे पंजाब के लोगों को उठाकर ले जाते हैं और 5-5, 15-15 और 20-20 लाख रुपये फिरौती लेते हैं। यही नहीं, इसके साथ-साथ अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उन्होंने किस तरह से करना और शुरू किया है, किसी दूसरे मुल्क के इशारे पर कि हिन्दुस्तान को कमजोर करना है तो एक ही जाति हिन्दू बिरादरी को हम छांट-छांट कर मारें ताकि सारे मुल्क के अन्दर अफरा तफरी मच जाय, बसों में मिलते हैं तो बसों से उतार लेते हैं। अभी लुधियाना जिले में आपने देखा होगा, गिल और ढिल्लों गांव में एक ही जाति के लोगों को उतारकर बाहर सड़कों पर ले जाकर गोलियों से भून डाला ताकि सारे मुल्क में वातावरण बिगड़ जाय, अफरा तफरी मच जाय। यहां हम हिन्दुओं को मारें ताकि बाकी दूसरे प्रांतों में लोग सिखों को मारें और मुल्क के हालात खराब हो जायें, इस तरह का वातावरण आज पंजाब के अन्दर बना हुआ है। इसको कण्ट्रोल करने के लिए···

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह हिंदू शब्द के स्थान पर गैर सिख बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री भजन लाल : उसमें क्या बात है, एक ही बात है, उसमें क्या फर्क है ? अब इस सरकार ने, जो चन्द्रशेखर जी की सरकार बनी है, इसमें उन्होंने बातचीत करने की पहल की है। बातचीत करने का हम स्वागत करते हैं लेकिन बातचीत संविधान के दायरे में होनी चाहिए। संविधान के दायरे से अगर कोई बाहर की बात होगी तो यह मुल्क टूट जायेगा। जब जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की है, इन्होंने इसका मतलब कमजोरी से लगाया है कि यह सरकार कमजोर हो गई। सरकार ने हमारे सामने घुटने टेक दिये थे, सरकार झुक गई है और फिर ज्यादा जुल्म और अन्याय की तरफ बढ़ते हैं, इसका इलाज जब तक पूरी सख्ती से नहीं होगा, यह काम होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि बातचीत से मसला हल हो लेकिन बातचीत सुनता कौन है, किसकी सुनता है, किसको सुनाता है, और कौन पंजाब में बात करने का अधिकार रखता है, न वहां बादल को कोई अधिकार है, न टोहरा को कोई अधिकार है न किसी अकाली पार्टी को अधिकार है और न चाहे सिमरन जी सिंह मान हों, उसके बारे में रोज बयान पढ़ते हैं, दो तीन ग्रुपों के कि हम इसको भी कोई अधिकार नहीं देते हैं, यह भी अपनी ऊपरी बात करता है और फिर जब संविधान को बदलने की बात कहते हैं तो यह बात मुनासिब नहीं है। हम इस बात को सपोर्ट नहीं करते और हमारे नेता राजीव गांधी जी ने भी कहा है कि संविधान की धारा 51 को अगर तब्दील करने की बात होगी तो हम इस बात का समर्थन नहीं करेंगे। अगर हमने ऐसा कर दिया तो मुल्क टूट जायेगा, मुल्क कमजोर हो जाएगा। इसके दिमाग में जो खालिस्तान बनाने की बात बैठ गई है, उस बात को अगर निकालना है तो उसका देश के अन्दर सही हल है तो एक ही हल है। मैंने आज से पांच साल पहले भी कहा था और आज सदन में फिर कहता हूं कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, तीनों प्रदेशों को मिलाकर एक प्रदेश बना दो और उसका नाम महापंजाब रख दें तो यह मसला हो सकता है।

श्री चांद राम (हरदोई) : हरियाणा बनाने में तो भजन लाल जी शामिल थे। हम कभी भी शामिल नहीं हो सकते इसमें, पंजाब और हरियाणा का विलय हम नहीं मान सकते कभी भी।

श्री भजन लाल : चौधरी चांद राम जी, आप थे और हम भी थे, अब कोई बहुत नहीं बदल गये (**व्यवधान**)···हम हरियाणा अलग चाहते थे। आप अपनी बात रखिये, मैं अपनी बात कहता हूं। मैं सुझाव के तौर पर कहता हूं, देश के हित में यह बात कहता हूं, हरियाणा को हम चाहते हैं कि हरियाणा अलग रहे, हरियाणा अलग रहना चाहिए लेकिन आज देश की इज्जत का सवाल है, देश के टूटने का सवाल है, आज देश टूटने से बच सकता है, अगर इनके दिमाग से खालिस्तान की बात निकल सकती है, अगर हम हिम्मत करके फैसला कर दें, तो उस हिम्मत की वजह से, इस फैसले की वजह से खालिस्तान की बात दिमाग से निकल जाएगी। जब तक इनके दिमाग से खालिस्तान की बात नहीं निकलेगी, तब तक इस मसले का कोई हल नहीं है। आज कोई आफिसर बैठते हैं, हाई कोर्ट के जज बैठते हैं और आपस में बात करते हैं, तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि खालिस्तान तो बन कर रहेगा। उनके दिल-व-दिमाग से बात तभी निकलेगी, जब आबादी घटकर के 18 प्रतिशत रह जाएगी। तीनों जब मिल जायेंगे, तो उस समुदाय की आबादी घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगी और खालिस्तान का नाम लेने वाला तीन जन्म नहीं होगा। इसलिए हमें कुछ कुर्बानी करनी पड़े तो करनी चाहिए। हिमाचम प्रदेश हरियाणा की कुर्बानी से आप महापंजाब बना दें, सारा मसला हल हो सकता है। इस पर विचार करना चाहिए। मेरे विचार में अगर हो सकता है तो यही एक सही हल हो सकता है और दूसरा हल पूरी शक्ति से निपटने का है। मैं नहीं समझता, आप कब तक लोगों को कहते रहेंगे कि सरकार यह कार्यवाही कर रही है, यह कुछ करने जा रहे हैं, सरकार पूरा एक्शन लेगी, सरकार ने एक प्लान बना लिया है, सरकार का वह कार्यक्रम है, ये बातें सुन-सुनकर लोगों के कान बहरे हो चुके हैं। लोग बर्बाद हो चुके हैं। पंजाब जल गया है, पूरा का पूरा। आज पंजाब को बचाना हम सबका कर्तव्य बनता है। वहां पर चुने हुए नुमाइन्दे बैठे हुए हैं। हम लोग आज क्या समझते हैं, पंजाब का मसला कोई छोटा मसला नहीं है, बड़ा भारी गम्भीर मसला है। आज अगर पंजाब टूटता है और ऐसा वातावरण पंजाब में रहता है, तो क्या वह मुल्क बचेगा ? इस मुल्क का क्या बनेगा और क्या बनेगा आम आदमी का ?

आज आर्मी की बात कही जाती है, आर्मी के नौजवानों, आफिसरों, सी० आर० पी० एफ० और बी० एस० एफ० पर हमले होते हैं। पहले आम आदमी मरते थे, अब आर्मी के नौजवान और सी० आर० पी० एफ० के नौजवान मरते हैं। रास्ते में उग्रवादी हमला करते हैं। आज क्या हालात बन रहे हैं, इस पर बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। जब कंट्रोल नहीं होता है, तो कहा जाता है कि आर्मी को भेजो, तो माननीय सदस्य कहते हैं कि आर्मी की जरूरत नहीं है। मैं पूछता हूं, फिर कैसे कन्ट्रोल होगा ? क्या करेंगे और आपके पास क्या रास्ता है ? उनके पास ऐसे-ऐसे आधुनिक हथियार हैं, जो हमारी पुलिस के पास नहीं हैं। यहां तक कि किसी की बहन-बेटी की इज्जत सेफ नहीं है। शाम को उग्रवादी गांव में आते हैं। गांव में आकर कहते हैं कि तेरे यहां खाना खायेंगे, व्हीस्कि मंगाकर और मुर्गा बना कर तैयार रखना। व्हीस्कि पीकर और मुर्गा खाकर, घर में जो अच्छी बहन-बेटी होती है, क्या-क्या उसके साथ बलत्कार करते हैं, ये सारी बातें अखबारों में आती रही हैं। पंजाब में जाकर देखिए कि क्या हालात बने हुए हैं। इन हालात से निपटने के लिए बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन जब-जब भी राजीव गांधी की सरकार ने सख्त कदम उठाए, बहुत से माननीय सदस्य यहां पर नहीं हैं, कहते थे कि सरकार बहुत सख्त कदम उठा रही है, सख्ती कर रही है। सरकार को मरहम पट्टी लगानी चाहिए। मरहम पट्टी बांधते रहो, तो फिर इसका इलाज हो गया। हम चाहते हैं कि किसी जख्म

पर मरहम पट्टी करो, अगर ठीक होता हो, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं मुल्क के अन्दर, कि मरहम पट्टी की बात नहीं है। इस देश में जब तक बहुत बहादुरी और मजबूती के साथ जो उग्रवादी हैं, उनको कुचला नहीं जाएगा, तब तक काम होने वाला नहीं है। आज वहां पर किस तरह का वातावरण है ? चंडीगढ़ जो कि भारत सरकार के नीचे है, वहां रेडियो के डायरेक्टर को मार दिया गया और उसके बाद यह कह दिया कि अगर तुमने इसका प्रसारण कर दिया तो किसी की खैर नहीं। वहां से हिन्दी का प्रसारण बन्द हो जाए, जालन्धर से हिन्दी का प्रसारण बन्द हो जाए तो मुल्क कैसे चलेगा। इस तरह से हालात बने हुए हैं। इसलिए बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है सारे पहलुओं पर। आतंकवादी अखबार वालों को कहते हैं कि हमको खारखू लिखो। खारखू का मतलब बहुत बड़ा देशभक्त होता है, बलिदान देने वाला होता है। क्या हिम्मत है बेचारे अखबार वालों की कि वे उनको खारखू न लिखें। जब सरकार की यह हालत है, सरकारी रेडियो पर हिन्दी का प्रसारण बन्द कर दिया तो अखबारों की क्या हिम्मत कि वे न लिखें। उनको भी तो बच्चे प्यारे हैं। जब किसी की सेफ्टी नहीं होती तो इस मुल्क के अन्दर क्या बनेगा। आज जरूरत इस बात की है कि इस सरकार को पूरी कार्यवाही करनी चाहिए, सारी बातों पर विचार करना चाहिए और ये बातें संविधान के दायरे में होनी चाहिए। यह नहीं कि संविधान के दायरे के बाहर की बात है। आज आत्म निर्णय की बात कहते हैं। आत्मनिर्णय की बात को मान करके अगर हम फैसले की बात करते हैं तो क्या मुल्क टूटने से बच सकेगा ? इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, खास करके प्रधानमन्त्री जी से कि आत्मनिर्णय का बेस बना करके जो वे कहते हैं। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह मक्कासर : क्या यहां पर कोई मन्त्री बैठे हुए है ?

श्री भजन लाल : हां-हां, दो मन्त्री बैठे हुए हैं। आत्मनिर्णय के बारे में बहुत गहाराई से विचार करके, बात करनी चाहिए और सबसे पहले यह कहना चाहिए कि अगर हमारे साथ बात करनी है तो संविधान के दायरे में बात कीजिए और फिर आगे-पीछे की बात हम सोच लेंगे। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह मक्कासर : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। सदन में इस तरह के गम्भीर मामले पर बहस होते समय, सरकार का नजरिया, इस समस्या के बारे में गम्भीर होना चाहिए। कुछ लोग यहां बैठें है जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। डी० एम० यहां बैठे हैं, जिनकी हैसियत इस सरकार के अन्दर क्या होती है, हम जानते हैं। अभी-अभी मोरारका जी ने इस देश की बागडोर संभाली नहीं, इस हाउस के अन्दर, इसलिए बेड़ा पार कब होगा ? क्यों आप लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : महोदय, सरकार की ओर से मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। मैं बहुत समय से यही कर रहा हूं। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। श्री शोपत सिंह यह निर्णय नहीं कर सकते कि कौन मंत्री बनेगा। मुझे यह बात कार्यवाही-सारांश में शामिल करानी है। हम इसे विशेषाधिकार के नाते की गई टिप्पणियों के रूप में सहन करते रहे हैं; परन्तु जब हम पंजाब जैसे मसले पर चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे अवसर पर उन्हें

ये टिप्पणियां करने का कोई अधिकार नहीं है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य गंभीर हैं या नहीं; अथवा वे सक्षम हैं या नहीं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सोपत सिंह मक्कासर : आप यहां पर ढोंग करना चाहते हैं, कोई इस समस्या के बारे में गंभीर नहीं है।

[अनुवाद]

श्री कमल मोरारका : हालांकि हम तीन मंत्री हैं, फिर भी हम उस सरकार से काफी सशक्त और सक्षम हैं जिसका वे समर्थन कर रहे थे।

[हिन्दी]

श्री सोपत सिंह मक्कासर : सरकार को इस विषय पर गंभीरता दिखानी चाहिए। आज कितनी बड़ी गंभीर बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मैं उसे अस्वीकार करता हूं। यह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

यह बात हमारे सब माननीय सदस्यों को मालूम होगी कि जो भी कोई यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से उठ कर बोलते हैं वह उस व्यक्ति का कहना नहीं होता है बल्कि गवर्नमेंट का होता है। इसलिये यह कहना कि आप नहीं बोलते हैं, वह नहीं बोलते हैं, ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह गंभीरता का सवाल किसी व्यक्ति पर नहीं होता है, गवर्नमेंट की गंभीरता पर होता है। इसलिये इस प्रकार के सवाल आप बिना वजह मत उठाईयेगा।

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार बार्डर सील करने के बारे में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने फैसला लिया। उस सरकार के होते हुए काम बहुत तेजी से चला, बाद में आडवाणी जी ने खुद माना कि वी० पी० सिंह की सरकार ने कोई काम नहीं किया, मामला जहां था, वहीं खड़ा है। जब सवा साल हो जाये परन्तु कोई काम न हो तो यह मुनासिब बात नहीं है, लेकिन बार्डर सील करने के बारे में मैंने कई बार सरकार को सुझाव दिया कि सिर्फ तार लगाने से काम चलने वाला नहीं है। हालात उसके बाद और भी ज्यादा खराब हो गये हैं। वी० पी० सिंह सरकार ने इतने ज्यादा हालात खराब कर दिये हैं। अगर इस सरकार को बार्डर सील करना है तो केवल तार से बार्डर सील नहीं होगा। इसके लिये मैं आपको सुझाव देता हूं। एक-दो किलोमीटर की लाइन, वहां से, जम्मू-श्रीनगर से लेकर जैसलमेर तक सारी की सारी जमीन एक्वायर करें और वहां के जो किसान हैं उनको दुगना पैसा देकर, अगर वह जमीन एक लाख रुपए एकड़ है तो उनको आप दो लाख रुपये एकड़ के पैसे दो। ताकि वहां के जो किसान हैं वे वहां से उठकर दूसरी जगह अपनी जमीन ले लें। वहां पर दो किलोमीटर की चौड़ी पट्टी बिल्कुल साफ नजर आये अगर वहां पर सुई भी गिर जाये, क्योंकि सुई बहुत बारीक होती है तो वह भी नजर आये। अगर

आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हिन्दुस्तान के एरिया में कोई दखल न हो सके, तो इसके लिये जब तक आप दो किलोमीटर की पट्टी नहीं बनायेंगे तब तक काम होने वाला नहीं है क्योंकि हथियार तो पाकिस्तान से आते हैं। वह तार तोड़ करके भी आ सकते हैं।

इसलिये दो किलोमीटर तक की बकायदा पट्टी बना करके, वहां पर तेज रोशनी वाले बल्ब लगाये जायें ताकि जरा सी भी कोई चीज गिरे या घास का तिनका भी पड़ा हो, नजर आ जाये तब जाकर वहां बार्डर सील मानेंगे, तार से बार्डर सील करना और यह समझना कि उससे सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात आडवाणी जी ने कही कि 1984 के दंगों में सरकार नाकाम रही है। क्या सरकार नाकाम रही है, मैं कहना चाहता हूं कि हालात मुल्क में ऐसे बन गए थे कि अगर सरकार उस वक्त हरकत में न आती और राजीव गांधी जी जिनकी इतनी महान मां की लाश पड़ी हुई थी……।

श्रीमती विमलकौर खालसा (रोपड़): 1984 में सरकार ने दंगे करवाए थे। **(व्यवधान)**

श्री मक्खन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा जी राजीव गांधी की महान मां थीं और वे सारे मुल्क की मां थीं, यह कहूं तो गलत नहीं होगा, जिसकी लाश पड़ी हुई थी। **(व्यवधान)**

श्री लोपत सिंह मक्कासर : महात्मा गांधी से तो बड़ी नहीं थीं, उस वक्त तो एक ईंट भी नहीं हिली थी।

श्री मक्खन लाल : उसका भी आपको पता है कैसे ईंट हिली थी। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय, 1984 में इंदिरा जी की हत्या हो गई और आज मिसेस खालसा बोल रही है कि दंगे सरकार ने करवाए थे, जब रक्षक ही भक्षक हो जाएं तो क्या बनेगा इस मुल्क का। इंदिरा गांधी ने उनको अपनी रक्षा के लिए रखा हुआ था, इनके पति को रखा हुआ था, उसकी ही उन्होंने हत्या कर दी, इससे बुरी बात दुनिया में और क्या हो सकती है। आदमी को सोचकर बात करनी चाहिए। इंदिरा जी को लोगों ने कहा कि आपको इनसे खतरा है, लेकिन इंदिरा जी ने कहा कि नहीं ये मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे रखवाले हैं, लेकिन रखवाला ही उनको मार दे, गोलियों से मार दे तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है इस देश के अंदर और मारने के बाद जब भंगड़ा डालना शुरू कर दिया गया, जब इंदिरा जी की हत्या हो गई, तब मजबूर होकर, आप जानते हैं कि सब लोगों के खून में जजबात है।

[अनुवाद]

श्रीमती सुभाषिनी अली : दंगों को उचित मत ठहराइए। **(व्यवधान)**

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : आप चर्चा के प्रति गम्भीर नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मक्खन लाल : हम बिल्कुल जस्टीफाई करेंगे, कैसे इंदिरा जी की मौत हुई, आपको पता है क्यों दंगे हुए, क्या अचानक हो गए ? **(व्यवधान)**

श्री लोपत सिंह मक्कासर : गांधी जी के समय क्यों नहीं हुए, क्योंकि उस समय मारने वाले हिन्दू थे, मारने वाला पंडित था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। **(व्यवधान)**

श्री भजन लाल : आप अपने समय में बोलना, बीच में टोका-टाकी मत करिए। आपने कहा कि सरकार ने दंगे करवाए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनको जवाब मत दीजिए।

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जब ये लोग बोलते हैं तो मुझे जवाब देना पड़ता है। मक्कासर साहब तो अपनी ताकत के जोर से बोलते हैं। हम तो हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि आप बड़े भाई हैं हमारी बात भी सुनिए।

श्री शोपत सिंह मक्कासर : देश को बरबाद करने में आप लोगों की भागीदारी है। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री कमल चौधरी : आपके भाई बन्धुओं को अवश्य महसूस होना चाहिए कि समस्या क्या है? (**व्यवधान**) आपको अवश्य महसूस होना चाहिए कि इससे आपको तकलीफ होती है या नहीं। (**व्यवधान**) 1989 में क्या हुआ था। (**व्यवधान**)

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत) : मैं उस दिन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में था, भजन लाल जी ठीक कह रहे हैं। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री आई० के० गुजराल (जालन्धर) : मेरे विचार से यहां एक भ्रान्ति है। मैं आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री भजन लाल का इरादा इस मुद्दे को गड्ड-मड्ड करने का नहीं है। उनकी पंजाब के बारे में चिन्ता हम सबकी चिन्ता है। परन्तु वह आज जो सिद्धान्त प्रतिपादित कर रहे हैं वह पंजाब और शेष भारत दोनों के लिए हानिकर होगा। मैं आशा करता हू कि उनका तात्पर्य यह नहीं है और वह 1984 के दंगों को उचित नहीं ठहरा रहे हैं। हम जानते हैं कि यह किसने किया और कैसे किया, मुझे आशा है कि श्री भजन लाल का इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण हो गया होगा। अन्यथा, इससे स्थिति बिगड़ जायेगी। पंजाब के दुःख में हम सभी भागीदार हैं; परन्तु 1984 के दंगों ने हम सभी को चिन्तित किया है और हम सभी ने उसकी निन्दा की है। मैं आशा करता हूं कि श्री भजन लाल मुझे माफ करेंगे।

[**हिन्दी**]

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, गुजराल साहब पुराने और बड़े सीजन्ड तथा लायक मैम्बर हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि सरकार नाकाम रही और सरकार ने कन्ट्रोल किया। राजीव जी सारी-सारी गलियों में गए······(**व्यवधान**)

श्री मदन लाल खुराना : कहां पर।

श्री भजन लाल : दिल्ली की गलियों में·········(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खुराना जी, आप उनकी बात में बाधा नहीं डालेंगे। मैंने उन्हें 1984 के दंगों को उचित ठहराते हुए नहीं सुना। व्यर्थ में उनसे यह बात मत कहलवाइये।

श्री भजन लाल : सारी-सारी रात राजीव जी गलियों में फिरे और सबको आदेश दिया और उस समय मैं भी मुख्य मंत्री था, उन्होंने यह कहा कि किसी भी प्रदेश में हिन्दू-सिख का झगड़ा नहीं होना चाहिए। किसी के साथ जुल्म हो गया तो मुख्य मंत्री नहीं रहेगा। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : समस्या के कथन को कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हरमन्दिर साहब की हम बड़ी आदर करते हैं। हरमन्दिर साहब में किस हालात में आर्मी को भेजना पड़ा, यह देश जानता है। लेकिन लीडर्स वहां जाते थे और किसी लीडर ने यह नहीं कहा कि वहां जुल्म और अन्याय हुए हैं। वे कहते थे कि वहां बिल्कुल शांति है, कोई झगड़ा नहीं है। क्या मोर्चा बदी एक दिन में बन गई। क्या बहन-बेटियों की इज्जत नहीं ली जाती थी। क्या बड़े-बड़े कतल करके दाखिल नहीं होते थे। क्या एक रात में असला हो गया। आर्मी के कितने मरे हैं और कितने हालात पैदा हो गए तो किसी लीडर ने कन्डेम नहीं किया। सिर्फ यह कहा कि वहां शांति है और मजबूर होकर यह कहना पड़ा कि हरमन्दिर साहब की पवित्रता को कायम करना है। किसी ने भी कन्डेम नहीं किया। अगर सही बात कहने की हिम्मत हो तो गलत काम नहीं कर सकते। हमें सही बात कहनी चाहिए। उस समय कहते तो हरमन्दिर साहब की पवित्रता होती। सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त कदम उठाए और देश को टूटने से बचाने के लिए आर्मी के हवाले करना चाहिए जिससे वहां पर शांति कायम हो सके।

श्री कृपाल सिंह (अमृतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके शुक्रिया के साथ एक शेर सुनाना चाहूंगा।

"औरों का है प्याम और, मेरा प्याम और है,
इश्क के दर्द मंद का तर्जे कलाम और है,
ताइके जैरे दाम के नाले तो सुन चुके तुम,
अब यह सुनो कि नालाए ताइके बाम और है"

इसका मतलब यह है कि जिसको चोट लगी है उसकी जुबान और होती है। जो जाल में फंसे हैं उन पक्षियों का रोना तो आपने सुन लिया है और जो परिन्दा से बाहर बनेरे पर बैठा है उसका रोना और होता है। मैं उन सवालातों के लिए जिनको लेकर आज भजन लाल जी ने आग लगाई है उनकी बात बाद में करूंगा। क्योंकि यह इंटरप्शन होगा, इसलिए पंजाब की बात पहले कर ली जाये। इतनी बेइज्जती हुई है और मैंने उसके खिलाफ जुबान तक नहीं खोली, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बाइसलाल से कहूंगा···

श्री भजन लाल : मैंने किसी की बेइज्जती नहीं की।

श्री कृपाल सिंह : कहां से शुरू हुई यह समस्या, आज पंजाब की क्या हालत है आप देखें कि पंजाब की आर्थिक हालात क्या है। तमाम उन राज्यों को रायल्टी मिलती है जिनमे कोयला,

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया गया।

तेल आदि निकलते हैं, लेकिन पंजाब सारे देश को अन्न देता है उस पर कोई रायल्टी नहीं मिलती। उसके बिजली बोर्ड को 400 करोड़ रुपये का घाटा होता है जो किसानों को फ्लैट रेट पर बिजली देता है। अगर अन्य राज्य रायल्टी ले सकते हैं तो पंजाब को क्यों नहीं मिल सकती। अगर यह बात यहां पर कही जाती है तो उसको कोई हां में नहीं कहता। जब से देश आजाद हुआ पंजाब का जितना सरमाया बैंकों के जरिए इकट्ठा होता रहा है, तमाम राज्यों के आंकड़े आप रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में देख लें, उनमें पंजाब एक ऐसा है जिसको अपनी दी हुई रकम पर भी कभी 35 प्रतिशत भी नहीं मिला है। बाकी राज्यों में पांच राज्य कम से कम ऐसे हैं जिनको सौ प्रतिशत मिला होगा, मैं उन राज्यों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उन राज्यों से आये हुए मेरे कई दोस्त यहां बैठे हैं वे कहीं नाराज न हो जायें। लेकिन यह हकीकत है, आप रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें। पंजाब के साथ इन्साफ करने का जहां तक सवाल है जब यह देश आजाद हुआ तो हमारे पहले गवर्नर त्रिवेदी जी ने एक सर्कुलर निकाला कि ये जो वैस्ट पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं ये क्रिमिनल्स हैं, यह समझ कर इनको बसाया जाये।

हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गये"
शायद उन्हें तलाश किसी बेवफा की थी।"

जो कुछ उन्होंने किया और जिनकी यह बात होती है कि सिख बड़े बहादुर हैं, देशभक्त हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद कहा जाता है इनको खत्म करो, यहां पंजाब बनाके इनको 18 पर्सेंट कर दो फिर नये सिरे से सबको मिलाकर, इनके अन्दर जान है और ये अपने आपको खाड़कू कहने लगे हैं जो मिलीटेंट हैं। खाड़कू का मतलब न तो मेरे किसी दोस्त को मालूम है न उसके धार्मिक मायने होते हैं इसको निडर लोगों के लिए कहा जाता है, पता न हो तब भी सभी उसका इस्तेमाल करते हैं। जहां तक पंजाब की आर्थिक हालत का ताल्लुक है और जो सरकार की तरफ से एक विभिन्न विभागों को जाती रही है उसका जिक्र एक लफ्ज में मैंने किया है, मैं ये सफे पढ़ना नहीं चाहता, पता नहीं कितना समय मिले। अगर इस कहानी को शुरू किया जाये तो वहां से किया किया जहां से पहले-पहले बेएतबारी शुरू हुई। पंजाब का नौजवान जिसके पास तीन एवेन्यू थे, एक मिलीटरी में जाना, फारेन-जाना और खेती करना। पंजाब में खेती एक छोटी यूनिट बन गई है और उसमें कोई ऐसा भाग नहीं जो उपजाऊ बनने से रह गया हो, यह वहां के किसानों की अपनी मेहनत का नतीजा है। जो नौजवान मिलीटरी में विभाजन के समय में 25 पर्सेंट से भी ज्यादा तादाद में थे, आज उनकी तादाद घटकर 6 पर्सेंट रह गई है और शायद दो तक जाये। जो बेकार हुए उनको कोई काम नहीं दिया गया। बन्दूक उनकी रोजी-रोटी का पेशा है, बन्दूक उनके पास क्यों आई, कब आई, आपने सारा इतिहास पढ़ा है। मैं अण्डमान में सेल्यूलर जेल में गया था वहां मैंने लोगों के नाम पढ़े हैं। उनको पढ़ता हूं तो मेरे जेहन में फौरन आ जाता है।

"....हमने ही बरसों सजाया मयकदा
हमारी ही किस्मत में पैमाने नहीं हैं।"

जो घर पर बैठे रहे और नौकरी करते रहे वे हुकूमत करने के काबिल हो गये। लेकिन जिन

5.00 म० प०

लोगों ने जान दी और इस देश की इज्जत को यहां तक नहीं सारे यूरोप में, सारे मिडिल ईस्ट में जिनकी फौजों ने अपना नाम पैदा किया और जिनके पास सबसे अधिक परमवीर चक्र, विक्टोरिया

कॉस हैं, आज वह सारी की सारी कौम इस काबिल है कि उसको कुचल दिया जाये। यहां जब कुचलने की बात होती है तो अगर मैं कहूं कि जहां तक इक्तसादी सवाल का ताल्लुक है, उसमें तो ये और बातें न की जायें तो आप देखेंगे कि पंजाब का सरमाया बाहर लगता है, पंजाब में नहीं लगता है। परन्तु पंजाब के अन्दर 450 करोड़ टन के करीब सफेदा फालतू होता है, कम कीमत पर बिकता है। पंजाब वालों ने कहा कि गोइंदवाल में राजीव गांधी ने एक पेपर मील की नींव रखी थी, लेकिन उसको शरमिन्दा-तावीर नहीं हुई है, शुरू नहीं हुई और अगर पंजाब के सफेदा का वहां इस्तेमाल हो तो उसकी इक्तसादी हालत सुधरे, कुछ गांव वाले लोग सुधरें, अच्छे हों और जो बेकार लोग हैं उनको भी काम के लिए कहीं जाना न पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह त्वारिख नहीं कि जब आजादी की जंग, गुरुद्वारों की आजादी की जंग इन्हीं अकालियों ने लड़ी थी, उस वक्त गुरु के बाद का मोर्चा, चाबी का मोर्चा जीता तो उस समय पूजनीय महात्मा गांधी की तरफ से यह तार मिला था कि हमने आजादी की पहली जंग जीत ली है और वहां महामना मालवीय जी थे जिन्होंने कहा कि हर हिन्दू को अपना एक बेटा सिक्ख बनाना चाहिए। यहां से यह शुरू होती है। उनके कातरे में 3-3 फुट की कृपाण थी। अंग्रेज डिप्टी सुपरिटेंडेंट हड्डियां तोड़ते थे, वे हड्डियां तुड़वाते थे लेकिन कृपाण के दस्ते पर हाथ नहीं ले जाते थे और उनकी सहनशीलता को बात उस जमाने ने मानी है। महात्मा गांधी ने और उनसे पहले महात्मा बुद्ध ने, महावीर जैन ने अहिंसा का सबक दिया अगर प्रैक्टिकल शक्ल में किसी भी कौम की हिम्मत, उत्साह और ताकत होते हुए अहिंसा आजमायी तो वे सिक्ख थे पंजाब के। उनकी प्रशंसा सब तरफ से हुई है। यह आप भी मानते हैं और आडवाणी जी ने भी कहा कि दस सालों से वहां खून की होली खेली जा रही है। अब भी गांवों में, शहरों में, कस्बों में हिन्दू और सिक्ख के ताल्लुकात कभी खराब नहीं हुए हैं। आज भी जनाजों में सब इकट्ठे होते हैं, खुशियों में इकट्ठे होते हैं। कुछ आदमी जिनको आप कहते हैं खाड़कू, मत कहो। आप बताइये अगर आज उनके हुक्म से पंजाबी लागू होती है तो जिन लोगों ने यह नारा लगाया था वहां सत्याग्रह किया था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई, ऊड़ा-आड़ा नहीं पढ़ेंगे, वहीं से जंग शुरू हुई थी। अगर आज वे लोग पंजाबी लागू करते हैं तो उनको सिक्ख-पंथी कहा जाता है। यह पहले क्यों नहीं हुआ? हरियाणा में 40 प्रतिशत पंजाबी हैं और जहां तक मुझे पता है भजन लाल जी भी ऑरिजिनली पंजाबी हैं तो इतने 40 प्रतिशत पंजाबियों के होते इनके राज में, किसी कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर के राज में, देवीलाल के राज में या किसी के राज में पंजाबी को सैकेण्ड लैंग्वेज नहीं कहा और न कहने की बात सोची? यह क्यों नहीं है क्या है तेलुगु में, तमिल में क्योंकि इन लोगों का इंट्रेस्ट नहीं है। सिर्फ इसलिए कि उनका पंजाबी से पंजाबी में वैर-भाव रहना बहुत जरूरी है। आज पंजाब को दीगर कामों के लिए ग्रांट मिलती है अगर आप चाहें तो मैं आंकड़े बता दूं जिससे कि रिकार्ड पर आ जायें। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से हीट इन्होंने क्रिएट कर दी है, यह कोई इस किस्म की बात नहीं है जिसको लोग नहीं जानते हों या यह जिसके लिए मजीद ताकीद करने की जरूरत होगी। मैंने यह नहीं कहा। पं० जवाहर लाल ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा और आजादी से पहले कहा कि सिक्खों को ऐसा हिस्सा दिया जायेगा जिसमें ये महसूस करेंगे कि इनके लिए भी कोई घर है। आप कहते हैं कि पंजाबी सूबा बना है, इनको भी तोड़ दें ताकि यह कह न सकें कि हमारी भी कोई बात है, ये इस पर छा जायें किसी तरह से मैं इसलिए कहता हूं कि यहीं से बात शुरू होती है। अब अगर आप ब्लू स्टार आप्रेशन करते हैं। आपने इन्दिरा गांधी के कत्ल के ऊपर

बहुत सी गिरह् लगायी हैं आपने आपने अकाल तख्त पर तोपें चलायीं, दरबार साहिब पर गोलियां चलाईं, जिसकी हम रोज अरदास करते हैं, जहां से हम जिन्दगी लेते हैं जिसके अमृत से हमें अपनी आत्मा की गारंटी मिलती है। दरबार साहिब गोल्डन टेम्पल पवित्र मन्दिर है। उस पर गोलियां चलाने वाला अगर कोई मर जाता है या कोई मार देता है उसके लिए तो हाय-तौबा होती है और उसके बाद उसका बेटा कहता है कि बड़ा दरख्त गिरता है तो थोड़ी जमीन हिल जाती है और वह गली-गली फिरकर क्या कहता था, क्या करता था ? हजारों आदमी कत्ल हुए। उसके ऊपर कितने ही लोगों ने जो हमारे देश के हैं सिख नहीं हैं—तारकुण्डे जी सिख हैं, सीकरी जी जो हमारे चीफ जस्टिस थे, वे सिख हैं ? और दूसरे लोग थे, क्या मिश्रा जी सिख हैं। उन लोगों ने जो कुछ कहा, किसी गवर्नमेंट ने इससे पहले न वी० पी० सिंह की गवर्नमेंट ने और न आज की गवर्नमेंट ने कहा। सिर्फ एक आदमी था इस देश में जिसने सबसे पहले कहा, हम उसका अहसान नहीं भूलते और वह थे चंद्रशेखर जी जिन्होंने उस वक्त नारा लगाया। मैं उस वक्त दिल्ली में था। मुझको बचाकर भी हवाई जहाज तक ले जाने वाले चंद्रशेखर जी थे। मैं उनका मशकूर हूं और मैं यह देखता हूं कि उसने बड़ी तपस्या की, बड़े लंबे रूट पर लोगों की बातें सुनीं और बहुत कुछ किया। उनके प्रति हमारे दिल में बहुत ही इज्जत है लेकिन अफसोस तो यह है कि इस देश की परम्परा है कि जब कोई तपस्या करता है तो इंद्र का सिंहासन डोलता है और तपस्या जयप्रकाश जी ने की तो इंदिरा जी का सिंहासन डोल गया। तो वह सिंहासन डोलने के बाद क्या करते हैं ? वही हुआ—जेल, और जेल में ऐसी बीमारी की वजह से चले गए। चंद्रशेखर जी ने अपनी शिक्षा शुरू की और शिक्षा के बाद वह आचार्य जी से प्रभावित हुए और जब आजादी आई तो साहिर लुधियानवी ने एक ओर लिखा था कि—"नए लिबास में निकला है राहजनी का जुलूस।" तो जो नए लिबास में राहजनी जुलूस निकला, तो ये थोड़े दिन उसमें रहे। फिर आचार्य जी के पास आ गए और फिर उसके बाद ये टिक नहीं सके।। तो फिर से एक दफा राहजनी के जुलूस में शामिल हो गए और 75 में हमारे साथ रहे और अब वे इधर आ गए। मैं देखता हूं कि जब इंद्र का सिंहासन डोला तो उसने विश्वामित्र के सामने एक नाचने वाली अप्सरा भेज दी—मेनका।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप मुख्य मुद्दे पर आइए। और भी अनेक लोग बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

हमारे पास विश्वामित्र और मेनका के लिए टाइम नहीं है।

श्री कृपाल सिंह : मैं आपके हुक्म की तस्लीम करता हूं। उसके लिए टाइम नहीं तो मैं उसकी बात नहीं करता हूं। पर मैं ये जरूर कहता हूं कि इस कुर्सी ने और लीडर ने एक दफा कि "बुलन्द होकर भी आदमी अभी ख्वाहिशों का गुलाम"—तो वह आ गए और अभी कल ही उन्होंने गुरुद्वारा में तकरीर की तो मैंने यह समझा कि वह चिंगारी इनके अन्दर है जो इन्होंने 84 में यहां देखी थी। लाशें देखी थीं गले में टायर जलाकर, और राजीव जी गली-गली जाकर वह टायर उतारते फिरते थे या आग जलाते फिरते थे यह उन्हें ज्यादा मालूम है ··(व्यवधान)

श्री भजन लाल : मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। यह कहना कि राजीव गांधी आग लगा रहे थे, यह बात मुनासिब नहीं, यह कार्यवाही में से निकालनी चाहिए। गुजराल साहब बैठे हैं,

मेहरबानी करके अपने पड़ोसियों को समझाइए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इसका खंडन कर दिया है। आपको कहा है कि यह सही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री कृपाल सिंह : इस देश को जो माचिस आपने दिखाई है, वह सबसे पहले तो आग लगाने वाले आप हैं और लगाई थी राजीव जी ने। बड़े सिखों के कत्ल किए गए, उनको मारा गया, उनको बेइज्जत किया गया। उसमें कई मिलिट्री के अफसर थे, कई सरकारी अफसर थे। यह आपके ही हुक्म से हुआ था, ये आपके ही खेल खेले हुए हैं, और आज बड़े आराम से बात हो रही थी, आडवाणी जी भी कह रहे थे। आप भी हकीकत पसंद की बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर यह कहूं कि संत जनरैल सिंह को किसने तलाश किया था अकालियों को मारने के लिए? और फिर जब अन्दर सेना के ट्रकों से हथियार जा रहे थे, तो वह लेडी मेम्बर नहीं है, उनके पति वहां आई० जी० थे। उन्होंने कहा कि इन हथियारों की तलाशी लेने की हमें सेंटर से इजाजत नहीं। वह कौन थे जिसको इजाजत नहीं थी? इंदिरा जी थीं या कौन थे? इनकी मर्जी से यह सब कुछ होता रहा। बात यह थी कि वह आदमी बहुत खुद्दार थे। यह तो गए अकालियों के साथ लड़ने के लिए लेकिन आप लोगों की ज्यादतियां देखकर लड़ाई आपके साथ हो गई। तो फिर उसको खत्म करने के लिए यहां से तोपखाना भेज दिया गया। उसके बाद जब यह वाक्या हुआ, आप किसी आदमी को तो कहते हैं कि बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने, जो इंदिरा जी के मुहाफिज थे उनको कत्ल कर दिया, क्या आप हिन्दुस्तान के मुहाफिज नहीं थे क्योंकि आपने भी तो हजारों लोगों को हिन्दुस्तान में कत्ल कराया। क्या इंदिरा जी में खून कोई और खून है। किसी का खून तो खून है, किसी का खून पानी है। आज आप पंजाब में जाकर देखें कि बेअंत सिंह और सतवंत सिंह पंजाब के हीरो हैं। उन्हें पता है कि उमरा नंगल को किस तरह उन सिखों ने जाकर मारा था जिसने दरबार साहब की बेइज्जती की थी।

जजबात तो लोगों के हैं। मुझे उस पर पूरा इत्तफाक है, आपको न हो, किसी को न हो, लेकिन जो हकीकत है, वह कही जायेगी।

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष जी, इन्होंने फिर ऐसी बात कह दी, फिर कहा कि इंदिरा गांधी को मारने वाले पंजाब के हीरो हैं। क्या इससे भी ज्यादा कोई बुरी बात हो सकती है। आप लोग भी सुन रहे हैं। यह रिकार्ड में है, इन्होंने ऐसा कहा है, आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए। क्या बोल रहे हैं ये, इन्होंने दोनों को पंजाब का हीरो कहा है। आप इनसे पूछिए। (व्यवधान)

श्री कृपाल सिंह : मैंने जो कहा है, वह हकीकत है। पंजाब के लोग उनको हीरो मानते हैं। यही हकीकत है।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं यह चाहता हूं कि जो इनके दिल का दर्द है, इन्होंने अपनी बात नहीं बोली है, कितना करके कह देंगे···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : भोगेन्द्र जी, कृपया आप अपनी जगह ले लीजिए, सीट पर बैठ जाइए।

श्री मदन लाल : इन्होने हीरो कहा है, रिकार्ड पर है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपाल सिंह जी मैं आपसे विनती करूंगा कि आज हम हाउस में पंजाब में जो वर्तमान परिस्थिति है, उसमें सुधार लाने के लिये क्या करना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा कर रहे है। यदि हम पुराने जख्मों को खोलेंगे तो हो सकता है कि उससे परिस्थितियों में बिगाड़ आ जाये। इसलिए वैसा करना अच्छा नहीं होगा। मै आपके किसी बोलने पर पाबंदी नहीं लगा रहा हूं। आप जो चाहें, बोलें मगर बोलते समय यह अवश्य ध्यान में रखें कि अगर पुराने जख्मों को खोला गया तो उससे पंजाब की स्थिति बिगड़ने वाली है या सुधरने वाली है। ऐसी बात कुछ न करें जिससे कि एक दूसरे के बीच में जवाब सवाल की नौबत आये।

श्री कृपाल सिंह : मैं आपसे सेंट परसेंट इत्तफाक करता हूं लेकिन इस जख्म को हाउस में किसने कुरेदा है, मैं उनको क्या जवाब दूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पंजाब की मौजूदा हालात पर बोलिए, ऐतिहासिक तथ्यों पर नहीं।

[हिन्दी]

श्री कृपाल सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है किसी के नाहक खून पर, किसी बेकसूर, किसी इन्नोसेंट आदमी पर यदि कोई दूसरा आदमी हमला करता है तो कोई भी बाइखलाक आदमी धर्म को मानने वाला आदमी, उसकी ताईद नहीं कर सकता बल्कि मजम्मत ही करेगा। कल मान साहब के मुतल्लिक एक बात कही गयी, उनका स्टेटमैंट पढ़िए अखबारों में, कल भी और इससे पहले भी, उन्होंने लुधियाना में जो बुरा काम हुआ है, उसकी पुरजोर मजम्मत की है। हम भी करते हैं और लोग भी करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। ख्वामख्वाह किसी के जिम्मे आप ऐसी बात लगायें, यह बात बहुत अजीब है। मैं इसकी हिस्ट्री में गया था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ! यह मौजूदा हालात पर बोलने का वक्त है। यह वक्त इतिहास के लिए नहीं है।

[हिन्दी]

श्री कृपाल सिंह : मैं तो सर आपके हुक्म के बाद अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वरना मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी।

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : अभी आप मान साहब की तारीफ कर रहे थे, कल उन्होने जो कुछ कहा, क्या आप खालिस्तान का भी समर्थन करते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, बीच में मत बोलिए। मैं आपको मौका दूंगा।

श्री कृपाल सिंह : कल ही उन्होने कहा है कि लुधियाना में जो कुछ हुआ है, मैं उसकी मजम्मत करता हू। यह बात उन्होंने बोली है। आडवाणी जी ने कहा कि किसी से बात

नहीं होनी चाहिए परन्तु लाल डेंगा, जो देश के एक भाग में मिजो नेशनल आर्मी बनाता है, उससे चाहते हैं कि बात की जाये, उसे आपने यहां दिल्ली में घर-जंवाई बनाकर एक साल तक रखा और यहां बात कही जा रही है कि किसी से बात नहीं करनी चाहिए। क्या इसे जायज कहा जायेगा। क्या आपके मुख्तलिफ पैमाने हैं। किसी के साथ कोई बात होती है, दूसरे के साथ दूसरी बात होती है। चन्द्र शेखर जी ने जो बात कही है, मैं उसकी ताईद करता हूं। बात कोई भी करे, अगर कोई खालिस्तान कहे और चन्द्र शेखर जी उसकी बात ही न सुनें, यह कहना कि खालिस्तान की बात हम नहीं मानेंगे, ठीक है, मानेंगे या नहीं मानेंगे, कोई समझौता होगा या नहीं, हम तो तब की बात करते हैं जब आपने पॉलिसी अपनी शुरू की थी और रिबैरो वगैरह को जिम्मेदारी सौंपी, हमने खुद रिबैरो साहब को पूछा था कि बताइये, तुमने तो कहा था कि 50 आदमी ही हैं पंजाब में, लेकिन 200 से ज्यादा तो अब तक मार दिये, फिर ये और कहां से आ गये। इस प्राबलम के हल के लिए जब अफसरों से पूछा गया कि आप इनसे बात करके हल करें तो उत्तर मिला, जनाब इनकी रिक्रूटमेंट कम नहीं होती है, तो फिर आपने भी वही बात कही, चन्द्रशेखर गवर्नमेंट को भी ये सब लोग खत्म करने चाहिए, कर लो भाइयो। हम तो इस प्रकार की बात नहीं करते, लेकिन जो पॉलिसियां आपने अपनायी थी, उनका क्या नतीजा है? बात बढ़ी या घटी और 2 मील की पट्टी को और जोड़िये, तो जो उजड़ेंगे वे लोग कभी अमन पसन्द नहीं रहेंगे क्योंकि इनको आपने ही उजाड़ा है। और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका कि कोई बात चल सके। अगर वे बात करने की बात करते हैं, तो उसकी भी ये मुखालिफत करते हैं। वे जब तक न मानें, आईन को न मानें, हथियार छोड़कर न आयें, मैंन-स्ट्रीम में न आयें, तोबा करके न आयें, हालांकि मैं नहीं चाहता कि तोबा न करें, हथियार न छोड़ें मैनस्ट्रीम में न आयें, लेकिन जहां वे हैं, अगर नहीं आते हैं, तो जो दूसरे मैथॉड आपने बताये हैं, वे क्या कोई नये हैं? ऐसा नहीं है। वे कोई नये नहीं हैं। इससे पहले ये मैथॉड चलते हैं। ऐसा कहना कि पंजाब में इलैक्शन न हों और फिर यह भी कहना कि पंजाब के लोग तो बड़े इत्तफाक से रह रहे हैं, यह ठीक नहीं हैं। आडवाणी जी ने कहा है कि कुछ लोग मेरे पास आये थे, अगर हमें कहते तो हम बलदेव प्रकाश को जिता देते, यह अजीब बात है। इसका मतलब तो फिर वे इनके दोस्त हुए। मैं वहां से जीता हूं, न मेरे पास कोई आया और न मैं किसी के पास गया। अगर मैंने किसी संस्था को कहा है, तो साफ कहा है — दो बातों का, कभी मैं समर्थन नहीं कर सकता—एक तो इंडिया से अलहदा होने की बात और पटना साहब के दर्शनों और हजूर साहब के दर्शनों को बदनाम करने की बात। लेकिन आपने तो 1985 के इलैक्शनों में सारी सिख कौम को अरदास किया। आपने पोस्टर छापे और उनमें लिखा कि देखो इनको, पहचानो इनको। लेकिन मैंने तो दो बातें साफ कही हैं, चाहे मुझे कोई मार दे, जिसकी मरजी हो वह मार दे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपाल सिंह जी, आपने 25-30 मिनट ले लिये है।

श्री कृपाल सिंह : नहीं जी। आप बीच में से इंट्रप्शन्स का समय निकाल दीजिए। मैंने तो किसी के बोलने के बीच में इंट्रप्ट नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, जिनके हाथों से बेइज्जती हुई, सिखों की बेइज्जती हुई, वे ही आज बड़े फख्र से कहते है कि हमने यह किया।

"सुन तो सही जहां में तेरा है फसाना क्या
कहते हैं तुमको खुलके खुदा लगायेवाना क्या"

आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। चन्द्र शेखर जी ने सब पढ़ी है। इन्होंने 18 महीने की जेल में शायद एक भी वरक नहीं छोड़ा जो सिख हिस्ट्री को पढ़ा न हो। इसके लिए इनकी सारी की सारी कौम इस बात की मशकूर है कि जिन्होंने उस वक्त यह बात उठायी थी—"कोई तो मर्दे खुदा था जिसने उक्त ऐसी आवाज उठायी"—कि यह बुरी बात हुई। मैंने इनके आने से पहले कहा कि इनकी वजह से मैं यहां से बचकर निकला। नहीं, तो मैं भी किसी टायर से सड़ गया होता। यह बात इनके क्रेडिट में जाती है, आप इनकी टांगें खींच रहे हैं। कल ही इन्होंने गुरुद्वारे में एक तकरीर की और उस तकरीर में इन्होंने उसी अजान को दोहराया जो ये उस वक्त कहते थे। इनकी यह बात कहां कांग्रेसी राख में दब न जाये, इसके लिए मैं दुआ करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप, प्लीज कन्क्लूड कीजिए।

श्री कृपाल सिंह : जी हां डिप्टी स्पीकर साहेब, मैं कन्क्लूड करते हुए यह कहना चाहता हूं कि फौरी तौर पर पंजाब के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वे दिये जायें, यानी वहां इलेक्शन करवाये जायें। पंजाब में उनसे बात की जाये, जिनके मुताल्लिक ये कहते हैं। वे तोबा करके आएं या न आएं, आईन को मानकर आयें या न आयें, हथियार छोड़कर आयें न आयें, उनको जान की गारंटी देकर, बुलाकर के बात करें। अगर बात न बनी, तो जो बात चल रही है, वह चलती रहेगी, लेकिन एफर्ट्स तो करने चाहिए। क्या आप और क्षेत्रों में एफर्ट नहीं कर रहे हैं और अगर और क्षेत्रों में एफर्ट कर रहे हैं, तो फिर पंजाब में क्यों नहीं करते हैं ? यहां भी प्रयास तो कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जब ये हमारे दोस्त कहते हैं कि तराई में पहुंच गये हैं, तो जो चन्द सिख तराई में पहुंचे हैं और जिन्होने अपने खून पसीने को एक करके, अपने खानदानों को बर्बाद करके वहां की जमीन को आबाद किया है, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। कोई कहता है कि बिहार में पहुंच गये हैं, कोई कहता है कि अब बंगाल में पहुंच गये हैं, तो क्या इन सबको निकाल दोगे, क्या यह तुम्हारी देश-भक्ति है ? क्या इसी देशभक्ति का आसरा देकर इस मामले को हल कर लोगे ? यह तो कोई ब्रॉड माइंडड आदमी ही कर सकता है। कोई चौड़ी छाती वाला आदमी ही कर सकता है। चन्द्र शेखर जैसा आदमी ही कर सकता है, यह मैं समझता हूं। और आप लोग उनके पैरों में बेड़ियां बनकर लगे हुए हैं।

मैं बहुत कुछ कहने वाला था लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब के हुक्म की तामील करना मेरा फर्ज है। मैं समझता हूं कि जो चिंगारी श्री चन्द्रशेखर के सीने में है खुदा उसे कायम रखे और यह राख का ढेर उस चिंगारी को दबा न दे, यह बेड़िया उनके रास्ते को रोक न सकें। हमने उनसे जो सीखा है वही कह रहे हैं, वे अब क्या कहेंगे यह मैं नहीं जानता, यह वे जानेंगे, लेकिन मैं यह जानता हूं कि यदि कोई मौका मिल सकता था तो श्री वी० पी० सिंह के समय भी मिल सकता था वे नहीं ले सके और बाद में पछताते रहे कि मैंने इलैक्शन क्यों नहीं करवाए। इनको भी कहीं पछताना न पड़े। मैं समझता हूं कि इनको भी मौका मिला है, जो भूले-भटके हैं उनको रास्ते में लाने के लिए बिना किसी शर्त के बात करेंगे। मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे बोलने का समय दिया।

———

5 21 म० प०

खाड़ी संकट के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक अनुरोध करना है। हम खाड़ी संकट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन यदि सदन इस बात से सहमत हो तो खाड़ी संकट के बारे में संकल्प को जिसे सभी दलों ने स्वीकार कर लिया है, आप पेश करें जिससे जल्दी ही इसे प्रेस के लिए जारी किया जा सके।

मैं अध्यक्षपीठ से निवेदन करूंगा कि वे प्रस्ताव पेश करें और सदन से इसे पारित करायें। हम खाड़ी संकट पर बाद में चर्चा कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : विभिन्न दलों के सभी नेताओं ने प्रारूप को स्वीकार कर लिया है। अध्यक्षपीठ इसे पेश करें।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : अध्यक्षपीठ इसे पेश करें। हम इसे स्वीकार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम पंजाब पर चर्चा स्थगित कर दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं प्रधान मन्त्री जी की बात से सहमत हूं कि जहां तक वक्त की नजाकत का सम्बन्ध है यह उचित है कि अध्यक्षपीठ इसे प्रस्तुत करे। परन्तु यह और भी उचित होगा यदि अध्यक्षपीठ इसे थोड़ी चर्चा के बाद प्रस्तुत करें जिससे कि हम अपने विचार व्यक्त कर सकें।

श्री चंद्र शेखर : बात यह है कि राज्य सभा में इसे पहले ही स्वीकृत किया गया है। यदि हम इस संकल्प में विलम्ब करेंगे तो यह प्रचार माध्यमों तक नहीं पहुंच पायेगा और इसके अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : बिना समय गंवाए, इसे स्वीकार किया जा सकता है और जारी किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस संकल्प को सदन के समक्ष पेश करूंगा और यदि इस पर चर्चा करना आवश्यक हुआ तो पंजाब पर चर्चा के बाद अथवा पंजाब पर चर्चा के पहले जैसा भी सदन निर्णय करे, हम इस पद पर चर्चा कर सकते हैं।

विदेश मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : श्रीमान् जी ! हम इसी समय इस संकल्प को स्वीकार करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संकल्प को पढ़ता हूं।

संकल्प

पश्चिम एशिया के संकट से पूरे विश्व से भारी चिन्ता व्याप्त है। शायद दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात् अवसर कभी नहीं आया जब मानव जाति इस प्रकार विश्व संकट के कगार पर पहुंची हो। युद्ध से अपार जन हानि होगी और पर्यावरण को अपूर्णनीय क्षति पहुंचेगी। युद्ध को टाला जाना चाहिये। शांति के लिये अनथक प्रयास किये जाने चाहिए।

यह स्मरण करते हुए कि भारत सरकार गुट निरपेक्ष आन्दोलन से सम्बन्धित तथा आन्दोलन से बाहर के अन्य अनेक देशों के साथ-साथ बार-बार यह आग्रह करती रही है कि खाड़ी संकट का समाधान बातचीत के माध्यम से शांति पूर्ण ढंग से किया जाये।

यह नोट करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् संकल्प 678 में निर्धारित की गई 15 जनवरी, 1991 की अंतिम तिथि तेजी से निकट आती जा रही है।

यह विश्वास करते हुए कि संकटग्रस्त सभी पक्षों में वार्ता कराने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

भारत को खाड़ी क्षेत्र के देशों और लोगों को एक सूत्र में बांधने वाले अनेक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषायी और अन्य रिश्तों और उनके साथ स्नेहपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की लम्बी परम्परा का पूरा ध्यान रखते हुए यह सभा :—

(एक) यह दृढ़ विश्वास व्यक्त करती है कि युद्ध टाला जाना चाहिए;

(दो) सभी पक्षों से यह आग्रह करती है कि आगामी दिनों तथा सप्ताहों में युद्ध रोकने के लिये दृढ़ प्रयास किये जायें और संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में अथवा अन्यथा बातचीत द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढा जाए।

(तीन) इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा अंतिम क्षणों में किये जा रहे प्रयासों में उनकी सफलता की कामना करती है।

मैं समझता हूं इस संकल्प को सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

———

नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) पंजाब में स्थिति—(जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम पंजाब पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। श्री कपील देव शास्त्री बोलेंगे।

[हिन्दी]

गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आने वाला है। इस कारण आप थोड़ी बात कह कर अपनी बात खत्म करें।

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़े में अपनी बात कहूंगा और चाहूंगा कि मेरी बात से कोई विवाद की बात पैदा न हो। मैं जो भी सुझाव दूं, सारा हाउस उसे स्वीकार भी करे।

उपाध्यक्ष महोदय, लड़ाई पंजाब और हरियाणा के खून में है। वह कभी रुकती नहीं है।

यह लड़ाई हजारों सालों से है। अगर उनको दूसरों से लड़ना पड़ता है तो उस शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। दूसरों से उनकी लड़ाई नहीं होती तब वह घर में लड़ते हैं। कम से कम पांच हजार साल का इतिहास इस बात का साक्षी है—चाहे राजपूत हों, जाट हों, गूजर हों, अहीर हों। यही लोग इधर बसते हैं और यहीं लोग यहां लड़ते हैं। आप उन्हें देश के लिये लड़ाइये तो देश के लिये लड़ेंगे। आप चाहें तो उन्हें जर्मनी से लड़ा लें, फ्रांस से लड़ा लें, अमरीका से लड़ा लें, कहीं लड़ा लें। यदि आप उन्हें देश या देश के बाहर के लिये नहीं लड़ा सकते तो वे घर में लड़ते हैं। लड़ाई के क्या कारण हैं? मैं बहुत लम्बे में नहीं जाना चाहता हूं। मैं 1937 से लेकर अब तक पंजाब की हर चीज से परिचित हूं। पंजाब की जो समस्या है उसका सबसे बड़ा कारण आर्थिक लड़ाई है। इस आर्थिक लड़ाई को चौधरी छोटू राम ने कभी समझा था और इसीलिये उन्होंने हिन्दुओं, मुसलमानों और सिखों को एक प्लेटफार्म पर खड़ा कर दिया था। उन्होंने मुल्लाओं के लिये कहा था इन्हें मस्जिद में बांध दो, ग्रन्थियों को कहा था कि गुरुद्वारों में जाओ और मेरे जैसे पंडितों को कहा था कि मन्दिर में बैठकर पूजा करो, तुम्हारा कोई राजनीति से अर्थ नहीं है। आज भी यही स्थिति है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 1956 से आज तक अनेक समझौते हुए हैं पानी के और भूमिगत मामलों के। पंजाब के लोगों ने विशेष तौर से अकालियों ने उन समझौतों को कभी लागू नहीं होने दिया चाहे पंजाब के पानी का 1956 का समझौता था, 1968 का था, 1977 का था, 1982 का था और यही हाल भूमि के मामले का है। पंजाब की समस्या आधी हल हो जायेगी अगर इन्दिरा एवार्ड 1970 का लागू हो जाये और हरियाणा को फाजिल्का अबोहर दे दिया जाये। फिर आपको जैसलमेर तक पट्टी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने राजीव-लोंगोवाल समझौते की धारा 7 और 9 के खिलाफ एक युद्ध चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में लड़ा। पंजाब ने स्टेट मामले को नहीं माना। आज भी यही स्थिति है। जिस दिन फाजिल्का, अबोहर हरियाणा को दे देंगे उस दिन आधी लड़ाई रह जायेगी। वरना हम पाकिस्तान की सरहद से जा मिलेंगे और पंजाब से जो लोग आते हैं, वे कभी नहीं आ सकेंगे।

चौधरी भजन लाल जी जब मुख्यमन्त्री थे 1985 में, तब उन्होंने एक प्रपोजल केन्द्र सरकार को दी थी और यह कहा था कि तुम इस कन्दूखेड़ा की बात क्यों करते हो, कन्दूखेड़ा के बदले में राजस्थान सरकार को चार गांव हरियाणा के देते हैं और हमसे मिलते हुए राजस्थान के जो चार गांव हैं, वह हमको दे दो। अबोहर फाजिल्का हमको दे दो तो लड़ाई समाप्त हो जायेगी। पंजाब में जो उग्रवाद चल रहा है, उसमें ज्यादा हथियार, ज्यादा रास्ते पंजाब के फिरोजपुर के इलाके में और राजस्थान के गंगानगर और जैसलमेर के इलाके से ज्यादा आते हैं, उनकी बात नहीं मानी गई तब उनको हटाकर चौधरी बंसी लाल को मुख्य मन्त्री बनाया था। मैं अकाल तख्त पर हाजिर था, हरियाणा के उन पांच आदमियों में, जिनका पंजाब के साथ समझौता हुआ था और वहां यह तय हुआ था कि पंजाब और हरियाणा को अलग करते समय एक या दो गांव दूसरी भाषा के हैं और दस बारह गांव में से जाने की शर्त रखी थी, उन दस में भ दो गांव दूसरी भाषा के थे तो दो गांव कम नहीं आयेंगे, इसलिए यह कन्दूखेड़ा की जो आड़ ली गई, यह एक बहुत गलत बात हुई। मैं बहुत खुलकर कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार साहस करके जिस दिन अबोहर फाजिल्का हरियाणा को दे देगी, हरियाणा का हमारा राज जिस दिन सतलुज यमुना से जा मिलेगा, पाकिस्तान की सरहद से जा मिलेगा, उस दिन पंजाब में आधा उग्रवाद स्वयंमेव समाप्त हो जायेगा, कोई बात ही नहीं रहेगी, इतनी बड़ी लड़ाई की। यह जो तार लगाने की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं, उनकी जरूरत नहीं रहेगी।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई की पृष्ठभूमि में एक चीज और भी है। पहले देश की फौज में पंजाब के 20-22 फीसदी और हरियाणा के 18 फीसदी जवान भर्ती हुआ करते थे। बाबू जगजीवन राम जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने एक पाबन्दी लगा दी कि जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है, वहां से उतने ही फौजी भर्ती किये जायेंगे। जब आई० ए० एस० बनते हैं तब तो यह कहते हैं कि योग्यता के आधार पर लेंगे। यह संघ लोक सेवा आयोग इस देश का सबसे बड़ा शत्रु है, तब तो कहते हैं कि योग्यता के आधार पर लेंगे और जब फौज और पुलिस में भर्ती होती है तो कहते हैं कि जनसंख्या के आधार पर लेंगे। अगर आपको जनसंख्या के आधार पर लेना है तो फिर नौकरियां भी उसी आधार पर भरी जानी चाहिए। अगर योग्यता के आधार पर लेना है तो पंजाब के युवकों को, हरियाणा के युवकों को फौज में ले लो, आधी लड़ाई अपने आप जाती रहेगी, उनको लड़ाई के लिए जगह मिल जायेगी।

दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जिसको मैं बहुत अहम् मानता हूं कि सतलुज यमुना लिंक नहर हरियाणा को मिलनी चाहिए। पंजाब के लोग जो वहां रुकावट डालते हैं, बी० एस० पानी लाने के लिए, नहर की खुदाई के लिए, मैं पंजाब के लोगों से पूछना चाहता हूं कि 1956 से पानी बहकर पाकिस्तान जा रहा है उससे पाकिस्तान को हर साल 800 करोड़ रुपये का फायदा होता है, वह पानी राजस्थान और हरियाणा को क्यों नहीं मिलना चाहिए ? उसमें अकाली रुकावट क्यों बनते हैं ? आज स्थिति यह है कि पंजाब में न तो गुरुचरण सिंह टोहरा को कोई जानता है, न प्रकाश सिंह बादल को जानता है और भी किसी को नहीं जानता। अब तो नये छोकरे आ गये, उनको पैसा चाहिए, बन्दूक चाहिए और लड़की भी चाहिए और वह बन्दूक की नोक पर मिलती है। अगर सरहद पर हरियाणा की पुलिस नहीं हो तो उन उग्रवादियों की जो बन्दूक है, वह दिल्ली में होगी। हमारी बहादुर पुलिस उनका मुकाबला करती है, हरियाणा को केन्द्र से वह सहायता नहीं मिलती जो पुलिस के लिए उसे मिलनी चाहिए। हमारी पुलिस के पास न तो हथियार हैं और न वाहन हैं और न साधन हैं। इसके बाद भी हरियाणा की पुलिस ने कभी पंजाब के उग्रवादियों को दिल्ली की तरफ मुंह नहीं करने दिया। मैं इसलिए यह सारी बात कहना चाहता हूं कि उग्रवाद को खत्म करने का एक ही रास्ता है कि आप पंचायत से लेकर जिला परिषद् के, म्यूनिसिपल कमेटी के और विधान सभा के वहां चुनाव करवा दो, जब इकट्ठे चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे तो लोग पंचायतों के चुनावों में उलझेंगे। उग्रवादी जो जीत कर आया है, उसने यह कभी नहीं किया, बूथ कैपचरिंग कभी नहीं की जैसे कि बिहार में होती है। उन्होंने एक ही बात कही कि वोट डालोगे तुम, लेकिन हमारे उम्मीदवार को दिखाकर डालोगे, हमारे एजेंट को दिखाकर डालोगे। वे बाकायदा वोट तो डलवाते हैं। वे कहते हैं कि वोट डालकर आओ लेकिन हमारे एजेंट को दिखाकर डालोगे। पांच बार पंजाब की सरकार गिराई। उनके मन में आक्रोश तो है कि राज नहीं देना चाहते हैं। जाट होने की सजा हमको देते हैं। पंजाब और हरियाणा सारे हिन्दुस्तान के लिए अनाज पैदा करते हैं और देश की जब रक्षा की बात आती है तो पहल करते हैं और जब राज देने की बात आती है, तो खिलाफ होते हैं। भजन लाल जी मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये पिछड़े हुए जाट हैं···(व्यवधान)···भजन लाल जी जाट है। मैं कहना चाहता हूं कि जाट जब राज लेता है तो अन्न पैदा करे, तब किसी को दर्द नहीं। उसका पैदा किया हुआ अन्न सारा देश खाता है और जब राज हाथ में आ जाए तो सब को दर्द होता है। मैं चाहता हूं कि फौज की मदद से इकट्ठे चुनाव कराकर राज दे दो, कोई लड़ाई नहीं है। रास्ता दो, फौज में भरती करो।

लड़ाई तो चौधरी की है।···(व्यवधान)···अकाली लीडर में लीडरों नहीं थी, यह इसीलिए लड़ाई हो रही है। प्रकाश सिंह बादल की सरकार गिराते हैं, सुरजीत की सरकार गिराते हैं, लक्ष्मणसिंह की सरकार गिराते हैं और जस्टिस गुरुनाम सिंह की गिराते हैं। मैं पूछता हूं आप समस्या का समाधान किस प्रकार करना चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि फौज की देखरेख में पंचायत से लेकर एसेम्बली तक के चुनाव इकट्ठे करा दीजिए, सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी।

[अनुवाद]

श्री विनेश सिंह (प्रतापगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सत्र के समापन के दिन हम एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जिसका देश को सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की समस्या पर चर्चा करने के लिए और अधिक समय दिया जाना चाहिए था। कई सदस्य इस पर बोल चुके हैं इसलिए मैं उन बातों को नहीं उठाऊंगा जिन्हें पहले ही उठाया जा चुका है और चर्चा हो चुकी है।

पंजाब की समस्या का एक इतिहास है। यह समस्या हमारे देश के विभाजन के समय से ही बनी हुई है। उसके बाद भाषाई राज्यों, पंजाबी सूबे के गठन और अब आतंकवादी गतिविधियों की समस्या उठी है। एक ऐसा धागा है। जो इन सभी समस्याओं को एक सूत्र में पिरोता है। इसके विशिष्ट कारणों का पता लगाने में समय लगेगा। इसका उल्लेख करना उपयोगी होता किन्तु इस समय इस पर गहराई में जाने का समय नहीं है। मैं आपकी अनुमति से इस समय विद्यमान संभावनाओं पर बोलूंगा न कि ऐतिहासिक प्रश्न पर क्योंकि यह भावनाओं से जुड़ा हुआ है। यदि एक बार जब कोई भावना से जुड़ जाता है तो फिर ऐसी व्यवस्था करना अत्यन्त कठिन हो जाता है जो भविष्य में सभी को स्वीकार्य हो।

पंजाब की वास्तविक समस्या बड़ी रोचक है। सामान्यतः आप पृथकतावाद अथवा आतंकवाद के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो अभाव से जुड़ा है—क्योंकि लोग उससे वंचित हैं, और वे गरीब हैं और उन्हें वह चीज नहीं मिलती है जिसे वे उचित समझते हैं। पंजाब में कहानी अलग है। पंजाब हमारा सबसे समृद्ध राज्य है। देश की तुलना में पंजाब में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अतः वहां पर निर्धनता के कारण लोग आतंकवादी बनने के लिए विवश हुए हैं अपितु वहां धर्म के आधार भावनाओं को उकसाया गया है। चूंकि वहां विभिन्न मामले एक साथ जोड़ गए हैं इसलिए कोई उन्हें अलग-अलग देख सकता है।

पंजाब में कृषि उत्पाद के लिए दी जाने वाली कुछ रायल्टी में वृद्धि करने का प्रश्न उठाया गया। और भी मामले हो सकते हैं जो धार्मिक भावना को उकसाने के लिए उठाए जा सकते हैं। यदि हम इन सभी मामलों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं तो वास्तव में हम कहीं भी नहीं पहुंच पायेंगे।

।मैं समझता हूं कि मुख्य मुद्दा यह है कि पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा है। यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ इस पर सवाल उठाया जाए. यदि कोई इस पर विचार करे तो हम सभी को किसी न किसी तरफ से इसके लिए दोषी माने जाएंगे। किन्तु हम यहां से आगे कैसे बढ़ें ? यदि यह सभा, देश के राजनीतिक दल इस समस्या के निदान के लिए आम राय बना सकें तो मैं समझता हूं कि उस दिशा में यह हमारा एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

मुझे गत वर्ष हाल ही में मारे गए लोगों का ब्यौरा लोक सभा ग्रन्थालय से मिला है। यदि हम नवम्बर माह को लें तो इस महीने आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों की संख्या 297 थी; मारे गए पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की संख्या 66 थीं; 171 आतंकवादी मारे गए थे और 140 गिरफ्तार किए गए थे। यदि हम 11 दिसम्बर से 1 जनवरी तक की अवधि के उपलब्ध आंकड़ों को लें, तो हम देखते हैं कि मारे गए असैनिक लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई और इनकी संख्या 1896 हो गई; मारे गए पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या 465 है और 1199 आतंकवादी मारे गए। इससे यही लगता है कि हम इस समस्या के समाधान की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। अपितु हम पंजाब में हो रही हत्याओं का उल्लेख कर रहे हैं।

इस बात की आलोचना की गई है कि प्रधान मन्त्री पंजाब के सम्बन्ध में कुछ दलों से बातचीत करने के लिए क्यों सहमत हैं।

5.43 म० प०

[श्री जसवन्त सिंह पीठासीन हुए]

मैं समझता हूं कि अब स्थिति ऐसी हो कि उसका समाधान या तो मुकाबला करना हो या बातचीत करना, तो सब इसका स्पष्ट जवाब होगा बातचीत करना। हमने अभी खाड़ी संकट के बारे में संकल्प पारित किया कि हमें शान्तिपूर्ण हल ढूंढना चाहिए। हम पंजाब का भी शान्तिपूर्वक हल चाहते हैं। अतः समस्या का शान्तिपूर्ण हल ढूंढने के लिए प्रधान मन्त्री पर किसी के साथ बातचीत करने के लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल भारतीय नागरिकों के साथ ही बातचीत करेंगे और वे आवश्यक छोटे-मोटे संशोधनों को छोड़कर भारतीय संविधान की परिधि के भीतर ही बात करेंगे। इसलिए मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि प्रधान मन्त्री की समस्या के हल के लिए बातचीत करने की इच्छा पर आपत्तियां उठाई गई है। विपक्ष के अनेक लोगों ने इस पर आपत्ति की है। लेकिन मैं केवल यही सुझाव देना चाहता हू कि हमें इस प्रश्न को भारतीय राज्य तंत्र के प्रश्न के रूप में, देश की अखंडता के प्रश्न के रूप में देखना चाहिए। हमारे समाज में बहुत से धर्म हैं। इसीलिए किसी धर्म विशेष से सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्ति अथवा दूसरे के लिए यह आवश्यक नही है कि वह अपनी सन्तुष्टि के लिए संघ से बाहर जाना चाहता है। इस देश के संविधान में उसके धार्मिक विचारो, उसकी धार्मिक भावनाओं, उसके धार्मिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। यह केवल भावना और शब्दों का प्रश्न नहीं है बल्कि यह समायोजन का प्रश्न है और सम्पूर्ण देश को यह मानना होगा कि इस देश के विभिन्न भागों में रहने वाले विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों को एक साथ लाना होगा। महोदय, भारत में जो कुछ हो रहा है वह भारत के लिए अनोखी बात नहीं है। यह तो विश्वव्यापी प्रवृत्ति है जिस पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए। विकासशील समाज जातीय अधिकारों और धार्मिक अधिकारों पर जोर देने के लिए समाज को छोटे हिस्सों में बांटने तथा अधिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए विकेन्द्रीकरण पर जोर दे रहे हैं। यह बात हम अपने पड़ोसी समाजों में देख रहे हैं और यदि हम उससे आगे जाएं तो यह बात हम सोवियत संघ सहित अन्य विकासशील समाजों में भी देखते हैं और मैं जोर देकर यह बात कह सकता हूं कि चीन में भी यही हो रहा है, दूसरी ओर विकसित समाजों में, उनका प्रयास यह है कि इन विभाजनों की बात को भूल जाइए और एक बड़े संघ में एक जुट हो जाए, योरोप भी अब

एक बन रहा है, उसमें न केवल पश्चिम योरोप बल्कि पूर्वी योरोप भी इसके साथ एक हो रहा है। अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पूरे महाद्वीप को एक साथ मिलाने का प्रयास कर रहा है। ये घटनाएं विश्व-व्यापी हैं जिनका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ा है। इसीलिए, हमें यह पता लगाना होगा कि हम विभिन्न विचारों, विभिन्न प्रवृत्तियों को किस प्रकार समायोजित कर सकते हैं और देश की एकता को मजबूत बना सकते है। यह तुष्टीकरण से नहीं किया जा सकता और अधिकारों का अधिक उपयोग करके भी नहीं किया जा सकता है। चाहे सत्ता की बात हो अथवा यह किसी धार्मिक या भाषायी विचारों की बात हो उसके लिए किसी देश के अधिकारों के दावे तथा लोगों के विचारों के बीच सन्तुलन बनाए रखना होगा। इसीलिए सरकार को मेरा सुझाव है कि जैसा कि प्रधान मन्त्री पंजाब से सम्बन्धित भारतीय लोगों के विभिन्न वर्गों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें राजनीतिक दलों से अलग-अलग तथा सामूहिक रूप से और आगे बातचीत करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि इस सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण है उस पर सर्वसम्मति हो सकती है, यह बातचीत सामान्य बातों पर नहीं होनी चाहिए और न ही केवल अच्छी बातों को व्यक्त करने के लिए होनी चाहिए कि यह होना चाहिए और वह होना चाहिए लेकिन उसमें यह भी होना चाहिए कि ऐसा कैसे होगा। पंजाब में हमें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनमें से एक जिसका अभी उल्लेख भी नहीं किया गया है बहुत ही गंभीर समस्या है। माननीय सदस्यों ने कहते हुए सुना है कि वहां पर जो कि समाज-विरोधी गतिविधियां चल रही है उनमें मादक पदार्थों की तस्करी, सोने की तस्करी, शराब की तस्करी और सभी प्रकार की तस्करी भी शामिल है जो लोगों को निरन्तर खतरे में डाल रही है। इसीलिए यह नितान्त आवश्यक है कि इसके लिए ठोस उपाय किए जाएं और मेरा सुझाव है कि इन कार्यों के सम्बन्ध में हमें पाकिस्तान को बातचीत के लिए आमंत्रित करना चाहिए क्योंकि तस्करी से उनकी अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बातचीत में हमें यह देखना होगा कि क्या इस तरह की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त प्रयास किये जा सकते है।

श्री आडवाणी ने बाड़ लगाने के सवाल का उल्लेख किया है। बाड़ कुछ समय के लिए लाभदायक होती है। वे जरूरी भी हो जाती हैं लेकिन केवल तार लगा देना ही बाड़ नहीं है। इन तारों से अनेक चीजें गुजर सकती है। इस बाड़ का वास्तविक लाभ तभी होगा जब तस्करी लाभदायक नहीं रहेगी। अतः हमें इस महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्न की जांच करनी चाहिए, हम अपने युवा लोगों को तस्करी कार्यों से कैसे अलग कर सकते हैं हम पाकिस्तान से आने वाले लोगों को किस प्रकार रोक सकते हैं जो देश के विभाजन को प्रोत्साहन देते हैं, वे विघटनकारी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, अपने साथ हथियार लाते हैं, और यहां के युवकों को हथियार देते हैं और पाकिस्तान में उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। अतः मैं यह महसूस करता हू कि हमारे लिए यह बात लाभदायक होगी यदि हम सभी इस बात पर ध्यान दें और देखें कि एक ठोस कार्यक्रम बनाया जाए जो न केवल अच्छे परिणामों की धारणाओं पर आधारित हो बल्कि यह कार्यक्रम ऐसा हो जिसमें उन परिणामों को प्राप्त किया जाए और हम उस दिशा में आगे बढ़ें जिसमें शान्तिपूर्ण हल प्राप्त हो सके जिससे इन हत्याओं को रोका जा सके और एक ऐसी सरकार की स्थापना हो सके जो वहां समाज विरोधी गतिविधियों को रोक सके।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर): सभापति महोदय, कोई भी व्यक्ति अपनी बात निराशाजनक टिप्पणी से शुरू नहीं करना चाहता। परन्तु मुझे यकीन है कि इस सभा में बहुत से

सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब मैं अपनी बात यह कहकर शुरू करती हूं कि गत दो महीनों में पंजाब की स्थिति बद से बदतर हो गई है। इससे कुछ बहुत ही स्पष्ट खतरनाक संकेत मिलते हैं। मैं उनमें से केवल तीन का उल्लेख करूंगी। पहला, हम न केवल यह देखते हैं कि हत्याएं बदस्तूर जारी हैं बल्कि हम यह भी देखते हैं कि अधिकतर हत्याएं अल्पसंख्यक लोगों की हो रही हैं। मैं माननीय सदस्य श्री लाल कृष्ण आडवाणी की इस बात से सहमत हूं कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है, यह एक क्रूर योजना का हिस्सा है ताकि अल्पसंख्यक लोगों पर यह दबाव डाला जाय कि वे वहां से पलायन करें। मेरे विचार में, इसका सम्पूर्ण क्षेत्र पंजाब के उन महान लोगों को जाता है कि उन लोगों पर डाले गए इस प्रकार के दबाव के बावजूद राज्य में कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए और न ही राज्य से बड़े पैमाने पर लोगों ने पलायन किया। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि इस समय उन्हीं लोगों पर दबाव डाला जा रहा है और यदि एक बार पलायन शुरू हो गया तो उस पर होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का हम अच्छी तरह अनुमान लगा सकते हैं।

दूसरी बात हम देख रहे हैं कि आतंकवादियों के दबाव के आगे प्रशासन खतरनाक ढंग से झुक रहा है। अब हम देख सकते हैं आतंकवादी अपना आदेश जारी कर रहे हैं। उन्होंने प्रचार माध्यमों के लिए एक संहिता लागू की है। उन्होंने समाचार पत्रों को आतंकित किया हुआ है। उन्होंने छात्रों के लिए वर्दी संबंधी संहिता लागू की है और इसे जानबूझकर थोपा गया है ताकि ऐसा महसूस हो कि खालिस्तान अस्तित्व में आ चुका है। सुनने में आया है कि वर्दी संबंधी संहिता का पालन न करने वाली छात्राओं पर हमले किये जा रहे हैं। पटियाला में एक महिला सदस्य को गोली से उड़ा दिया गया इसलिये नहीं कि उसे मानने से इंकार कर दिया था बल्कि केवल इसलिये कि उसने इसका पालन करने के लिये कुछ समय मांगा था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : उन्हें इसलिए मारा गया कि उन्होंने राष्ट्र-गान गाया था।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : ऐसा पटियाला में हुआ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी हां, पटियाला में।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, इसके अलावा अलगाववादी तत्व आकाशवाणी से हिन्दी में प्रसारण रोकने में सफल हो गये हैं। अब यह स्मरणीय है कि हमारा दल और अन्य सभी वामपंथी दल क्षेत्रीय भाषाओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों को लेकर लम्बे समय से आवाज उठाते रहे हैं। हम बहुत समय से यह मांग करते आ रहे हैं कि देश के उन भागों में, जहां पंजाबी भाषी लोग 10 प्रतिशत से अधिक हैं, पंजाबी भाषा लागू की जानी चाहिए। परन्तु पिछली कांग्रेस (इ) सरकार ने इन मांगों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और अब हम देख रहे हैं कि ऐसी सरकार जो उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रही है अतः उनके दबाव में आ गई है, और आकाशवाणी में दूसरी राष्ट्रीय भाषा के प्रयोग पर पाबंदी लगाने की अनुमति दे रही है। अतः हिन्दी पर लगी पाबंदी के रूप में कीमत चुकाकर ही पंजाबी भाषा का प्रयोग प्रसारण में शुरू किया गया है। महोदय, इसके अलावा हमें यह पता चला है कि उन्होंने अब एक नया फतवा जारी किया है कि पंजाब से राजस्थान के लिये सिंचाई की नहरों से पानी नहीं ले जाया जा सकता। यह बड़ा गंभीर मामला है जो कि न केवल आर्थिक कारणों से विनाशकारी सिद्ध हो सकता है बल्कि विभिन्न राज्यों के बीच संबंधों की दृष्टि से भी खतरनाक सिद्ध हो सकता है। खतरे का संकेत देने वाली तीसरी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में भारत के ऐसे कुछ भागों में आतंकवादी

गतिविधियों में तेजी आई है जहां पहले यह समस्या बिल्कुल नहीं थी, मुझे धनबाद में पुलिस अधीक्षक की हत्या और पुरुलिया काड की याद ताजा हो आई है,। पश्चिम बंगाल में यह सब हुआ है। पश्चिम बंगाल में तो 1984 के भयंकर सिख विरोधी दलों के दौरान भी सिख अल्पसंख्यकों को उतनी ही सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था जितनी कि देश के अन्य समुदायों को प्राप्त थी। यह क्या हो रहा है? यह जानबूझकर अव्यवस्था फैलाने के लिये किया जा रहा है, विभिन्न समुदायों के बीच घृणा का वातावरण पैदा करने के लिये किया जा रहा है। अत: ये खतरे के संकेत हैं, और हमें यह आशंका है और हमें ऐसा लगता है कि पिछले दो महीनों के दौरान सरकार के रवैये से स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। हमारे कुछ साथियों ने यह कहा कि इससे वस्तुत: आतंकवादियों को प्रोत्साहन मिला है। प्रधानमंत्री ने इसका खंडन किया है और मुझे आशा है कि उनके भावी कदम उनके इस खंडन के अनुरूप प्रमाणित होंगे। पर हमारी यह धारणा बनी ही क्यों कि अलगाववादी आन्दोलन को सरकार से प्रोत्साहन मिला है। मैं समझती हूं कि प्रधानमंत्री ने कल ही यह कहा था कि वह अलगाववादियों से भी बातचीत करने को तैयार हैं क्योंकि वे भी भारत के नागरिक हैं। वे भारत के नागरिक हैं यह बात प्रधानमंत्री भी जानते हैं और हम भी, परन्तु क्या अलगाववादी भी यह जानते हैं? क्या उन्होंने प्रधानमंत्री को यह वचन दिया है कि जब वे बातचीत के लिये आएंगे तो वे ऐसे मुद्दे नहीं उठायेंगे जिनसे भारत की एकता पर आंच आये? अपने बयान की पुष्टि करते हुए प्रधान मंत्री ने भी यह कहा है कि वे अलगाव-वादियों सहित प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब-समस्या का समाधान बन्दूक की गोलियों से संभव नहीं है। किन्तु इस सभा में कौन यह मानता है कि पंजाब समस्या का समाधान गोलियों से संभव है? कोई भी नहीं। केवल अलगाववादियों ने ही पंजाब समस्या का समाधान गोलियों से करने की कोशिश की है। वे बेकसूर लोगों का खून बहाकर, जोर-जबरदस्ती से पैसा ऐंठकर और लोगों में आतंक फैलाकर इसे हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं और जब तक वे इस नीति का परित्याग नहीं करते, जब तक अलगाववाद की हट नहीं छोड़ते, तब तक उनसे बातचीत का आधार कैसे बन सकता है। अब अलगाववादियों की बात छोड़िये, अकाली नेता श्री सिमरनजीत सिंह मान को ही लीजिये। सरकार को भेजे अपने ज्ञापन में क्या उन्होंने यह वचन दिया है कि भारत की एकता को स्वीकार किया जायेगा और उस बारे में चर्चा नहीं की जायेगी?

6.00 म० प०

हो सकता है इस ज्ञापन में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 51 का जिक्र नहीं किया हो, हालांकि दिसम्बर में तीन अकाली दलों के संकल्प में इसका जिक्र किया गया था। इसका जिक्र किया गया था परन्तु उन्होंने, दिसम्बर में तीन अकाली दलों की बैठक में उठायी गई आत्म-निर्णय की मांग और भारत तथा पाकिस्तान के बीच एक रक्षित राज्य की मांग को छोड़ दिया है।

हम जानते हैं कि अकाली नेता महान समाजवाद विरोधी परम्परा के पक्षधर रहे हैं परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे स्वयं को आतंकवादियों के दबाव से मुक्त नहीं रख पा रहे हैं। वे आतंकवादियों और अपने बीच स्पष्ट भेद नहीं रख पा रहे हैं। यह कहना होगा कि आज के समाचारपत्र में श्री मान का वह बयान स्वागतयोग्य है जिसमें उन्होंने स्वयं को हिंसा और आतंक की गतिविधियों से असंबद्ध घोषित किया है। महोदय, हम इसका स्वागत करते हैं परन्तु यह प्रश्न तो ज्यों का त्यों है कि अगर सरकार उनसे बातचीत करती है तो वह बिना किसी पूर्व-शर्त के

की जानी चाहिए। आतंकवाद की निंदा की जानी चाहिए और देश की अखंडता को विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। चाहे श्री मान हों या अलगाववादी तत्त्व हों वे पहले इस बात को स्वीकार करें तभी उनके साथ वार्ता की जा सकती है।

हमने समाचार पत्रों में प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य भी पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सरकार खालिस्तान के मामले में भारत सरकार से विचार-विमर्श करने की इच्छुक है। क्या पाकिस्तान की सैन्य शक्ति अथवा नवस्थापित सरकार ने ऐसा कोई संकेत दिया है ? यदि ऐसा है तो उन्हें कुख्यात वधिक समितियों को आश्रय देना बंद कर देना चाहिए। जब पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा है तो मैं प्रधानमंत्री से यह पूछना चाहूंगी कि वह पाकिस्तान सरकार की इतनी प्रशस्ति क्यों कर रहे हैं।

महोदय, अब मैं अन्तिम बात पर आती हूं। मैंने इससे पूर्व कहा भी है कि इस घोर अंधकार में भी आशा की हल्की-सी किरण अवश्य दिखायी दे रही है। पंजाब की जनता आतंकवाद के विरुद्ध है। अभी भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जिनमें संगठित होने की शक्ति मौजूद है और यदि प्रशासन उनका साथ दे तो वे आतंकवाद का सामना बड़ी बहादुरी से कर सकते हैं इससे पूर्व जब श्री मान गिरफ्तार किये गये थे तो उसका मामूली विरोध किया गया। भारतीय सिख छात्र संगठन द्वारा पिछली 30 तारीख को आयोजित धरने में भी बहुत अधिक भीड़ नहीं थी। वे समझते हैं कि प्रशासन लोगों की रक्षा नहीं कर सकेगा; राजनैतिक दल उन्हें नहीं जुटा पायेंगे और इस आतंक के माहौल में पंजाब की जनता आतंकवादियों को बर्दाश्त कर रही है। महोदय, इसमें ठोस प्रमाण मौजूद हैं। मैं बस एक उदाहरण दूंगी।

पिछली 26 नवम्बर को इस समस्या का राजनैतिक हल खोजने और राष्ट्रीय एकता की मांग को लेकर हमारे दल की ओर से पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों से जिला स्तर पर प्रदर्शन किये गये और पंजाब की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन रैलियों और प्रदर्शनों के प्रति लोगों में उत्साह था।

कुछ माननीय सदस्य पंजाब में चुनाव की बात कर रहे हैं। हम सभी पंजाब में चुनाव चाहते हैं परन्तु महोदय, यदि ये चुनाव कराये जायें तो प्रशासन को बांटने की प्रवृति रोकी जानी चाहिए। प्रशासन को सुदृढ़ बनाया जाए; केन्द्रीय सरकार को प्रशासन की सहायता करनी चाहिए, विभिन्न स्थानों पर उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और साथ ही आतंकवादियों की इस मांग के आगे झुकना नहीं चाहिए कि जो लोग उनके पक्ष में नहीं हैं उन्हें वहां से हटा दिया जाये। महोदय, प्रशासन के अधिकारियों का बड़ी संख्या में स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। महोदय, यदि प्रशासन को कारगर और सुदृढ़ बना दिया जाये तो चुनाव कराने संभव होंगे अन्यथा हम जानते ही हैं कि पिछले दिनों रोपड़ में सहकारी संस्थाओं के चुनाव बन्दूक की नोक पर हुए थे। यदि पंजाब के आतंकवादियों का खिलौना नहीं बनाना है तो प्रशासन को सुदृढ़ बनाये बिना और जनता में आस्था और विश्वास पैदा किये बिना चुनाव नहीं कराये जाने चाहिए।

महोदय, दो-तीन अन्य सुझाव हैं। मैं इनका जिक्र करूंगी क्योंकि ये सकारात्मक हैं। पंजाब में बेरोजगार युवाओं को अधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने का एक प्रस्ताव वी० पी० सिंह सरकार ने रखा था। वर्तमान सरकार को इसे लागू करना चाहिए। चंडीगढ़ और जल विवाद के

मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिये; यदि आवश्यक हो, तो सरकार इस सम्बन्ध में न्यायालय के निर्णय को मान सकती है। पंजाबी भाषा, जो एक राष्ट्रीय भाषा है, के अधिकारों और विशेषाधिकारों का समर्थन किया जाना चाहिए। केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को और अधिक सन्तुलित बनाया जाये। गत दो महीनों से हम कुछ गड़बड़ी की बातें सुन रहे हैं, कि जिस तरह से विभिन्न राज्य सरकारों को अस्थिर बनाया जा रहा है, यह प्रथा जारी नहीं रहनी चाहिये। पंजाब समस्या के समाधान के लिए स्वस्थ केन्द्र-राज्य सम्बन्ध एक आवश्यक पूर्व-शर्त है। अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम का पालन किया जाये और 1984 के दंगों के जांच कार्य में पहले ही अत्यधिक विलम्ब हुआ है—इसके लिए समितियां गठित की गयीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है, किन्तु इन पर बहुत कम कार्यवाही की गयी है। इस सम्बन्ध में तत्कालीन राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कुछ उपाय किये थे किन्तु शायद उन्हें अनेक अन्य प्रमुख कार्य करने थे और इसमें अधिक प्रगति नहीं हुई। यह सरकार इस कार्य को आगे बढ़ाये और 1984 के दंगों के अपराधियों को स्वतन्त्र न छोड़े।

महोदय, अन्त में यह जनता में विश्वास पैदा करने और लोगों को संगठित करने का मामला है ताकि आतंकवादियों की कार्यवाही होने से पहले ही आतंकवाद की गतिविधियां रोकी जा सकें और इसके लिए हम सरकार से अनुरोध करते है कि अलगाववादियों को सरकार और देश तथा पंजाब के लोगों पर प्रभुत्व न जमाने दें। राष्ट्रीय एकता परिषद् की तत्काल एक बैठक बुलायी जाये। सरकार अथवा प्रधान मन्त्री को, उनके द्वारा विभिन्न दलों के साथ की गयी बातचीत के सम्बन्ध में हमें विश्वास में लेना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, यह अच्छा हुआ कि हम लोग आज पंजाब की स्थिति पर विचार कर रहे हैं। पंजाब का मसला आज सारे देश का मसला बना हुआ है। एक समय था, जब सिक्ख पंथ की शुरूआत हुई थी, जब पूज्य गुरु नानकदेव जी ने सिक्ख पंथ की शुरूआत की थी तो मजहबी विभाजन हमारे देश में था, हिन्दू और मुसलमानों के बीच में, सबों को मिलाकर एक करने की सीख उन्होंने दी थी और उनकी सीख को मानने वाले ही सिक्ख कहलाये। मुझे जब भी मौका मिला, मैं पंजाब गया हूं। अभी 5 तारीख को मैं भटिण्डा गया था। इससे पहले अमृतसर भी गया था। वहां मैंने लोगों से अपील की थी कि जो लोग देश को खालिस्तान के नाम पर अलग कर देना चाहते हैं, मगर खालसा पंथ के जन्मदाता गुरु गोविन्द सिंह का जन्म पटना में हुआ था, और संसार का प्रथम गुरुद्वारा वहीं पर है, पटना साहब, क्या उस गुरुद्वारे को खालिस्तान से अलग कर देंगे। गुरु गोविन्द सिंह जी का निधन नान्देड़ में हुआ था जो अभी महाराष्ट्र के अन्तिम किनारे पर है, वहां पांचवां गुरुद्वारा है. क्या आप उसे भी छोड़ देंगे। क्या आप प्रथम और पांचवें गुरुद्वारों को छोड़कर खालिस्तान बनाना चाहेंगे क्योंकि प्रथम गुरुद्वारा जन्म से और पांचवां गुरुद्वारा मृत्यु से सीधा सम्बन्ध रखता है। फिर खालिस्तान किस काम का होगा। अगर इन दोनों को भी आप शामिल कर लेंगे तब तो लड़ाई इस बात की होनी चाहिये कि भारत का नाम बदलकर खालिस्तान रख दिया जाये। फिर तो यह लड़ाई नाम की ही रह गयी, देश से अलग होने की लड़ाई नहीं होगी। यह एक मजहबी मामला है और मजहबी मामलों में सभापति जी, तर्क से काम नहीं चलता बल्कि भावना से चलता है। आप और हम जानते हैं कि 1947 में कैसे देश का विभाजन हुआ था। एक तरफ आवाज उठी कि मुस्लिम

अलग कौम है और दूसरी तरफ आवाज उठी हिन्दू राष्ट्र की। एक ने दूसरे का नियत न रहते हुए भी समर्थन किया। अंग्रेजों को मौका मिल गया और हम बंट गये, हम कट गये, हमारी मातृभूमि बंट गयी। सर्वोच्च नेता ही नहीं, महात्मा गांधी ने हमें जो सीख दी थी : "ईश्वर अल्ला तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान" मगर उस सन्मति का भी असर नहीं पड़ा। किसी ने ईश्वर का नाम लेकर गांधी जी के कलेजे में ही गोली मार दी और अल्लाह के नाम का भी दुरुपयोग किया गया। इस तरह हमारा देश बंटा। आजादी के बाद पंजाब के अंदर संगठित प्रयास हुआ कि जिनकी पंजाबी मातृभाषा थी, उनमें भी एक हिस्सा यह कहे कि हिन्दी हमारी मातृभाषा है। उनकी मातृभाषा यद्यपि पंजाबी थी, अभी भी उनकी मातृभाषा पंजाबी है। अब इसका कौन सा तुक था, सिवाय मजहबी, साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के, कोई दूसरा दृष्टिकोण तो हो नहीं सकता था। उससे वाकयात बिगड़ते चले गये। फिर पंजाबी सूबे की मांग हुई। हम लोगों ने पंजाबी भाग के आधार पर उसका समर्थन किया था। उससे पंजाबी सूबे के बाद, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल का निर्माण हुआ। पंजाब ने भी प्रगति की और हरियाणा ने भी प्रगति की। अभी जो बातें हमारे मित्र सरदार कृपाल सिंह जी ने उठायीं, मैं स्वयं पंजाब गया था, और पंजाब में कुछ लोग ईमानदारी से विश्वास करते हैं कि उनकी उपेक्षा हो रही है। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद कोसी नदी क्षेत्र में पहले सर्वोच्च डैम की परियोजना स्वीकृत हुई थी। स्वर्गीय सरदार प्रताप सिंह कैरों उस समय मुख्य मन्त्री थे। उन्होंने मांग की कि यह परियोजना हमें भाकड़ा नांगल में बनाने दो। आ गया। हमारे यहां कुछ लोगों ने ऐतराज किया। लेख लिखे, आन्दोलन चलाने का प्रयास किया कि कोसी डैम को छीनकर भाकड़ा नांगल ले जाया जा रहा है। हम कम्युनिस्टों ने जोरदार विरोध किया कि पंजाब आज घायल स्थिति में है, पंजाब आज बंटा हुआ है इसलिए पहले उसे प्राथमिकता दी जाये। वैसा ही हुआ। कोसी डैम को उठाकर भाकड़ा नांगल ले जाया गया। लोग कहते हैं कि पंजाब की उपेक्षा हुई, यदि देश ने पंजाब को भाखड़ा नांगल दिया, जिसकी वजह से वहां कृषि के बढ़ने में, उद्योग के बढ़ने में मदद मिली है, तो यह उपेक्षा का सबूत नहीं है।

वैसे भी सभापति जी, हमारे लिए यह खुशी की बात है कि जिस दर पर कोयला भटिंडा में बिजली ताप घर को मिलता है, उसी दर पर हमारे बिहार में बरौनी को मिलता है। लोग मांग करते हैं कि हम कोयला पैदा करते हैं और हमको इतना महंगा कोयला क्यों मिलता है? हमको भी भटिंडा की दर पर क्यों मिलता है जबकि हम बिहार में हैं और हम लोग ही कोयला पैदा कर रहे हैं? क्योंकि उसको ट्रेड इक्वेलाइजेशन कहते हैं इसलिए वह भटिंडा या और किसी जगह पर कुछ सस्ता कोयला मिलता है, मिले, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। इस देश ने यथासम्भव यह कर्तव्य निभाया है कि एक घंटे हुए, कटे हुए अंग के रूप में सन् 1947 के बाद जैसा पंजाब रहा, वह इतना पुष्ट हो सके और यथासम्भव मजबूत हो सके। खासकर इसलिए कि वह इस देश का एक प्रहरी सूबा है।

अब जहां तक सभापति जी, कुछ चीजें हैं, जो परिस्थिति को बिगाड़ती हैं। इस बीच में आपको याद होगा कि शाह बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने बदला, तो एक इस बारे में संदेश पहुंचा पंजाब में कि अगर वोट के डर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल गया, तो हम वोट और चोट दोनों देंगे, तो हमारे हक में भी फैसला हो जायेगा। एक गलत काम का नतीजा दूसरे पर पड़ता है, असर पड़ता है। वैसे ही जब 4-5 वर्ष पहले नारा उठा कि "बाबरी मस्जिद तोड़

दो", तो उधर कश्मीर से आवाज उठी कि "भारत छोड़ दो" और फिर इधर पंजाब में आतंकवाद बढ़ा और आवाज आयी कि "भारत तोड़ दो"। भले ही मस्जिद तोड़ने वाले की नीयत न हो, मगर उसका असर पड़ता है। हमारा बहुभाषी, बहु-संस्कृति, बहु-सम्पर्क और विविधता पर आधारित देश है और हमारी कुछ गौरवमयी परम्परायें हैं। उसमें ये चीजें बाधक रहीं हैं, भावनाओं को विकृत करने में, उनको अलग करने में। अभी जो खतरनाक हालात हैं, उनमें मैं नहीं जाऊंगा, उसके बारे में सभी मित्रों ने कहा है। ऐसा नहीं है कि लोग चाहते हैं इसलिये मान लेते हैं, बल्कि डर से मान लेते हैं। पंथक कमेटी का आह्वान होता है और आतंक के डर से लोग मान लेते हैं। कई मित्रों ने कहा है और मैं भी कहता हूं कि सदन की ओर से एक प्रस्ताव तो खासकर पास होना चाहिए कि पंजाब में सभी उपद्रवों के बावजूद, नृशंसताओं के बावजूद, कायरतापूर्ण हत्याओं के बावजूद, चाहे वे सिख हों, हिन्दू हों, गैर हों, पंजाब का जन-गण वहां शांत रहा है। कहीं गांव या शहर या मोहल्ले में किसी उपद्रव में नहीं गये हैं। यह हमारे राष्ट्र की गौरवमयी परम्परा है और वह हमारी बड़ी पूंजी है जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार यह सत्य है कि चंडीगढ़ में भी पंजाब विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, उनको भी धमकी दी गयी है कि आपके परिवार से बदला लिया जायेगा, अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया और मुझे जहां तक ज्ञात है—वे कुलपति अभी तक चंडीगढ़ नहीं जा रहे हैं, दिल्ली में बैठे हुये हैं। तो इस प्रकार से आतंक का वातावरण वहां पर है। लेकिन इस सबके बावजूद पंजाब के आम लोग हिल-मिल करके चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सभापति जी कौन से कदम उठायें, यह एक और मामला है, जो पहले की बहसों में आ चुका है, शायद इस बहस में नहीं आ सका है। अब यह जो सम्बन्ध जोड़ा जा रहा है कि कोई सिख कहीं जाकर दूसरी जगह गलती कर दे और अब जिस तरह से जो काम खालिस्तानी ने धनबाद में एस० पी० को मार कर किया और फिर भी वह मर गया और जो खालिस्तानी पकड़ा गया, एक समाचार के अनुसार कि वह पुरुलिया में पकड़ा गया है, तो इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह से देश में दंगे भड़कें ताकि सिखों पर उपद्रव हो, हिंसा हो और यह गौरव की बात है कि न तो बिहार में और न बंगाल में या अन्यत्र कहीं बदले की कार्रवाई नहीं हुई है और हमें आशा है कि हमारा देश-प्रेम, राष्ट्र-प्रेम देश के किसी भी हिस्से के लोग हों, उनको रोकेगा, जो उपद्रवी हैं, जो उग्रवादी हैं, जो आतंक फैला रहे हैं, उसका बदला किसी दूसरे से न लिया जाये, वह अगर पकड़ा जाये, तो उसका इलाज कानून से हो, जिस कानून का रास्ता हमारे देश ने अपनाया है। कानून में जो भी दण्ड हो, वह उसे दिया जाये।

मगर जो गठजोड़ बन रहा है, वह ठीक नहीं है। ये बातें आयी हैं कि खालिस्तानी, उल्फा से भी सम्पर्क कर रहे हैं, लिट्टे से भी सम्पर्क कर रहे हैं, और जो कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, उनसे भी सम्पर्क कर रहे हैं, इस गठजोड़ को ध्यान से देखने की आवश्यकता है और इसको तोड़ने की जरूरत है। इसको आंखों से ओझल नहीं किया जा सकता है।

सभापति जी, अभी पाकिस्तान का मामला आया और बात उठी है। प्रधान मन्त्री ने कहा है पाकिस्तान से हमें बात करनी है। पाकिस्तान से पंजाब के मामले में किसी बात पर हमें बात नहीं करनी है, वह भारत का अन्दरूनी मामला है—उसे हम कैसे हल करेंगे। पाकिस्तान का दायित्व है कि वह भारत के अन्दरूनी मामले में कोई दखल न दे। इसी पर पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, हो सकती है और वह बात होने में कोई गलती नहीं है कि वह हमारे अन्दरूनी मामले में दखल न दे।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं खत्म कर रहा हूं। एक मुख्य बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि जो फौज की बात कर रहे हैं, कोई खुदी लड़ाई नहीं है कि फौज मुकाबला करे। जो कोई उपद्रवी मारता है, किसी की हत्या करके वह तो गायब हो जाता है और जब हमारे शस्त्र बल के लोग वहां पहुंचते हैं तो वे गोली चलाते हैं और निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा है, आज भी आग्रह करूंगा कि ऐसे मामले में सबसे निर्णायक, जिसे एक तरफ राजनीतिक दृष्टिकोण आम लोगों की जायज मांगों को कबूल करे। जैसे 1984 के दंगों में जो दोषी हैं उनको सजा मिले, पानी का मामला, चण्डीगढ़ का मामला हो, उसे जल्दी हल करें। मैं समझता हूं कि हरियाणा के प्रमुख नेता हमारे उप प्रधानमंत्री हैं। अभी वे देश के हिसाब से भी सोचेंगे ताकि हरियाणा उदार होकर इस मामले के हल करने में मदद करे। यह खुशी की बात है कि वे उप प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश को देखकर मामला हल करने में मदद करेंगे। गुप्तचर के मामले में मुस्तैदी की जरूरत है। मेरा सन्देह है कि गुप्तचर के मामले में मुस्तैदी नहीं है। पंजाब के मामले में हमारी गुप्तचर सेवा विफल है इसलिए हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए विदेश से जो सम्बन्धित है, देश के उपद्रवी हों, इस उपद्रव में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी से दिमाग में बना लिया है कि भारत से अलग होना है. कुछ हैं जो सिर्फ दोषी हैं, उपद्रवी हैं, तस्कर हैं जो तस्करी करते हैं, जुल्म करते है और एक बहाना उनको इस वातावरण में मिल गया है। इन दोनों में फर्क करने का काम प्रशासन, गुप्तचर और सरकार को भी करना है। सबको खालिस्तानी मान लेंगे तो सत्य के खिलाफ देश के खिलाफ अन्याय करेंगे और दोषियों के दो तबकों के खिलाफ हम एक साथ कदम नहीं उठा सकेंगे।

जहां तक पाकिस्तानी सीमा का मामला है, जो अब तक हमें जानकारी है, उसे कैसे बन्द करेंगे यह सरकार को सोचना है। यदि वह बन्द नहीं करेंगे तो हम संभल नहीं सकते हैं क्योंकि उपद्रव करने हथियार लेकर जो आता है, प्रशिक्षण पाता है और चला जाता है। इसको हम रोक दें। मैं भजन लाल जी की तरह नहीं कहूंगा कि दो किलो-मीटर फिर लोगों के घर उजाड़िए, शायद वह ठीक नहीं होगा। लेकिन ऐसा तरीका है जिससे पार नहीं हो सकता है, वह हम विद्युत तारों से कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। अवैध आगमन को चाहे तस्कर के मामले में, हथियार लाने के मामले में, उपद्रवी के मामले मे हो, इसको बन्द करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जो बोले हैं, उन्होंने सबका जिक्र नहीं किया, इसको करना अनिवार्य कदम है जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक प्रमुख मामला यह हैं कि बात की जाए या नहीं की जाए। मैं समझता हूं कि आज भी हमने प्रस्ताव पारित किया है कि खाड़ी के मामले में इतना भारी युद्ध का खतरा है फिर भी हमने कहा कि वार्ता से हल करो। वार्ता करने में क्या एतराज है। जो लोग ईमानदार हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। हम लोग आजादी के बाद, पहले भी जेल की दीवार फांदकर आए थे। हमें शर्त दी जाती थी कि लिखो कि हम हिंसा नहीं करेंगे। हम अनशन करते थे कि हम पर मुकदमा चलाओ लेकिन शर्त दी जाती थी। हमने दस्तखत नहीं किए। हमने यही कहा कि हम प्रयास करेंगे कि हिंसा नहीं हो। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैंने एक ढेला भी आज तक किसी को नहीं मारा है। जो ईमानदारी से विश्वास करते हैं कि हमें अलग होना है ये वे खालिस्तानी हैं या समझते हैं कि हम सिख सम्प्रदाय के लिए कर रहे हैं, वे झुककर नहीं आएंगे। इसलिए वार्ता में कोई गलती नहीं है। सरकार की ओर से वार्ता की जाए, प्रधानमंत्री की ओर से

यह दृढ़ निश्चय ऐलान करना है कि भारत की एकता, अखण्डता के मातहत कोई समझौता हो सकता है, समाधान हो सकता है। हमारी ओर से इस दृढ़ता में कोई कमी नहीं रहे। उससे पहले यदि कुछ करेंगे तब फिर वार्ता का मतलब ही नहीं रहेगा। तब जो झुकेगा, कायर होगा तो वह सामने आयेगा, जो ठगने वाला होगा, वह आपके सामने आयेगा और जो ईमानदारी से गुमराह है वह आपके सामने आयेगा। ऐसे में समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए वार्ता के विरोध की बात नहीं है लेकिन अपनी ओर से कमजोर न होने पाये और प्रशासन ढीला न होने पाये। एक तरफ वार्ता की बात चली और दूसरी तरफ गुप्तचर सेवाओं को और चुस्त करने की बात चली और तीसरा पाकिस्तान की सीमा के साथ पूरी तरह से जो अवैध आवागमन है, उसको बंद किया जाये, ये सब बातें चलीं।···(व्यवधान)···

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री भोगेन्द्र झा : चुनावों के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा और हमारे दल की यह इच्छा है, वह शायद सारे सदन की इच्छा होगी कि दुबारा हमें राष्ट्रपति का शासन बढ़ाने के लिये वोट न देना पड़े। हमें चुनाव कराने का वातावरण तैयार करना होगा जो कि आज नहीं है। आज लोग वहां स्वतन्त्र रूप से मतदान नहीं कर सकते हैं। इस लिए राजनीतिक, प्रशासनिक और वार्ता सबके जरिये वह स्थिति पैदा कीजिये ताकि चुनाव की स्थिति पैदा की जा सके। राज्य के अधिकारों के लिये यदि संविधान संशोधन करना पड़ेगा···(व्यवधान)··

सभापति महोदय : आपको तीन मिनट देने की जगह 23 मिनट बोलने के लिये दिये गये हैं। अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं समाप्त कर रहा हूं। सरकारिया कमीशन में दी गई सिफारिशों के तहत आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। सभी राज्यों के अधिकार बढ़ाने होंगे। भजन लाल जी ने कहा कि हिमाचल, हरियाणा और पंजाब को मिला कर एक राज्य हो. मैं ऐसा समझता हूं इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। इतना ही कहते अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती बिमल कौर खालसा (रोपड़) : आदरणीय सभापति महोदय, आज पंजाब मसले पर वार्तालाप हो रहा है। बहुत अच्छी बात है कि पंजाब की समस्या को हल करने के लिये सबने अपने विचार प्रकट किये हैं मगर दुख की बात है कि सिर्फ माननीय सदस्य श्री भोगेन्द्र झा के सिवाय और किसी ने यह बात नहीं कही कि जो पंजाब में लोग रह रहे हैं, जो पंजाब में सिख हैं, जो नौजवान हैं, उनके ऊपर भी पुलिस का तशद्दुद होता है। उनको दोनों तरफ से देखना चाहिये कि पंजाब के लोगों को किस तरह पुलिस मार रही है। हर मैम्बर ने यही बात कही कि पंजाब को मिलिट्री के हवाले कर दो, बाड़ लगा दो और किसी ने कहा कि किसानों की जमीन वहां से ले लो। मगर किसी ने यह बात नहीं कही कि पंजाब का मसला गोली से हल नहीं हो सकता है। सब ने यह कहा कि इसको दबा दिया जाये, कुचल दिया जाये और इनको मार दिया जाये। जब तक पंजाब में शांति न आ जाये तब तक वहां इलेक्शन न हों ऐसा भी कहा गया। मैं यह पूछना चाहती हूं कि पंजाब में शांति लाने के लिए और वहां की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने अभी तक क्या किया है ? अभी भी पंजाब में 58 कम्पनियां सी० आर० पी०एफ० और बी० एस० एफ० भेजी गई हैं, जिप्सियां और ट्रक दिये जा रहे हैं। हथियार ज्यादा दिये जा रहे हैं। मगर क्या आपने यह देखा है कि पंजाब में सी० आर० पी० एफ० और बी० एस० एफ० शांति लाने के लिये सहायक

हो सकती है ? क्या सी० आर० पी० एफ० और बी० एस० एफ० इनोसेंट लोगों को मार नहीं रही है ? क्या आपने परसों के अखबार में यह नहीं पढ़ा कि एक कंडेक्टर और उसके दो साथी जब नौकरी करके वापिस आ रहे थे तो सी० आर० पी० एफ०, बी० एस० एफ० और पुलिस वालों ने बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे उनके ऊपर गोली चला दी। इस पर कंडेक्टर मारा गया और उसमें दो साथी जो मुलाजिम थे वह जख्मी हो गये। इस बात को लेकर बस वालों ने और रोडवेज वालों ने दो दिन की हड़ताल कर दी। हड़ताल करने की जरूरत क्यों पड़ी यह किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। पुलिस अधिकारी जो दोषी होते हैं उनके ऊपर सरकार कोई ऐक्शन लेना नहीं चाहती है। हड़ताल के दो दिन के बाद दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया।

खन्ना में एक ड्राइवर ट्रक लेकर जा रहा था, एक कांग्रेस इ का लीडर पीछे अपनी मारुति वैन गाड़ी से आ रहा था, जब वहां भीड़ होने के कारण कांग्रेसी लीडर को साइड ट्रक वाले ने नहीं दी तो कांग्रेसी लीडर के बॉडीगार्ड ने आगे जाकर गाड़ी खड़ी करके ट्रक ड्राइवर को गोलियां मार कर मार दिया। ऐसी-ऐसी वारदातें होती हैं, जब लोगों ने रोष प्रकट किया, यह कहा कि जो दोषी हैं, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाय, उसको गिरफ्तार किया जाय मगर पुलिस इसको टालना चाहती थी, केस रजिस्टर नहीं करना चाहती थी। जब लोगों को इस बात का पता चला कि पुलिस टालमटोल कर रही है और पुलिस को मुकदमा दर्ज नहीं करना तो लोगों ने जाकर थाने का घेराव कर लिया और वहां जाकर शान्तिपूर्वक धरना दिया। हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वह शान्तिपूर्वक प्रोटेस्ट करे मगर हम पंजाब में शान्तिपूर्वक प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। जब शान्तिपूर्वक प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। आपने खन्ना की खबर पढ़ी होगी कि वहां एक तो ड्राइवर को मार दिया और दूसरे दो या तीन लोग और मारे गये, पुलिस की गोली से और 8 जने जख्मी हो गये, 8 आदमियों को पुलिस ने जख्मी कर दिया। उनका क्या कसूर था, उनका कसूर इतना ही था कि वह शान्तिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं यह बताना चाहती हूं कि जब मुझे इस बात का पता चला, उधर से फोन आया कि आपकी कांस्टीट्वेन्सी में ऐसी वारदात हो गई है, पुलिस ऐसे अत्याचार कर रही है तो जब मैं वहां पहुंची तो पुलिस वाले एनाउंस कर रहे थे, खन्ना में कि कर्फ्यू लग गया है, सब लोग अपने-अपने घर चले जाइये। एक तरफ तो अभी एनाउंसमेंट हो रही है कि सब लोग अपने-अपने घर चले जाइये और दूसरी तरफ पुलिस वाले लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे थे, जब हमने पूछा कि लाठी-चार्ज क्यों कर रहे हो तो बोले कि कर्फ्यू लग गया है। हमने कहा, जो लोग घर से बाहर निकले हुए हैं, उनको घर पहुंचने दीजिए, लाठीचार्ज क्यों हो रहा है, तीन चार जगह गाड़ी रोक कर पुलिस वालों से पूछा गया कि तुम ऐसी ज्यादतियां क्यों कर रहे हो लेकिन कुछ नहीं हुआ।

दूसरी तरफ भवानीगढ़ में कल आपने अखबार में पढ़ा होगा कि किसान लोग जो शान्तिपूर्वक धरना दे रहे थे, उनके ऊपर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया और गोलियां चलाईं। मैं यह बताना चाहती हूं कि कानून को पुलिस ने अपने हाथ में लिया हुआ है। पुलिस वालों को पता है कि हमारे अगेन्स्ट कोई केस दर्ज नहीं हो सकता, कानून नाम की पंजाब में कोई चीज है नहीं। मैं यह भी पूछना चाहती हूं और यह बताना भी चाहती हूं कि 6-7 महीने पहले मोहाली में एक लड़के कुलवन्त सिंह को पुलिस वालों ने झूठा मुकाबला बनाकर मार दिया था, उस समय वहां गवर्नर साहब भी आये थे, डी० सी० साहब भी आये थे, एस० एस० पी० साहब भी आये थे तो उस डी० एस० पी० के सामने जब हम लोगों ने उस केस को उठाया तो डी० एस० पी० दिलीप

सिंह, जो मोहाली में आज भी मौजूद है, कितने शर्म की बात है सरकार के लिए कि एक डी० एस० पी० एक एम० पी० की इतनी ज्यादा बेइज्जती करे, इतना ज्यादा मिसबिहेव करे कि वह मसला सरकार को बताया जाय, सरकार के नोटिस में लाया जाय, प्रिवलेज कमेटी को दिया जाय और गवर्नर साहब की नोलिज में हो मगर अभी तक उस डी० एस० पी० पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या सरकार यह चाहती है कि जिस संसद सदस्य को लोगों ने इतने लाखों वोट देकर जिताया है, उसके साथ पुलिस वाले मिसबिहेव करें और उसकी बेइज्जती करें और नोटिस में लाने के बाद भी उसके ऊपर कोई एक्शन न लिया जाए? अब मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि क्या एक्शन आपने उस डी० एस० पी० पर लिया है, जिसने मेरे साथ मिसबिहेव किया? मैं इस बात का जवाब पूछना चाहती हूं।

दूसरी बात यह है कि पुलिस घरों में जाकर हर रोज लोगों की तलाशियां लेती है। नौजवानों को घरों से पकड़-पकड़ कर इल्लीगल डिटेंशन में रखा जाता है, यह बताया नहीं जाता कि नौजवान कहां है। सरकार आज एक तरफ कहती है कि औरतों को थानों में बुलाया जायेगा, आप जाकर पता करिए कि थाने में उस औरत के बाल नोच-नोच कर पुलिस वालों ने टोर्चर किया। ये हालात आज पंजाब के हैं और बाते करते हैं कि संविधान के अंदर रह कर पंजाब का मसला हल किया जाए। मैं यह कहना चाहती हूं कि जो कुछ आज पंजाब में हो रहा है, क्या वह संविधान के अंदर हो रहा है? क्या भारत का संविधान इजाजत देता है किसी नौजवान को घर से पकड़कर लाकर झूठा पुलिस मुकाबला करके मार दिया जाए? क्या भारत का संविधान यह इजाजत देता है, बिना मुकदमा चलाए नौजवानों को बिना किसी केस के पांच-पांच, सात-सात साल तक जेल के अंदर रखा जाए? क्या भारत का संविधान पुलिस को यह इजाजत देता है, पुलिस वाले बिना नम्बर की गाड़ियां लेकर नौजवानों को उठा कर ले जायें। क्या पंजाब में बिना नम्बर की गाड़ियां नहीं घूमतीं? क्या भारत का संविधान इजाजत देता है, बाबरी मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया जाए? भारत का संविधान क्या यह भी इजाजत नहीं देता है, जिन नौजवानों को पुलिस ने मारा है हम उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो सकें? जिन नौजवानों को पुलिस ने मारा है, उनकी लाश तक उनके रिश्तेदारों को नहीं दिखाई जाती है। हम यह कहते है कि अगर उसने कोई अपराध किया है, तो कानून के मुताबिक जो भी सजा बनती है, उसको दी जाए। कोई कानून यह इजाजत नहीं देता कि पुलिस वाले उनको गोली से मार दें। जिन लोगों के बच्चे घर से भाग जाते हैं, उनके मां-बाप उनको देखने के लिए आते हैं कि जो वारदात हो गई है, कहीं उस वारदात में हमारा लड़का न हो। मगर पुलिस वाले उनके मां-बाप को लाश तक जाने नहीं देते हैं। जब वे लाश देखने की मांग करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। यह स्थिति उनके मां-बाप के साथ होती है।... (व्यवधान)

चौ० राम प्रकाश (अम्बाला) : सभापति महोदय, बसों से 20-30 आदमियों को निकाल कर मार दिया जाता है और बैंक लूटे जाते हैं, उनके बारे में आप क्यों बोलती हैं।... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्रीमती बिमल कौर खालसा : मैं कहना चाहती हूं कि कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं हैं। यदि कोई गलत काम करता है, तो उसको सजा दी जाए।...

(व्यवधान) ...उस वक्त इंदिरा गांधी से यह कहा गया था कि दरबार साहब में आतंकवादी बहुत हैं और दरबार साहब पर अटैक कर दो उसको गिरा दो, तो मसला हल हो जाएगा। उनके ही सलाहकारों की सलाह के बाद दरबार साहब पर अटैक हुआ। भजन लाल जी ने कहा कि वहां बहुत आतंकवादी थे, वहां बहुत हथियार थे। मैं कहती हूं, अगर आतंकवादी थे, हथियार बहुत थे तो उसको पकड़ने के बहुत ज्यादा तरीके थे। मैं यह पूछना चाहती हूं, दरबार साहब में जो लोग गुरुपरब वाले दिन श्री अर्जुन सिंह जी के मत्था टेकने आए थे, दर्शन करने आए थे, उनका क्या कसूर था ?...(व्यवधान) ...कह रहे हैं कि हरमिन्दर साहब में आतंकवादी छिपे हुए थे। जब बाकी 39 गुरुद्वारों में चैक किया गया तो 38 में से किसी में भी आतंकवादी नहीं थे। इसी तरह से प्रधान मंत्री, श्री वी० पी० सिंह, को इन्हीं लोगों ने यह सलाह दी कि पंजाब में इलैक्शन कराने का बिल्कुल माहौल नहीं है। पंजाब के हालात बिल्कुल खराब है, इलैक्शन मत कराइए। इस पर प्रधान मंत्री जी ने इनकी सलाह मानते हुए पंजाब में इलैक्शन नहीं कराए और दो दफा संविधान में एमेंडमेंट कर दी गई। उसका नतीजा यह निकला कि प्रधान मंत्री जी को पश्चाताप करना पड़ा। प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि मैं बहुत पछता रहा हूं, पश्चाताप कर रहा हूं कि मैंने इलैक्शन नहीं करवाये। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने मान से बातचीत आरम्भ की है, उन्होंने कहा है कि नौजवानों से बात की जायेगी। मैं यह कहना चाहती हूं कि बातचीत या समझौता उस व्यक्ति से होता है, जिससे कोई लड़ाई हो, नहीं तो दूसरे व्यक्ति से समझौता करने का कोई फायदा नहीं है जैसे कि खाड़ी संकट, इतना बड़ा संकट है। मैं यह चाहती हूं कि भारत को इस संकट को हल करने के लिए कोई समाधान ढूंढना चाहिए। अगर हम खाड़ी संकट को बातचीत के जरिये हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो पंजाब की समस्या को बातचीत के जरिये हल करने की कोशिश क्यों नहीं करते ? (व्यवधान) इस प्राब्लम का हल भी बातचीत से हो सकता है। पहले भी 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था। उस समय भी जो लड़ाई थी, वह नौजवानों से थी। बरनाला से कोई लड़ाई नहीं थी। मगर समझौता कर लिया, बरनाला साहब और बलवंत सिंह से और राजीव लोंगोवाल से समझौता हो गया। मगर उसका नतीजा क्या निकला, वह आपके सामने है। इसलिये समझौता उस व्यक्ति से किया जाये, जिसके साथ कोई लड़ाई हो। इसलिये मेहरबानी करके इस पर बातचीत करके, पंजाब की समस्या हल करायी जाये। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपको बोलने से नहीं रोक रहा हूं। आप पंजाब से चुन कर आई हैं, इसलिए जितना आपका वक्त था, उससे दुगना-तिगुना वक्त मैंने आपको दिया है। अब मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप इसको समाप्त कर दीजिए।

श्रीमती बिमल कौर खालसा : सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो-तीन मिनट और लूंगी। अभी भजन लाल जी बोले कि आपके पति ने इन्दिरा गांधी को मारा। मैं यह कहना चाहती हूं कि दुनिया जानती है मेरे पति ने इन्दिरा गांधी को मारा, सतवंत सिंह ने मारा, लेकिन उस टाइम इन्दिरा गांधी को मारने के बाद एकदम उनको शूट आउट कर दिया गया। चाहे इन्होंने हाथ खड़े कर दिये थे, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करने के बाद अपने हाथ खड़े कर देता है तो उसे कानून इजाजत नहीं देता कि उसको गोली मारी जाये। मगर फिर भी उस समय उनको शूटआउट किया गया।

उसके बाद सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया, उनको सजा दी गई। मैं पूछना चाहती हूं कि सतवंत सिंह और बेयंत सिंह ने इंदिरा गांधी को मारा था, तो

उनको सजा मिल गई। मगर बाकी सिख कम्युनिटी का क्या दोष था कि उनके गले में टायर डाल-डाल कर उनको जलाया गया। भजन लाल जी कहते हैं कि राजीव गांधी जी सारी रात घूमते रहे। मैं यह पूछना चाहती हूं कि उस समय राजीव गांधी जी ने सारी रात घूम कर क्या किया। कोई भी बता दे कि किसी के खिलाफ कोई एफ० आई० आर० दर्ज हुई हो। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उनके भाषण में बाधा न डालें, यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं सभा में शान्ति बनाये रखने में पूर्ण रूप से समर्थ हूं। आप कोई भी व्यवस्था कायम नहीं कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्रीमती बिमल कौर खालसा : सिखों के करोड़ों रुपये की प्रोपर्टी को तबाह कर दिया गया। ये सरकार आई तो इन्होंने बोला कि हमने स्पेशल कोर्ट्स बनायी हैं जो कि 1984 के दंगे के दोषियों को सजायें देंगे। मगर मैं पूछना चाहती हूं कि उसके बाद आज तक 6 साल हो गये हैं, कितने दंगों के दोषियों को सजाएं दी हैं। दंगे कराने वाले हमारी पार्लियामेंट में ही मौजूद हैं मगर सरकार उनकी तरफ देखती तक नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि कोई भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए चाहे वह कितनी ही उच्च पदवी पर क्यों न हो।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि शिरोमणि कमेटी के इलेक्शन कितने सालों से ड्यू हैं। गुरुद्वारा सिक्खों का धार्मिक स्थान है, पर वहां जाने के लिए सिक्खों की तलाशियां ली जाती हैं, दरबार साहब में किसी को घुसने नहीं दिया जाता, सिविल कपड़ों में वहां पर पुलिस मौजूद है, हमारे धार्मिक स्थानों में मौजूद है, सरकार सिक्खों के जख्मों पर मरहम-पट्टी करने के लिए क्या कर रही है। अगर सिक्खों के जख्मों पर मरहम-पट्टी लगाई जाए तो मेरा ख्याल है कि इस समस्या का हल जरूर हो सकता है।

सभापति महोदय, महात्मा गांधी जी ने 1931 में शीशगंज गुरुद्वारा साहब में यह बात कही थी कि अगर सिक्खों को उनके हक नहीं दिए गए तो सिक्ख अपना हक लेना जानते हैं। इसलिए सिक्खों को उनके हक जब नहीं दिए गए, तब पंजाब समस्या यहां तक पहुंची है। मैं यह कहना चाहती हूं कि अभी भी पंजाब समस्या का समाधान सरकार को ढूंढना चाहिए। अगर पंजाब समस्या का समाधान नहीं ढूंढा गया तो पंजाब समस्या इतनी उलझ जाएगी कि उसको सुलझाना मुश्किल हो जाएगा।

श्री आई० के० गुजराल (जालन्धर) **:** सभापति जी, पिछले 3 घंटों से यहां पर पंजाब के हालात पर बात चल रही है। बदकिस्मती यह है कि हम लोग ज्यादा इतिहास में खोकर रह गए हैं। बात अगर शुरू की जाए शुरू से तो लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्ष निकल गए इस बात में, खासकर 1980 के इलेक्शन के बाद से, आज 1991 हो गया है, हालात बिगड़ते चले गए हैं, बदले नहीं हैं। यह अच्छी बात है कि आज चन्द्रशेखर जी

* कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

प्रधानमंत्री हैं। 10 साल पहले की बात है जब पहली दफा चन्द्रशेखर जी और मैं इकट्ठे कुछ लोगों के साथ दरबार साहब गए थे, कुछ लोगों से बात करने के लिए, हालात उस वक्त भी बाजे थे और हालात साफ-साफ यह थे कि कुछ लोग हालात को बिगाड़ने के हक में थे, बनाने के हक में नहीं थे। बदकिस्मती से सियासत इस तरह की चली, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने संत भिण्डरांवाले की बात उठाई थी, लेकिन जहां तक संत भिण्डरांवाले की बात है, भजन लाल जी यहां पर अभी नहीं हैं, यह पूछने की बात है, वे होते तो बताते कि 1980 के इलेक्शन में संत भिण्डरांवाले ने किसकी मदद की थी, किसके प्लेटफार्म से बोले थे और किसको उन्होंने चुनवाया था। अगर आज वे बातें सामने आ जातीं तो शायद बात बदल जाती। चन्द्रशेखर जी और मैंने मिलकर उस वक्त दो बातों पर बात उठाई थी। एक बात तो यह उठाई थी हमने मिलकर कि जो बात भी हो, उसे सिक्खों के गले न मढ़ा जाए। मार-काट शुरू हो चुकी थी, जगह-जगह लोग मारे जा रहे थे, लेकिन हम यह मानकर चलते थे कि सिक्ख इस देश का उतना ही अच्छा अंग है जितना कोई और है। सिक्ख इस देश का हिस्सा हैं, सिक्ख इस देश का अंग हैं और सिक्खों की जगह हिन्दुस्तान में उनके हक की है, किसी के तरस या किसी के दान की नहीं है। बदकिस्मती से हमारी बात नहीं सुनी गई और बात बढ़ती चली गई और आज जब मैं खड़ा हुआ हूं तो मैं खासतौर से यह बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ताल्लुक इन दो बातों से है। एक तो यह कि मैं पंजाब से चुना हुआ हूं, दूसरा यह कि मैं भी उसी धरती का लाल हूं, बेटा हूं, उस धरती का मैंने अन्न खाया है, जिसे पंजाब कहते हैं। मैं उस वरसे का हकदार हूं, जो वरसा हमको गुरुओं ने दिया है। यह गुरुओं का वरसा ऐसा महान है, जिसमें हिन्दू हो, सिक्ख हो या कोई भी हो, जो अपने आपको पंजाबी मानता है, वह इस वरसे से इन्कार नहीं कर सकता। इस वरसे की बुनियाद, इमारत कई चीजों पर रखी गई थी। उस वक्त का इतिहास है कि जब बाहर से लोग आकर हमला कर रहे थे, हम लोग पंजाब के रहने वाले अजीब हालत में थे, जो उतरता था दर्रे-खैबर से, वह हमारी छाती से गुजर कर दिल्ली आता था, आता भी था, जाता भी था। हमारी बहू-बेटियों की इज्जत महफूज नहीं थी, हमारा कोई इतिहास नहीं था, भाषा नहीं थी, कोई कल्चर नहीं था। फिर बाबर के आते वक्त हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ, महान व्यक्ति गुरु नानक पैदा हुआ, उसने ललकारा हमको पहली दफा और कहा कि आओ अपने दिल को उठाओ, उसने परमात्मा से कहा था बाबर के जुल्म को देख कर कि तुमको फिर भी दर्द न आया और उस दर्द के नाते पंजाबी पैदा होने शुरू हुए और दसवें गुरु के आने तक हमारे अंदर नए किस्म की जान पैदा हो गई थी। महान गुरुओं ने हमारी बुनियाद रख दी थी, पंजाबियत की इमारत बना दी थी, हमारी सायकालाजी, मनःस्थिति बना दी थी, हमें कल्चर दे दिया था, भाषा दे दी थी, वैल्यूज और कदरें दे दी थीं। ये कदरें और वैल्यू थीं, यूनिवरसल ह्यूमेनीज्म और सरब्रत का भला। यह एक चीज थी जिसमें यह भी था कि मानव की जात को एक ही मानो। यह गुरु नानक की देन थी जिसने इन चीजों से ऊपर उठकर हमको बनाया था। गुरु नानक जी की बात की जाए तो वे एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिसको अगर मैं उनकी तारीफ की बात करने लगूं तो सारी शाम गुजर जाए। वे एक अजीब किस्म के शख्सियत थे। लीडरशिप देना उनको वरसे में मिला था जिसमें कुर्बानी शामिल थी। बहादुरी को दूर नजरों से वक्त से आगे बढ़कर सोचें और दबे हुए लोगों को फिर से जागृत करना, यह गुरु नानक ने हम पंजाबियों को दे दिया था। पर जब पंजाबियों ने यह सुना तो गुरु नानक देव महाराज जी से इकबाल ने बाद में यह कहा कि लड़ा दे मुगुले शाहबाज। मुगुले शाहबाज से लड़ने की बात शुरू हुई और फिर से हमारी गुलामी आ गई।

गुलामी आने से पहले हमारे बीच में एक व्यक्ति पैदा हुए थे महाराजा रणजीत सिंह। उन्होंने इतिहास का मुंह मोड़ा था। वह जो खून का दरिया बहता था खैबर से दिल्ली की तरफ तो उन्होंने दरिया का मुंह मोड़ दिया था और फिर पंजाबी शान के साथ खैबर पार करके अफगानिस्तान तक पहुंच गए। उसने हमको पंजाबी बनाया। उसने हमको जुबान, वैल्यु और कल्चर दिया था। राजा कर्नल रणजीत सिंह ने एक सबसे बड़ी बात की। उनकी सरकार कोई मजहबी सरकार नहीं थी। वह सरकार सैक्युलर सरकार थी। उनके फारेन मिनिस्टर अजीजुद्दीन थे। उनके सब लोग अपने आपको पंजाबी कहते थे। गुलामी हमारे हिस्से में सबसे बाद में आई। अंग्रेज हमारी तरफ घुसे और हम लोग सौ साल तक गुलाम रहे। हमने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। बात गुरु मोरचे की करूं या किसी और मोरचे की या उन छोटे रियायतों की हो या कदरों की जिनको लेकर पंजाबी लड़े थे जिसने भगत सिंह और लाला लाजपत राय को पैदा किया था जो गदर पार्टी कहलाते थे। वे लोग पैदा किए थे जो लड़ना जानते थे और जो कुर्बानी देना जानते थे। आज बदकिस्मती से हम उनके मजहब की तलाश कर रहे हैं। हम पूछ रहे थे कि भगत सिंह और लाजपत राय हिन्दू या सिख थे। जलियावाला बाग के उपर जो फांसी चढ़े थे वे हिन्दू या सिख थे। वे कुछ नहीं थे वे सिर्फ एक देशभक्त थे। वह देशभक्त हमारा वरसा था जिसने हमको पंजाबी बनाया था। वे लोग उस पीढ़ी से ताल्लुक रखते थे जिन्होंने आजादी की जंग में हिस्सा लिया और हमने अपनी आंखों से नजरें देखे। मैं उस छोटे से शहर का रहने वाला हूं जिसको पाकिस्तान में झेलम कहते हैं। अमृतसर से सिखों का एक जत्था आया था जो खान अब्दुल गफ्फार खां की मदद के लिए पेशावर में हमारे झेलम शहर में पीटा गया। उस दिन मेरे छोटे भाई की मौत हो गई। मेरे मां-बाप रात को गिरफ्तार किए गए। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। आजादी का जद्दोजहद भी देखा और मैंने 46 भी देखा। 46 में फसाद रावलपिंडी और झेलम के इलाके से हुए थे। उस इलाके में हिन्दू-सिखों में कोई फर्क नहीं था। जो लड़ने वाले थे उनको सिखों ने मारा था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और अपने पांव किसी मोरचे में आया, कोई गाड़ी में और कोई भागकर आया। मैं उन लोगों में से हूं जिसने फसाद के जख्म खुरदा देखें। वे जख्म मैंने सफर किए। पंजाबी होने की वजह से हम उठे चूंकि हम हिम्मत वाले और मेहनतकश थे। इस बात को नहीं भूलाना चाहिए कि इस देश की धरती ने हमको छाती से लगाया और हमारे जैसे पाकिस्तान जाकर बसे। वहां पर मुहाजिर कहलाते है और गलियों में घूम रहे हैं। हम लोग आज हिन्दुस्तान में सर उठाकर चलते हैं। हममें अपने आप में और देश की एकता में मान है। हम यह जानते हैं कि धरती से सोना कैसे उगला जाता है और तलवार देश की रक्षा के लिए कैसे उठाई जाती है। क्या इस देश को मिट्टी हास्पीटेबल न होती और इस देश का जम्हूर हमारे साथ न होता···

6.55 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अगर इस देश के लोग हमारा साथ न देते तो हमारी हालत वही होती जो मुहाजिरों की पाकिस्तान में हो रही है। उस वक्त, यह ध्यान रखिये कि हम लोग मजहब के नाम पर पाकिस्तान बनता देख चुके हैं, पाकिस्तान को मजहब के नाम पर बंटता भी देख चुके हैं। मजहब के नाम पर देश नहीं बनते, देश बनते हैं कल्चर के नाम पर, इतिहास के नाम पर और अपनी परम्पराओं के नाम पर। हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। इसमें सिख गौरव के साथ हैं। मैं अपने आप

को सिखों से अलग नहीं समझता, मेरी बहन सिख के घर ब्याही है, हमारा और उनका रिश्ता बहू-बेटी का है कोई बंटा नहीं है। हमारे नाखून और मांस के रिश्ते हैं, हम इस कद्र एक दूसरे से जुड़े हैं कि अलग नहीं हो सकते। मेरे निर्वाचन क्षेत्र जहां से मैं जीतकर आया हूं सिख ज्यादा हैं, मैंने पहले भी जब चुनाव लड़े तो सिख मेजोरिटी वाले इलाकों से लड़े, उन्होंने मुझे चुनकर भेजा है, मैं कैसे मानूं कि वह मुझ से अलग हैं या मैं उनसे अलग हूं। हिन्दुस्तान धर्मनिरपेक्ष जमहूरियत की बुनियाद पर खड़ा है। अगर हम किसी तरह से इसको बदलने की कोशिश करेंगे तो फिर दोष किसको देंगे।

10 साल का जो इतिहास है वह कम-अक्लि का रहा है। उसमें सरकारें भी कम-अक्लि की थीं, कम-अक्लि को बांटा नहीं जा सकता। हमारा मुकाबला भी कम अक्लि से था, कूतानजरी में था। मैंने यह कहा आज उस कूता नजरी के बावजूद कोई भेदभाव धर्म के नाम पर होता है तो वह बेइंसाफी की बात होगी।

सिख ऐसी अजीब कौम है, ऐसी गौरवशाली कौम है जो जहां भी खड़ी होती है अपनी जगह कायम कर लेती है। मद्रास में, बम्बई में देखिये, कहीं भी देखिये, साइंस में, टैक्नोलॉजी में, व्यापार में, जमीन में, फौज में कहां है जहां सिख गौरव के साथ नहीं खड़ा है। हमें इस बात का मान है। इसलिए नहीं कि सिखों में मान है, बल्कि उनमें वह बात है जो आगे बढ़ने के लिए होनी चाहिए। इस देश की धरती इस बात की सराहना करती है कि जिसमें हिम्मत है वह आगे बढ़ता है और बढ़ने देता है। इसलिए मैं यह मानकर चलता हूं कि बदकिस्मती हमारी सियासत की थी, यह वक्त यह कहने के लिए नहीं है कि कौन-सी सरकार कम अक्लि की थी। अगर हम कम अक्लि न होते तो 10 साल बाद हम यह बात नहीं देखते। यह नहीं सोचते कि किस वक्त किसने क्या गलती की, इसकी एक लम्बी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन मैं उसमें जाना चाहता क्योंकि समय कम है। लेकिन एक बात है जिससे मेरा जाती ताल्लुक है, उसकी तरफ आपकी नजर दौड़ाना चाहता हूं। हम लोग अपनी तरफ से बात करते रहे कि क्या हुआ लौंगोवाल एकार्ड का, क्या हुआ आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का जो लौंगोवाल एकार्ड भेजा गया उस वक्त सरकारिया कमीशन को। एक तरफ हम ध्यान कम दे रहे हैं कि आज के हालात में पाकिस्तान क्या कर रहा है। बदकिस्मती हमारी यह है, मैं दो-तीन घंटे से बहस को सुन रहा हूं, मेरा ख्याल था कि कोई न कोई इस तरफ भी हमारा ध्यान दिलायेगा। मेरा ताल्लुक कुछ महीने तक इस देश की विदेश नीति के साथ रहा है। मैंने खुद वहां के विदेश मंत्री के साथ दो दफा बात की। मैंने खुद वहां के फारेन सेक्रेटरी से बात की। एक ध्यान रखिये चाहे बात कश्मीर की हो, चाहे पंजाब की हो उसके पीछे पाकिस्तान की विदेश नीति के हाथ को नहीं पहचानना सबसे बड़ी गलती होगी। और यह गलती हम कर रहे हैं। जब एक दूसरे पर दोष धर रहे हैं, लेकिन उस छुपे हुए हाथ को नहीं देख रहे। आपको याद होगा मैंने इसी हाउस में उस तरफ से खड़े होकर अर्ज किया था। फरवरी महीने में जब मेरी पहली बात याकूब से हुई थी तो वह मुझे अल्टीमेटम दे रहे थे और खतरा जंग का बन गया था। उसको मैंने अण्डर एस्टीमेट नहीं किया कि खतरा नहीं था। उन्हें यकीन हो गया था कि चाहे कश्मीर में दखलअंदाजी करें चाहे पाकिस्तान में करें इस बात को वे बढ़ावा दे सकते हैं और उसके बूते पर यहां के वातावरण को बदल सकते हैं। लेकिन जो जवाब आपकी तरफ से देना चाहिए था वह मैंने दिया था। उसका नतीजा यह निकला कि जब दो महीने बाद उन्होंने दूसरी दफा बात की तो उसकी भाषा बदली हुई थी, लेकिन इरादा नहीं बदला था, नीति नहीं बदली थी। पालिसी यही थी दखलअंदाजी की, पंजाब और कश्मीर में दखलअंदाजी की

पालिसी थी। मैं चन्द्रशेखर जी का पुराना मित्र हूं, उनकी दूरअंदेशी का मैं कायल हूं।

7.00 म० प०

लेकिन एक बात मैं उनसे कहना चाहता हूं बतौर पर्सनल मित्र के कि इस गलती को नहीं कर जायें कि फॉरेन पॉलिसी कभी टेलीफोनो से बदलती नहीं है, फारेन पॉलिसी लोगों की सिर्फ मीठी बातों से नहीं बदली जाती है। फॉरेन पॉलिसी बनती है दूर की बात सोच कर। वे अगर देख रहे हैं देश के अन्दर जो उथल-पुथल हो रही है, पंजाब में जो उथल-पुथल का इन्तजाम किया जा रहा है जो कश्मीर के अन्दर उथल-पुथल की जा रही है, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र कर रहा था उन दिनों का जो आपको याद होगा। पिछले जून की बात है। मुझे मिलने आये थे अमरीकी राष्ट्रपति बुश के सिक्यूरिटी एडवाईजर गेट्स। गेट्स ने मुझे यह कहा था कि वे यहां आने से पहले पाकिस्तान होकर आये थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि 31 कैम्प ऐसे चल रहे थे जिनमें टैरेरिस्ट्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी जिन्हें अब बंद कर दिया गया है। मैंने उनसे पूछा कि 31 कितनों में से बंद किये गये हैं क्योंकि हमारे आंकड़े जरा अलग हैं। मैंने उनसे यह कहा कि वे इस बात को छोड़ दें कि अगर सिर्फ 31 थे तो उन लोगों का हिसाब-किताब भी है, जिनको ट्रेनिंग वहां हुई है? वे कहां गये? उनका एकाउंट है कि नहीं? उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा है और शायद आपको ध्यान से गुजरा हो कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में अमरीका के अम्बेजेडर हैं श्री ओकले जिन्होंने खुल्लमखुल्ला यह बात कही है कि पाकिस्तान जिस तरह से कश्मीर में शरारत कर रहा है, वाई इम्प्लीकेशन्ज पंजाब में कर रहा है, वह आज अमरीका को भी मंजूर नहीं है और हम इस बात को छोड़ दें और यह सोचने लग जायें कि शायद माले के प्रधानमंत्री मुझे मिले थे और उन्होंने कहा कि मेरे इरादे बदल गये हैं तो अलग बात है। लेकिन मैं आपसे बड़ी नम्रता के साथ अर्ज करना चाहता हूं और आपके जरिये प्रधान मंत्री से जो मेरे पर्सनल मित्र हैं, इस फॉरेन पॉलिसी को जरा ज्यादा संजीदगी से देखना पड़ेगा, जरा ज्यादा गहराई से देखना पड़ेगा। पाकिस्तान के इरादे ठीक तरह से समझने पड़ेंगे। क्या माले के बाद यह टैरेरिज्म कम हो गया?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आज हम 7.00 अपराह्न तक कार्य करेंगे। किन्तु मैं समझता हूं कि हमारे पास और अधिक समय हो सकता है। अभी लगभग चार या पांच सदस्यों को बोलना है। मैं समझता हूं कि हम वाद विवाद पूरी होने तक की समय सीमा बढ़ा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना भाषण जारी रखें और जितना समय चाहें ले सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री आई० के० गुजराल : मैं जिक्र कर रहा था गेट्स मिशन का। जो हमारे यहां आये थे और उन्होंने कहा था कि हम किसी तरह से अपनी तरफ से पहल करें इस पीस बिल्डिंग की ताकि जो लड़ाई का वातावरण पाकिस्तान पैदा कर रहा था, उसको कम करने की कोशिश करें। हमने

एक पूरी काम्प्रीहेंसिव कान्फीडेंस बिल्डिंग मईजर्स किये, ड्राफ्ट बनाकर पाकिस्तान भेजा था। उसके दो हिस्से थे। एक हिस्सा था फौज का और दूसरा गैर फौज का। गैर-फौज का ताल्लुक पंजाब से है। गैर फौज का ताल्लुक कश्मीर से था और हमने उन जगहों के नाम दे दिये जहां कैम्प चल रहे हैं। हमने नाम दिये थे उन लोगों की जो वहां बैठकर ट्रेनिंग दे रहे थे, नाम दिये उन लोगों के जो वहां बैठकर टैरेरिज्म को एनकरेज कर रहे हैं लेकिन पीस बिल्डिंग की बात के मुतल्लिक पाकिस्तान ने आज तक जवाब नहीं दिया। तीन मीटिंग्स फॉरेन सैक्रेट्री के साथ हो चुकी हैं लेकिन जवाब नहीं दिया है। यही सवाल मैंने पाकिस्तान के फॉरेन सैक्रेटरी/मिनिस्टर से पूछा था, जवाब नहीं दिया गया और जब जवाब नहीं दिया जायेगा तो पाकिस्तान के इरादे एक खास तरफ जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा, थोड़े दिन पहले अमरीका ने पाकिस्तान की मदद बंद कर दी है इस बात को मानकर कि वहां पर उन्होंने न्यूट्रॉन बम बना लिया है। अब हम लोग आंख बंद कर लें, क्या कीमत है ? हम लोग सिर्फ बहस में पड़ जाएं, क्या कीमत है ? हम लोग यह समझें कि इन चीजों से हमको खतरे पैदा नहीं होते और हमको बैठकर संजीदगी से इनके ऊपर गौर नहीं करना चाहिए तो ये अपनी कृतानजरी होगी, अपनी कम अकली होगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप बम बनाइए, मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि आप बम न बनाइए। मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि पंजाब पर गौर करें, जब कश्मीर पर गौर करें तो आप हिन्दुस्तान की तमाम सरहद की बात करें और तमाम सरहद की जब बातें करते हैं तो उन चीजों की बात करें कि आज करीब एक साल से ऊपर हो गया है हमारी फौजें आई बॉल टु आई बाल खड़ी हैं। आज एक साल से ऊपर हो गया है यह चीज रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चीजें तार की बाड़ नहीं रोका करतीं। न चाइना बॉल रोकती है, न बर्लिन बॉल रोकती है। ये चीज रोकते हैं लोग। क्या हुआ आखिरकार कि चाहे 65 की जंग थी, चाहे 71 की थी, पाकिस्तान इस तरफ से नहीं बढ़ सका। लोग दीवार थे। लोग आज भी आपके साथ हैं। हम लोगों के साथ हैं कि नहीं, यह सोचने की बात है। इसलिए उन लोगों में चाहे वे हिन्दू हों चाहे सिख, पंजाब के रहने वाले हैं, सबसे बड़ी गलती आप करेंगे और कर रहे हैं हममें से कुछ लोग समझते हैं कि उग्रवाद कहीं पैदा हो तो दोषी सब सिखों को कर दिया जाए। कुछ लोग यह समझते हैं कि बांटने की बात की जाए तो शायद उससे हिन्दुस्तान का इन्टरस्ट महफूज हो जाएगा। यह कभी नहीं होगा। आज हमको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, वह यह है कि पिछला जो मैसेज, जो हम लोगों ने सरकार को छोड़ने से पहले इन्टरसेप्ट किया था, उसमें ये पाकिस्तान से मैसेज था टैररिस्टों को कि अब मेलेफिटवली हिन्दुओं को मारा जाए। यह मैसेज था उसमें यह कहा गया था कि हिन्दू सिख रॉयट्स इंजीनियर किए जाएं। यह अच्छी बात है और हमारी खुशकिस्मती है कि इस बात के बावजूद आज हिन्दू-सिख उस किस्म के रिश्ते बनाकर रख रहे हैं जिसके ऊपर हमको मान है। लेकिन हम को इस बात का एहतियात रखना होगा, कंप्लेसेंसी कहीं न आ जाए। कहीं यह न हो जाए कि कंप्लेसेंसी के नाते वह उस चीज में कामयाब हो जाएं जिस चीज में पाकिस्तान कामयाब होना चाहता है। हमको अब अपने आस-पास एक नजर दौड़ानी चाहिए। आज सारे पंजाब के अन्दर दो चीजें तब्दील हुई हैं। अध्यक्ष जी, पिछले साल जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे, उसके बाद यह मानकर मैं चलता हूं कि सिखों का ऐटिट्यूड सेंटर की तरफ से, दिल्ली की तरफ बदल गया। अब मैं यह नहीं कहता पहले गलत था या ठीक था। वह लंबी बहस हो जाएगी और शायद पार्टी की बात शुरू हो जाएगी। लेकिन जो एनहिलेशन थी दिल्ली के सिखों के मन में, वह नहीं है। सिख भी उतना ही दुःखी है टैररिज्म से जितना

हिन्दू दुःखी है। बल्कि किसी हद तक सिख ज्यादा दुःखी है क्योंकि बॉर्डर के तीन डिस्ट्रिक्ट में सिख ज्यादा बसते हैं। मैं कई दफा सोचता हूं जब गिनता हूं मगर बदकिस्मती यह है कि लाशों को गिनना कोई अच्छी बात नहीं है। यह गिनूं कि सिख मारे गए या ज्यादा मारे गए, ये बदकिस्मती की बात है। जो मारा गया वह हिन्दुस्तानी मारा गया, वह बेचारा बेहाल मालूम सिख हो या हिन्दू हो कि पंजाबी मारा गया। यह बात ध्यान रखिए और बिमल खालसा जी ने ठीक बात बताई कि जिस तरह से पुलिस वहां काम कर रही है, उसको कम से कम मैं सॉफ्टेस्ट शब्द इस्तेमाल करूं, वह तसल्लीबख्श नहीं है। करप्शन भी है, बेगुनाह लोगों को पकड़ा भी जाता है, पैसे भी लिए जाते हैं, थानों के अन्दर जो वातावरण है वह ठीक नहीं है। उनको ठीक करना हमारा फर्ज होना चाहिए और करना पड़ेगा। आज डर का माहौल और आगे बढ़ गया है।

अध्यक्ष जी, आज ये बातें चाहे आप काश्मीर के अखबार उठाएं चाहे आप पंजाब के अखबार उठाएं, इश्तहार निकाले जा रहे हैं और मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं जो पिछले एक हफ्ते में "ट्रिब्यून" में इश्तहार निकाले गए—कोई कह रहा है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैंने आदतें बदल दी हैं, मैंने पेशा बदल दिया है और एक एस० एच० ओ० यह कह रहा है कि आप मुझ पर गलत शक कर रहे हैं। उग्रवादियों से कह रहे हैं कि बराये मेहरबानी, मैं तो बड़ा मासूम आदमी हूं। ये एक वातावरण पैदा हो गया है। इसमें इन लोगों को दोष मैं नहीं कहता। मैं दोषी कहता हूं हम सबको कि हम क्यों नहीं इस डर के माहौल का पर्दा उठा सके। मैं इस बात के हक में हूं कि कल्चर बदलने की जो कोशिश की जा रही है बन्दूक के नाते उसके मुताल्लिक भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता कि हम पंजाबी जुबान इस्तेमाल न करें। मैं भी खुद पंजाबी जुबान इस्तेमाल करता हूं और आप देख रहे हैं कि जिस किस्म की हिन्दी में बोलता हूं, वह हिन्दी बड़ी पंजाबी हिन्दी है और है भी हिन्दी ऐसी ···(व्यवधान)

माननीय सदस्य : वह अच्छी हिन्दी है।

श्री आई० के० गुजराल : थैंक्यू। मैं यह मानकर चलता हूं कि पंजाबी पढ़ानी हो या तेलुगू पढ़ानी हो, गुरुमुखी पढ़ानी हो या तमिल पढ़ानी हो, ये प्यार के रिश्ते हैं, बंदूक के रिश्ते नहीं हैं। लोग इस मुल्क में खासकर जहां 80 फीसदी से ज्यादा लोग अनपढ़ हैं, उनको हम क्या पंजाबी सिखाएंगे क्या तमिल सिखायेंगे। हम पंजाबी लोग हैं, पंजाबी मां के बेटे हैं, पंजाबी हमारी तहजीब है और अपनी कल्चर के ऊपर हमें नाज है। हम पंजाबी बोलते हैं और पंजाबी के नाते ही हम जिन्दा हैं। पंजाबी होने के नाते हमें गौरव और मान भी है लेकिन हमें यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ लोग जो कल्चर बदलते हैं कौन आदमी कौन से कपड़े पहने, कौन आदमी किस तरह बाहर निकले, कौन आदमी कौन सी जुबान बोले, यह एक खतरनाक ट्रैंड है जो हमें फासिज्म की ओर ले जाता है, डैमोक्रेसी की तरफ नहीं ले जाता। आज जो लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं वे नहीं जानते कि वे किस किस्म का खतरा मोल ले रहे हैं। पंजाबी बाहर भी हैं, पंजाबी अंदर भी हैं, पंजाबी पंजाब में भी हैं, पंजाबी हिन्दुस्तान में भी हैं और पंजाबी दुनिया में भी हैं और यही पंजाबी की शान है। इसी के ऊपर हमें फख्र है। मैं उन लोगों में से हूं जो यह मानकर चलते हैं कि मान साहब से बात करने में प्रधानमन्त्री जी ने जो पहल की है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। यह बात रिकार्ड पर है कि 31 दिसम्बर को मैंने पंजाबी ग्रुप की तरफ से एक स्टेटमैंट भी दी थी कि बात जरूर होनी चाहिए, गुफ्तगु जरूर होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि पहले तुम यह करके आओ, पहले तुम वह करके आओ। मैं यह बात मानकर चलता हूं कि न प्रधानमन्त्री को यह सुझाने

की जरूरत है और न हम लोगों को यह समझने की जरूरत है कि हम लोग हिन्दुस्तान की एकता और अखण्डता में पूर्ण विश्वास रखते हैं और कोई चाहे भी तो हमें तोड़ नहीं सकता। तोड़ने का सवाल ही कहां पैदा होता है। इसलिए यह चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। अब बात कही जा रही है सैल्फ डिटरमिनेशन की, इसमें पंजाबी और हिन्दू दोनों का नुकसान है, पंजाबी का भी नुकसान है और हिन्दू का भी नुकसान है, सिक्खों का भी नुकसान है। देश के नुकसान की बात तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब के मामले में जो कई कदम, कई पहल की गयी हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। अब आपने वहां नया गवर्नर भेजा है, हमारी तमाम को-आपरेशन उनके साथ है। बदकिस्मती से गवर्नर्स बदलने की प्रथा हमारे देश में बहुत आम हो गयी है। मैं उस दिन बैठा गिनने की कोशिश कर रहा था कि पंजाब में पिछले 10 सालों में कितने गवर्नर्स बदले गये हैं। मेरा मैथमैटिक्स जरा कमजोर है इसलिये मैं सब भूल गया। पता नहीं कि कितने गवर्नर्स बदले गये। यदि कोई बता सके कि कितने बदले गये तो मैं शुक्रगुजार हूंगा। शायद कोई बता भी नहीं पायेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि गवर्नर बदल देने से कोई मसला हल नहीं हो सकता है। गवर्नर बदल देने से पंजाब समस्या भी हल होने वाली नहीं है। कुछ बुनियादी बातें हैं जिन पर देश में हमें कन्सैन्सस कायम करना पड़ेगा। यहां एक माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि कन्सैन्सस के बिना कोई बात बनेगी नहीं। यदि हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो इससे बात बनेगी नहीं उल्टे बिगड़ेगी ही। इस देश और हाउस को इकट्ठे होकर एक आवाज उठानी पड़ेगी। फौज की बात की जाती है कि वहां फौज भेज दी जाये परन्तु मेरी राय है कि फौज का इस्तेमाल जरा ताम्मूल से, जरा केयरफुली करना चाहिए क्योंकि फौज तमाम मसले हल नहीं कर सकते। अगर कहीं फौज भेज दी गई और वह मामला हल नहीं हुआ तो उससे और ज्यादा नुकसान देश का होगा। मैं उस बात से सहमत हूं कि पंजाब में अनएम्पलायमैंट की प्रौब्लम है। दिनेश सिंह जी ने ठीक कहा कि पंजाब की पर-कैपिटा इंकम देश में सबसे ऊंची है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर पंजाबी खुशहाल है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर पंजाबी की पर-कैपिटा इंकम देश के दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा है। अनएम्पलायमैंट का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। आप यह भी कह सकते हैं कि पूरे देश में अनएम्पलायमैंट की प्रौब्लम है लेकिन कई जगह जब बीमारी ज्यादा हो तो उसका पहले ऑपरेशन करना पड़ता है। इसके मुतल्लिक हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और कुछ दूसरी बातों की मुतल्लिक ध्यान देना पड़ेगा। आज पंजाब में डैवलपमैंट का काम बिल्कुल रुका हुआ है पिछले 5-6 सालों से यही स्थिति है। मैं आपको अपनी कांसटीटूएंसी की बात बता सकता हूं हमारे यहां जालंधर म्युनिसिपैलिटी में कपूरथला में, नकोदर में, उनके पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाहें देने के अतिरिक्त डैवलपमैंट के लिए सौ रुपये भी नहीं हैं। उसका नतीजा क्या सामने आ रहा है। उसका नतीजा यह हो रहा है कि डैवलपमैंट के काम मुकम्मल तौर पर बन्द हो चुके हैं। प्लान जरूर बनते रहते हैं, कागजी कार्यवाही होती रहती है और चूंकि स्थानीय लोग हमसे आकर पूछते हैं, क्योंकि मैं उनकी नुमाइन्दगी करता हूं इसलिए मुझे जवाब भी देना पड़ता है कि वहां पर लैट्रीन इसलिए नहीं बन सकती, वहां पर सीवर का काम इसलिये नहीं हो सकता, अमुक जगह सड़क नहीं बन सकती। बदकिस्मती से हम लोग जब फौज के ऊपर खर्च करने को तैयार हैं, पुलिस के ऊपर खर्च करने को तैयार हैं, फिर डैवलपमैंट के लिए खर्च करने को तैयार क्यों नहीं हैं। इसके मुतल्लिक भी आपको अपनी पौलिसी बदलनी होगी। जब तक हम पौलिसी को नहीं बदलेंगे, तब तक हमें अनेक प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और हमारी मुश्किलें बढ़ती ही जायेंगी। अभी भजन लाल जी

ने यहां कई बातें उठायीं, उठा तो दीं, अगर न उठाते तो ज्यादा अच्छा होता। इस किस्म के नुस्खे देना कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तीनों को फिर से इकट्ठा कर दो, अब मैं भजन लाल जी को क्या कहूं, वे खुद बड़े तजुर्बेकार आदमी हैं, अब इकट्ठा करने का या तोड़ने का तजुर्बा उनको ज्यादा हो सकता है, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं उनकी इस बात में भी नहीं जाऊंगा जैसा उन्होंने अभी चर्चा की और आनन्दपुर साहब रिजौल्यूशन की बात उठायी, अगर उन्हें याद हो तो आनन्दपुर साहब के मुतल्लिक लौंगोवाल एग्रीमेंट में भी बात की गयी है। उसी वक्त कहा गया था कि यह हम सरकारिया कमीशन को भेज रहे हैं। वह बात प्रधान मन्त्री ने कही थी। मैं उनको दोष नहीं देता हूं, लेकिन यह अच्छी बात नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में, मै सिर्फ एक बात कह कर खत्म करना चाहता हूं—न सिर्फ कंसेंशस की जरूरत है, बल्कि अगर इस देश में हम एकता को मानते हैं, तो हमें अनेकता को भी मानना पड़ेगा और सिख इस देश में एकता में अनेकता के प्रतीक हैं। उनकी अपनी भाषा है, उनका अपना कल्चर है, उनका अपना धर्म है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन वह कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, वह हमारा भी धर्म है, हमारी भी भाषा है, हमारे भी वे गुरु हैं, हमारा भी देश है और हमारी भी धरती है।

[अनुवाद]

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पंजाब पर बोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पंजाब पर आज की चर्चा को सुन कर मुझे थोड़ा दुःख हुआ। मैंने अपना नाम सूची से हटवा लिया और सदन से उठकर चला गया था। मैं पुनः सदन में आया क्योंकि कुछ सदस्यों ने आग्रह किया कि चूंकि मैं पंजाब का रहने वाला हूं मुझे बोलना चाहिए और इसलिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पंजाब के बारे में मेरे विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं। अप्रैल, 1986 के बाद मैं प्रत्येक वर्ष दो बार बोलता रहा हूं। मैं अपना जीवन जी रहा हूं, किसी से अपने जीवन की भीख नहीं ली है।

महोदय, पंजाब में स्थिति बिगड़ती जा रही है। हालांकि 1989 में केन्द्रीय सरकार ने श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में श्री सिद्धार्थ शंकर राय को राज्यपाल बनाकर स्थिति को काबू में कर लिया था और आतंकवादियों को पंजाब छोड़कर भागना पड़ा था। इसके बाद पंजाबी विस्थापित लोग वापस आने शुरू हो गये थे। चुनावों के लिए वातावरण उपयुक्त बनाया गया था और शांतिपूर्वक चुनाव कराये गए थे। यद्यपि, दिसम्बर, 1989 में दक्षिणपंथियों और वामपंथियों के समर्थन में प्रधानमंत्री श्री वी० पी० सिंह के नेतृत्व में नई सरकार द्वारा सत्ता संभालने के बाद स्थिति खराब होनी आरम्भ हो गई। आज हम देखते हैं कि पंजाब की स्थिति क्या हो गई है। आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब में आतंकवादियों का हुक्मनामा चलता है। चाहे सरकार केन्द्र में हो अथवा पंजाब में उसे आतंकवादियों के दबाव के आगे झुकना पड़ता है। हुक्मनामा, डा० सोहन सिंह की कथित पंथिक समिति द्वारा जारी किया गया था। सरकार 24 घण्टे भी प्रतीक्षा नहीं कर सकी और हुक्मनामे को लागू करने की शुरूआत 22 नवम्बर, 1990 को दूरदर्शन द्वारा आतंकवादियों के दबाव के आगे झुकने से हो गई थी। आज पंजाब में आतंकवादी सम्मान के सूचक हैं। उन्हें खाड़कू कहा जाता है। पंजाबी, जिसे किसी भी दल की सरकार पंजाब में लागू नहीं कर सकी थी, तुरन्त लागू कर दी गई। पंजाब सचिवालय में, सभी सचिवों ने अपने नाम-पट पंजाबी में

लगवा दिये। आतंकवादियों द्वारा निर्देशित रंग योजना को सभी ने स्वीकार कर लिया। पंजाब के प्रमुख शहरों में महिला ब्यूटी पार्लर बंद हो गये हैं, महिलाओं की पोशाक उनके द्वारा निर्धारित की जा रही है, मैं चाहता हूं कि स्वयं सरकार इस शब्द का प्रयोग करे। मुझे इस सदन के अधिकांश सदस्यों पर आक्षेप करने के लिए माफ कर दिया जाये क्योंकि उन्होंने एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के सिवाय पंजाब के लिए कुछ नहीं किया। चन्द्रशेखर जी ने पंजाब में सेना भेजी थी। मुझे खेद है कि सरकार कमजोर थी और इसने अपना रुख यह कहकर बदल लिया कि सेना पंजाब में तैनात नहीं की गई है इसे सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की सहायता के लिए भेजा गया है। तैनात क्यों नहीं की जाती? केवल सीमा के साथ के कुछ जिलों में ही क्यों तैनात की गई है जिससे आतंकवादियों को सहायता मिलती है? क्योंकि स्वयं सरकार ने इसका प्रचार किया, इससे आतंकवादियों को अन्य जिलों में भाग जाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। वे पाकिस्तान, होशियारपुर, रोपड़, पटियाला, लुधियाना, जलन्धर, अम्बाला जैसे जिलों में, दिल्ली और अन्य स्थानों में भाग कर पहुंच गए। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि पंजाब में जो कुछ भी किया गया है वह मात्र पुलिस और नौकरशाही का बन्दोबस्त है; जिसका आदेश पंजाब की पुलिस और नौकरशाही दे रही है। मैंने बहुत से अधिकारियों के लिए 'हिजड़ा' जैसे बहुत कड़े शब्द भी प्रयोग किये हैं। आज मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। इस देश में किसी भी व्यक्ति में कुछ कहने का साहस नहीं है। मुझे आज ऐसा कहने दिया जाए। वे लोग जो उत्तेजक भाषण देते हैं—चाहे वे गुरुद्वारे से हों या अन्य स्थान से। मैं उन्हें चुनौती देता हूं—चाहे वह सिमरनजीत सिंह मान हों अतिन्दर पाल सिंध हो अथवा अन्य कोई व्यक्ति—निर्दोष लोगों के साथ, जिनके पास हथियार नहीं हैं, खिलवाड़ करना छोड़ दें। यदि उनमें हिम्मत है तो वे मेरे जैसे व्यक्ति से मुकाबला करें। मैं हथियारों से लैस होकर सब जगह घूमता हूं। और यह सिर्फ सरकार द्वारा दी गई सुरक्षा नहीं है जो कि मेरी रक्षा कर रही है। मैं उस देश के प्रति सच्चा हूं। मेरी रगों में मेरे पिता चौधरी बलबीर सिंह का खून है। मैंने 21 वर्षों तक भारतीय वायु सेना में सेवा की है। दुर्भाग्य से, मैं इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय से हूं। मैं एक भारतीय हू। दुर्भाग्य से मेरे ऊपर 'अल्पसंख्यक' की मोहर लगा दी गई है क्योंकि इस देश में शायद ही कोई भारतीय है।

इन कड़े शब्दों के प्रयोग के लिए मैं पुनः माफी चाहूंगा। मैंने अपने इन पांच वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इस दल के एक सशक्त और सच्चे अनुशासित सैनिक के रूप में कार्य किया है। मैं एक बार पुन: कहना चाहूंगा तथा संपूर्ण देश से अनुरोध करना चाहूंगा कि पंजाब में शान्ति स्थापित करने के लिए कार्य करें और इस कार्य में इस सरकार की सहायता करें।

जहां तक आतंकवादियों से बात करने का प्रश्न है, यह मैं हूं जो हमेशा यह कहता रहा हूं कि जो लोग संविधान को नहीं मानते, जिनके हाथों में हथियार हैं, जो आग लगाना और लोगों की हत्या करना चाहते हैं, अगर वे चाहते हैं तो उनको बुलाकर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन यदि वे निरर्थक बातें करते हैं तो उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। मुझे 21 वर्षों तक इसी देश में यही पढ़ाया गया है कि देश के शत्रु को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

जहां तक विकास और अन्य बातों का प्रश्न है, आज पंजाब में सिर्फ शान्ति की आवश्यकता है। कुछ मिनट पहले, हमने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है जिसमें विश्व से खाड़ी में युद्ध रोकने का अनुरोध किया गया है। मैं वही बात कह रहा हूं। हमें अन्य बातों की चर्चा नहीं

करनी चाहिए। हमें पंजाब में सिर्फ शान्ति स्थापित करने की बात करनी चाहिए। मैं सभी दलों से आतंकवाद से लड़ने का अनुरोध करता हूं। आप देश को जाति और समुदाय के नाम पर बांटने जैसे तुच्छ खेलों से हटकर चुनाव लड़ सकते हैं। हमें कुछ समय के लिए इन बातों को छोड़ देना चाहिए। मैंने 2 अप्रैल, 1986 को संसद में ऐसा कहा था। मैं आशा करता हूं कि मेरे आधे से अधिक भाषण को कार्यवाही वृतान्त से नहीं निकाला गया था। मैंने उस भाषण में वही कहा था जो आज कल हो रहा है अथवा कल होने जा रहा है।

मैं एक बार फिर प्रत्येक से प्रधानमंत्री की सहायता करने का अनुरोध करता हूं। मैं प्रधानमंत्री से भी पंजाब में कड़ी कार्यवाही करने हेतु साहस दिखाने का निवेदन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चांद राम (हरदोई) : आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगता हूं कि मेरी आदत कभी किसी की स्पीच में दखल देने की नहीं है। मैं आदरणीय गुजराल जी से इतना पूछना चाहता हूं और मैं नाम ले रहा हूं जानकर इसलिए कि मैं उन पर आक्षेप लगाना चाहता हूं, ऐसी कोई भावना मेरी नहीं है।

आडवाणी जी ने कहा कि जब गोल्डन टैम्पल में आदरणीय श्री वी० पी० सिंह गये तो उनका बहुत बड़ा स्वागत हुआ। उन्होंने खुद माना कि उस समय वातावरण बहुत अच्छा था। मगर उस वातावरण को हमने खो दिया। मैंने अभी गुजराल जी का भाषण सुना। उन्होंने अपने भाषण में कोई हल नहीं सुझाया है केवल इतना वार्निंग दी कि हम अपनी विदेश नीति को बदलें और पाकिस्तान का ख्याल रखें।

आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने पुराना वक्त भी देखा है। मैं भी एक तरह से शरणार्थी था। मैं 1947 में लाहौर में पढ़ता था। मैं भी शरणार्थी बन कर यहां आया था। मैं उस समय विद्यार्थी था और स्टूडेंट कांग्रेस में काम करता था। उस समय उर्दू की लड़ाई हुआ करती थी। उस समय उर्दू का अखबार 'नवां जंग' निकला करता था और हिन्दी को लेकर लड़ाई हुआ करती थी।

जब पंजाब और हरियाणा बने थे तो उस समय 54 परसेंट सिख थे और 46 परसेंट हिन्दू थे। अमृतसर के एम० पी० श्री भाटिया जी से आज मेरी बात हो रही थी। वह बता रहे थे अब वे केवल 42 परसेंट ही रह गये हैं। मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं। हम हिन्दू सिख को अलग-अलग क्यों सोचते हैं? कृपाल सिंह सोशलिस्ट हैं। अभी होशियारपुर के एम० पी० कैप्टन साहब जो चौधरी बलबीर सिंह के साहबजादे हैं बोल रहे थे। चौ० बलबीर सिंह हमारे साथ एम०एल०ए० रहे हैं। वह पगड़ी बांधा करते थे। वह जमाना मुझे याद है। जब गोल्डन टैम्पल में आदरणीय भीम सिंह सच्चर ने 1952 में सफेद कपड़ों में पुलिस भेजी थी तफतीश करने के लिए तो इस पर सच्चर साहब को मजबूर होकर मांफी मांगनी पड़ी। जब गोल्डन टैम्पल में इन्दिरा जी के वक्त में सेना भेजी गई तो मैंने इन्दिरा जी को यह काम करने के लिए रोका था और कहा कि ऐसा मत सोचिये। मैं छोटा-सा आदमी था, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। यह ठीक है कि मैं 1952 से वहां एम० एल० ए० रहा हूं और अमृतसर के कई गांवों में बहुत ज्यादा गया हूं। यह ठीक बात है कि मैं मंत्री भी रहा हूं। अगर हम अपनी हिन्दू जहनियत को बदल दें तो अच्छा होगा। इस बात को

नजरअंदाज करके सिखों को पंजाब में ज्यादा रियायतें दे दें तो समस्या का समाधान हो सकता है।

गुजराल साहब ने छोटी-छोटी बातें कहीं कि वहां कागज का कारखाना लगना चाहिए। अगर हम पंजाब को हिन्दुस्तान का स्टेट समझकर ज्यादा रियायतें देंगे तो समस्या सुलझ जायेगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि पंजाब में अनाज ज्यादा पैदा होता है, वहां की परकैपिटा इन्कम ज्यादा होती है लेकिन साथ ही गुजराल साहब ने कहा कि परकैपिटा इन्कम का यह मतलब नहीं है कि हर पंजाबी अमीर है, हर पंजाबी की आमदनी बहुत ज्यादा है, ऐसी सिचुएशन है। हम क्यों नहीं इस बात का स्वागत करते कि हम सम्बन्धित 'मान' या दूसरे लोगों के साथ बात की जाय और बात हो रही है लेकिन हमारा फर्ज यह बनता है कि जैसा एक माहौल है, उन्होने यह बताया कि लोगों को शिकायत है कि पुलिस के लोग मासूम लोगों को मारते हैं तो मैं मानता हूं कि डिफरैण्ट पाइण्ट ऑफ व्यू इस हाउस में आये हैं, उन पर सोचकर सरकार एक जैसी पॉलिसी बनाये जिससे पंजाबियों को यह महसूस नहीं हो कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। उन्होने यहां पर बताया कि उन्होंने आजादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की, मैं भी अण्डमान की जेल मे गया था, जब वहां लिस्ट पढ़ी तो कुर्बानी के लिए पंजाब के लोगों की बहुत बड़ी लिस्ट थी तो आज पंजाब को पंजाब समझकर हमको कुछ करना चाहिए, सिख के तौर पर समझकर नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस तरह समस्या का समाधान हो सकेगा। अगर हम इस राय से चलेंगे, मैं अछूत घर में पैदा हुआ लेकिन आज शेड्यूल्ड कास्ट्स के 20 परसेण्ट लोगों को तो कोई हिन्दू समझता ही नहीं, कभी कोई आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, कभी कभी उनको कुछ कहते है, 40 साल के बाद भी उन पर आज अत्याचार होते हैं। मैं कभी-कभी सोचता हूं, क्या हमने छुआछूत मिटा दी, क्या हिन्दू लोगों ने छुआछूत मिटा दी ? सिख कौम एक ऐसी कौम थी कि हर एक हिन्दू घर में यह लाजिमी हुआ करता था कि एक आदमी को सिख बनाओ, यह गुरु नानक जी की संगत पंगत का इन्होंने बताया। इन्होंने ऐसा बताया कि अगर किसी जगह चोरी वगैरह होती है और डाकेजनी होती है, कोई बदमाशी होती है तो एक सिख को वहां बसा दिया करते और यह कहा करते कि अब चोरी डाका यहां नहीं पड़ेगा, यह सिख कौम ऐसी थी। आज क्यों ऐसा हो गया कि उनको आतंकवादी कहते हैं। या उनको इसके लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे याद है कि मास्टर तारा सिंह ने चार जातियों के लिए कहा था कि इनको शेड्यूल्ड कास्ट्स मान लो, यह हमारी आखिरी मांग है। सरदार गुरुचरण सिंह टोहरा की स्पीच मुझे याद है, राज्य सभा में दी गई, उन्होंने कहा कि हमारी छोटी-छोटी 14 बातें मान लो लेकिन नहीं मानी गई। उस स्पीच को अगर आप निकलवाकर देखेंगे तो उन्होंने उस समय यह कहा था कि आज आप इन छोटी-छोटी 14 बातों को मान लो, अगर इनको नहीं मानते हो तो एक वक्त आयेगा कि हम इससे कहीं ज्यादा बात पेश करेंगे लेकिन सिख या पंजाबी लोग उन्हें नहीं मानेंगे तो मैं बगैर किसी के ऊपर आक्षेप किये यह आशा करता हूं कि हमको हिन्दुस्तान के कुछ मसले हल करने के लिए जेहनियत जो हमारी तंगनजरी की है, उसे छोड़ना पड़ेगा और हमको एक स्टेट के तौर पर, जिसका कण्ट्रीब्यूशन इतना हो, उसके साथ हम सही बर्ताव करेंगे तो मैं समझता हूं कि हल आ जायेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने यह बात शुरू की है। मैं आशा करता हूं कि वह इस समस्या को हल करने में कामयाब होंगे और मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के बहुत बड़े हिस्से के वह देशभक्ति के पात्र होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, पंजाब की समस्या एक बहुत गम्भीर समस्या है। जब भी सत्र चलता है तो कमोबेश किसी न किसी बहाने इस विषय पर वार्ता चलती रही है, वही गम्भीरता का प्रतीक है लेकिन मेरा मानना है कि "मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की"। सारी दिक्कतों के बाद राजपाट बदले जा रहे है, फरमान जारी किये जा रहे हैं, सारी मिलिट्री लगाई जा रही है, पुलिस लगाई जा रही है, अर्धसैनिक बल लगाये जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब की समस्या हल नहीं हो रही है। मेरे दिमाग में एक बात आती है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड़यन्त्र है, क्योंकि, हमारे देश के समाज में धर्म के नाम पर किसी को सम्मान मिलता है और किसी धर्म को न मानने पर उसे अपमान मिलता है। हमारे देश में जो जातियां बनी हैं, उनमें भी कुछ लोग पैदा होते ही सम्मान के साथ जीते हैं और कुछ लोग पैदा होते ही अपमानित कहे जाते हैं, अछूत कहे जाते हैं, उसी तरह से धर्मों का भी मामला है। हमारे देश में कुछ धर्म अपने आपको बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं और जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उन्हें गिरी निगाह से देखा जाता है। उसी क्रम में इस देश में हजारों हजार साल से ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने अपने को कुछ वर्गों को बहुत ही श्रेष्ठ माना और कुछ वर्गों को नीच माना, अछूत माना। उसी तरह से हमारे देश में 40 साल की आजादी के बाद मुसलमानों को भी सम्मान, स्वाभिमान नहीं मिला और 5-6 साल के अन्दर हमारे देश में सिक्खों को स्वाभिमान सम्मान नहीं मिला। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि 1947 में इस देश में मुसलमानों ने पंजाब में न जाकर कश्मीर में रहने का फैसला किया है और हमारे देश में पंजाब के लोगों ने देश का स्वाभिमान, सम्मान बढ़ाने का काम किया है, चाहे देश की आजादी की लड़ाई रही हो, चाहे देश में मिलिट्री का मामला हो, चाहे खेती-बाड़ी का मामला हो, पंजाबियों ने हमारे देश का सम्मान बढ़ाया है। लेकिन हमारे देश में जो मुसलमानों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जो पंजाबियों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है। आज जब मुसलमान खड़ा होता है तो उसको पाकिस्तानी कहा जाता है। जब पंजाबी कोई खड़ा होता है, तो उसको खालीस्तानी कहा जाता है। इस देश में छोटे वर्ग के लोग हैं, वे जात-बिरादरी के लोग बताए जाते हैं। इस तरह से मुसलमानों को पाकिस्तानी कह करके अपमानित करना, पंजाबियों को खालिस्तानी कह करके अपमानित करना और हर छोटे वर्ग को जात-बिरादरी कह करके अपमानित करना यह कुछ लोगों की आदत बन गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ लोग धर्म और मजहब का ठेका लेते हैं। मैं वह कहना चाहता हूं कि सारा झगड़ा हिन्दूवाद की वजह से है। हिन्दी संस्कार के नाते, बड़ा भाई होने के नाते हम सभी हिन्दू भाइयों की जिम्मेदारी होती है, धर्म पर जो संकट आया है, उसकी रक्षा करेंगे, चाहे पंजाबी हो, सिक्ख, हो, मुसलमान हो और चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में नारा लगता है—

"हिन्दू-हिन्दी हिन्दुस्तान, कहां से आए मुसलमान,
मुसलमान के दो ही स्थान, पाकिस्तान और कब्रिस्तान।"

पंजाबियों के लिए कहा जाता है—

"बेटी है सरदार की, देश के गद्दार की।"

मैं बताना चाहता हूं कि जब मेनका गांधी अमेठी से खड़ी हुई थीं, तो कहा जाता था कि बेटी है सरदार की, देश के गद्दार की। चाहे मुस्लिम कौम हो, चाहे पंजाबी कौम हो और

चाहे छोटे-जात-बिरादरी के लोग हों उनको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध में अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए लोग खड़े हो रहे हैं। मैं इस देश को बताना चाहता हू हिन्दू होने के नाते, जिन इलाकों में हिन्दू भाई लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि पंजाबियों को भी सम्मान दिया जाए, मुसलमानों को भी सम्मान दिया जाए और हिन्दू धर्म में जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको भी सम्मान दिया जाए। उनके लड़के भी जागरूक हो रहे हैं और वे भी देश की धारा के साथ जाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वे भी सवाभिमान और सम्मान की राजनीतिक धारा में, सामाजिक धारा में और आर्थिक धारा में आना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको पीछे ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह इन सारी चीजों का अध्ययन करके, सारे लोगों को सामाजिक सम्मान, राजनीतक सम्मान और आर्थिक सम्मान दे, ताकि वे राष्ट्रीय धारा में बह कर देश को एक बना सकें।

हमारा देश 83 करोड़ की आबादी वाला देश है। हम भी इस भारत मां के बेटे हैं। हम एक नागरिक इस देश के हैं। सारे लोगों को देश को एक बनाने लिए सकल्प करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मेरा अपील है कि सिक्खों को समझाया जाए और उनको सम्मान दिया जाए तो वह राष्ट्रीय धारा में बह कर देश का सम्मान बढ़ायेंगे। देश की एकता और अखण्डता के साथ रहेंगे और देश हमारा एक रहेगा।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण-दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि अपाने मुझे बोलने के लिए समय दिया। समस्या बहुत गम्भीर है, मैं उसका ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता हूं, हमारे नेता ने और सदन के अन्य सदस्यों ने बहुत-सी बातें कह दी हैं। मैं केवल एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कृपाल सिंह जी ने अपनी बात शुरू करने से पहले कहा कि पजाब के सिक्खों के साथ यह हो रहा है। मैं समझता हूं कि अगर वे कहते पंजाबियों के साथ अगर हो रहा है या पंजाब के साथ ज्यादती हो रही है, तो उनकी बात में वजन होता। अगर दिल्ली में कोई ज्यादती हो या और कोई प्रदेश में हो तो कहें कि फलाने राज्य में न हो करके धर्म के साथ हो रहा है। उसी तरह से वह पंजाबियों के साथ ज्यादती हो रही है, वह कहते तो सब मिल कर उनके खिलाफ लड़ने के लिए बात करते। जैसा अभी गुजराल जी ने कहा है, मेरा सगा भाई सिक्ख है, तो मैं यह कहूं कि हम हिन्दू-सिक्ख अलग-अलग हैं। पंजाब के अन्दर जो लोग आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, वे सब पंजाब के हैं। समस्या सबकी सांझी है, हिन्दू सिक्ख की अलग-अलग समस्या कह कर उसको काउन्ट नहीं किया जा सकता है।

मैं दो-तीन बातें सरकार से कहना चाहता हूं और विशेष कर चन्द्रशेखरजी से कहना चाहता हूं। उन्होंने कुछ टिप्पणियां की हैं, जिसके कारण देश के अंदर गलतफहमी पैदा हुई है। पहली टिप्पणी उन्होंने 14 दिसम्बर को चंडीगढ़ में पत्रकारों के सामने यह की कि राज्य भी आत्म निर्णय की बात कर सकते हैं अगर उनको यह अधिकार भी मिल जाता है, तो पंजाब को भी वह अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने 22 दिसम्बर को दिल्ली के प्रैस क्लब के पत्रकारों के सवाल-जवाब के दौरान कही, अगर पंजाब के लोगों की उम्मीदें पूरी होती हैं और मसला सुलझता है, तो सरकार संविधान में संशोधन करने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार है। लोगों की राजनीतिक इच्छाओं के आगे सरकार नहीं आना चाहती है। लेकिन कोई भी हल सिर्फ संविधान के दायरे में हो सकता है। अध्यक्ष जी, मेरा यह निवेदन है कि चन्द्र शेखर जी देश

के प्रधान मंत्री हैं, इसलिए वे पंजाब के बारे में बात को तोलकर, एक एक शब्द को बोलना चाहिए। उनके शब्द पंजाब में रहने वाले जो दुकानदार हैं, जो किसान हैं, जब वह अखबारों में पढ़ते हैं, अखबारों में आया है कि चन्द्रशेखर-आतंकवादियों की वार्ता इसी मास अमृतसर में 12 सगठन भाग लेंगे। सरकार द्वारा पूर्ण सुरक्षा का वायदा। जब ऐसी खबरें छपती हैं तो लोगों के दिल धड़कने लगते हैं कि अब पंजाब का क्या होने वाला है। एक बात पर मैं और महत्व देना चाहता हूं, मेरे नेता और सब ने कहा कि चाहे सवाल हिन्दी का, राष्ट्रीय गान या पोषाक का हो। मेरी मान्यता यह है कि जिस तरह से काश्मीर में किया गया उसी तरह से पंजाब में दोहराया जा रहा है और इस राष्ट्रीय पहचान के ऊपर जान-बूझ करके चोट की जा रही है कि आज हमारा हिन्दुस्तान के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। सारे हिन्दुस्तान के लोग चाहे कुछ भी पोषाक पहनते हों लेकिन पंजाब के लोग तो सलवार ही पहनते हैं। हिन्दी हिन्दुस्तान के लोग पढ़ते होंगे लेकिन यहां के लोग पंजाब ही पढ़ेंगे। जिस तरह से काश्मीर में किया गया उसी तरह से पंजाब के अन्दर भी मेरा कहना है कि अब जिस तरह से अखबारों के अन्दर विज्ञापन छप रहे हैं, उसी तरह के विज्ञापन काश्मीर में भी छपते थे। ऐसे बहुत से विज्ञापन छपे हैं जिसका कि जिक्र गुजराल साहब ने भी किया। हमारे लीडर आडवाणी जी ने कहा कि मेरे पास भी बहुत से विज्ञापन हैं। आज वहां पर कर्नल कहता है कि ये शराब की दुकान मैंने नहीं दी, मैं तो इसे खाली करवा रहा हूं। मैं आतंकवादियों से कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर वे कोई भी शक न करें। इस तरह की बातें जो आज हो रही हैं, इससे काश्मीर की घटना को दोहराया जा रहा है।

मैं कुछ 5-6 सुझाव संक्षेप में देना चाहता हूं। एक तो मेरा सुझाव यह है कि सरकार को यह घोषणा करनी चाहिये कि जब तक आतंकवादी खालिस्तान की मांग नहीं छोड़ते तब तक उनसे कोई बात नहीं हो सकती। अगर आप पेज 9 पर देखें तो उसमें एक शब्द आया है "इण्डो सिख", जब से यह घटना हुई है, उस बारे में इसमें लिखा है। ब्ल्यू-स्टार कार्यवाही इण्डो-सिख कार्यों में एक जलविभाजक कार्यवाही थी। अब इण्डो-सिख का मतलब क्या है ? इसका मतलब है मान ने जो दिया है वह इण्डो सिख हिन्दुस्तान को भी मानता है और सिख को भी मानता है। ये जैसे दो कन्ट्री साइनो इण्डो की बात है, वैसी बात नहीं है। उनको साफ कहना चाहिये कि जो इस तरह की बात करते हैं उन से कोई बात नहीं की जायेगी। पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डे समाप्त किये जायें, सीमा पर सुरक्षा पट्टी बनाई जाये, गुप्तचर व्यवस्था मजबूत की जाये। अपहरण के जाल को तोड़ना चाहिये। क्योंकि समय कम है, इसलिये मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूं। इसलिये मैं कुछ ही सुझाव देना चाहता हूं। वोट की चिन्ता किये बिना कदम उठाना चाहिए।

मैं प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब की समस्या को हल करने के लिये केवल मान को बुला कर बात नहीं करनी चाहिये, क्योंकि मान तो शायद आतंकवादियों का भी प्रवक्ता नहीं है। वहां के जो अल्पसंख्यक हैं उनके मन के अन्दर डर पैदा हो गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पंजाब के बारे में बात करने से पहले, जहां आप इन लोगों से बात करें वहां पंजाब के जो अल्पसंख्यक हैं, उनको भी विश्वास में लें तब जाकर कुछ मामला बनेगा।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री० ए० के० राय (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज तक ये तथाकथित खालिस्तानी हमें शारीरिक रूप से ए० के० 47 राइफलों से क्षति पहुंचाते रहे हैं परन्तु अपने हुक्म से उन्होंने हमारे सम्मान की अंतिम अनुभूति को भी ठेस पहुंचाई है। यह बात ठीक हैं कि यह सभा इस मसले पर विचार कर रही है कि हमारे राष्ट्रीय सम्मान की चुनौती का किस प्रकार मुकाबला किया जाये। आप जानते हैं कि जब पिछली सरकार ने पहली बार चुनाव के प्रश्न को स्थगित किया था तो मैंने अकेले ही इसका विरोध किया था। मेरे विचार से यह पिछली सरकार की पहली गलती थी जिसे बाद में प्रधान मंत्री ने एक भारी भूल के रूप में स्वीकार किया था। और जब उन्होंने दूसरी बार भी चुनाव स्थगित किये तो तब भी यह एक गम्भीर भूल थी और अब हम यह आंकड़े पढ़ रहे हैं कि कितने व्यक्ति मारे गये, कितने हथियार जब्त किये गए और किस तरह उनके अत्याचार चारों तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमने ही इस बीमारी को जन्म दिया है तथा इसी पर हम शोक प्रकट कर रहे हैं। पंजाब की समस्या से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। हमें उनसे अवश्य बातचीत करनी चाहिए, हमें बातचीत से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमें उनसे बातचीत करनी चाहिये तभी हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। यह समस्या तुष्टीकरण अथवा अत्याचार से हल नहीं हो सकती है। क्या पुलिस अथवा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अथवा सीमा सुरक्षा बल इस समस्या को हल कर सकते हैं? अनेक सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि हमें वहां सेना भेजनी चाहिए, । मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सेना इस समस्या को हल कर सकती है? पंजाब में—पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मुख्य समस्या यह है कि विघटनकारी तत्व, एकता चाहने वाले तत्वों से अधिक दृढ़संकल्प हैं। यही एक मुख्य समस्या है। हमें सामाजिक प्रेरणा को अनुप्रेषित करना है, साम्प्रदायवादी, धर्म-निरपेक्षवादियों से अधिक लड़ाकू हैं। आप उनका मुकाबला कैसे कर सकते हो? क्या हम बातचीत के जरिये साम्प्रदायिक तत्वों का दिल जीत सकते हैं? यदि ऐसी बात होती तो भारत का विभाजन न होता। महोदय, हमारे समक्ष यह एक सबक है। साम्प्रदायवादी, विघटनकारी तथा जातिवादी तत्वों का शुरू से ही मुकाबला करना होगा। हमारे देश में समस्या यह है कि हमारी विकास प्रक्रिया से एक ऐसा वर्ग बना है जो प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिक पर एकाधिकार किये हुये हैं। इस वर्ग का सारा ध्यान देश का विभाजन करने, साम्प्रदायवाद फैलाने और अलगाववाद को जन्म देने की ओर है। सम्पूर्ण गैर-उत्पादी, पराश्रित वर्ग, जो विभिन्न तरीकों से धन अर्जित कर रहे हैं, आज राजनीति पर नियन्त्रण रखे हुए है तथा उत्पादी-वर्ग की उपेक्षा की पृष्ठभूमि में चले गये हैं।

महोदय, एक साम्प्रदायिक संघर्ष होगा और अलगाववादी तत्वों का हाथ इसमें ऊपर होगा। साम्प्रदायिक संघर्ष का हल क्या है? क्या आर्थिक सहायता देने से समस्या का हल निकल आयेगा? यह आर्थिक सहायता आतंकवादियों के लिए बोनस बन जायेगी। यदि पश्चिम बंगाल में भी ऐसा होता है तो वहां उन्हें भी ए०के० 47 राइफलें मिलनी चाहिए, यदि देश में विकास का यही रास्ता है तो उन्हें कहने दो कि यदि हम आतंकवाद को अपनाते हैं अथवा यदि हम अपने पास ए०के० 47 राइफल रखते हैं तो हमें भी आर्थिक सहायता मिलेगी। हम कल से ही ऐसा करना शुरू कर देंगे।

सिख आदिवासी, असमी, हरिजन अथवा दलित वर्ग के लोग नहीं हैं। सिख देश के सत्ताधारी वर्ग हैं। वे देश में सबसे अधिक धन अर्जित करने वाले वर्ग के लोग हैं, उनकी सरकार

में सबसे अधिक पहुंच है। यद्यपि इनकी प्रतिशतता केवल एक प्रतिशत ही है, परन्तु उनकी सरकार में किसी अन्य समुदाय के लोगों से सबसे अधिक पहुंच है। ये हमारी राजनीति के अभिन्न अंग हैं। अब सत्ताधारी वर्ग, सत्ताहीन वर्ग से भी अधिक आक्रामक हो गया है। यदि आप समाचार पत्र पढ़ोगे

7.49 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

तो आपको पता चलेगा कि देश में अनेक संघर्ष होते हैं तथा इनमें कई लोग मारे जाते हैं। परन्तु ये किसी उचित कारण के लिए नहीं लड़ते हैं। जनता पर सत्ताधारी वर्ग के आधिपत्य को अधिक सशक्त बनाने के लिए एक संघर्ष चल रहा है। आज पंजाब में खालिस्तानी लोग कौन हैं। ये वो लोग हैं जिनके हाथ में ए.के. 47 राइफलें हैं। वे शोषित वर्ग के लोग नहीं हैं। वे उन लोगों के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं जिनका शोषण किया जा रहा है तथा जो गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन जी रहे हैं। यह उन खालिस्तान समर्थकों तथा आतंकवादियों के लिए है जो शासक वर्ग से आये हैं तथा जिनके आने से सम्पूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष पृष्ठभूमि में चला गया है। हमने कभी किसी खेतिहर मजदूर तथा मालिक के बीच किसी संघर्ष के बारे में नहीं सुना है। हमने श्रमिक संघों के बीच झगड़ा होते हुए नहीं देखा है। इसका मतलब है कि यह पददलित लोगों के वास्तविक संघर्ष को हतोत्साहित करने के लिए शासक वर्ग का एक आन्दोलन है, एक घृणित कार्य है, एक राजनीतिक हमला है। इसलिए, हमें इस सम्बन्ध में एक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस समस्या का किस प्रकार हल निकाला जा सकता है। हमें इस संबंध में दो-तीन बातों को याद रखना होगा। सिद्धांत तैयार करने के स्थान पर उदाहरणों से सीख लेनी होगी। एक उदाहरण धनबाद का है। धनबाद में आतंकवादी पंजाब के खालिस्तानी आतंकवादियों के कहे अनुसार चल रहे हैं। धनबाद में क्या हुआ? वे वहां एक बैंक लूटने के लिए गए। उन्होंने पैसा निकाल लिया। उसी समय उनका धनबाद के पुलिस अधीक्षक श्री रणधीर वर्मा के नेतृत्व में पुलिस से मुकाबला हुआ। तत्काल, लोग इकट्ठे हो गये। श्री रणधीर वर्मा गोलियों से मारे डाले गये। उनका सुरक्षा गार्ड भी, जो उनके साथ था, जख्मी हो गया। लेकिन, तभी वहां की सामान्य जनता उन पर टूट पड़ी और उन सभी आतंकवादियों के साथ गुत्थमगुत्था हो गए। ज्यों ही वहां के सामान्य लोग सामने आये उन पर भी गोलियां चलाई गई। पुलिस अधीक्षक के साथ वहां का एक सामान्य व्यक्ति भी खड़ा था जो खरीदारी करने आया था, जब उसने देखा कि पुलिस अधीक्षक गिर रहा है, तो वह भी आतंकवादियों से भिड़ गया। उसे भी मार डाला गया। उसका नाम श्यामल चक्रवर्ती था। वह इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स का एक कर्मचारी था। मैं धनबाद गया था और बिहार के उप-पुलिस महानिदेशक तथा मुख्य सचिव से बात की थी। वे भी हतोत्साहित अनुभव कर रहे थे।

इस प्रकार, जब वहां के आम आदमी क्रियाशील हुए तो उन आतंकवादियों ने भागना शुरू कर दिया और आखिरकार उन्होंने एक घर में शरण ले ली। वास्तव में, तीन महिलाओं ने उन्हें बंदी बना लिया। वे घर में घुस गए और एक खाट के नीचे छिपने लगे। मैं उस घर में भी गया था। उन्हें बांध दिया गया था। उन्होंने उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिये कि तुम कौन हो और यहां कैसे आये हो। उसी समय वहां पुलिस आ गई और उसने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे व्यक्ति को भी लोगों ने एक चाय की दुकान के अन्दर से पकड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों द्वारा पहल किया जाना जरूरी है। इसे नेतृत्व की आवश्यकता होती है। अतः सभी

दलों को जो विभिन्न प्रकार की सलाह दे रहे हैं तथा पंजाब में जिनके संगठन चल रहे हैं, उन्हें वहां जाना चाहिए, उन्हें अपना नेतृत्व प्रदान करना चाहिए तथा उनका सामना करना चाहिए। यदि आप उन उग्रवादियों का सामना करने लग जाएंगे तो वे कागजी शेर बनकर रह जाएंगे। यदि आप उनसे डरना शुरू कर देंगे तो वे वास्तव में ही शेर बने रहेंगे। यही वास्तविक मुद्दा है, जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी बातें केवल यहीं नहीं हो रही, पंजाब में भी हो रही हैं, पुलिस अधिकारी समर्पण कर रहे हैं। इस माह के इंडिया टुडे में उन्होंने एक बहादुर सिक्ख का चित्र दिया है, जो आतंकवादियों का सामना करने में लगा है। वह आतंकवादियों से बुरी तरह प्रवाहित ऐसे क्षेत्र में रह रहा था जहां पुलिस वाले भी आतंकवादियों से भयभीत रहते हैं। जब भी गोलीबारी होती है, पुलिस भाग खड़ी होती है। मैं आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। उन्होंने कहा है और मैं इंडिया टुडे से उद्धृत कर रहा हूं कि: वास्तव में जो भिखीविंड गांव के बाहरी छोर पर रहकर लड़ रहे हैं, विडंबना की बात है कि उन्हें इसके लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है। यह आतंक से सर्वाधिक पीड़ित गांवों में से एक है यहां एक मकान में कामरेड बलविन्दर सिंह और उसकी पत्नी जगदीश कौर रहते हैं। दोनों सी०पी०आई० (मार्क्स) के कार्यकर्ता हैं। दोनों ही वास्तव में खालिस्तानियों के विरुद्ध लड़ने वाले कामरेड हैं। अभी एक साल पहले की बात है, जब वह आतंकवादियों से परेशान हुए तो उन्होंने स्वयं को हथियारों से लैस करने का फैसला किया। तब से उन पर हमले बढ़ने के कारण उन्होंने अपने यहां अधिक मात्रा में हथियार जमा कर लिए हैं तथा दृढ़संकल्प हो गए हैं। जब गोलीबारी शुरू होती है, तो पुलिस भाग खड़ी होती है पर वे नहीं। वे वहां रह रहे हैं। हमने क्या किया है? मैंने गृहमंत्री को बताया कि श्री रणधीर सिंह वर्मा और श्यामल चक्रवर्ती ने धनबाद में आतंकवादियों का मुकाबला किया जिससे तीन आतंकवादियों को पकड़ा जा सका। सारा पैसा बरामद हो गया। उन्हें सम्मानित करने के लिए हमने क्या किया है? अभी तक, एक बयान भी नहीं आया है। इस बलविन्दर सिंह को, जो एक सी०पी०आई० (मार्क्स०) कार्यकर्ता है, सम्मानित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं?

आपको जानना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार सम्मानित किया जाये। यही वे लोग हैं जो आतंकवादियों को रोक सकते हैं और न कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल अथवा रिश्वत लेनी वाली पुलिस। यही बात है जो मैं कहना चाहता था। मुख्य बात यह है कि हमें यह देखना होगा कि सामाजिक प्रोत्साहन की भावना न बिगड़ने पाए। विकास के सम्पूर्ण पूंजीवादी तरीके ने हमें आत्म-केन्द्रित बना दिया है, हमें लोभी बना दिया है, हमें साम्प्रदायिक बना दिया है। देश में एक गलत प्रथा आरंभ हो गई है। सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों हैं। लेकिन जो समृद्ध हुआ है, वह है स्व-क्षेत्र। यह स्व-क्षेत्र सर्वोपरि है। इसलिए, देश का, समाज का और सभी चीजों का नाश हो तो कोई बात नहीं। केवल स्वार्थ का बोलबाला है। यदि ऐसी भावना ने जन्म ले लिया है, तो बन्दूकधारियों को क्यों दोष दिया जाये; आज वे पंजाब पर शासन कर रहे हैं, कल दिल्ली और सभी जगह पर शासन करेंगे। तब हम कहां जाएंगे। कहां जाकर प्रवास करेंगे? एक बार तो प्रवास कर चुके हैं। लोग फिर प्रवास नहीं कर सकते। यही मुझे कहना है।

मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर अति गम्भीरतापूर्वक विचार करे। धनबाद की घटना के पश्चात पुरुलिया में ऐसी ही घटना हुई। वहां छः पुलिस कर्मी मारे गये, पांच नागरिक वहां मौजूद थे, उन्हें भी मार डाला गया और सरकार निष्क्रिय बैठी हुई है। यह कोई कानून और व्य-

वस्था की समस्या नहीं है। जब मैंने इस मुद्दे को उठाया तो आपने कहा कि यह एक कानून और व्यवस्था की समस्या है तथा राज्य सरकार ने इस पर ध्यान देना है। अपने हाथों में ए०के०-47 राइफलें लेकर कश्मीरी आतंकवादियों द्वारा जो दुर्भावना फैलायी जा रही है, वह कोई कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है और लोगों को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। जो लड़े हैं तथा जिन्होने उनका सामना करने का प्रत्यन किया है, उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए तथा जो भाग खड़े हुए, उनको अपमानित करना चाहिए। यही हमारा कार्य होना चाहिए। केवल सामना करके ही हम उन पर काबू पा सकते हैं। मेरा विश्वास है कि यह सरकार जो मुख्य गलती कर रही है, वह यह है कि हम भिंडरावाले के भूत का सामना लोंगोवाल की आत्मा से करना चाहते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है। लोंगोवाल की आत्मा भिंडरावाले के भूत का मुकाबला नहीं कर सकती। इसके लिए आपको भगत सिंह की आत्मा की आवश्यकता है। केवल आक्रामक धर्मनिरपेक्षता से ही आक्रामक साम्प्रदायिकता को वश में किया जा सकता है। रक्षात्मक तरीके से माफी मांगने के तरीके से उनके साथ बातचीत करने से तथा उन्हें संतुष्ट करने से समाधान नहीं निकल सकता। यह सवाल ऐसा नहीं है। कोई भी ऊंची आवाज में दिया गया प्रवचन भावी पीढ़ी को बर्बाद होने से नहीं बचा सका है। इसी प्रकार, इस सदन का कोई प्रवचन भी हमें इस पृथकतावाद और सम्प्रदायवाद से नहीं बचा सकता। धन्यवाद।

———

7.56 म० प्र०

दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्त अंतरिम आदेश के बारे में टिप्पणी

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री को पुकारने से पहले मैं आपको उच्च न्यायालय की नवीनतम टिप्पणी के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे पास एक पत्र है। मैंने सभा को दिनांक 8 जनवरी, 1991 को पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्त एक पत्र के बारे में बताया था जिसके साथ 8 जनवरी, 1991 को दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश की एक प्रतिलिपि भेजी गई थी जिसमें यह निदेश दिया गया था कि संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत मेरे समक्ष प्रस्तुत सभी याचिकाओं पर कोई कार्यवाही न की जाए और न ही याचिकाकर्ता किसी प्रकार की अनुवर्ती कार्यवाही करें।

आज मुझे दिल्ली उच्च न्यायालय के पंजीयक से दूसरा पत्र मिला है जिसके साथ दिनांक 11 जनवरी, 1991 को दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित आदेश की एक प्रतिलिपि भेजी गई है। पूर्ण पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किए है।

> "प्रथम दृष्टि में हमारा यह विचार है कि अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह उसे प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर दसवीं अनुसूची के पैरा 6 और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय कर सकता है। इस लिए हम दिनांक 8 जनवरी, 1991 को पारित अपने आदेश को निरस्त करते हैं।"

अब प्रधानमंत्री अपना भाषण दें।

———

8.00 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) पंजाब में स्थिति—जारी

[हिन्दी]

प्रधान मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब के बारे में जो चिन्ता व्यक्त की गयी है, वह बहुत वास्तविक है। पंजाब की हालत में कोई सुधार नहीं है, मैं मानता हूं। यह भी सही है कि लोगों के मन में आशंका और डर बना हुआ है। लेकिन स्थिति इतनी भयावह नहीं है कि हम उससे घबराकर के हाथ-पैर छोड़ दें और यह समझें जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है, कि ऐसा लगता है कि वहां खालिस्तान बन गया और कोई वहीं पर पुरसा हाल में नहीं है। यह बात सही है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे आदेश अपने को कहने वाले आतंकवादियों द्वारा जारी किये गये है जिनके जरिये लोगों की वेश-भूषा और जबान पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गयी है। मैं आपसे निवेदन करूं कि इसका सबसे अधिक असर तब हुआ जब चंडीगढ़ पर चर्चा चलायी और ये आदेश जारी किये और उस आदेशों का पालन भी बहुत से सरकारी विभागों में किया गया और वहां एक स्थिति ऐसी भी आयी कि आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर जो हिन्दी के बुलेटिन जारी होते थे, उन्हें रोक दिया गया। हम यह नहीं कहते कि परिस्थिति बहुत बदल गयी लेकिन चंडीगढ़ में वह स्थिति नहीं है। चंडीगढ़ में कुछ कदम उठाये गए। उनके बारे में मैं तफसील में नही जाना चाहता हूं। पिछले दस दिनों से चंडीगढ़ के आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर हिन्दी की बुलेटिन आती हैं। कोई भी किसी को वस्त्र पहनने के लिए धमकाता नहीं है। जबान बोलने के लिए कोई किसी पर जबरदस्ती जोर नहीं डाल रहा है। पिछले हफ्ते भर से चंडीगढ़ की यह स्थिति है। यह इस कारण हुआ कि चंडीगढ़ के प्रशासन में जो कमी थी, उस कमी को दूर करने का हमने प्रयास किया। हम ऐसा मानते हैं कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे परन्तु मैं यह तो नहीं कह सकता कि कोई दुर्घटना ही नहीं घटेगी, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जितनी सुरक्षा बलों की जरूरत थी, जितना लोगों को सांत्वना देने के लिए उनके मनोबल को, उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ाने की जरूरत थी, वे कदम सरकार की ओर से उठाये गये हैं और उसके नतीजे भी निकले हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि कुछ बातें कही जाती हैं इस कारण से कि हम घबराए हुए हैं और घबराहट में अपनी ही छाया भूत दिखाई पड़ने लगती है। इससे डरकर हम समस्या का समाधान नहीं कर सकेंगे। इस भूत के पीछे जो ताकतें हैं, उन ताकतों का विरोध करना होगा। अभी हमारे एक मित्र ने, जो धनबाद से संसद सदस्य हैं, उन्होंने सही बात कही कि अगर लोगों को डराया जाता है तो इस डर को मिटाने के लिए उनका मुकाबला करना होगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार की और हम सब की यह जिम्मेदारी होती है कि यह परिस्थिति पैदा करें कि लोग यह समझें कि उनके पीछे जो खड़ा है, चाहे वह आतंकवाद है, वह कुछ नहीं कर सकता है। उन्होने एक सवाल उठाया कि जो पुरुलिया और धनबाद में हुआ, वह दुखद घटना हुई और सरकार को उस पर चिन्ता भी है लेकिन माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस दिन यह घटना हुई, उसी दिन, उस एस० पी० के लिए जो सबसे ऊपर ऊंचा पदक है, देने के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा है। यही नही उनके परिवार की जो सहायता होगी, वह भी की जायेगी और शायद

उनको जानकर संतोष होगा कि हमें अभी खबर मिली है जिन लोगों ने उक्त घटना को पुरूलिया और धनबाद में किया, आज शाम के पहले मर चुके हैं, वे नहीं है। उन तीनों में से एक की मौत कल हुई थी और दो की मौत आज हुई है। ऐसा नहीं कि सरकार और प्रशासन ने इस दिशा में कदम नहीं उठाये हैं लेकिन आप जानते हैं कि मर्ज पुराना है, इलाज आसान नहीं है, इलाज करवाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमने यहां बैठकर कई माननीय सदस्यों के भाषण सुने। यह सही है कि मन में कभी-कभी शंका होती है कि अगर किसी से भी हम बात करते हैं तो उससे गलत संकेत जाते हैं। मैं यह नहीं समझता कि बात करने के रास्ते को रोका कैसे जाय? केवल दमन को दबाने के रास्ते के लिए हमने 6-7 वर्षों तक कोशिश की। अगर कामयाबी नहीं मिली तो बात का रास्ता हिन्दुस्तान की राजनीति में पहली बार भारत की संसद में खोजा गया है। क्या यह सही नहीं है कि एक बार नहीं अनेक बार, मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, मैं दृष्टांतों में नहीं जाऊंगा, पूरे इतिहास में नहीं जाऊंगा, नागालैंड हो, मिजोरम हो, तमिलनाडु हो जहां-जहां पर हमने बातचीत की, बातचीत के नतीजे भी निकले, त्रिपुरा में भी। गुजरात हो नहीं, अनेक जगहों पर ये बात हुई और जब तक लोकशाही है, जनतंत्र है, बातचीत का रास्ता तो नहीं बन्द हो सकता है लेकिन बातचीत के रास्ते मे अगर सीमाओं का अतिक्रमण हो, अगर कोई हद पार करके बातचीत हो तो वह गलत बात हो जायेगी। हमारे मित्र खुराना जी ने अपने भाषण में जो उद्धरण दिया—मैं बैठा सुन रहा था अपने दफ्तर में कि मैंने दिल्ली के प्रेस कांफ्रेंस मे क्या कहा। जो कुछ छपा है वह सही छपा है। मैंने क्या कहा है? किसी अखबार वाले ने कहा कि क्या आप संविधान में संशोधन करने को तैयार होंगे अगर उनकी मांग हो इस बात के लिए? मैंने जवाब दिया अगर समझौता होता हो और संशोधन संसद को स्वीकार हो और संशोधन भारतीय एकता और अखंडता के ऊपर प्रश्नवाचक चिह्न न लगाता हो तो उस पर विचार करने मे कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि यहां सरकारिया कमीशन का रोज जिक्र होता है, अगर राज्यों को अधिक अधिकार देने के लिए संविधान मे कोई थोड़े संशोधन करने होंगे तो क्या उससे हमारी अखंडता को, सार्वभौमिकता को, हमारी एकता को कोई खतरा पैदा होता है? इसलिए हर समय संविधान की बात जब हम करते हैं तो वह दूसरा वाक्य खुराना जी ने नहीं पढ़ा जब मैंने यह कहा था कि देश की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हमने यह भी कहा है बार-बार, चाहे कोई बात करे या न करे, जो सरकार का मौलिक कर्तव्य है वह कर्तव्य है लोगों की सुरक्षा करना। उस सुरक्षा के सवाल के ऊपर कोई समझौता नहीं हो सकता और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए इस देश को और इस सदन को बताना चाहता हूं कि जो कोई भी हमारे पास बात करने के लिए आया उससे मैंने एक बात जरूर सफाई के साथ कही कि किसी निर्दोष की हत्या को हम सहन नहीं करेंगे और निर्दोष की हत्या अगर होती है तो उसका जवाब देना, उसको सही रास्ते पर लाना सरकार का मौलिक कर्तव्य है और उस कर्तव्य का निर्वाह सरकार हर हालत में करेगी। उसमें किसी आदमी को कोई अपवाद नहीं है। मैं यह बात अगर कहूं कि जिन सिमरनजीत सिंह मान का नाम बार-बार लिया जाता है, अगर सिमरनजीत सिंह मान कहते हैं कि निर्दोष की हत्या होती है, अगर उनका आप दमन करें तो हम भी आपके साथ हैं तो मैं क्या कहूं कि नहीं, आप हमारे साथ नहीं हैं। मैं नहीं जानता क्या परिधियां आप रखना चाहते हैं, क्या सीमाएं रखना चाहते हैं, किस तरह से बातचीत की जाए, इसके लिए कोई आप अगर ऐसा संकेत दें कि बातचीत करने में किन शब्दों का इस्ते-

माल होना चाहिए तो मैं समझता हूं किसी के लिए भी बात करना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन परिस्थितियों के बारे में मन की सफाई होनी चाहिए। किस हद तक हम जा सकते हैं इसकी भी सफाई होनी चाहिए। बातचीत का मतलब यह नहीं है कि कोई आतंकवादी किसी निर्दोष की हत्या करे तो हमारी पुलिस के लोग, हमारी सुरक्षा बल के लोग हाथ पर रखकर बैठे रहें और अगर यह बात होती तो चंडीगढ़ में वह कदम सरकार नहीं उठाती जो कदम पिछले हफ्ते उठाए गए हैं और यही नहीं, चंडीगढ़ में ही नहीं, मैंने प्रमुख नेताओं को यह बताया था कि पंजाब के बारे में हमारी क्या योजना है। अब बार-बार यह चर्चा होती है कि आप उसे विस्तार से बताइए। इससे बड़ी मुश्किलाहट होती है। कभी-कभी कुछ बातें नहीं बताई जा सकतीं, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमने यह जरूर कहा है कि जिस तरह से चंडीगढ़ को सुरक्षित करने के लिए योजना बनाई गई है उसी तरह से लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में भी कदम उठाए जाएं ताकि लोग वहां सुरक्षा की भावना से रह सकें। हमने यह भी तय किया है कि 128 गांव हैं जहां पर सबसे अधिक आतंकवाद का जोर है। वहां पर विशेष सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं और पिछले तीन दिनों से वहां कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उसके लिए हम बातचीत का इंतजार कर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यह दोनों चीजें अलग हैं। बातचीत अपनी जगह पर और देश में जनता के बीच में सुरक्षा की भावना बनाए रखना एक और बात है। इसलिए सरकारी तौर पर ऐड-मिनिस्ट्रेटिव स्टेप जो हैं, प्रशासनिक कदम जो हैं उसको लेने में सरकार ने कोई कोताही नहीं की है और मैं अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए सदन को यह बताना चाहता हूं कि आवश्यक नहीं कि हर कदम जो उठाया जाए उसका इजहार सरकार अखबारों के जरिए करे। प्रशासन की कुछ अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी कठिनाइयां होती हैं लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीवन की रक्षा के लिए जो भी कदम उठाना आवश्यक होगा, वे कदम उठाए जाएंगे। यह भी मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस और सेना तथा जितने वहां सुरक्षा बल हैं उन्हें खुली छूट होगी, जिसके साथ वे चाहें, मर्जी के मुताबिक व्यवहार करें। हमने यह भी कहा है कि पंजाब में अगर किसी को कोई पीड़ा है, दर्द है, शिकायत है, किसी के साथ अत्याचार हुआ है तो वह अपनी बात हमसे कहे। हम चाहते हैं कि किसी निर्दोष को अनावश्यक सताया न जाये, किसी निर्दोष पर अत्याचार न हो, कोई कार्यवाही उसके खिलाफ न हो। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक भी निर्दोष अनावश्यक रूप से सताया नहीं जायेगा, पीड़ा नहीं पायेगा, सरकार की यह पूरी कोशिश होगी कि निर्दोष को कोई कष्ट न दिया जाये। इसके लिये हमने बड़े अधिकारियों को कहा है, इस काम की जिम्मेदारी दी है कि वे ऐसी शिकायतों को सुनें। सरकार भी यह कोशिश कर रही है कि ऐसी शिकायतों को सुने। इसके लिए यदि कोई विशेष व्यवस्था की जा सके तो जल्दी से हमें उस व्यवस्था को करना होगा। एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा। जहां इस तरह की बातें हैं, वहीं अगर हमारा कोई अधिकारी, चाहे सुरक्षा बल का हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, उनके मन में कोई डर पैदा होता है कि कल जब चुनाव होंगे, कोई दूसरा मुख्य मन्त्री आ जायेगा तो कहीं हमको सजा न मिले। मैं इस सदन के जरिए उन सारे अधिकारियों को यह विश्वास दिलाता हूं, यह आश्वासन देना चाहता हूं कि वे जो भी उत्तरदायित्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के लिए कदम उठायेंगे, उनकी सुरक्षा, उनकी सेवाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेगी। हम समझते हैं कि इस माने में कोई संदेह उनके मन में नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां डर का वातावरण बनाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। इसीलिये

इस बात को मैं शायद सामान्य रूप से नहीं कहता लेकिन पंजाब में आजकल यह एक प्रवृत्ति, एक जहनियत आगे बढ़ रही है और कुछ लोग कहते हैं कि जब हकूमत हमारी बनेगी, यदि आज तुम कुछ करोगे तो सोचकर करना। मैं उन अधिकारियों, सुरक्षा बल के जवानों को यह कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी इस राष्ट्र के प्रति है, देश के संविधान के प्रति है, उस जिम्मेदारी का आप निर्वाह करें। सारा राष्ट्र आपके पीछे है। आप पर कोई ज्यादती न हो, कोई जुल्म न हो, कोई निर्दयतापूर्ण व्यवहार न हो उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार के लिए भविष्य में आपको कोई किसी तरह का खतरा नहीं होगा। सारा राष्ट्र आपकी इस कर्तव्यपरायणता के साथ होगा, यह मैं आपके सामने स्पष्ट कहना चाहता हूं। अब एक सवाल और है। वह सवाल यह है कि कुछ लोगों को बड़ी जलन है या गुस्सा है, मैं नहीं जानता कि जब नवाज शरीफ के साथ मेरी टेलीफोन पर बात होती है तो उन्हें बुरा क्यों लगता है। अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन पर मेरी तीन बार उनसे बात हुई, तीसरी बार मैंने उन्हें टेलीफोन किया था, वह भी इसलिए कि गल्फ क्राइसेज के सम्बन्ध में पाकिस्तान क्या कर रहा है। वे मिले नहीं थे, इसलिए शाम को उनसे फोन पर बात हुई। मैं नहीं जानता हमारे मित्र गुजराल साहब को इससे क्यों गुस्सा आया, वैसे उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। वे विदेश नीति के बारे में ज्यादा जानते हैं, मुझे तो विदेश नीति के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, न ही मैं कभी विदेश गया हूं। मैं बहुत कम विदेश जाता हूं इसलिए विदेश नीति के बारे में बहुत कम जानकारी रखने का दावा करता हूं···(व्यवधान)···

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट (बड़ोदा) : आप पिछले दिनों कई देशों में गये हैं, जेनेवा गए हैं, दूसरी जगह भी गये हैं।

श्री चन्द्र शेखर : मैं डिप्लोमैसी में पारंगत हूं, ऐसा मैं नहीं कहता लेकिन अध्यक्ष महोदय अगर कोई मुझे टेलीफोन करे तो क्या मैं उससे यह कहूं कि मैं आपसे टेलीफोन पर बात नहीं करूंगा।

श्री आई० के० गुजराल : इसमें तो कोई एतराज किसी को हो नहीं सकता।

श्री चन्द्र शेखर : अगर कोई टेलीफोन पर कहे कि हम आपसे रिश्ता सुधारना चाहते हैं, तो क्या मैं उनसे यह कहूं कि नहीं हम आपसे रिश्ता सुधारना नहीं चाहते, हम आपसे रिश्ता बिगाड़ना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री मुझसे यह कहें कि हमें आपसे रिश्ता सुधारना है तो क्या मैं उनसे यह कहूं कि नहीं, हमें आपसे रिश्ता नहीं सुधारना है। यह बात दूसरी है कि पाकिस्तान की मंशा क्या है, पाकिस्तान के इरादे क्या हैं, उसकी इंटैन्शन्स क्या हैं, इसकी चर्चा होती है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आपने उन्हें गलत समझा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।

प्रो० मधु दंडवते : श्री गुजराल ऐसा कभी नहीं कह सकते।

श्री आई० के० गुजराल : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री चन्द्र शेखर : आपने नहीं तो किसी ने तो कहा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बड़ी विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं कि 1948 में 30 जनवरी को अगर महात्मा गांधी जी की हत्या न

हुई होती तो गांधी जी ने सारे राष्ट्र के सामने यह कहा था कि मेरा पहला काम पाकिस्तान जाना होगा क्योंकि हम दो हिस्सों में बंट गये हैं लेकिन एक ही भाई हैं। पमको दोस्ती के रास्ते पर चलना पड़ेगा। पण्डित जवाहरलाल नेहरू 17 वर्षों तक इस देश के प्रधानमन्त्री रहे। उनके सामने भी तमाम तरह की कठिनाइयां, अवरोध, दिक्कतें आयीं। उन दिक्कतों के बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोशिश की। एक बार नहीं, अनेक बार पाकिस्तान से वार्ता हुई और डिप्लोमैटिक स्तर पर हुई। मुझे उनकी याद नहीं है लेकिन कुछ घटनाएं तो कम से कम आपको जरूर याद होंगी और कुछ हमें भी याद हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री, अध्यक्ष महोदय, क्या सही नहीं है कि 1965 की लड़ाई के बाद ताशकन्द में बात करने के लिए गए थे, जिस शिमला सम्मेलन की रोज चर्चा होती है सदन के अन्दर, क्या सही नहीं है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो भुट्टो से बात की, उसी बातचीत का परिणाम वह शिमला-सम्मेलन था, शिमला एग्रीमेंट था। अगर बातचीत की परम्परा भारत की.राजनीति में 1947 से लेकर 1990 तक रही है, तो 1991 में इस बातचीत से घबराहट क्यों होती है।

श्री शरद यादव (बदायूं) : अध्यक्ष जी, यहां कोई सदस्य इससे असहमत नहीं है। आप रिश्ते बनाइये, मगर सावधानीपूर्वक बनाइये, यह सदस्यों ने कहा है। जो आप कह रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं कहा है।

श्री आई० के० गुजराल : विशेषकर मैं यहां इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा क्योंकि मैंने भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों की बात की थी और यही बात मेरे माननीय मित्र प्रधान मन्त्री जी भी कर रहे हैं जिससे मैं पूर्णतः सहमत हूं। मेरा इस पर कोई मतभेद नहीं है।

श्री चन्द्र शेखर : मुझे बहुत प्रसन्नता है, अध्यक्ष जी, मेरा मनोबल बहुत बढ़ा है, भाई गुजराल और शरद यादव की सलाह से, लेकिन जहां तक सावधानी बरतने का सवाल है, सावधानी केवल भाषा में नहीं बरती जाती है। सावधानी हमारी जो तैयारी होती है, उसमें बरती जाती है। उसमें कोई कोताही नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान या किसी देश के अगर बुरे इरादे हैं हिन्दुस्तान की ओर और अगर उसको यह गलतफहमी है कि बातचीत के जरिये हमको किसी असावधानी में डाल करके, देश के खिलाफ कोई कुछ कर लेगा, तो यह गलतफहमी बहुत महंगी पड़ेगी। किसी को भी यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, मैं यह बात जरूर कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से आपके जरिये कहना चाहता हूं कि बातचीत सावधानी के साथ हो रही है, लेकिन खुले दिल से हो रही है। हम यह नहीं मानते कि राजनीति में, कूटनीति में सावधानी के अर्थ ये रहे हैं कि हम बातचीत दोस्ती के लिए कर रहे हैं और हाथ पीछे इसलिए छिपाये हुये हैं कि कोई दांव लगे, तो दुश्मनी का दांव दिखा दें। हम खुले दिल से पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। नवाज शरीफ यह कहते हैं कि अगर वे दोस्ती चाहते हैं, तो मैं उनकी बात पर यकीन करता हूं, वे क्या करेंगे, यह उनके ऊपर मुनहस्सर है।

अध्यक्ष महोदय, यहां कुछ सदस्यों ने कहा कि पंजाब में कैम्प चल रहे हैं, चल रहे हैं, हमें मालूम है और यह भी मालूम है कि उससे देश में परेशानी है, देश में तनाव पैदा हो रहा है। जब कभी मौका मिलता है, उनसे इस बात का जिक्र किया जाता है, लेकिन मैं अगर जोर-जोर से चिल्लाने लगूं—यह कहने लगूं कि कैम्प चल रहे हैं, तो उससे तो कोई फर्क न पाकिस्तान की स्थिति में और न ही हमारी स्थिति में आने वाला है। कैम्प चल रहे हैं, वे अगर प्रशिक्षण दे

रहे हैं, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष जी, जो बुनियादी कदम हैं, वे उठाये गये हैं और क्या उठाये गये हैं, उनके बारे में यहां माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया है। मैं आपके माध्यम से उनको बता दूं कि कई वर्षों से यह बात चर्चा का विषय थी कि यहां पर कंटीले तार लगाये जायें। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की सरहदों पर कंटीले तार लगाने का काम आज से एक साल पहले 80, 90 या 100 कि० मी० में लगाने का पूरा हो पाया था और पिछले एक साल से कोई काम नहीं हुआ है। अब तक सिर्फ 120-122 किलोमीटर में कंटीले तार लगाये गये हैं। अप्रैल तक पूरे 262 या 255 कि० मी०, जितना भी क्षेत्र सीमा पर बाकी है, उस पर लग जायेंगे। 65 कि० मी० तक फ्लड लाइट्स लगायी जा चुकी हैं और बाकी लगायी जा रही हैं। जब यह सवाल मेरे सामने आया, तो मैंने बार्डर रोड आर्गेनाइजेशन को कहा कि अगर जरूरत पड़े, तो आप जाकर वहां पर इस काम को पूरा कीजिये। मैंने वहां पर जो ठेकेदार तार लगा रहे हैं, उनको यह कह दिया है कि अगर यह काम अप्रैल के पहले-पहले पूरा नहीं हुआ तो इसके लिये आपको पैनेल्टी देनी पड़ेगी, इसके अलावा सरकार के सामने आपको और तरह से भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हमें आश्वासन दिया गया है और मैं कोई वजह नहीं समझता हूं कि अप्रैल से पहले ही पहले यह काम पूरा न हो, लेकिन उससे समस्या का हल नहीं होगा क्योंकि अध्यक्ष महोदय, वहां पर सीमा का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां तार नहीं लगाये जा सकते हैं। वहां बैरन लैंड है, नदियां हैं, नाले हैं। मैं तो उसको नहीं जानता हूं, लेकिन जो लोग गये हैं, वे जानते हैं कि तार लगाना वहां मुमकिन नहीं है। वहां पर सीमा की सुरक्षा के लिए जहां बार्डर सिक्युरिटी फोर्स के लोग लगे हैं उनके पीछे फौज के लोग भी लगे हुए हैं। यह बात कोई छिपकर नहीं कर रहे हैं, फौज अगर सीमा पर भेजते हैं तो पाकिस्तान के लोगों को कह रहे हैं कि सीमा पर हमारे यहां लोग अन्दर से आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए हम फौज लगाए हुए हैं। पंजाब के नेता लोग हमसे लोग हमसे जो बात करने के लिए आ रहे हैं उनसे भी मैंने कहा कि आप कह रहे हैं, कि ज्यादा गड़बड़ी स्मगलर्स बूटलैगर्स, असामाजिक तत्व कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ सेना या सशस्त्र बल कार्यवाही करे तो आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। उनसे भी, पाकिस्तान के लोगों से, दूसरे लोगों से जिनका कोई दूर का भी रिश्ता है, उनको बताकर सब काम कर रहे हैं, छिपाकर कोई काम नहीं करना चाहिए। यह जरूर है कि हर कदम उठाने से पहले अखबार वालों को पहले मैं नहीं बुलाता हूं, यह गलती मुझसे जरूर है। कदम उठे या नहीं, अखबार में मोटे अक्षरों में छप जाए, यह गलती हमसे जरूर हुई है, यह काम हमने नहीं किया है और इसके लिए जितनी शिकायत हो मैं अपने को जिम्मेदार जरूर मानता हूं। दूसरा सवाल कि वहां पर लोगों को कुछ सुविधाएं भी देनी होंगी। वहां पर बार्डर सिक्युरिटी फोर्स में भर्ती के लिए काम शुरू हुआ है। आज से कुछ दिन पहले कोई नहीं आता था आज लोग आ रहे हैं। फौज में भी उनको भर्ती का विशेष अवसर दिया जा रहा है। यह काम किया जा रहा है। पंजाब में जो मसौदे थे उनको तुरन्त क्रियान्वित करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। चारों तरफ जो-जो कदम वहां की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए उठाये जा सकते हैं हम उनकी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि दस वर्षों से जो घाव रिस रहा है मैं उस घाव के ऊपर कोई ऐसा मन्त्र लगा दूं कि वह एकदम से सुख और समृद्धि के समाज के साथ शान्त हो, एक राम राज्य वहां पर आ जाए। यह नहीं हो सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए थोड़े धीरज, संयम, आत्म-नियंत्रण की जरूरत है और सबसे ज्यादा आवश्यकता आत्मविश्वास की है। मुझे इस बात को

कहने में फख्र का अनुभव होता है कि पंजाब की एक बड़ी भारी आबादी, आबादी का एक बड़ा भारी हिस्सा इस तरह की प्रवृतियों के खिलाफ है, इस जहनियत का विरोधी है। तमाम कोशिश के बाद भी कि वहां पर साम्प्रदायिक दंगे हों, वह काम नहीं हो रहा है। आज पटियाला में थोड़े से झगड़े हुए हैं जो दुखद प्रसंग है। लेकिन शाम को हमें बताया गया कि परिस्थिति नियंत्रण में है। कोई साम्प्रदायिक दंगों का स्वरूप पंजाब की घटना ने अब तक नहीं लिया है। मुझे विश्वास है कि पंजाब में बसने वाला हर भाई इस बात की कोशिश करेगा कि इसके पीछे साम्प्रदायिक रूप देने के लिए जो षड्यंत्र हो उस षड्यंत्र को कामयाब न होने दें। हमको यह भी सूचना दी जाती है कि 62 आदमियों की पार्टी कैसे संविधान परिवर्तन कर देगी। मुझे बहुत राजनीति तो नहीं आती है लेकिन इतनी राजनीति तो मुझे भी आती है··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसने कहा है।

श्री चन्द्र शेखर : नाम लेना अच्छा नहीं है। 62 आदमियों की पार्टी संविधान परिवर्तन नहीं करेगी, वह तो सबकी सहमति से होगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को आश्वासन दे दूं कि संविधान में परिवर्तन कर दूंगा। कोरे आश्वासन देने वाले और होंगे, मैं कोरे आश्वासन नहीं देता हूं, मैं परिधियों के अन्दर काम करना जानता हूं; क्या हमारी सीमाएं हैं मैं उससे परिचित हूं। कोरे आश्वासन के दिन लद गए फिर बुरा न लोग मानें।

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसा आश्वासन कोई भी नहीं देगा।

श्री चन्द्र शेखर : कोई देगा नहीं, ऐसा नहीं है, देना नहीं चाहिए यह यदि दण्डवते जी कहें तो अच्छा हो। आश्वासन दिए जाते हैं क्योंकि राजनीति का मयार हो गया है कि कुछ भी कह दो चाहे वह पूरा हो या न हो। एक-दो नहीं, अनेक दृष्टांत दिए जा सकते हैं लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं होता है, न हालात बदलते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं विरोधी दल के नेता से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी कदम सरकार उठाती है, यह सही है कि उस कदम को उठाने से पहले हम अखबार में नहीं गए, यह सही है कि हम संसद सदस्यों से सलाह नहीं कर सके लेकिन जो नेता लोग हैं उनसे सलाह करने की कोशिश की, उनको थोड़ी-बहुत जानकारी देने की भी कोशिश की। जिस समय यह जानकारी दी जा रही थी हमारे मित्र मधु दण्डवते जी और उनके नेता दोनों मौजूद नहीं थे इसलिए मैं उनको यह जानकारी नहीं दे सका। मैं जानता हूं कि उनकी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि मैं उन नेताओं को नहीं बुला सका, इसका मुझे दुख है और इसके लिये मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन अगर दंडवते जी हमको यह सूचना दे दें कि किनको बुलाना है तो मैं उनको जरूर बुला लूंगा। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे सी० पी० एम० और सी० पी० आई० व कांग्रेस पार्टी के लोग हों उन सबको मैंने विस्तृत रूप से बताया है कि सरकार के इरादे क्या हैं और सरकार क्या करना चाहती है, हमारी मजबूरियां क्या हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारी कठिनाइयां क्या हैं क्योंकि सरकार की कमजोरी हमारी अकेली नहीं है, ये सबकी है। यह देश की कमजोरी है, राष्ट्र की कमजोरी है और उस कमजोरी को हमने विरासत में पाया है, हम यह नहीं कहते कि किसी एक सरकार से राष्ट्र के जीवन में यह कमजोरी आई। हम सबको इस पर सोचना चाहिये।

हमारे कई मित्रों ने यह बात कही कि क्यों हम आदमी-आदमी में धर्म और जाति के नाम पर··· (व्यवधान) ···

प्रो० मधु दण्डवते : आपको कोई गलतफहमी न रहे इस कारण मैं बात साफ कर देना चाहता हूं। आपका जो निमंत्रण बैठक का था वह हमें देरी से मिला वरना हम आते। यह कभी नहीं हुआ कि प्रधान मंत्री जी निमंत्रण दें और हम न आयें। ऐसी बात कभी भी नहीं हुई है और न ही आगे होगी।

श्री चन्द्र शेखर : मैं यह नहीं कहता कि आप जानबूझकर नहीं रहे होंगे इसलिये नहीं आये। देर हम से हो गई होगी मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि इस सवाल पर गम्भीरता से हम लोगों को फिर बैठकर सोचना चाहिए क्योंकि अगर बातचीत का रास्ता बन्द हो जायेगा तो केवल बन्दूक का रास्ता रह जायेगा और बन्दूक के रास्ते से ऐसी समस्याओं का समाधान करना ज्यादा मुश्किल काम होगा। बातचीत का रास्ता चलता रहे यह हम मानते हैं। कोई एक व्यक्ति या चार व्यक्ति इस बातचीत में शामिल हों और बातचीत करें।

हमारे मित्र खुराना जी ने कहा कि जो हमारे अल्पमत के मित्र हैं उनसे भी बात करनी चाहिए। उनसे मैंने बात की है। सबसे पहले बात उन्हीं लोगों से हुई। उनसे मैंने कहा था हम आपकी दिक्कतों को जानते हैं।

श्री के० सी० त्यागी (हापुड़) : सारे देश में जो अल्पमत के लोग हैं उनसे बात होनी चाहिये। अकेले पंजाब में जो अल्पमत के लोग हैं, उनसे आप बात न करें।

श्री चन्द्र शेखर : सब लोगों से हम सारे देश की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। पंजाब की समस्या पर वहां के लोगों से ही मैं बात करूंगा। मैं यह जरूर चाहता हूं कि हमारे बीच में सहमति होनी चाहिए। हम यह जानते हैं कि हमसे गलतियां हो सकती हैं, हमारे कदम कभी बिना सोचे-समझे उठ सकते हैं लेकिन किसी भी व्यक्ति या सदस्य के द्वारा जो सुझाव आयेंगे उन सबका हम स्वागत करेंगे।

एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पिछले एक साल में जितने सुझाव आये हैं सरकार के पास, जो गृह मंत्रालय में हैं उन सारे सुझावों और पत्रों को एकत्र करके और संकलित करके योजना बनाते समय हमने उनका पूरा ध्यान रखा है। सब लोगों के जो सुझाव तर्कसंगत हैं और जो व्यावहारिक हैं उनका समावेश किया गया। पिछले 1-2 महीने में जब से यह सरकार बनी है तब से प्राप्त सुझावों पर ही नहीं बल्कि पुरानी सरकार जिसका मैं भी हिस्सेदार था उनको प्राप्त हुए सुझावों की भी मैंने तालिका तैयार की। उन सारे सुझावों पर विचार करके हम यह कोशिश कर रहे है कि किसी को कोई शिकायत न रह जाये। अगर कहीं कोई कमी रही। उस कमी को दूर किया गया। जब तक वहां शांति नहीं आ जाती, जब तक वहां अमन नहीं आ जाता तब तक हम इस कमी का अहसास करते हैं।

एक बात अंतिम कह कर समाप्त करता हूं। वह चाहते हैं कि वहां चुनाव हो जायें। हम यह भी सोचते हैं कि वहां चुनाव न करें लेकिन जो चुनाव कराने के लिए जहां सरकार कृतसंकल्प है, वहां पंजाब के लोगों को और खास तौर से उन लोगों को चुनाव की जोरदार मांग करते हैं उनको माहौल बनाने की कोशिश करनी होगी। अगर हत्या, आतंक चलता रहेगा, अगर एक दूसरे के खून के प्यासे रहेंगे तो कैसे चुनाव होंगे ? चुनाव कोई औपचारिकता नहीं है। चुनाव राज को बनाने और चलाने में करोड़ों लोगों का सहभाग होता है। लोकशाही का मतलब यह होता है कि लोग निर्भय होकर और निडर होकर अपनी राय का इजहार करें। अगर भय का माहौल बना रहेगा तो

कैसे चुनाव हो सकेंगे। मैं कोरे आश्वासन नहीं दूंगा। अगर चुनाव कराना चाहते हैं तो भय के वातावरण को मिटाना होगा और जो लोग चुनाव कराना चाहते हैं यह उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भय के इस वातावरण को मिटायें। मैं उनको यह आश्वासन देता हूं कि सरकार की ओर से कहीं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। सरकार खुले दिल से आपसी बात-चीत के जरिये, आम सहमति के सहारे पंजाब की समस्या का समाधान करना चाहती है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी सवाल जवाब नहीं, छोड़िये कमल जी। सवाल जवाब का सिलसिला मैं शुरू नहीं कर रहा हूं। आप बैठ जायें।

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी को बीच में नहीं टोकना चाहता था, मैं प्रधान मन्त्री जी से सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो नवाज शरीफ के बारे में कहा है, कल को अगर इनको यह कन्फर्म हो जाता है कि वह हमारे देश के साथ, इनके साथ धोखा कर रहा है और वह इस पर तुला हुआ है तो क्या यह उनको एक बिफीटिंग रिप्लाई चाहे उन पर युद्ध भी क्यों न करना पड़े···

अध्यक्ष महोदय : उनका भाषण ठीक था। कमल जी, आप बैठ जायें।

श्री कमल चौधरी : दूसरी बात, इन्होंने चण्डीगढ़ की बात कही और तीन और भी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिये। सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि पहले भी जब भी कोई बात करता है, अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर की ही बात करता है। आज इन्होंने भी कहा कि चण्डीगढ़ के अलावा हमारे तीन और डिस्ट्रिक्ट्स अमृतसर, पटियाला और लुधियाना में भी कार्यवाही शुरू कर रहे हैं। मेरा दुख यही है कि इससे जो टैरेरिस्ट्स हैं, उनको मौका मिला है। मेरे इलाके होशियारपुर में रोपड़ में कई सौ एकड़ जमीन उन्होंने वहां पर खरीदी है। वहां पर उनके चाहने वाले हैं, वहां पर वह शिफ्ट कर गये हैं और साथ में पंजाब पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स ने, जो हमारे इलाके में आये हैं और जिनके सम्बन्ध टैरेरिस्ट्स के साथ हैं, उन्होंने वहां जमीन खरीदी है।

तीसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : कमल जी, बैठिये। कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है। आपका निवेदन हो गया, अब आप बैठ जाइये।

श्री कमल चौधरी : श्री सिमरन जीत सिंह मान या ऑल इण्डिया सिख स्टूडेंण्ट्स फेडरेशन के कुछ ऑफिस बियरर्स हैं···

अध्यक्ष महोदय : कमल जी, आप यह तो भाषण में कह चुके हो, आप बैठ जायें।

श्री कमल चौधरी : यह नहीं कहा। लेकिन उन लोगों ने कई ऐसे स्टेटमेण्ट्स दिये हैं जो कि आपत्तिजनक हैं, उनको क्लैरीफिकेशन के लिए पूछा गया है कि नहीं कि उन्होंने यह स्टेटमेण्ट्स दिये हैं ? उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जायेगा ?

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहूं, अगर नवाज शरीफ रोज युद्ध की बात करेंगे तब भी मैं आखिरी समय तक शान्ति की ही बात करता रहूंगा। उनके युद्ध की बात करने से मैं युद्ध की बात करने वाला नहीं हूं। युद्ध जब आ जाता है तब युद्ध किया जाता है और मैंने कल कहा था, तुलसी दास का एक दोहा है, एक चौपाई है।

"सूर समर करनी करें, कही न जनावें आप,
विद्यमान रण पाय के, कायर करहिं प्रलाप।"

तो प्रलाप वाला काम मैं नहीं करूंगा, एक बात तो यह है। हम यह चाहते हैं कि सबको सद्बुद्धि आये कि कोई लड़ाई की बात न करे। अध्यक्ष महोदय, आप ही के द्वारा आज गल्फ की लड़ाई रोकने की हम बात कर रहे हैं तो अपने पड़ोसी से लड़ाई करने की बात मैं नहीं करूंगा। दूसरी बात का मैं जवाब नहीं दूंगा लेकिन एक धारणा है, मैंने यह नहीं कहा कि इन तीन जगहों पर काम शुरू होगा। मैंने कहा कि इन तीन शहरों के लिए और 128 गांवों के लिए विशेष रूप से सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी लेकिन चूंकि अब आप हमको मजबूर कर रहे हैं, पंजाब में, यह कहा गया कि अगर उनको 75 कम्पनियां भेजी जायें तो सारे पजाब में सुरक्षा घेरे को ज्यादा मजबूत कर सकेंगे। अब तक हमने 50 या 60 कम्पनियां भेज दी हैं। अगले दो चार दिनों में 75 कम्पनियां सुरक्षा बलों की भेजी जायेंगी। जरूरत होगी तो सौ कम्पनियां भेजी जायेंगी लेकिन वहां के लोगों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा की जायेगी। पुलिस को यह जरूर कहा गया है, किसी निर्दोष के ऊपर हाथ मत उठाना लेकिन किसी निर्दोष की हत्या हो रही हो तो चुप होकर नहीं बैठना।

तीसरा सवाल मैं भूल गया। हां, सिमरन जीत सिंह मान क्या बयान देते हैं, उनके बयानों के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सिमरन जीत सिंह मान हमसे जो बात करते हैं, मेरी जिम्मेदारी बस उतने तक ही है। बयान तो आप लोग भी मेरे बारे में रोज देते हैं, वह भी बहुत बयान देते हैं, इन बयानों से मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है।

8.34 म० प०

(दो) बोफोर्स मामले की जांच में प्रगति

अध्यक्ष महोदय : खुराना साहब, बोफोर्स वाला सवाल है।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैं बोफोर्स केस की जांच के बारे में जो प्रगति हुई है, उस सम्बन्ध में चर्चा प्रारम्भ करता हूं। मैं केवल दो मुद्दे रखना चाहता हूं। इस सदी के··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या आ रहा है, मैं दूंगा लेकिन यह जो बोफोर्स वाला मामला है यह अगली बार के लिए जायेगा। इसका निर्णय मैं दूंगा।

श्री मदन लाल खुराना : मैं केवल दो मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं कि बोफोर्स की चर्चा के बारे में आडवाणी साहब और मधु दण्डवते जी ने बहुत चर्चा की है···

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : वह सब इस्पैक्टर कौन है, जिसको केस दिया गया है?

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं तो भूमि से जुड़ा हुआ वह कार्यकर्ता हूं, राजनीति का, लोग क्या कहते हैं, केवल उस पर दो पाइण्ट्स रखना चाहता हूं। जब से यह नई सरकार आई है, इसके बारे में चर्चा यह हुई है कि जो कुछ भी वक्तव्य चन्द्र शेखर जी ने दिया है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, शायद उनके मन में नहीं होगा, लेकिन आपने वक्तव्य दिए हैं। उसके बारे में जो लॉ मिनिस्टर ने कार्यवाहियां की हैं, उसके बारे में एक शंका यह पैदा हुई है कि एक सिक्रेट

एग्रीमेंट कांग्रेस के अन्दर और चन्द्र शेखर की सरकार के अन्दर हुआ है कि हम आपको सरकार में लाते हैं और हमारे जितने भी केसेज हैं, वे गिराओ।··· (व्यवधान)···मैं चन्द्र शेखर जी से कहना चाहता हूं कि आज आपकी साख दांव पर लगी हुई है। मैं केवल एक ही वाक्य कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

"न इधर-उधर की बात, यह बता कि काफिला क्यों लुटा,
न राहजनों पर तू दोष धर, तेरी रहबरी का सवाल है।" (व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि यह काम ठीक से चले। अगली दफा मैं, पूरे फैक्ट्स एंड फीगर्स लाया हूं, इस बहस को जारी रखूंगा।

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका जवाब नहीं देता, लेकिन एक अनावश्यक आरोप लगाया गया है और आरोप मेरे ऊपर होता तो जवाब नहीं देता, आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी समय, कांग्रेस पार्टी के किसी सदस्य ने या किसी व्यक्ति ने हम से कभी बोफोर्स के बारे में कोई चर्चा नहीं की है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : हम केवल यही मांग कर रहे हैं कि बोफोर्स संबंधी कागज पत्रों को सभा पटल पर रखा जाय। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : तुलसी की बात है··· (व्यवधान) ···श्रीमती सुभाषिनी अली। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ सब-इन्सपैक्टर का नाम पता लगा लीजिए। मैं जानती हूं कि केस दिया गया है। सब इन्सैक्टर का नाम बता दीजिए, तो उन्हीं से ही फिर बात कर लिया करेंगे। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, जो भी बोफोर्स के बारे में इन्क्वायरी करता है, उसको मैं सब इन्सपैक्टर ही समझता हूं, उससे अधिक नहीं समझता हूं। इसलिए जो-जो लोग उसमें अपना नाम जोड़ना चाहें, उसमें जोड़ लें हमें कोई एतराज नहीं है। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि खुराना साहब मेरी साख की आप चिन्ता में न पड़ें। बहुत दिनों से साख गिराने की कोशिश की गई है, अब तक नहीं गिरी तो आगे भी नहीं गिरेगी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : मुझे इस सभा में श्री एम० एल० खुराना का भाषण सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ है। जब पिछली सरकार थी तो श्री खुराना जी की पार्टी उस सरकार की समर्थक थी। उस समय हमने मांग की थी कि बोफोर्स संबंधी सभी कागज पत्र सभा पटल पर रखे जायें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : फाइलों को कैसे चेंज किया गया। कैसे पिछली सरकार ने नोटिंग को काटा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : यद्यपि तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने सभा को उक्त कागज-पत्रों के संबंध में आश्वासन दिया था लेकिन वे अपनी बात से पीछे हट गए।

अभी भी केन्द्र में एक सरकार है और उसका एक प्रधान मंत्री है। हमारा उनसे अनुरोध है कि सरकार के पास जो भी कागज पत्र उपलब्ध हों वे उसे सभा पटल पर रखें। ताकि राष्ट्र को पता चले कि वास्तविक अपराधी कौन है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वास्तविक अपराधी कौन है और वह किस पक्ष में बैठा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मेरे पास दो नाम आ गए हैं··· (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, माननीय खुराना जी ने कहा है कि दो नाम आ गए हैं। वे बताना चाहते हैं, तो दो नाम बता दें, क्योंकि वे नाम मेरे पास नहीं आए हैं। अगर उनके पास नाम हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई नाम छिपाया जाए। लेकिन इस तरह की अनर्गल बातें करके लोगों के सामने भ्रम फैलाने का काम न कीजिए। उनके पास नाम आए हैं, तो बता दें। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं बताता हूं। यह स्वीटजरलैंड कोर्ट का फैसला है। यह आपके पास भी आया है। वहां पर जो दो लोगों ने अपील की है—एक श्री जी० पी० हिन्दूजा और जुबली फाइनेंस कंपनी··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सबको मालूम है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : हमारे नेता को इसमें क्या करना है ? (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप इस वाद-विवाद को जारी रख रहे हो ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आपको अगली बार अवसर दिया जाएगा।

(व्यवधान)

————

8.40 म० प०

संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत लोक सभा अध्यक्ष का निर्णय

दल-बदल के आधार पर सदस्यों की निरर्हता

अध्यक्ष महोदय : श्री संतोष भारतीय द्वारा श्रीमती उषा सिंह तथा 29 अन्य सदस्यों, जिनके नाम अनुबंध-एक में दिए गए हैं, के विरुद्ध दायर की गई याचिका और श्री सत्य पाल मलिक द्वारा उपर्युक्त 30 सदस्यों के विरुद्ध दायर की गई याचिका, जिनमें संविधान की दसवीं अनुसूची और लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के अंतर्गत निरर्हता के लिए प्रार्थना की गई है, के मामले में,

और

श्री सुकदेव पासवान द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची और लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के अंतर्गत श्री विद्या चरण शुक्ल और छः अन्य सदस्यों, जिनके नाम अनुबंध-दो में दिये गये हैं, के विरुद्ध दायर की गई याचिका के मामले में,

और

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची और लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के अंतर्गत श्री शकीलुर्रहमान के विरुद्ध दायर की गई याचिका के मामले में,

और

श्री चन्द्रशेखर और 24 अन्य सदस्यों, जिनके नाम अनुबंध-तीन में दिये गए हैं, को उन्हें असम्बद्ध सदस्य घोषित किये जाने के फलस्वरूप और जनता दल से निष्कासित करने के मामले में,

और

जनता दल (स) को एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दिये जाने के बारे में श्री चन्द्रशेखर के दिनांक 6 नवम्बर, 1990 के अनुरोध के मामले में।

उपर्युक्त मामलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मुझे 6 नवम्बर, 1990 को सर्वश्री चन्द्रशेखर, देवीलाल, चांद राम और हुक्मदेव नारायण यादव, लोक सभा सदस्य तथा राज्य सभा के एक सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से भेजा गया एक पत्र मिला जिसमें मुझे यह सूचित किया गया कि जनता दल का प्रत्येक राज्य में सभी स्तर पर विभाजन हो गया है और यह कि विभाजन के फलस्वरूप 58 लोक सभा सदस्यों (देखिये अनुबंध-चार) तथा राज्य सभा के कुछ सदस्यों ने एक ग्रुप का गठन कर लिया है जो जनता दल से अलग हुए गुट का प्रतिनिधित्व करता है और यह कि उन्होंने जनता दल (स) नाम अपना लिया है।

इससे पूर्व मुझे 5 नवम्बर, 1990 को संसद में जनता दल के नेता श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें मुझे सूचित किया गया कि जनता दल के 25 लोक सभा सदस्यों (देखिये अनुबंध-तीन) को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और अब वे लोक सभा में जनता दल विधानमंडल पार्टी के सदस्य नहीं रहे हैं। इस सूचना के मिलने पर मैंने सुस्थापित संसदीय प्रथा और परिपाटी के अनुरूप तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह नेता तथा उसके सदस्यों के बीच पार्टी के अनुशासन का मामला है, उक्त 25 सदस्यों को सभा में उनके कार्य करने, उन्हें स्थान आवंटित करने, पार्टी-ह्विप से मुक्त रहने के प्रयोजनार्थ 'असम्बद्ध' सदस्यों के रूप में घोषित करने का विनिश्चय किया। इन सदस्यों को मेरे विनिश्चय की सूचना उसी दिन सायं दे दी गई थी।

6 नवम्बर, 1990 को 17.00 बजे मुझे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह दावा किया गया था कि जनता दल के 25 सदस्यों को पहले ही निष्काषित किया जा चुका है, इसलिए अलग हुए ग्रुप की शेष संख्या केवल 33 रहा जाती है जो लोक सभा में जनता दल के सदस्यों की शेष संख्या अर्थात 115 के एक तिहाई से कम है और इसलिए अलग हुए ग्रुप को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। श्री चन्द्र शेखर तथा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से विभाजन के बारे में प्राप्त हुए उक्त पत्र एक दूसरे को भेजे गये थे ताकि वे अतिरिक्त टिप्पणियां, यदि कोई हों, भेज सके। श्री चन्द्र शेखर ने दिनांक 6 नवम्बर, 1990 के अपने उत्तर में, जो 7 नवम्बर, 1990 को प्राप्त हुआ, अपनी और टिप्पणियां दीं।

7 और 8 नवम्बर, 1990 को लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् निरर्हता नियम, 1985 कहा गया है) के नियम 6 के अन्तर्गत क्रमशः श्री संतोष भारतीय तथा श्री सत्यपाल मलिक से 30 सदस्यों (देखिए अनुबन्ध-एक) के विरुद्ध दो याचिकायें प्राप्त हुई। इन 30 सदस्यों में से श्री गुरदयाल सिंह सैनी ने 9 नवम्बर, 1990 से लोक सभा से त्याग पत्र दे दिया। इस बात का समाधान हो जाने पर कि याचिकायें ठीक क्रम में हैं, याचिकायें प्रत्यर्थियों को भेजी गई और उनकी टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। प्रत्यर्थियों ने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी अनुरोध किया था। उन्हें 7 जनवरी, 1991 को सुनवाई का अवसर दिया गया।

23 नवम्बर, 1990 को मुझे निरर्हता नियम, 1985 के अन्तर्गत श्री सुकदेव पासवान से 7 याचिकायें प्राप्त हुई। प्रत्यर्थियों की सूची अनुबंध-दो में दी गई है। यह समाधान हो जाने पर कि याचिकायें ठीक क्रम में हैं, वे प्रत्यर्थियों को भेजी गई और सदस्यों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। सदस्यों ने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी अनुरोध किया था और तदनुसार उन्हें 7 जनवरी, 1991 को सुनवाई का अवसर दिया गया।

14 दिसम्बर, 1990 को मुझे श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, संसद सदस्य से एक याचिका प्राप्त हुई थी जिसमें उन्होंने डा० शकीलुर्रहमान, संसद सदस्य को इस आधार पर निर्हरित करने के लिए प्रार्थना की थी कि उन्होंने जनता दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है। याचिका डा० रहमान को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई और उनके अनुरोध के अनुसार उन्हें 7 जनवरी, 1991 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया।

मेरे द्वारा विनिश्चित किये जाने वाले मुद्दे इस प्रकार हैं :—

(एक) क्या मूल जनता दल में विभाजन भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 3 की शर्तों के अनुसार हुआ है ?

(दो) क्या श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा 5 नवम्बर, 1990 को 25 सदस्यों के निष्कासन तथा मेरे द्वारा उन्हें असम्बद्ध मान लिये जाने का दल के विभाजन संबंधी तर्क पर कोई कानूनी प्रभाव पड़ता है;

(तीन) क्या कोई भी प्रत्यर्थी संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत किसी प्रकार से निरर्ह हो गया है।

3. जहां तक उपरोक्त (एक) तथा (दो) में उल्लिखित मुद्दों का संबंध है, निरर्हता नियमों के अन्तर्गत चार याचिकाकर्त्ताओं तथा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के तर्क संक्षेप में निम्न प्रकार है:—

(क) 25 सदस्यों को 5 नवम्बर, 1990 को निष्कासित किया गया था और इस तथ्य की सूचना अध्यक्ष को अविलम्ब दे दी गई थी। यह निष्कासन किसी भी तथाकथित विभाजन से पूर्व हुआ था।

(ख) विभाजन का दावा करने वाले शेष सदस्य जनता दल के शेष 115 सदस्यों का एक-तिहाई नहीं है और इसलिए उन्हें निरर्ह घोषित कर दिया जाना चाहिए।

(ग) प्रत्यर्थियों द्वारा अनेक प्रकार से यह दावा किया गया है कि दल का विभाजन 5 नवम्बर, 1990 को 10.30 म०प० पर हुआ था और यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि यह विभाजन हुआ था, तो यही माना जाएगा कि यह विभाजन 5 नवम्बर को हुआ था तथा 5 नवम्बर के बाद दल-बदलने वाले सदस्य, अर्थात जिन सदस्यों के नाम 7 नवम्बर या 16 नवम्बर को 'व्हिप' के विरुद्ध मतदान करने वाले 58 सदस्यों की सूची में नहीं हैं, दल विभाजन के अन्तर्गत नहीं आते।

(घ) दसवीं अनुसूची के पैरा 3 के अन्तर्गत विभाजन के लिए जो पहली शर्त है उसमें यह अपेक्षित है कि विधानमंडल दल में होने वाला कोई भी विभाजन मूल राजनैतिक दल में हुए विभाजन के परिणामस्वरूप हुआ हो, और यह शर्त पूरी नहीं हुई है, क्योंकि स्वयं श्री चन्द्रशेखर ने 'द हिन्दू' के दिल्ली संस्करण में 6 नवम्बर, 1990 को यह कहा था कि विभाजन केवल संसदीय दल में ही हुआ है, जनता दल में नहीं।

प्रत्यर्थियों के तर्क संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :—

(क) कि 5 नवम्बर, 1990 को 9.30 म०पू० पर नम्बर 2, विलिंग्डन क्रीसेंट, नई दिल्ली में हुई बैठक में जनता दल के संगठन पक्ष में विभाजन हो गया था। इसके पश्चात् संसद सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई थी और उसी दिन 10.30 म०प० पर संसदीय दल विभाजन हो गया था।

(ख) दसवीं अनुसूची में सदन के बाहर की दल-विरोधी गतिविधियों के कारण किए गए निष्कासन को कोई मान्यता नहीं दी गई है।

(ग) श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा 25 सदस्यों को निष्कासित किया जाना गैर-कानूनी है तथा यह वास्तविक विभाजन को रद्द करने के लिए की गई असद्भावपूर्ण कार्यवाही है।

(घ) कि संसद में जनता दल के नेता श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 7 नवम्बर, 1990 को अपने भाषण में संसद सदस्यों से अपनी अन्तरात्मा की आवाज पर मतदान करने की अपील की थी, जिसके फलस्वरूप दल के सचेतक द्वारा जारी 'व्हिप' रद्द एवं निरस्त हो गया था।

(ङ) अलग हुए ग्रुप के मुख्य सचेतक श्री हरमोहन धवन द्वारा दिनांक 14 नवम्बर, 1990 के अपने पत्र में यह दावा किया गया था कि जनता दल के 65 सदस्य जनता दल (समाजवादी) में शामिल हो गए हैं, यद्यपि उस पत्र में ऐसे प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

(च) कि राज्य सभा तथा निर्वाचन आयोग द्वारा जनता दल (समाजवादी) की एक पृथक राजनैतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है।

4. उन 30 सदस्यों में से (देखिये अनुबंध एक), जिनके विरुद्ध निरर्हता संबंधी याचिकाओं पर विचार किया गया है, श्री गुरदयाल सिंह सैनी ने त्याग पत्र दे दिया है तथा श्री बासवराज पाटिल का नाम उन 58 सदस्यों की सूची में नहीं है जो श्री चन्द्रशेखर द्वारा मुझे 6 नवम्बर, 1990 को दी गई थी। चूंकि 28 सदस्यों के विरुद्ध मामले कमोबेश एक ही तरह के हैं, अतः उन

पर एक साथ विचार किया जा सकता है। उनके विरुद्ध यह मामला है कि उन्हें जनता दल के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया गया था, कि उन्होंने जनता दल के सचेतक द्वारा जारी 'व्हिप' और तत्पश्चात् जनता दल के नेता द्वारा 4 नवम्बर, 1990 को जारी किए गए एक अन्य 'व्हिप' के विरुद्ध मतदान किया था और यह कि उन्होंने सचेतकों द्वारा जारी किये गये निदेशों के विरुद्ध मतदान किया था, और यह कि ऐसा उल्लंघन लोक सभा सचिवालय द्वारा दर्ज किए गए मतदान से स्पष्ट है कि उपर्युक्त पैरा 3 में पहले बताए गए कारणों के परिप्रेक्ष्य में दल-विभाजन को मान्यता नहीं दी जा सकती और कि इसलिए पैरा 3 के अन्तर्गत सुरक्षा प्राप्त न हो सकने के कारण वे दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अन्तर्गत निरर्हता के पात्र हैं। अपने प्रत्युत्तर में प्रत्येक प्रत्यर्थी ने यह कहा है कि दल-विभाजन के पश्चात् उन्होंने जनता दल (समाजवादी) के नाम से एक अन्य ग्रुप बना लिया था; कि 25 सदस्यों के निष्कासन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और अतएव यह विभाजन दसवीं अनुसूची के पैरा 3 में विहित मानदंडों के अनुरूप है; कि स्वयं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा 7 नवम्बर, 1990 को अन्तरात्मा की आवाज पर मतदान करने संबंधी अपील के कारण यह 'व्हिप' सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं रहा था।

5. दोनों पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि 7 नवम्बर, 1990 को विश्वास प्रस्ताव के लिए जनता दल द्वारा एक 'व्हिप' जारी किया गया था। दोनों पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रत्यर्थियों ने 7 नवम्बर को विश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया था। दल विभाजन संबंधी अपने दावे के समर्थन में प्रत्यर्थियों ने 5 नवम्बर, 1990 को 9.30 म०पू० पर आयोजित आम बैठक के कार्यवाही-सारांश जनता दल सांसदों द्वारा उसी दिन 10.30 म०पू० पर आयोजित बैठक के कार्यवाही-सारांश तथा प्रेस रिपोर्टों की प्रतियां संलग्न की हैं। प्रेस रिपोर्टों में दल-विभाजन के समय का उल्लेख नहीं है जबकि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का पत्र अधोहस्ताक्षरी को 5 नवम्बर को 1.45 म०प० पर प्राप्त हुआ था, श्री चन्द्रशेखर द्वारा दल विभाजन संबंधी दावा 6 नवम्बर को 1.10 म०प० प्राप्त हुआ था। प्रत्यर्थियों ने दल-विभाजन संबंधी समाचार का प्रसारण सरकारी सचार माध्यमों द्वारा किये जाने का उल्लेख किया है। समाचार-बुलेटिनों की प्रतियां मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई हैं, जहां तक प्रेस रिपोर्टों पर आधारित साक्ष्य का संबंध है, उनसे यह पता नहीं चलता है कि दल-विभाजन, निष्कासन से पूर्व अथवा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वार 25 सदस्यों के निष्कासन की सूचना देने वाले पत्र की प्राप्ति से पूर्व हुआ था। दूसरी ओर, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 6 नवम्बर, 1990 के 'द हिन्दू' में प्रकाशित श्री चन्द्रशेखर के इस दावे को देखते हुए कि केवल संसदीय दल में ही विभाजन हुआ है, जनता दल में नहीं, पैरा 3 में दल-विभाजन को मान्यता प्रदान करने संबंधी आवश्यक शर्त को पूरा नहीं किया गया है। अपर्याप्त साक्ष्य को देखते हुए मैं निष्कासन की वैधता के प्रश्न की जांच उसी प्रकार नहीं करना चाहता, जिस प्रकार मैं अलग हुए ग्रुप की बैठक की वैधता के प्रश्न, अर्थात् ऐसी बैठक पार्टी के संविधान के अनुसार आयोजित की गई थी अथवा नहीं, की जांच नहीं करना चाहता हूं। श्री चन्द्रशेखर ने दिनांक 4 दिसम्बर, 1990 के अपने पत्र के साथ जो लोक सभा सचिवालय को उसी दिन प्राप्त हो गया था, निरर्हता नियम, 1985 के अन्तर्गत प्रपत्र-तीन संलग्न किया है, जिस पर 63 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। प्रत्यर्थियों की याचिकाओं में भी इन प्रपत्रों का उल्लेख किया गया है और उसकी प्रतिलिपि संलग्न की गई है। निरर्हता नियम, 1985 के नियम 4 में प्रावधान है कि सदस्य, अन्य बातों के साथ-साथ दल परिवर्तन के बारे में अध्यक्ष

को सूचित करेगा। यह बात समझ में नहीं आती कि ये प्रपत्र 5 नवम्बर को या उस समय के तत्काल बाद जबकि दल विभाजन होने का दावा किया गया है, अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत क्यों नहीं किए गए। इस शब्द 'तत्काल' निरर्हता नियमों के नियम 3 के अन्तर्गत निर्धारित 30 दिनों की अवधि से भिन्न मानना होगा और इसलिए यह मानना होगा कि किसी नेता द्वारा प्रपत्र-III में भेजी जाने वाली जानकारी प्रपत्र-I में भेजी जाने वाली जानकारी से अपेक्षतया अधिक शीघ्रता से प्रस्तुत की जानी होती है। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया गया है कि कोई प्रतिवादी उस समय मुख्यालय मे न रहा हो और इसलिए तत्काल प्रपत्र-III नहीं भेज सका हो। जबकि आम तौर से यही दावा किया गया है, किसी प्रतिवादी ने इस कारण को लेकर विनिर्दिष्ट छूट के लिए कोई प्रार्थना नहीं की है और इसलिए इस दावे को स्वभावतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बात का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि अध्यक्ष को सूचना क्यों नहीं दी गई थी। प्रतिवादियों द्वारा यह दावा किया गया है कि उपरोक्त 28 सदस्य दिल्ली में 5 तारीख को उस बैठक मे उपस्थित थे जिनके परिणामस्वरूप उक्त तथाकथित विभाजन हुआ था लेकिन इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है कि ये प्रपत्र प्रस्तुत क्यों नहीं किये गए। क्योंकि विभाजन के समय के बारे में प्रतिवादियों द्वारा यही एकमात्र प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। मेरा मत है कि प्रतिवादियों का यह दावा पूर्णतया सन्देहविहीन नहीं है कि उक्त विभाजन उनको निष्कासित किए जाने से पूर्व हुआ था, प्रपत्र-III के अभाव में मुझे अन्य उपलब्ध जानकारी पर निर्भर रहना है, अर्थात् श्री चन्द्रशेखर का 58 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित 6 नवम्बर, 1990 का पत्र, इसमें भी कुछ विसंगतियां देखी गयी है। जहां श्री चन्द्रशेखर द्वारा 6 नवम्बर को प्रस्तुत की गयी सूची में 58 नाम थे, उनमें से दो सदयों अर्थात् श्री रामनरेश सिंह और श्री मान्धाता सिंह, जिन्होंने सूची में अपने हस्ताक्षर किए थे, इस आशय का पत्र लिखा था कि वे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल में निष्ठा रखते हैं। श्री हरमोहन धवन जिन्हें जनता दल (एस) का मुख्य सचेतक होने का दावा किया गया है, ने 14 नवम्बर, 1990 को मुझे पत्र लिखा था कि अलग हुए ग्रुप के साथ 64 सदस्य हैं। श्री चन्द्रशेखर द्वारा 14 नवम्बर, 1990 को प्रस्तुत की गयी सूची में 63 नाम थे। याचिकादाताओं ने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा 7 नवम्बर को लोक सभा में अपने भाषण के दौरान की गयी अपील का उल्लेख किया है। मैंने ध्यानपूर्वक पूरे भाषण पर विचार किया है। भाषण को सूक्ष्मता से पढ़ने के पश्चात् मेरा मत है कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अपील, जो 7 नवम्बर को सभा में दिये उनके भाषण में निहित है एक अस्पष्ट सी वाक्पटुता ही है और वह उस विशिष्ट लिखित निर्देश को, जिसे राजनीतिक दलों के कार्यकरण में एक मानक पद्धति के रूप में व्यापक तथा सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त है, अतिक्रमित करने का कारण नहीं बन सकती। जैसी कि पहले ही चर्चा कर चुका हू, यह तथ्य कि 5 नवम्बर का प्रपत्र-III मुझे उसके तत्काल बाद प्रस्तुत नहीं किया गया था और वास्तव में भी मुझे बिल्कुल नहीं प्रस्तुत किया गया था बल्कि प्रत्यक्षतः श्री चन्द्रशेखर को प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने इसे एकत्रित किया और फिर मुझे दिया, मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि उसमें किए गए दावे को इस रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

6. याचिकादाता ने यह भी कहा है कि राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा में जनता दल (समाजवादी) के गठन और उसकी मान्यता को पहले ही स्वीकार कर लिया है। सुस्थापित संसदीय परम्पराओं के अनुसार मैं इस तर्क पर विचार नहीं करूगा। याचिकादाता ने निर्वाचन

आयोग के 27 दिसम्बर, 1990 के उस आदेश की एक प्रति भी संलग्न की है जिसमें जनता दल (एस) को एक राजनैतिक दल के रूप में मान्यता दी गयी है। मैंने उल्लिखित अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। अधिसूचना से जनता दल (एस) को 27 दिसम्बर, 1990 से मान्यता दी है, और इसमें 5 नवम्बर या 7 नवम्बर या 16 नवम्बर को जनता दल के दर्जे के बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है।

7. जहां उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा कि इनमें यह सिद्ध करने के लिये कोई साक्ष्य नहीं है कि विभाजन निष्कासन से पूर्व हुआ, क्योंकि विभाजन के समय और निष्कासन के समय के बारे में परस्पर दावे और विरोधी दावे हैं और क्योंकि निष्कासन की कार्यवाही और अलग होने वाले ग्रुप की बैठक दोनों को ही चुनौती दी गई है। मेरा यह मत है कि सन्देह का लाभ उन प्रतिवादियों को मिलना चाहिए जो उनके निष्कासन से पूर्व हुए विभाजन को मेरे द्वारा मान्यता न देने के कारण अनर्ह हो गए थे।

यह एक सर्वस्वीकार्य मत है, जिसमें आम आदमी की राय शामिल है और जिससे मैं भी सहमत हूं कि दल बदल सम्बन्धी विद्यमान कानून में तात्विक विषयों के साथ-साथ प्रक्रिया के बारे में भी कुछ कमियां हैं। यह ठीक है कि इस बारे में दो मत नहीं हो सकते कि लोकतांत्रिक प्रणाली में विरोध करने की स्वतन्त्रता एक अनिवार्य उपादान होती है, लेकिन यह भी स्वीकार करना होगा कि यह विरोध खुले मन से तथा ईमानदारी से किया जाना चाहिए। यदि असहमति निष्कपटतापूर्ण है तो इस पर खुले तौर से विचार-विमर्श और वाद-विवाद होना चाहिए और इसे गुपचुप और गुप्त नहीं होना चाहिए। यह बात भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि निष्कपट असहमति में त्याग निहित होता है और इसमें आत्म-प्रशंसा की लेशमात्र भी गुंजाइश नहीं होती। देश में हो रही वर्तमान घटनाएं वस्तुतः चिंताजनक और क्षोभकारी है और यदि स्थिति को ऐसे ही चलते रहने दिया जाता है तो लोकतांत्रिक प्रणाली से लोगों का विश्वास उठ जायेगा। हमारे देश ने अपने करोड़ों ज्ञात-अज्ञात देशवासियों का भारी बलिदान लेकर स्वाधीनता प्राप्त की है और स्वतंत्र भारत की नींव ऐसे नैतिक मूल्यों और ऐसी राजनीतिक नैतिकता पर रखी गई है जिसका राष्ट्रपिता ने प्रचार किया और उसे व्यवहार में लाए। और मैं गांधी जी की बात उद्धृत करता हू, "यदि विरोध करना आवश्यक है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी आवाज आपकी आत्मा से आनी चाहिए और केवल दल के स्वर में स्वर मिलाने वाली नहीं होनी चाहिए।" केवल ये मूल्य ही संघर्षों के बाद मिली हमारी स्वाधीनता को बनाए रख सकते हैं और जाति, धर्म, लिंग आदि पर आधारित किसी भी भेदभाव से मुक्त एक समतावादी समाज और सभी के लिए समानता और खुशहाली के हमारे लक्ष्य को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। धर्म को सामान्य अर्थ में लिए बिना, कुछ नैतिक तत्व प्रत्येक समाज को बनाये रखने और उसे मजबूत बनाये रखने के लिए आवश्यक है। यदि हमारी महत्वाकांक्षाएं और सत्ता का लोभ राष्ट्रीय हितों और जनता के हितों पर हावी हो जाते हैं तो भविष्य निश्चय ही अंधकारपूर्ण होगा। मैं कोई सर्वनाश की सूचना देने वाला नहीं हूं, वास्तव में मैं पूर्ण आशावादी हू और मेरा अपने लोगों में बड़ा विश्वास है जिनमें किसी भी गंभीर से गंभीर संकट को झेलने के लिए भारी साहस विद्यमान है और यही हमारे लोगों की इच्छाशक्ति है जिसने सदियों से हमारा मार्गदर्शन किया है। इसलिए मैं इस माननीय सभा से, जिसका मैं विनम्र सेवक हूं और इस सभा के माध्यम से सभी सम्बद्ध लोगों से, अपील करता हूं कि वे स्थिति पर मनन करें और इस मुख्य और एकमात्र प्रश्न पर विचार करें कि

स्वतन्त्रता और गरिमा के अपने शाश्वत मूल्यों की मशाल जलाए रखें और शांति, समृद्धि औक खुश-हाली की ओर अपने देश को अग्रसर करें।

इस समय मैं वर्तमान कानून से बंधा हुआ हूं और मैं वर्तमान मुद्दों के सम्बन्ध में इसकी व्याख्या और कार्यान्वियन अपनी सर्वोत्तम योग्यता और देश के सर्वाधिक हित में कर रहा हूं। जैसाकि मैंने कहा है, यदि मैं विघटन को निष्कासन से पूर्व हुआ नहीं मानता हू तो ये 28 सदस्य निर्रहित हो जाएंगे। इसलिए किसी प्रकार के संदेह का लाभ उनके पक्ष में आएगा। अत: उपर्यक्त 28 सदस्यों के विरुद्ध निरहंता याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

8. जहां तक श्री बासवराज के विरुद्ध याचिका का सम्बन्ध है यह देखा गया है कि उनका नाम श्री चन्द्रशेखर द्वारा 6 नवम्बर, 1990 को प्रस्तुत की गई सूची में सम्मिलित नहीं था। लोक सभा सचिवालय के रिकार्ड के अनुसार और जैसाकि दोनों दलों द्वारा स्वीकार किया गया है, श्री पाटिल ने 7 नवम्बर को पार्टी व्हिप का उल्लंघन करके विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया था। उपर्युक्त पैरा 5 में मेरे विवेचनों को ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि श्री पाटिल का नाम श्री चन्द्रशेखर द्वारा प्रस्तुत की गई 58 सदस्यों की सूची में सम्मिलित नहीं है इसलिए मैं यह नहीं मान सकता कि वह उस विघटित धड़े में थे, जो 5 नवम्बर, 90 को अस्तित्व में आया था। यह दावा कि वह 7 नवम्बर, 90 को जनता दल (स) में थे सही नहीं है। क्योंकि वह 7 नवम्बर, 1990 को जनता दल (स) में नहीं थे इसलिए वह यह दावा नहीं कर सकते कि वे उस दिन जनता दल पार्टी के निर्देशों के अन्तर्गत नहीं आते। चूंकि यह नहीं माना जा सकता कि वह 5 नवम्बर, 1990 को विघटित धड़े में शामिल हो गए थे, इसलिए प्रपत्र-III के अतर्गत उनकी घोषणा को सत्य नहीं माना जा सकता और यह स्पष्ट रूप से बाद में सोची हुई बात है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा 7 तारीख को सभा में की गई अपील को (देखिए पैरा 5 में की गई मेरी टिप्पणियां) पार्टी द्वारा किए गए विशिष्ट लिखित निदेश को अध्यारोही नहीं कहा जा सकता। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा यह निर्णय है कि श्री बासवराज पाटिल निर्हरता नियमों के नियम 8(1) (ख) की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) (ख) के अन्तर्गत निर्रहित हो गए हैं।

9. जहां तक श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा के मामले का संबंध है, यह देखा गया है कि उनका नाम श्री चन्द्रशेखर द्वारा दी गई 58 सदस्यों की सूची में था। तथापि श्री बनेड़ा ने 7 नवम्बर, 90 को दो पत्र, एक लोक सभा सचिवालय को और एक स्वयं मुझे दिये थे।

9.00 म० प०

उन्होंने अपने इन दोनों पत्रों में कहा था कि वह जनता दल के नेता द्वारा जारी किए गए व्हिप का पालन करेंगे और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि उनके नाम या हस्ताक्षर से हुआ अन्य पत्राचार रद्द समझा जाये। चूंकि उन्होंने यह दावा 7 नवम्बर को किया था, इसलिए यह माना गया कि उन्होंने श्री चन्द्रशेखर के 5 नवम्बर वाले पत्र में किए अपने हस्ताक्षर वापस ले लिए हैं और रद्द कर दिये हैं। जो कुछ मैं पहले कह चुका हूं उसे देखते हुए यह माना गया है कि विभाजन की प्रक्रिया 5 नवम्बर को समाप्त हो गई थी और इस प्रकार उसके बाद जनता दल के अलग हुए ग्रुप में सम्मिलित होने वाला कोई भी व्यक्ति दसवीं अनुसूची के पैरा 3 के प्रयोजनार्थ विभाजन के अन्तर्गत आया नहीं माना जायेगा। बहरहाल, न तो उनका और न ही किसी अन्य व्यक्ति का यह दावा है कि कोई

दूसरा विभाजन हुआ है। इसलिये श्री बनेड़ा, पैरा 3 के अतर्गत किसी संरक्षण की मांग नहीं कर सकते। उनका यह कहना कि पार्टी के पुनर्मेल के बारे में चर्चा चल रही थी, नैतिक या अन्य दृष्टि से सही लग सकता है, परन्तु दसवीं अनुसूची के प्रयोजनार्थ इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसलिए मेरा यह मत है कि श्री बनेड़ा निरर्हता नियमों के नियम 8(1) (ख) के साथ पठित दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अंतर्गत निरर्ह हो गये हैं।

10. दो सदस्य, श्री मान्धाता सिंह और श्री राम नरेश सिंह, जिनके नाम श्री चन्द्र शेखर द्वारा 6 नवम्बर, 1990 को प्रस्तुत की गई 58 सदस्यों वाली सूची में है, 7 नवम्बर को मुझसे मिले थे और यह लिख कर दिया था कि वे जनता दल के प्रति निष्ठावान हैं तथा वे जनता दल द्वारा जारी किए गए व्हिप के अनुसार 7 नवम्बर, 1990 को प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत देंगे। उनके निश्चय को देखते हुए उन्हें जनता दल (स) धड़े का नहीं माना जा सकता है।

11. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मैं 54 सदस्यों वाले जनता दल (स) को, जिसके सदस्यों की सूची अनुबन्ध VI में दी गई है, एक पृथक् दल के रूप में मान्यता देता हूं जो 5 नवम्बर, 1990 को जनता दल में हुए विभाजन के कारण बना है। दसवीं अनुसूची के पैरा 3 (ख) के अंतर्गत मेरा यह मानना है कि इस प्रकार के विभाजन के समय से अर्थात् 5 नवम्बर, 1990 से ये 54 सदस्य जनता दल (स) के होंगे जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के उप-पैरा (1) के प्रयोजनार्थ उनका मूल राजनीतिक दल माना जायेगा।

12. श्री सुकदेव पासवान ने अन्य सदस्यों के अलावा श्री मानवेन्द्र सिंह के विरुद्ध भी याचिका दायर की है। श्री मानवेन्द्र सिंह के विरुद्ध यह मामला है कि उन्होंने जनता दल के व्हिप के अनुसार 7 नवम्बर, 1990 को प्रस्ताव के समर्थन में अपना मत दिया था परन्तु 16 नवम्बर, 1990 को उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया। सरकारी रिकार्ड को देखने से मुझे पता चलता है कि श्री मानवेन्द्र सिंह 7 नवम्बर, 1990 को अनुपस्थित थे, और इसलिए श्री पासवान की याचिका में की गई दृढ़ोक्तियां, इस दृष्टि से, सही नहीं थी। श्री मानवेन्द्र सिंह को उपरोक्त पैरा 11 में की गई मेरी टिप्पणी के अनुसार, पहले ही जनता दल (स) से सम्बन्धित मान लिया गया है। अतः वह 5 नवम्बर, 1990 से ही जनता दल (स) गुट में आ गए और उसके बाद वह जनता दल के व्हिप के आदेश के अध्यधीन नहीं थे। ऐसी स्थिति में मैं श्री मानवेन्द्र सिंह के विरुद्ध याचिका को खारिज करता हूं।

13. श्री सुकदेव पासवान ने जिन पांच याचिकादाताओं के विरुद्ध इस प्रकार की याचिकायें प्रस्तुत की हैं तथा जिन्होंने भी इसी प्रकार के उत्तर दिए हैं, उनके नाम हैं श्री विद्याचरण शुक्ल, डा० बंगाली सिंह, श्री सरवर हुसैन, श्री भागेय गोवर्धन तथा श्री देवानन्द अमात। इनके विरुद्ध यह आरोप है कि ये प्रतिवादी जनता दल विधायी दल के सदस्य थे कि इन प्रतिवादियों ने जनता दल के व्हिप का अनुपालन करते हुए 7 नवम्बर, 1990 को विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया था, कि ये प्रतिवादी 5 नवम्बर, 1990 अथवा 7 नवम्बर, 1990 को अलग हुए ग्रुप में सम्मिलित नहीं हुए थे, कि अलग हुए ग्रुप ने इस बात का दावा किया था कि उक्त विभाजन 5 नवम्बर, 1990 को और अधिकाधिक 7 नवम्बर, 1990 को पूरा हो गया था, कि प्रतिवादियों सहित सभी सदस्यों को एक तीन लाइन का व्हिप जारी किया गया था जिसमें सदस्यों को निर्देश दिया गया था कि वे प्रधान मन्त्री श्री चन्द्र शेखर द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करें और

कि प्रतिवादियों ने उक्त व्हिप के विरुद्ध मत दिया, कि दल ने व्हिप के विरुद्ध किये गए मतदान को क्षमा नहीं किया है; और कि प्रतिवादी दसवीं अनुसूची के पैरा 3 के अन्तर्गत नहीं आते हैं अतः प्रत्येक प्रतिवादी दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (1) (क) तथा 2 (1) (ख) के अन्तर्गत अयोग्य ठहराये जाने का पात्र है। इसके उत्तर में, प्रतिवादियों ने कहा है कि संगठन और विधायिका दोनों ही स्तरों पर यह विभाजन 5 नवम्बर, 1990 को हो गया था, कि कि उनकी सदस्य संख्या जनता दल की सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक थी; कि निष्कासन की किसी भी सूचना पर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए; कि उन्होंने 63 सदस्यों सहित 5 नवम्बर, 1990 को प्रातः 10.30 बजे प्रपत्र-III में हस्ताक्षर किये हैं, जिसमें उन्होंने जनता दल (स) के साथ अपनी सम्बद्धता का दावा किया है; कि 5 नवम्बर, को उक्त विभाजन के पश्चात् दोनों ग्रुपों के नेताओं ने पार्टी को दोबारा से एक करने लिए बातचीत आरम्भ की; कि ऐसे ही माहौल में प्रतिवादियों ने 7 नवम्बर, 1990 को श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के पक्ष में मत दिया था; कि 5 नवम्बर, 1990 से जनता दल के व्हिप के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण, वे 7-11-1990 या 16-1'-1990 को जनता दल के व्हिप से बाध्य नहीं थे।

मैं समझता हूं कि ये पांच प्रतिवादी उन 54 सदस्यों की सूची में नहीं हैं जिन्हें जनता दल (स) के गठन के लिए मान्यता दी गई है। डा० बंगाली सिंह के विरुद्ध की गई याचिका में एक तथ्यात्मक त्रुटि है जबकि याचिका में यह कहा गया है कि डा० बंगाली सिंह ने 7 नवम्बर, 1990 को प्रस्ताव के समर्थन में मत दिया था लेकिन तथ्य यह है कि रिकार्ड के अनुसार वह वास्तव में उस दिन अनुपस्थित थे। तथापि इसका इस कार्यवाही के उद्देश्य पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है अर्थात् कि उन्होंने 16 नवम्बर, 1990 को व्हिप के विरुद्ध मत दिया था। ऐसा लगता है कि 7-11-90 को उनकी अनुपस्थिति जिससे भी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन होता है, को क्षमा नहीं किया गया है। पहले की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए यह माना जाता है कि विभाजन 5-11-90 को हुआ जिसके 54 सदस्य हैं, दसवीं अनुसूची पर एक सरसरी निगाह डालने से पता चलता है कि विभाजन केवल एक ही बार होना चाहिए। प्रपत्र-III में की गई उद्घोषणा जिस पर 5 नवम्बर, 1990 को हस्ताक्षर किए जाने की बात कही गई है, को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे तत्काल प्रस्तुत नहीं किया गया था, और किसी भी स्थिति में सदस्य द्वारा भी इसे मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह तथ्य भी कि चारों प्रतिवादियों ने 7 नवम्बर को व्हिप के अनुसार मतदान किया था कि इस बात को और आगे सिद्ध करता है कि प्रतिवादियों ने प्रपत्र-III प्रस्तुत करने की बात बाद में सोची थी। एक अन्य प्रतिवादी डा० बंगाली सिंह ने 7 नवम्बर के अपने मतदान के बारे में कुछ दावे किये थे लेकिन वे परस्पर विरोधी होने के कारण उन पर विचार किये जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी अवस्था में श्री चन्द्र शेखर द्वारा 6 नवंबर, 1990 को दी गई सूची में इन पांच प्रतिवादियों के नाम नहीं थे और इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जहां तक दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत कार्यवाही का सम्बन्ध है, दोनों धड़ों के बीच पुनर्मेल होने की आशा होने का तर्क देने के नैतिक रूप से कोई उलझन हो सकती है अन्यथा नहीं। अतः पांचों प्रत्यर्थी 5 नवम्बर, 1990 को जिस दिन विभाजन हुआ था जनता दल (स) के सदस्य नहीं थे तथा चूंकि उनकी संख्या जनता दल की शेष सदस्य संख्या का एक तिहाई नहीं थी इसलिए उनको पैरा 3 के अन्तर्गत संरक्षण नहीं मिलता। अतः मेरा यह मत है कि श्री विद्याचरण शुक्ल, डा० बंगाली सिंह, श्री सरवर हुसैन, श्री भागेय गोबर्धन तथा श्री देवानन्द

सभा निरर्हता नियम, 1985 के नियम 8 (1) (ख) के साथ पठित दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अन्तर्गत निरर्हित हो गए हैं।

14. डा० शकीलुर्रहमान के सम्बन्ध में यह आरोप लगाया गया है कि 21 नवम्बर को उन्होंने श्री चन्द्र शेखर सरकार में मंत्रि-परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली थी तथा यह दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (1) (क) के प्रयोजनार्थ स्वैच्छिक रूप से सदस्यता छोड़ने के समान है। यह स्वीकार किया गया है कि डा० शकीलुर्रहमान जनता दल के सदस्य थे। श्री चन्द्र शेखर द्वारा 4 दिसम्बर, 1990 को प्रस्तुत की गई सूची में उनका नाम था तथा श्री चन्द्र शेखर के पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र-III पर उनके द्वारा 5 नवम्बर, 1990 को हस्ताक्षर किए जाने का दावा किया गया था। इस प्रकार डा० शकीलुर्रहमान ने दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (क) के अर्थ में अपने दल अर्थात् जनता दल की सदस्यता त्याग दी है। अपने बचाव में तथा मौखिक निवेदन में भी उन्होंने यह तर्क दिया कि कुछ बातचीत हुई थी जिससे यह लगता था कि यथापूर्व स्थिति बहाल होने की संभावना है, कि इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने 7-11-90 तथा 16-11-90 को श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के पक्ष में मत दिया परन्तु तत्पश्चात् उन्होंने सरकार में सम्मिलित होने का निर्णय किया। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, विभाजन 5 नवम्बर, 1990 से माना गया है तथा दसवीं अनुसूची के प्रयोजनार्थ विभाजन केवल एक ही समय होना चाहिए तथा यह कोई चालू या जारी रहने वाला मामला या प्रक्रिया नहीं है। प्रपत्र-III जिस पर 5 नवम्बर, 1990 को हस्ताक्षर किए जाने का दावा किया गया है परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्पष्टतः एक बाद की सोच है, क्योंकि प्रत्यर्थी का नाम श्री चन्द्र शेखर द्वारा 6-11-90 तथा 16-11-90 को प्रस्तुत की गई सदस्यों की सूची में सम्मिलित नहीं था, कथित संशोधित प्रपत्र-III मुझे 5-11-90 को या इसके तुरन्त बाद प्रस्तुत नहीं किया गया तथा श्री हरमोहन धवन द्वारा 14 नवम्बर, 1990 को प्रस्तुत की गई सूची में उनका नाम सम्मिलित नहीं था। उसी वजह से यह तर्क कि 7-11-1990 तथा 16-11-1990 को वह जनता दल (स) में था और इसलिए उन पर जनता दल (स) का व्हिप लागू होता था न कि जनता दल का, स्पष्टतः एक बाद की सोच है। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह कहा गया है कि पार्टी सम्बन्धी अपनी स्थिति के बारे में सदस्य जो दावा करे उसे मान लिया जाना चाहिए तथा मामला यहीं समाप्त हो जाना चाहिए। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि विधिमान्यतः किए गए किसी दावे को जैसा वह हो उसे वैसे का वैसा स्वीकार किया जा सकता है, यह टिप्पणी की जाती है कि यहां किया गया दावा विधिमान्यतः नहीं है क्योंकि (एक) दावा निरर्हता नियम 1985 के अनुसार के अध्यक्ष के समक्ष नहीं किया गया (दो) निरर्हता नियमों के अनुसार दावा तुरन्त नहीं किया गया। अतः यह दावा एक बात की सोच है। इसीलिए, जबकि डा० शकीलुर्रहमान को पैरा 2(1) (क) के अन्तर्गत निरर्हित घोषित किया जा सकता है, वह दसवीं अनुसूची के पैरा 3 के अन्तर्गत विभाजन का लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए, मैं, यह घोषणा करता हूं कि डा० शकीलुर्रहमान दसवीं अनुसूची तथा निरर्हता नियमों के नियम 8 (1) (ख) के अन्तर्गत निरर्हित हो गए हैं।

आदेश

15. संविधान की दसवीं अनुसूची तथा लोक सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, रबि राय, अध्यक्ष, लोक सभा एतद्द्वारा यह आदेश देता हूं कि चूंकि 54 सदस्य जिनके नामों का उल्लेख मैं इसके पश्चात्

करूंगा ऐसे दल का गठन करते हैं जो मूल जनता दल पार्टी में विभाजन के कारण बना है तथा ऐसा दल मूल पार्टी के सदस्यों के तिहाई में अन्यून है, इसलिए इस दल को दसवीं अनुसूची के पैरा 3 के निर्बन्धनों के अनुसार एक नया राजनैतिक दल माना जाएगा तथा इन 54 सदस्यों को जनता दल (सं) के सदस्य के रूप में माना जाएगा जो इसके पश्चात् दसवीं अनुसूची के पैरा 3 प्रयोजन के लिए उनका मूल दल होगा।

1. श्री बाल गोपाल मिश्र
2. श्री बबनराव ढाकणे
3. श्री बेगा राम चौहान
4. श्री भक्त चरण दास
5. श्री भगवान दास राठौर
6. श्री चन्द्र शेखर
7. श्री चांद राम
8. श्री दसई चौधरी
9. श्री दौलत राम सारण
10. श्री देवी लाल
11. श्री धनराज सिंह
12. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा
13. श्री हरमोहन धवन
14. श्री हेत राम
15. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
16. श्री जगदीप धनखड़
17. श्री जय प्रकाश
18. श्री कल्पनाथ सोनकर
19. श्री कल्याण सिंह कालवी
20. श्री कपिल देव शास्त्री
21. श्री ललित विजय सिंह
22. श्रीमती मेनका गांधी
23. श्री नकुल नायक
24. श्री राजमंगल पांडे
25. श्री राम बहादुर सिंह

26. श्री राज मंगल मिश्र
27. श्री रामजी लाल यादव
28. श्री रामजी लाल सुमन
29. श्री युवराज
30. श्री मंगाराज मलिक
31. श्री मानवेन्द्र सिंह
32. श्री ए० एन० सिंह देव
33. श्री राव बीरेन्द्र सिंह
34. श्री जनेश्वर मिश्र
35. श्री बृज भूषण तिवारी
36. श्री सुबोध कांत सहाय
37. श्रीमती उषा सिंह
38. श्री छोटे सिंह यादव
39. श्री राम सिंह शाक्य
40. श्री राम सेवक भाटिया
41. श्री उदय प्रताप सिंह
42. श्री केशरी लाल
43. श्री राम सागर
44. श्री बालेश्वर यादव
45. श्री राम प्रसाद चौधरी
46. श्री प्रभात सिंह चौहान
47. श्री जी० के० शेलड़ा
48. श्री मनुभाई कोटडीया
49. श्री बलवन्त मणवर
50. श्री अर्जुन भाई पटेल
51. श्री एम० एम० पटेल
52. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल
53. श्री एन० जे० राथवा
54. श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई शाह

16. भारत के सविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 6 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, रवि राय, अध्यक्ष, लोक सभा एतद्द्वारा घोषणा करता हू कि उक्त अनुसूची के पैरा 2 (1) (ख) के निबंन्धनों के अनुसार लोक सभा के निम्नलिखित सात सदस्य लोक सभा के सदस्य बने रहने के लिए निर्हित हो गए हैं।

1. श्री बासवराज पाटिल
2. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा
3. श्री विद्या चरण शुक्ल
4. श्री डा० बगाली सिंह
5. श्री सरवर हुसैन
6. श्री भागेय गोवर्धन
7. श्री देवानन्द अमात

तदनुसार उपर्युक्त सदस्य तत्काल प्रभाव स लाग सभा के सदस्य नहीं रहे और ऐसा होने पर उनके स्थान रिक्त हो जाएंगे।

17. भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 6 तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं रवि राय, अध्यक्ष, लोक सभा एतद्द्वारा यह घोषणा करता हू कि डा० शकीलुर्रहमान, सदस्य, लोक सभा उक्त अनुसूची के पैरा 2 (1) (क) के निबंधनों के अनुसार लोक सभा के सदस्य बने रहने के लिए निर्हित हो गये हैं। तदनुसार डा० शकीलुर्रहमान तत्काल प्रभाव से लोक सभा के सदस्य नहीं रहे हैं और ऐसा होने पर उनका स्थान रिक्त हो जाएगा।

इस आदेश की प्रतियां अर्जीदारों, उन सदस्यों को जिनके संबंध में ये अजिया दी गई हैं तथा जनता दल और जनता दल (एस) के नेताओं को भेज दी जायें।

अनुबन्ध-एक

1. श्रीमती उषा सिंह
2. श्री जनेश्वर मिश्र
3. श्री बासवराज पाटिल
4. श्री रामजी लाल यादव
5. श्री राम बहादुर सिंह
6. श्री राव बीरेन्द्र सिंह
7. श्री बृज भूषण तिवारी
8. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
9. श्री राम सेवक भाटिया

10. श्री राम प्रसाद चौधरी
11. श्री छोटे सिंह यादव
12. श्री राम सिंह शाक्य
13. श्री राजमंगल पांडे
14. श्री शांतिलाल पुरुषोतम दास पटेल
15. श्री नकुल नायक
16. श्री जगदीप धनखड़
17. श्री गुरदयाल सिंह सैनी
18. श्री युवराज
19. श्री बलवन्त मणवर
20. श्री ए० एन० सिंह देव
21. श्री बालेश्वर यादव
22. श्री उदय प्रताप सिंह
23. श्री राम सागर
24. श्री बेगा राम चौहान
25. श्री दसई चौधरी
26. श्री दौलत राम सारण
27. श्री देवी लाल
28. श्री धनराज सिंह
29. श्री केशरी लाल
30. श्री मंगाराज मलिक

अनुबंध-दो

1. श्री विद्याचरण शुक्ल
2. डा० बंगाली सिंह
3. श्री सरवर हुसैन
4. श्री भागेय गोवर्धन
5. श्री मानवेन्द्र सिंह
6. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा
7. श्री डी० अमात

अनुबन्ध-तीन

1. श्री चांद राम
2. श्री चन्द्र शेखर
3. श्री प्रभातसिंह चौहान
4. श्री भक्त चरण दास
5. श्री बबनराव ढाकणे
6. श्री हरमोहन धवन
7. श्रीमती मेनका गांधी
8. श्री हेत राम
9. श्री जय प्रकाश
10. श्री कल्याण सिंह कालवी
11. श्री मनुभाई कोटडीया
12. श्री बाल गोपाल मिश्र
13. श्री राजमंगल मिश्र
14. श्री अर्जुन भाई पटेल
15. श्री एम० एम० पटेल
16. श्री एन० जे० राथवा
17. डा० भगवान दास राठौर
18. श्री सुबोध कांत सहाय
19. श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह
20. श्री कपिल देव शास्त्री
21. श्री जी० के० शेखड़ा
22. श्री एस० बी० सिंह
23. श्री कल्पनाथ सोनकर
24. श्री रामजी लाल सुमन
25. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा

अनुबन्ध-चार

1. श्री बाल गोपाल मिश्र
2. श्री बबनराव ढाकणे

3. श्री बेगा राम चौहान
4. श्री भक्त चरण दास
5. श्री भगवान दास राठौर
6. श्री चन्द्र शेखर
7. श्री चांद राम
8. श्री दसई चौधरी
9. श्री दौलत राम सारण
10. श्री देवी लाल
11. श्री धनराज सिंह
12. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा
13. श्री हरमोहन धवन
14. श्री हेत राम
15. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
16. श्री जगदीप धनखड़
17. श्री जय प्रकाश
18. श्री कल्पनाथ सोनकर
19. श्री कल्याण सिंह कालवी
20. श्री कपिल देव शास्त्री
21. श्री ललित विजय सिंह
22. श्रीमती मेनका गांधी
23. श्री नकुल नायक
24. श्री राजमंगल पांडे
25. श्री राम बहादुर सिंह
26. श्री राम नरेश सिंह
27. श्री राजमंगल मिश्र
28. श्री रामजी लाल यादव
29. श्री रामजी लाल सुमन
30. श्री गुरदयाल सिंह सैनी
31. श्री युवराज
32. श्री गंगाराज मलिक

33. श्री मानवेन्द्र सिंह
34. श्री ए० एन० सिंह देव
35. श्री राव बीरेन्द्र सिंह
36. श्री जनेश्वर मिश्र
37. श्री बृज भूषण तिवारी
38. श्री सुबोध कांत सहाय
39. श्रीमती उषा सिंह
40. श्री छोटे सिंह यादव
41. श्री राम सिंह शाक्य
42. श्री राम सेवक भाटिया
43. श्री उदय प्रताप सिंह
44. श्री केशरी लाल
45. श्री राम सागर
46. श्री बालेश्वर यादव
47. श्री राम प्रसाद चौधरी
48. श्री प्रभात सिंह चौहान
49. श्री जी० के० शेखड़ा
50. श्री मनुभाई कोटडीया
51. श्री बलवंत मणवर
52. श्री अर्जुनभाई पटेल
53. श्री एम० एम० पटेल
54. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल
55. श्री एन० जे० राथवा
56. श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह
57. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा
58. श्री मान्धाता सिंह

अनुबन्ध-पांच

1. श्रीमती उषा सिंह
2. श्री जनेश्वर मिश्र

3. श्री रामजी लाल यादव
4. श्री राम बहादुर सिंह
5. श्री राव बीरेन्द्र सिंह
6. श्री बृज भूषण तिवारी
7. श्री हुक्कदेव नारायण यादव
8. श्री राम सेवक भाटिया
9. श्री राम प्रसाद चौधरी
10. श्री छोटे सिंह यादव
11. श्री राम सिंह शाक्य
12. श्री राजमंगल पांडे
13. श्री शांतिलाल पटेल
14. श्री नकुल नायक
15. श्री जगदीप धनखड़
16. श्री युवराज
17. श्री बलवन्त मणवर
18. श्री ए०एन० सिंह देव
19. श्री बालेश्वर यादव
20. श्री उदय प्रताप सिंह
21. श्री राम सागर
22. श्री बेगा राम चौहान
23. श्री दसई चौधरी
24. श्री दौलत राम सारण
25. श्री देवी लाल
26. श्री धनराज सिंह
27. श्री केशरी लाल
28. श्री मंगाराज मलिक

अनुबन्ध-छह

1. श्री बाल गोपाल मिश्र
2. श्री बबनराव ढाकणे

3. श्री बेगा राम चौहान
4. श्री भक्त चरण दास
5. श्री भगवान दास राठौर
6. श्री चन्द्र शेखर
7. श्री चांद राम
8. श्री दसई चौधरी
9. श्री दौलत राम सारण
10. श्री देवी लाल
11. श्री धनराज सिंह
12. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा
13. श्री हरमोहन धवन
14. श्री हेत राम
15. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
16. श्री जगदीप धनखड़
17. श्री जय प्रकाश
18. श्री कल्पनाथ सोनकर
19. श्री कल्याण सिंह कालवी
20. श्री कपिल देव शास्त्री
21. श्री ललित विजय सिंह
22. श्रीमती मेनका गांधी
23. श्री नकुल नायक
24. श्री राजमंगल पांडे
25. श्री राम बहादुर सिंह
26. श्री राजमंगल मिश्र
27. श्री रामजी लाल यादव
28. श्री रामजी लाल सुमन
29. श्री युवराज
30. श्री मंगाराज मलिक
31. श्री मानवेन्द्र सिंह

32. श्री ए० एन० सिंह देव
33. श्री राव बीरेन्द्र सिंह
34. श्री जनेश्वर मिश्र
35. श्री बृज भूषण तिवारी
36. श्री सुबोध कांत सहाय
37. श्रीमती उषा सिंह
38. श्री छोटे सिंह यादव
39. श्री राम सिंह शाक्य
40. श्री राम सेवक भाटिया
41. श्री उदय प्रताप सिंह
42. श्री केशरी लाल
43. श्री राम सागर (बाराबंकी)
44. श्री बालेश्वर यादव
45. श्री राम प्रसाद चौधरी
46. श्री प्रभात सिंह चौहान
47. श्री जी० के० शेखड़ा
48. श्री मनुभाई कोटडीया
49. श्री बलवन्त मणवर
50. श्री अर्जुनभाई पटेल
51. श्री एम०एम० पटेल
52. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल
53. श्री एन०जे० राथवा
54. श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह

———

9.10 म० प०

विदाई सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, चूंकि वर्तमान लोक सभा का छठा सत्र समाप्त होने जा रहा है, अतः मैं इस अवसर पर माननीय सदस्यों को, इस सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप

से चलाने में मुझे और मेरे सहयोगियों, उपाध्यक्ष तथा सभापति के पेनल में शामिल सदस्यों को जो विनम्र सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

27 दिसम्बर, 1990 को आरम्भ हुए इस अल्पकालिक सत्र के दौरान 10 बैठकें हुईं जो लगभग 67 घंटे चलीं।

सत्र के पहले दिन ही, मैंने देश में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति दी थी। इस प्रस्ताव पर 5½ घंटे तक वाद-विवाद हुआ तथा यह अस्वीकृत हुआ। 9 जनवरी को एक अन्य स्थगन प्रस्ताव पेश हुआ जिसका सम्बन्ध ऐसे विषय से था जिस पर पूरा सदन बिल्कुल उद्वेलित था अर्थात् संविधान की दसवीं अनुसूची में समाविष्ट संसद् सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय करने के लिए अध्यक्ष में शक्तियो का समावेश करने वाले संविधान के उपबंधों को न्यायालय की परिधि से बाहर रखने की आवश्यकता पर लगभग चार घंटे की बहस हुई। जब सरकार सदन के सभी वर्गों से मांग किए जाने पर झुक गई कि दिल्ली उच्च न्यायालय में उपयुक्त रूप से संशोधित हलफनामा पेश किया जायेगा, तो सदन की अनुमति से इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया।

ध्यानाकर्षण सूचनाओं के माध्यम से तीन महत्वपूर्ण मामले उठाए गए अर्थात् सुरीनाम में रहने वाले भारतीयों के जीवन और उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा पर वहां हाल में हुई घटनाओं का प्रभाव, नाबार्ड कर्मचारियो के विवाद को न सुलझाना तथा आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय तथा रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा बड़ी संख्या में प्रसिद्ध दवा और कम्पनियों के पंजीकरण कथित रूप से समाप्त किया जाना।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा पंजाब में वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में नियम 193 के अधीन अल्पकालिक चर्चाएं हुईं।

इस सत्र के दौरान कुल मिलाकर ग्यारह विधेयक पारित किए गए जिनमें पूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) से सम्बन्धित विनियोग विधेयक तथा असम और जम्मू तथा कश्मीर के बजट के अतिरिक्त लोक दायित्व बीमा विधेयक, कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 199[illegible] शामिल हैं।

सत्र के दौरान 13 गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित किए गए। विकल[illegible] व्यक्तियों के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए एक व्यापक नीति बनाने की आवश्यकता के सम्ब[illegible] में श्री उत्तम राठौड़ द्वारा पेश किये गये अशक्त व्यक्ति (पुनर्वास तथा कल्याण) विधेयक पर का[illegible] लाभदायक वाद-विवाद हुआ।

इस बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल के पश्चात् अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उ[illegible] के लिए सदस्यों को अनुमति देने संबंधी प्रक्रिया-संबंधी जो उपाय मैंने आरम्भ किया, वह सद[illegible] में काफी लोकप्रिय रहा, क्योंकि उनके मस्तिष्क में जो विभिन्न प्रकार के मसले उद्वेलित होते [illegible] उन्हें वे सदन त[illegible]ा सरकार की निगाह में शीघ्रातिशीघ्र लाते रहे। अनेक मामलों में, प्रधानमन्त्र[illegible] तथा अन्य मन्त्रियों ने भी सदन में उठाए गए मामलों के सम्बन्ध में तुरन्त उत्तर दिया।

एक बार पुनः मैं सभी माननीय सदस्यों, विपक्ष के नेता तथा अन्य पार्टियों एवं ग्रुपों के नेताओं को इस सत्र के दौरान उनके अपार सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं उपाध्यक्ष तथा सभापति के पेनल के सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होने कार्यवाही-संचालन में काफी कुशलतापूर्वक मुझे सहायता प्रदान की ।

सभी सदस्यों को फिर मिलने तक मेरी शुभकामनाएं ।

अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है ।

9.15 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-53